खण्ड-310, अंक-8
बुधवार, 16 श्रावण, शक संवत् 1896
(7 अगस्त, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 310 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ७ अगस्त, १९७४

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८५

अंगने लाल ,श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री उर्फ जिमी मियां (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदयनाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए०सी० प्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णबीर सिंह, श्री
कृष्णबीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री

गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री,
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह कामरेड, श्री
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री]
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर,श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर,जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनादन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री

ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झिलमिट राम, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दर्लासिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पांडेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर,श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धमवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त त्रिपारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (उर्फ राजा जी)

पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह श्री
बालकृष्ण, सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बैनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारव, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री
(जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नूलाल द्विवेदी, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह, "जूदेव" श्री

रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद बौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम अौतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीलाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
रामनाथ, बाबा
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मंणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री
बीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री

शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ७ अगस्त, १९७४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रत्येक जिले में सस्ते गल्ले की दुकानों से गेहूं के वितरण पर विचार

**१—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) तथा श्री रामपति (जिला गोंडा)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार सस्ते गल्ले की दूकान से गेंहूं प्रत्येक जिले में वितरित किये जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से और किस भाव पर ? क्या यह सही है कि सरकार गेहूं के दाम को बढ़ाने का विचार कर रही है ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

केन्द्रीय सरकार द्वारा गेहूं के आवंटन में वृद्धि किये जाने तथा खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता पर प्रत्येक जिल में सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरण हेतु गेहूं के आवंटन पर विचार किया

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—]

जा सकेगा। गेहूं की बिक्री दर केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित की गई निर्गत दर पर निर्भर है शासन के समक्ष गेहूं की बिक्री दर बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

माननीय मंत्री जी बतायेंगीं कि क्या शासन ने कोई पत्र केन्द्र को इस प्रदेश के लिये गेहूं आवंटित करने के लिये लिखा है? यदि हां, तो वह पत्र क्या है और कितना गल्ला आपने उनसे मांगा है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

गेहूं आवंटन के लिये अलग से इधर पत्र नहीं लिखा गया। पत्र इस रूप में जरूर लिखा गया था कि साधारणतया हमारी यह आवश्यकता है और उसमें इस प्रकार मिलना चाहिये और फिर बातचीत के द्वारा हमने इस बात की ओर कोशिश की लेकिन ३० हजार टन ही दिया गया।

श्री उदल (जिला वाराणसी)—

गेहूं वितरण का प्रश्न अभी नहीं उठता तो क्या सरकार ने इस तरह के आदेश जिला पूर्ति अधिकारियों को दिये हैं कि देहात की दुकानों पर भूमिहीन और एक एकड़ तक के किसानों को मोटा अनाज, जैसे बाजरा वगैरह वितरित किया जाय? यदि हां, तो उसके लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किया?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

देहातों पर जो दूकानें हैं वह चीनी और मिट्टी का तेल इत्यादि के लिये हैं, अलग से गल्ले के लिये दुकानें नहीं होती हैं, केवल शहरी क्षेत्र में हैं और वह भी सब जगहों पर नहीं हैं। मोटा अनाज जहां जहां आवश्यकता होती है, जैसे मिर्जापुर के इलाके से खबर आयी या कहीं विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गयी हो, आजकल जैस बाढ़ की स्थिति है, तो वितरण किया जाता है। जितनी दुकानें हैं सभी पर मोटा अनाज देने की व्यवस्था नहीं है और न ऐसे आदेश हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा अब देहातों में सस्ते गल्ले की दुकानों पर अनाज नहीं दिया जाता है। यह व्यवस्था ४–५ महीने से बन्द है नहीं तो पहले बराबर सस्ते गल्ले की दुकानों पर देहातों में, जैसे हमारे जिले में जो बिलकुल भमिहीन हैं, और भूमिहीनों की तादाद वहां ज्यादा है उनको गल्ला मिलता रहा है। आज वहां भुखमरी की स्थिति है और हमारा क्षेत्र तो ऐसे इलाके में है जहां बिल्कुल खाद्य पदार्थ नहीं हैं। तो वहां राजकीय सस्ते गल्ले की दुकानों पर जैसे ४–५ महीने पहले मोटा अनाज दिया जाता है फिर उस व्यवस्था को चालू करेंगी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ग्रामीण अंचलों में सस्ते गल्ले की दुकानें नहीं हैं। वहां पर केवल चीनी और मिट्टी के तेल की ही व्यवस्था की जाती है। लेकिन माननीय सदस्य ने जैसा कहा, जब भी जिलाधीश किसी क्षेत्र या जिले से ऐसी सूचना देते हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं या परेशान हैं तो उसकी व्यवस्था की जाती है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश भर में जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं वहां अलग से राशन की दूकानें खुलवा कर अनाज बटवाने की व्यवस्था करेंगी?

श्री अध्यक्ष—

यह हर जगह का सवाल थोड़े ही है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

गोंडा जिले में गेहूं का भाव २ और ३ रुपये के बीच में पहुंच गया है। पिछले साल गेहूं की फसल कम पैदा हुई और चावल भी नहीं पैदा हुआ। इसको देखते हुये गोंडा जिले में विशेष रूप से क्या सरकार सस्ते गल्ले की दुकानों पर गेहूं देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

आवश्यकता के अनुसार जहां पर भी आवश्यकता होगी उपलब्धता के हिसाब से व्यवस्था करायी जायगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

(श्री पुरुषोत्तम कौशिक द्वारा खड़े हो कर बोलने पर) आप अमर्यादित हैं। आप बैठें इस तरह से नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है कि जो चाहें जब चाहे खड़े हो कर बोलने लगे।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अभी माननीय काशीनाथ जी ने कुछ जिलों का संकेत किया कि वहां पर भुखमरी की स्थिति तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर जिलाधीश सूचना देंगे तो हम वहां उचित व्यवस्था करग तो जिलाधीश की सूचना पर ज्यादा यकीन है माननीय सदस्यों की सूचना पर यकीन कम है। तो सदन में जो विभिन्न क्षेत्रों को जो सूचना हम लोग देते हैं कि वहां पर गल्ले की कमी है तो इसके आधार पर क्या वह जिलाधीशों से पूछेंगी कि वहां आवश्यकता है या नहीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य ने शायद मुझे गलत समझा। मै यह नहीं कहती कि माननीय सदस्य जो कहते हैं उसके आधार पर काम नहीं किया जायेगा। लेकिन माननीय सदस्य तो एक जनरल रूप में कहते हैं कि यहां पर यह दिक्कत है। ऐक्चुअल क्वान्टिटी कितनी चाहिये, किस तरह की परिस्थिति है यह तो जिले के अधिकारी ही हमें सूचित करेंगे। उसी के अनुसार समय-समय पर व्यवस्था की जाती है।

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीया मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगी कि इस चीज को सही मान कर कि देहातों में सस्ते गल्ल की दुकानों पर गल्ला नहीं दिया जा रहा है और आज वहां लोग भुखमरी के शिकार हैं तो क्या निश्चित आपके पास सामर्थ है कि आप देहात की दुकानों पर गल्ला दे सकें ?

(व्यवधान)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैंने कभी यह नहीं कहा कि हमारी सामर्य नहीं है। मने तो यह कहा कि आवश्यकता के हिसाब से, उपलब्धता के हिसाब से सरकार समय-समय पपर व्यवस्था करती रहती है। लेकिन देहातों में रहने वाले किसान ही अनाज पैदा करते हैं और छोटे-छोटे कस्बों में जो बाजार लगते हैं उनमें वह अनाज आ कर बिकता है और लोग खरीद लिया करते हैं। इसलिये यह आपकी गलत धारणा है। देहाती क्षेत्रों में सरकार की तरफ से सस्ते गल्ले की दुकानें नहीं खोली गयी हैं लेकिन हमारा विचार यह है कि ऐसे क्षेत्र, जैसे टाउन एरिया हैं वहां समय समय पर कभी-कभी दिया जाता रहा है लेकिन यह डिस्ट्रीब्यूशन का परमानेन्ट फीचर नहीं रहा है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, हमारी व्यवस्था यह है कि मन्त्री जी न कहा है कि उपलब्धता और आवश्यकता से यह खुलेगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सरकार कोई पोस्ट आफिस नहीं

बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उपलब्ध करायेगी और सारे प्रदेश को खिलायेगी इसलिए वह यह नहीं कह सकती है। दूसरे मैं यह व्यवस्था चाहूंगा कि जो अक्सर सूचना देते हैं उसके आधार पर जबाब देते हैं अभी उन्होंने कहा है कि सस्ते गल्ले की दूकाने देहातों में नहीं हैं लेकिन सस्ते गल्ले की दूकानों के लाइसस देहात में दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का कैसे प्रश्न है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जो अफसर मन्त्री जी को झूठी रिपोर्ट देते हैं उनके ऊपर ऐक्शन लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय काशीनाथ मिश्र की इच्छा के अनुसार जबाब न हो और आलोचना करनी चाहिए तो वह कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं लेकिन इसमें कोई व्यवस्था अन्तर्निहित नहीं है।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

क्या सरकार बतायेगी कि खाद्य विभाग से ऐसे आदेश जारी किए गए हैं कि छोटे-छोटे लाइसेंस विक्रेता देहात में गल्ला खरीद सकते हैं और शहर में बेच सकते हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह आदेश जारी किए गए हैं।

श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, ग्राम सेवक गांवों से सीधा सम्बन्ध रखते हैं इसलिए क्या मन्त्री जी उनसे जांच करायेंगे कि किस-किस गांव को कितने गल्ले की आवश्यकता है और उस आधार पर गल्ला देंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कहां पर कितनी आवश्यकता है, यह जिलाधीश जिस भी ऐजेंसी से जानकारी कर सकते हैं, करते हैं और शासन जिलाधीश से जानकारी करता है। यह जिलाधीश पर छोड़ा जाता है कि वह अपने किस कर्मचारी से जांच कराता है। शासन उनको जिम्मेदार समझता है है कि वह अपने जिले की खबर यहां भेजे और वह स्थिति आने पर अगर कहीं पर ऐसी बात कही जाती है तो शासन अवश्य कार्यवाही करेगा। (व्यवधान)

सरदार कुलतार सिंह (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, सहारनपुर जिले के विधायकों ने लिखकर दिया है कि वहां पर राशन बन्द होने से गरीब जनता भूखों मर रही है तो क्या सरकार वहां राशन चालू करेगी ? विरोधी विधायक आये तो आपने दे दिया लेकिन कांग्रेस यानी अपनी पार्टी के लोगों के लिए वह क्या कर रही है ? क्या वह राशन ईश्यू करने पर विचार करगी ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, फूड कमिश्नर भी झूठ बोलते हैं वहां पर सामान नहीं है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, कल शासन की तरफ से जो घोषणा हुयी थी, उसके द्वारा फुटकर व्यापारियों को छूट दी गई है कि वह किसानों से गल्ला खरीदकर, लाकर बेचेंगे, उसके ऊपर लेवी भी नहीं देंगे । तो इस तरह से जो सरप्लस डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें सहारनपुर भी आता है, तो वहां पर जो जिले के अन्दर रुकावट थी वह सब दूर हो जाने के बाद माननीय सदस्य को जो चिन्ता है, वह दूर हो जायेगी ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मैं माननीया मन्त्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि सहारनपुर जहां पर रबी की फसल अच्छी होती है और हमारे जनपद देवरिया में जहां पर गन्ना पैदा होता है, वहां पर मोटा अनाज और गेहूं देने में प्राथमिकता देंगी ?

श्री अध्यक्ष—

आपके सवाल में आपका जवाब निहित है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि क्या देवरिया जनपद को गल्ला देने के लिए प्राथमिकता देगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, देवरिया के लोग हमेशा ही चिल्ला-चिल्ला कर प्राथमिकता ले लेते हैं ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या माननीया मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि गेहूं के दाम बाजार में बहुत बढ़ रहे हैं, इस प्रदेश में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से गेहूं दिलाने के लिए कोई निश्चित अवधि तक घोषणा करेंगी कि ३ महीने के बाद या ४ महीने के बाद उन दूकानों पर गेहूं दिलवाएंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इस महीने में देख लीजिए कि फुटकर व्यापारी किस तरह से गल्ला ले जाते हैं, उसके बाद इन्तजाम करेंगी ।

उन्नाव जिले की सस्ते गल्ले की दुकानों पर ज्वार की बिक्री रोकना

**२—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि ६ अप्रैल, १९७४ को राजकीय आदेशानुसार उन्नाव जनपद में सस्ते गल्ले की दूकानों पर ज्वार बेंचना बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो सस्ते गल्ले की दूकानों पर लगभग ३० हजार रुपये की ज्वार जो पड़ी है, उसे बिकवाने या वापस लेने की सरकार क्या व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, अप्रैल, १९७४ में स्थानीय आदेशों द्वारा उन्नाव में सस्ते गल्ले की दूकानों पर ज्वार की बिक्री रोक दी गई थी । वहां सस्ते गल्ले की दुकानों पर अवशेष ज्वार के सम्बन्ध में २६ जुलाई, १९७४ को ये आदेश दे दिये गये हैं कि यह सुनिश्चित करके कि प्रश्नगत ज्वार मनुष्यों के खाने योग्य है, इसकी खुली बिक्री करा दी जाय और इस बात का ध्यान रखा जाय कि खुली बिक्री का दुरुपयोग न होने पाये ।

श्री बेद प्रकाश अग्रवाल—

क्या माननीया मन्त्री जी यह बताएंगी कि यह आदेश अभी वहां पर पहुंच भी गये हैं और उसका वितरण भी हो गया है ? मेरी जानकारी के अनुसार अभी वितरण नहीं हुआ है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अभी यह जांच हो रही है कि वह ज्वार खराब तो नहीं हो गया है । मनुष्यों को खाने योग्य है कि नहीं ? उसके बाद व्यवस्था की जायेगी ।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीया मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मैं जानना चाहता हूं कि यह जो ३० हजार रु० का अनाज उन्नाव की सस्ते गल्ले की दूकानों पर पड़ा हुआ है, यह किस महीने में वहां पर गया था और अब तक क्यों पड़ा हुआ है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, मार्च, अप्रैल, १९७४ में अलग-अलग दुकानों पर जब हम बांट रहे थे मोटे अनाज को तो यहां की दूकानों पर भी यह गया था और वहां जो प्रश्न है ३०,००० रु० के गल्ले का, तो वह गल्ला १७,४४८.२५ पैसे का है,।

श्री राम सेवक यादव—

माननीया अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित तिथि क्या है कि जब इन्होंने मोटे अनाज बांटे थे, वह निश्चित तारीख बता दें । क्योंकि मा० अध्यक्ष महोदय अक्सर यह होता है कि गल्ला बहुत पहले दुकानों पर चला जाता है और उसका वितरण नहीं होता है और वह गल्ला सड़ता रहता है । वह गल्ला खाने काबिल नहीं रह जाता है तो उसको किसी न किसी तरह बेच कर भ्रष्टाचार चलाया जाता है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सवाल यहां भ्रष्टाचार का नहीं है । उस वक्त उन दूकानों में प्रति व्यक्ति 8 किलो अनाज हो सके इसलिए ऐसा किया था और जगह-जगह बहुत जगहों पर हमने मोटा अनाज दिया था । जैसे ४ किलो गेहूं, दो किलो चावल और दो किलो मोटा अनाज हमने दिया । और कहीं पर दो किलो चावल और मोटा अनाज ही दिया । अप्रैल के महीने में ऐसा लगा कि लोग ज्वार और बाजरा लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो हमने यह उचित समझा कि इसको रोक दिया जावे और आवश्यकता अनुसार उसे वितरित किया जायेगा ।

श्री राम सेवक यादव—

मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह कब वहां गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अप्रैल के महीने में गया था ।

श्री ऊदल—

प्रदेश में इस वक्त करोड़ों रुपये का ज्वार और बाजरा रखा हुआ है और सभी इस बात को जानते हैं कि बरसात के बाद ही ज्वार और बाजरे की फसल आ जाती है तो यह खराब होने लगती है । तो मैं जानना चाहता हूं कि जो बाजरा प्रदेश में रखा हुआ है उसको इस वक्त अन्य जगह जहां बाढ़ वगैरह आयी हुई है वहां भेजने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कोई कठिनाई की बात नहीं है। इसीलिए प्रीजर्व किया गया है कि अगर कहीं बाढ़ वगैरह आयेगी और जहां जरूरत होगी वहां भेजेंगे। इसको खराब नहीं होने देंगे। जहां के लिए जरूरी है वहां फौरन भेजा जा रहा है और भेजा जायेगा। इन कठिन दिनों के लिये ही उसे प्रीजर्व किया गया है और आवश्यक जगहों पर उसे भेजा जायगा।

श्री रेवती रमण सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि 700 क्विंटल ज्वार 8 जुलाई को इलाहाबाद के यमुना पार क्षेत्र के मेजा तहसील में भेजा गया था आदिवासी और हरिजनों के बीच में बांटने के लिए लेकिन हरिजनों और आदिवासियों में वह नहीं बांटा गया ?

श्री अध्यक्ष—

यह अलग सवाल है और इससे नहीं उठता है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जो मोटा गल्ला जिन जिलों को भेजा वहां के लोग उसे लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो क्या वह गल्ला वहां से लेकर जहां के लोग उस गल्ले को लेने के लिए तैयार हैं वहां उसे भेजने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैंने यह नहीं कहा, आपने सुना ही नहीं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि २६ जुलाई को यह आर्डर कर दिया है कि अगर गल्ला ठीक है तो उसे बांट दिया जाय, तो मैं जानना चाहता हूं कि १५ दिन हो गये और अभी तक उसकी जांच नही हो पायी कि वे खाने योग्य हैं या नहीं हैं। यदि वे खाने योग्य हों तो उसे बंटवाने की तुरन्त व्यवस्था करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अभी आज प्रातः काल ही जब हम इस प्रश्न पर अपने अधिकारियों के साथ बिचार कर रहे थे तो मुझे बतलाया गया कि इसको सुनिश्चित करने के लिये जांच हो रही है कि वे खाने के योग्य ठीक हैं या नहीं। मैंने आदेश दे दिया है आज सवेरे ही कि यदि वे खराब न हों तो उनको ठीक से बांट दिया जाय।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि उन्नाव जनपद में बाजरा अप्रैल में गया था, जब कि सवाल में यह लिखा है कि ६ अप्रैल तक दुकाने ही बन्द हो गयी थीं और वहां नाज का बिकना बन्द हो गया था। दूकानों तक उसे पहुंचने में भी ४–५ दिन का समय लगा होगा और जिले में पहुंचने में भी कुछ समय लगा होगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने यह गलत और असत्य बात कैसे कह दी? तिथि बतला दी जाय कि किस तिथि को यह वहां पहुंचा ?

श्री अध्यक्ष—

श्री राम सेवक यादव जी ने यह सवाल किया था तो उन्होंने बतलाया कि अप्रैल में वहां गया था।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

उन्होंने कहा था कि अप्रैल महीने में गया उन्नाव में, मेरा कहना यह है कि ६ अप्रैल से बिकना बन्द हो गया है तो जाने के बाद में अप्रैल में बन्द कैसे हो गया, यह असत्य बात कैसे उन्होंने कहीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैंने कोई असत्य बात नहीं कही। ऐसा हुआ, चूंकि मार्च तक सब जगह मोटा अनाज जा रहा था हमारी निश्चित नीति के अनुसार, अप्रैल महीने में इस प्रत्याशा से कि अगले महीने शासन का आदेश आता है दूकानदारों ने उठाया गल्ले को, लेकिन अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जब यह आदेश पहुंच गया तो रोक दिया। दूकानदार यह करते हैं कि महीने के पहले ही २७-२८ से ही शुरु कर देते हैं उठाना, यह नहीं कि पहली तारीख के बाद उठाया जाय। तो यह तो पहले ही उठाया गया और आवंटन होता है अप्रैल के मध्य में। लेकिन जब यह आदेश चला गया तो रोका गया उसके आवंटन को।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

यह बाजरा या बेझड़, जैसा कि गोरखपुर जिले में बाढ़ से गांव घिरे हुए हैं और कोई भी मजदूर अपनी रोजी कमाने की स्थिति में नहीं है तो वहां बेझड़ और मोटा अनाज भेजने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

बाढ़ के क्षेत्र में तो उसका प्रबन्ध करा ही रहे हैं, उस सम्बन्ध में कोई कमी नहीं है।

वेतन आयोग की समस्त सिफारिशों को संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों पर लागू करना

**३—श्री गिरिजा किशोर मिश्र (जिला शाहजहांपुर)—

संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में प्रदर्शन आदि विषयों पर विधान सभा में दिनांक २३-३-७३ को दिये गये भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के आश्वासन के सम्बन्ध में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वेतन आयोग की समस्त सिफारिशें संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों पर भी लागू की गईं ? यदि नहीं तो क्यों ? तथा क्या यह सही है कि उपरोक्त अध्यापकों को मूल महंगाई भत्ते के नाम पर एक पैसा भी नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

माध्यमिक शिक्षा मन्त्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

अभी नहीं, वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वर्गीकरण के आधार में कुछ असंगतियां पाई गई हैं जो असंगति समिति (एनामली कमेटी) के विचाराधीन है। वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार संस्कृत पाठशालाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के आदेश भी अभी तक जारी नहीं किए जा सके हैं क्योंकि इनका मामला कुछ जटिल है। शासन प्रयत्नशील है कि इस सम्बन्ध में आदेश शीघ्र ही जारी हो जाय। वेतन निर्धारण के आदेश जारी हो जाने के पश्चात् संस्कृत पाठशालाओं में लाभत्रयी योजना लागू करने की कार्यवाही की जायेगी। सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों के लिए भी राज्य कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता दिए जाने के आदेश समय-समय पर जारी किए जा चुके हैं

श्री गिरिजा किशोर मिश्र—

क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व मुख्यमन्त्री कमलापति त्रिपाठी ने संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन से सम्बन्धित क्या आश्वासन दिया था और यह आश्वासन कब तक लागू होगा, निश्चित अवधि बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

आश्वासन की प्रतिलिपि मेरे पास नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि उसमें यह बात कही गयी थी कि जिस तरह से उनकी बड़ी मांग रही है कि जो अन्य कर्मचारियों को वेतन

महंगाई भत्ता और अन्तरिम सहायता आते हैं उनको भी उन्हीं के समान वेतन भत्ता आदि दिया जाय ।

श्री गिरिजा किशोर मिश्र—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय इनका महंगाई भत्ता क्या है और किस मूल वेतन पर मंहगाई बढ़ोत्तरी मिल रही है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

फरवरी, १९७४ से महंगाई भत्ता ३०० रुपये तक वेतन का २० प्रतिशत, ३०० से १२०० तक के लिए १५ प्रतिशत और जिनका १३५ प्रतिमास है उनके लिए १० प्रतिशत है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

इन संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों की वास्तव में बहुत खस्ता हालत है, इनका वेतन मांग कितना है और असंगतियां जो वेतन कमीशन आयोग को गयी हैं वह कबतक पूरी हो जायगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार इनका ४ वर्गों में वर्गीकरण कर दिया गया है जिससे कुछ जटिलता पैदा हो गयी है और इसी कारण से इसे एनामली कमेटी के सामने भेजा गया है । इसी कारण अभी उनका वेतन निश्चित नहीं हो पा रहा है ।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

प्रदेश में कुल करीब ९०० संस्कृत की पाठशालायें हैं जिनमें ११० का अभी तक वर्गीकरण हो पाया है और उन्हें ही नये वेतनक्रम दिये जा रहे हैं शेष को नहीं । तो क्या इन शेष लोगों को भी नये वेतन मान दिये जाने के सम्बन्ध में मन्त्री जी आदेश देंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

ज्यों ही एनामली कमेटी की रिपोर्ट आ जायेगी शीघ्र निर्णय लिया जायेगा और सरकार का यह इरादा है कि इनको भी नये वेतन मान दिये जायें ।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

संस्कृत पाठशालाओं के प्रधानाचार्य को सी०टी० वाला वेतनक्रम दिया जाता है और एक सहायक को एल०टी० वाला , तो मैं यह जानना चाहता हूं कि संस्कृत पाठशालाओं में टीचर्स वगैरह को नये वेतन मान दिए जाने के सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ।

श्री रामजीलाल सहायक—

इस समय के वेतनमान तो मुझे पता नहीं हैं, पहले प्रधानाचार्य को २५०–८५० रुपये, प्रोफेसर को २५०–५०० रुपये, सहायक प्रोफेसर को १५०–३५० रुपये और सहायक को ७५–२०० रुपये वाले ग्रेड दिये जाते रहे हैं । (व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

आजादी के पूर्व जितनी संस्कृत की पाठशालायें थीं उनमें ८५ प्रतिशत सरकार की दूषित नीति के कारण समाप्त हो गई हैं और १५ प्रतिशत ही शेष बची हैं, तो इनके सम्बन्ध में भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिया था, सरकार उसे कब तक पूर्ण करेगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

यह कहना गलत है कि संस्कृत पाठशालायें खत्म हो गयीं । १९५१–५२ में आदर्श पाठशालाओं की संख्या ९८ थी, जुलाई, ६२ में ११० हो गयी, आज इनकी संख्या ८१६ है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

वेतन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में बड़ी देर लग रही है । तो क्या सरकार प्रदेशीय स्तर पर कोई पृथक आयोग गठित करने पर विचार कर रही है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

यह प्रश्न तो दूसरा है । नये आयोग के गठन का कोई विचार नहीं है ।

श्री गिरिजा किशोर मिश्र—

एक संस्कृत शिक्षा का न्यूनतम वेतन और महंगायी भत्ता क्या है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, इसमें जो पंडित हैं, आदर्श संस्कृत पाठशालाओं के उनको ७५ रुपये मासिक मिलता है ।

(शेम शेम की आवाजें)

श्री गिरिजा किशोर मिश्र—

मान्यवर, यह मंत्रालय उनको महंगाई भत्ता नहीं दे रहा है । महंगाई भत्ता नहीं दे रहे हैं ।

श्री रामजीलाल सहायक—

महंगाई भत्ता दे रहे हैं, १२ प्रतिशत दे रहे हैं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, क्या यह पता लगाने की कोशिश की जायेगी कि कोतवाल साहब के घोड़े को कितना दाना दिया जाता है ।

(हंसी) (कई लोगों के हंसने तथा बोलने से शोर)

श्री काशी नाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि संस्कृत की पाठशालाओं को न्यूनतम वेतन ७५ रुपया दिया जा रहा है । मान्यवर, यह चपरासियों के वेतन से भी कम है । श्रीमन्, यह हमारी देवभाषा का घोर अपमान है । श्रीमन्, मैं जानना चाहूंगा कि तत्काल आप ऐसा कोई आदेश जारी करेंगे कि संस्कृत के उत्थान के लिए, संस्कृत की पढ़ाई विकसित करने के लिए इसमें कोई बृद्धि की जायेगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, सरकार तो बराबर इस बात की प्रयत्नशील है कि संस्कृत का प्रचार हो, संस्कृत का उत्थान हो । इसलिए संस्कृत विश्वविद्यालय कायम किया गया है । इन पाठशालाओं को जो संस्कृत की थीं वर्गीकरण किया गया है और एक उप-शिक्षा निदेशक (संस्कृत) रखा गया है जिससे इन पाठशालाओं का उद्धार हो । संसाधनों के अन्तर्गत यह प्रश्न विचाराधीन है कि हम जल्दी ही संस्कृत के अध्यापकों का वेतन अन्य कर्मचारियों के वेतन के बराबर करें ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगें कि जो अन्य प्राचीन भाषायें भारत में हैं, जैसे उर्दू, अरबी इनको पढ़ाने वालों को कम से कम १७५ रुपये वेतन दिया जाता है, जहां तक मेरी जानकारी है। तो संस्कृत के अध्यापकों को केवल ७५ ही क्यों दिया जा रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, इसका कारण यह है कि हमारे पास संसाधन कम हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ७५ रुपया उनको वेतन दिया जा रहा है या दक्षिणा दी जा रही है ?

(हंसी)

ग्रामीण अंचलों में चीनी की आवंटन मात्रा

**४—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गेहूं वसूली के कारण ग्रामीण अंचलों में सामान्य जनता को चीनी देना बन्द कर दिया गया था तथा अब जो चीनी उपलब्ध कराई जा रही है वह १ कि० के स्थान पर केवल १/२ कि० प्रति परिवार प्रतिमास दी जाती है ? यदि हां तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मई व जून, १९७४ में पहाड़ी जिलों को छोड़कर प्रदेश के अन्य समस्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के कोटे की ६० प्रतिशत चीनी गेहूं खरीदारी हेतु तथा शेष ४० प्रतिशत चीनी ग्रामीण जनता को विवाह त्योहारों तथा अन्य धार्मिक अवसरों के लिए परमिट पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी। प्रदेश के २३ बाहुल्य जिलों में ग्रामीण कोटे की ४० प्रतिशत चीनी ३१ जुलाई, १९७४ तक गेहूं खरीदारी में उपयोग हेतु व्यवस्था की गई थी। अबपूर्ववत् व्यवस्था के अनुसार उपलब्धता के आधार पर मैदानी ग्रामीण क्षेत्रों में एक किलो प्रति परिवार प्रति मास चीनी उपलब्ध कराने क आदेश हैं।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, क्या खाद्य मन्त्री महोदया बतलाने की कृपा करेंगी कि उनको इस बात की जानकारी होते हुए भी कि अपने प्रदेश में ५ लाख टन चीनी का उत्पादन अधिक हुआ है, जैसा कि राज्यपाल के मार्च, १९७४ के अभिभाषण की पुस्तिका के पृष्ठ —७ पैरा २ पर लिखा है कि ५ लाख टन चीनी का ज्यादा उत्पादन हुआ है। तो त्योहारों, व्याह-शादी के अतिरिक्त चीनी पाने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र केन्द्र सरकार को दिया गया है, अगर दिया गया है तो वह क्या है, अगर नहीं दिया गया है तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, अतिरिक्त चीनी के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया और उस समय भारत सरकार ने हमें अतिरिक्त चीनी दी थी और उसी से हमने यह व्यवस्था की थी कि त्योहारों के लिए या शादी-व्याह के लिए अतिरिक्त चीनी दी जा सके। लेकिन अब भारत सरकार ने चीनी कम कर दी है और जनसंख्या के हिसाब से जितनी चीनी की आवश्यकता है वह भी नहीं मिलती है। इसलिए चीनी की उपलब्धता के हिसाब से ही चीनी देने की व्यवस्था की जाती है।

राजब्रजराज सिंह (जिला खीरी)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगी कि शहरों में चीनी एक किलो प्रति यूनिट प्रति माह दी जाती है और देहातों में पहले आधा किलो और अब एक किलो प्रति माह प्रति परिवार दी जाती है तो यह भेदभाव क्यों किया जाता है? शहरों में परिवार चाहे एक या १० आदमियों का हो तो वहां जितने आदमी उतने किलो चीनी और देहात में प्रति परिवार एक किलो चीनी क्यों दी जाती है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर भेदभाव की दृष्टि नहीं रखी जाती है। लेकिन जो भी चीनी भारत सरकार से उपलब्ध होती है उसी को वितरित करने की व्यवस्था की जाती है। रहन-सहन में जो देहातों में है वहां लोग अपना काम गुड़ तथा खांडसारी से चला लेते हैं। लेकिन शहर की आबादी को तो चीनी पर ही निर्भर करना पड़ता है। इसलिए यह व्यवस्था की गई है। सरकार की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, इसी प्रश्न से सम्बन्धित कि देहातों में गन्ना पैदा होता है तो इस बात की जानकारी समझते हुए कि गांवों में एक व्यक्ति को १०० ग्राम चीनी एक महीने में मिले जो कि चीनी का प्रबन्ध करते हैं तो क्या सरकार भविष्य में एक किलो चीनी प्रति व्यक्ति प्रति मास देहातों में करने की व्यवस्था करेगी और भेदभाव को मिटायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, जो पैदा करते हैं तो वह खुद हमें देते हैं। हम उन्हें क्या देंगे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से मालूम करना चाहूंगा कि जो एक किलो चीनी देने का आदेश है उसको अधिकारी वर्ग पालन नहीं करते हैं और उनका कहना यह है कि इतना कोटा हमारे पास नहीं है कि हम एक किलो चीनी ग्रामीण जनता को दे सकें। दूसरे ग्रामीण जनता का गेहूं और मोटा अनाज लिया जा रहा है। तो क्या मन्त्री जी उसके लिये ऐसी व्यवस्था करेंगी कि एक किलो चीनी देहाती जनता को मिलती रहे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

एक किलो चीनी प्रति कार्ड पर फिर मिले और ठीक व्यवस्था रहे इसके लिए आदेश तो स्पष्ट तरीके से दे दिए गए हैं।

श्री रामसेवक यादव—

अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री बाबू लाल वर्मा ने जो श्री राज्यपाल महोदय के बयान का हवाला दिया कि उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन बढ़ गया है और जिसका मन्त्री जी ने खण्डन नहीं किया है। तो मैं यह मानकर चलूंगा कि उत्पादन बढ़ गया है। परन्तु उद्योग सचिव जो श्री नागर साहब हैं उन्होंने प्रेस कांन्फ्रेंस में कहा है कि चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में गिरा है। तो इनमें कौन सी बात सही है ? केन्द्र सरकार ने चीनी का कोटा घटा दिया है तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितना घटाया है और कितना उत्पादन गिरा है ? क्या इसलिए घटा दिया गया है कि यहां की जनता को चीनी न मिले और बाहर भेजी जा रही है

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य ने कई प्रश्न एक साथ किये हैं। तो जहांतक राज्यपाल के अभिभाषण का सवाल है तो ५ लाख अतिरिक्त उत्पादन हुआ है। यह कहा है कि हमारे किसी अधिकारी ने बयान दिया कि चीनी का उत्पादन गिरा है। तो यह तो समय-समय पर आंकड़े बताये जाते हैं और स्थिति के अनुसार कहा जा सकता है। मैं नहीं जानती हूं कि एक्चुअल कितनी फीगर है लेकिन यह जरूर है कि उत्तर प्रदेश में जो चीनी हम पैदा करते हैं उसका अखिल भारतीय स्तर पर जो भी आबंटन होता है वह भारत सरकार करती है उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करती है। हमारे लिए जो भी आबंटन हुआ है उसी से हम काम चलाते हैं। यह कहा कि चीनी कम मिलती है किन्तु बाहर भेजी जाती है। तो यह भी भारत सरकार निर्णय करती है कि कितनी चीनी प्रदेशों में दी जाय और कितनी बाहर भेजी जाय।

श्री राम सेवक यादव—

उन्होंने नहीं बतलाया कि भारत सरकार ने कितनी चीनी उत्तर प्रदेश के कोटे में कम की है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

भारत सरकार ने हमें जुलाई में २३,३८४ और अगस्त में २३,३८४ हजार टन दी है।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

गेहूं वसूली के समय दो महीने तक चीनी नहीं दी है और मेरे क्षेत्र में इस माह में भी नहीं दी जा रही है तो मन्त्री जी चीनी दिलाने की कृपा करेंगी ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

ग्रामीण जनता को चीनी कम मिलती है तो क्या खाद्य मन्त्री जी त्योहारों पर अधिक चीनी देने की सुविधा प्रदान करेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब वह दे चुकी हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बहराइच द्वारा मध्य प्रदेश से सीमेंट का मंगाया जाना

*१—जगन्नाथ प्रसाद आर्य (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता कान्स्ट्रक्शन डिवीजन बहराइच ने हाल ही में १४,००० सीमेंट की बोरियां सतना तथा जामुल (मध्य प्रदेश) से मंगाकर उनकी डिलीवरी ले ली है और उन्हीं कारखानों से १६,००० बोरी सीमेंट क्रय किये जाने का आर्डर भी दिया हुआ है तथा इसके अतिरिक्त सीमेंट की २०,००० बोरियों को ट्रक द्वारा लाये जाने हेतु दिनांक २०-६-७४ को टेन्डर जारी किया है ? यदि हां तो इतनी भारी मात्रा में आने वाले सीमेंट का उपयोग किन निर्माण कार्यों में किया जावेगा जबकि उक्त डिवीजन में गत ६ माह से कोई भी टेन्डर मैटीरियलाइज नहीं किया है और उक्त अधिकारी ने २०,००० बोरी सीमेंट मंगाने के लिए ट्रकों का टेन्डर किन कारणों से कर रखा है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

कुल बीस हजार बोरी सीमेंट जामुल से तथा चार हजार बोरी सतना से आर्डर किया गया था जिनमें से ८,३५४ बोरी सीमेंट जामुल कारखाने तथा ३,८४३ बोरी सतना कारखाने से रेल द्वारा प्राप्त हुयी है ।

रेल द्वारा सीमेंट आने की सम्भावना न होने के कारण २०,००० बोरी सीमेंट चुर्क डल्ला से ट्रक द्वारा प्राप्त करने के लिये टेन्डर जो मांगा गया था वह बाद में सीमेन्ट रेल द्वारा आ जाने से निरस्त किया गया ।

यह सही नहीं है कि इस खण्ड में ६ माह में (९-१-७४ से ८-७-७४ तक) कोई टेन्डर मैटीरियलाइज नहीं हुआ ।

जिला आजमगढ़ में घाघरा नदी से कटाव को रोकने हेतु मंगाये गये सामान की कथित बिक्री

*2—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

(श्री अध्यक्ष द्वारा पुकारने पर खड़े नहीं हुये)

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम डिहिया बीबीपुर, ताहिरपुर के भीषण घाघरा नदी के कटाव को रोकने के लिये गतवर्ष लाखों रुपये के बोल्डर तथा अन्य सामान विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा बिना मौके पर लाये ही क्रय दिखला कर हड़प लिये गये हैं और उक्त ग्राम के अलावा ६९ और ग्राम प्रधान एवं ग्राम जनता द्वारा माननीय मुख्य मंत्री, माननीय सिंचाई मंत्री तथा मुख्य अभियन्ता को दिनांक ३-७-७४ को आवेदन पत्र देकर तत्काल जांच कराने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् की राज्य, जिला एवं ग्राम समितियों का गठन

*1—श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद) तथा श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश को राज्य, जिला एवं ग्राम स्तर की परिषदों का गठन हो गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम जी लाल सहायक—

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२ के अन्तर्गत राज्य स्तर बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन अंशतः किया जा चुका है ।

जिला बेसिक शिक्षा समितियों के गठन का कार्य अभी उपयुक्त रूप में सम्पन्न नहीं हुआ है । इसका कारण समितियों के गठन का आधार एवं नियम आदि की रचना तथा उनका परीक्षण किया जाना है ।

ग्राम स्तर की शिक्षा समितियों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

राज्य स्तर पर जो कमेटी बनी है उसके जो सदस्यों के नाम हैं, वह मंत्री जी बतला दें ?

श्री रामजीलाल सहायक---

वह तो मैं बतला चका हूं ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

क्या मंत्री जी विचार कर रहे हैं कि यह जो समिति बनी है, उसमें हरिजन, अल्प-संख्यकों को भी रक्खेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, जब नियमों में प्राविधान कर लेंगे, तो इस पर विचार करेंगे ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

जो जिला स्तर पर कमेठी बनेगी उसमें दो साल उसका आधार तय करने में लग चुके हैं, तो कोई निश्चित समय बतलायेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि उपर्युक्त रूप से नहीं बनी है । वह समितियां इलेक्शन से पहले बनी थीं लेकिन बहुत कमियां रह गई थी, विशेष तत्वों का प्रतिनिधित्व भी रह गया था, तो उनको स्थगित कर दिया गया है । उनको पुनः बनाया जायगा ।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)---

जैसा मंत्री जी ने कहा कि ये जिला स्तर पर समितियां बनने में कुछ विलम्ब हो रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिला स्तर पर कमेटियां जो पहले बनाई जानी चाहिये थी, उनमें क्यों विलम्ब हो रहा है और वे कब तक बन जायेंगी ?

श्री रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, निश्चित अवधि तो नहीं दे सकते, लेकिन अभी कुछ समय लग जायेगा, क्योंकि नियम बनाना पड़ेगा ।

श्री ऊदल---

मान्यवर, मंत्री जी टालमटोल कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा परिषद् का गठन एक व्यक्ति को डाइरेक्ट न बनाने के लिये किया गया था और अब सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन करके माध्यमिक शिक्षा परिषद् में मिला दिया जाय ?

श्री रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, यह कहना सही नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिये बनाया गया था । अब इसको मिलाने की बात नहीं है । यह तो प्राथमिक स्तर है और वह माध्यमिक स्तर है । इसलिये यह बात भी ठीक नहीं है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कमेटियां बनाने के संबंध में कोई आधार तय कर लिया है या नहीं ? अगर तय कर लिया है तो सूचना इकट्ठी हो सकती है, अगर आधार तय नहीं है तो सूचना कैसे . . .

श्री अध्यक्ष—

यह तो जवाब दे चुके हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

कितने गांवों से सूचना मंगानी है, इसे बता दें ?

श्री रामजी लाल सहायक—

६५,००० गांव है, जहां से सूचना मंगानी है। आधार तो निर्धारित है, लेकिन अभी बन पायी हैं कि नहीं, यह सूचना नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

कब तक सूचना आ जायेगी ? या कितने जिलों और ग्रामों की आ गई ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

उपाध्यक्ष के निर्वाचन के स्थगन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

अब मैं सदन का थोड़ा समय एक महत्वपूर्ण विषय पर लेना चाहता हूं। जैसा कि आप को विदित है कि उपाध्यक्ष का चुनाव होने वाला था और आज १२ बजे तक अंतिम अवधि थी, इस लिये १२ के पहले ही थोड़ा समय लेना आवश्यक है। अतः बन मंत्री जी से निवेदन है कि वह कृपया प्रस्ताव रखें।

बन मंत्र(श्री अजीत प्रताप सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक २२ जुलाई, १९७४ को विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आंशिक संशोधन में यह सदन निश्चित करता है कि विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये दिनांक ८ अगस्त, १९७४ के लिये निर्धारित कार्य क्रम को स्थगित करके, उक्त निर्वाचन दिनांक १४ अगस्त, १९७४ को कराया जाय और उन नामों के अतिरिक्त, जो प्राप्त हो चुके है, नाम-निर्देशन दिनांक १३ अगस्त, १९७४ को मध्यान्ह तक प्राप्त किये जा सकेंगे।

श्री राम सेवक यादव(जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, जो प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं अनुमोदन करता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जी, मैंने भी स्वीकृति दी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अगर डिप्टी स्पीकर का नाम नहीं तय कर रहे है तो नियमावली के अनुसार पोस्टपोन नहीं हो सकता। चुनाव हो जाना चाहिये था, नियमावली के मताबिक।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जब शासक दल और विरोधी पक्ष, सभी सहमत हैं तो माननीय काशी नाथ मिश्र की बात का सवाल नहीं होता।

प्रश्न यह है कि दिनांक २२ जलाई, १९७४ को विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आंशिक संशोधन में यह सदन निश्चित करता है कि विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये दिनांक ८ अगस्त, १९७४, के लिये निर्धारित कार्य-क्रम को स्थगित करके, उक्त दिनांक १४ अगस्त, १९७४ को कराया जाय और उन नामों के अतिरिक्त, जो प्राप्त हो चुके है, नाम-निर्देशन दिनांक १३ अगस्त, १९७४ को मध्यान्ह तक प्राप्त किये जा सकेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

[नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १ (क्रमागत)]

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

इन शिक्षा परिषदों के गठन न होने के कारण सबसे अधिक असर पहाड़ी क्षेत्रों पर पड़ रहा है। न तो एक भी नया विद्यालय खुल रहा है और न विद्यालयों का उच्चीकरण हो रहा है जब तक आपकी यह शिक्षा परिषदें गठित नहीं हो जातीं तब तक जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है उनको क्या सरकार पावर्स डेलीगेट करेगी ताकि नये विद्यालय खुल सकें और विद्यालयों का उच्चीकरण भी हो सके ?

माध्यमिक प्राविधिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)--

यह नीति का प्रश्न है। इसका उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता। वैसे सुझाव अच्छा है, इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

कितने गांवों के संबंध में सरकार को सूचना प्राप्त हो गयी है ?

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दे देंगे, मैं पुछवा लूंगा।

जूनियर बेसिक स्कूल, जिला जालौन के अध्यापकों को स्वीकृत पेंशन का बन्द होना

*२--श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जी० ओ० नं० ए--५३५५/३१३३--१९६२, दिनांक १७-१२-६५ के अनुसार जिला जालौन में कितने जूनियर बेसिक स्कूल अध्यापक को सन् १९६६ से पेन्शन स्वीकृत हुई थी तथा वह कब तक उन व्यक्तियों को दी गई तथा कब बन्द कर दी गई और क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक--

वर्ष १९६६ से जून, १९७४ तक ६८ अध्यापकों को पेन्शन स्वीकृति हुई।

वर्ष १९७१-७२ तक दी गयी।

वर्ष १९७२-७३ में बन्द कर दी गयी।

शिक्षा निदेशालय से धन की स्वीकृति न मिलने के कारण।

श्री वीर सिंह सेंगर--

क्या सरकार बतलायेगी कि इन दो वर्षों में शिक्षा निदेशालय से धन की स्वीकृति क्यों नहीं मिली ?

श्री रामजीलाल सहायक--

पेंशन के कागजात मांगे जाते हैं, कुछ सूचनायें मांगी जाती है और जब उनके मिलने में देर होती है तो दुबारा लिखा जाता है। इस लिखा पढ़ी के कारण जो समय होता है पेंशन देने का वह बीत जाता है तो कालातीत होने पर बिल भुनाये नहीं जा सके।

नोट:--नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २ के पश्चात प्रश्नोत्तर समाप्त हो गया।

श्री वीर सिंह सेंगर—

जिन लोगों को पहले ही पेंशन मिल रही थी और उनके कागजात के बारे में प्रश्न नहीं उठना था उनको ७२-७३ तक पेंशन दी गयी उसके बाद बन्द कर दी गयी। क्या सरकार बतायेगी कि पिछले दो वर्ष से इस तरह से गरीब अध्यापकों की पेंशन को बन्द करने का क्या औचित्य है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

यह चेष्टा की गयी है कि वे कागजात मिलें और उनको जल्दी पास करके यह धन दिये जाने की कोशिश की जा रही है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि जिनकी पेंशन बन्द कर दी गयी है उनको पेंशन जल्दी दी जायगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

पेंशन बन्द नहीं हुई। कागजात की लिखा-पढ़ी में देर हुई और जिस निर्धारित समय में पास होना था वह नहीं हुआ, इसलिये उनको नहीं मिल सकी।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री फिर से इस बात को समझेंगे कि कागजात पर वहां विचार होता है जहां पेंशन मिलनी है लेकिन जिनकी पेंशन पहले से ही मिल रही है ? उनकी पेंशन क्यों बन्द की गयी जब कि उनके कागजात नहीं बनने थे ? इसके लिये कौन दोषी है और सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

यह सही है कि उन कागजात के पास कराने में बेसिक शिक्षा अधिकारी की ढिलाई हुई और मैंने इस प्रश्न के पहले यह कह दिया है कि उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

जिला बस्ती के ब्लाक बनकटी के बेसिक शिक्षा अध्यापक के निलम्बन काल का वेतन

*३—श्री जंगबहादुर (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में जून, १९७२ में ब्लाक बनकटी में कितने बेसिक शिक्षा अध्यापकों को निलम्बित किया गया तथा फिर उन्हें सेवारत किया गया लेकिन बकाया वेतन अभी तक भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामजीलाल सहायक—

केवल एक अध्यापक को।

इनके निलम्बन काल का वेतन जिला परिषद तथा बेसिक शिक्षा परिषद दोनों द्वारा देय था। जिला परिषद से अवशेष वेतन के भुगतान की प्रक्रिया का निर्णय न होने के कारण इतना विलम्ब हुआ।

मैनपुरी के अन्तर्गत नहरशाखा बवेर के रजबहा बजेड़ा की टेल पर पानी का न पहुंचना

*४—श्री मुन्शी लाल (जिला मैनपुरी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैनपुरी के अन्तर्गत नहर शाखा बेवर राजबहा बजेड़ा कब से चल रहा है तो इसकी टेल मधुकरपुर, धरमनेर, हीरापुर और कुड़ी आदि में पानी न पहुंचने का क्या कारण है और कब तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)—

प्रश्न का प्रथम भाग

यह रजबहा सन् १९१३ से चल रहा है ।

प्रश्न का द्वितीय भाग

जब काश्तकार ऊपरी भाग में राजबहा अनुचित रूप से काट लेते है तब पटरी की मरम्मत होने तक प्रश्नगत स्थानों में पानी नियमित रूप से नहीं पहुंच पाता ।

प्रश्न का अंतिम भाग

प्रश्न नहीं उठता ।

बदायूं में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों (बालक व बालिका) में रिक्त अध्यापकों का पद

*५—श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री शिव चरन लाल (जिला आगरा), श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़) तथा श्री नजीर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में बेसिक प्राइमरी स्कूल व जूनियर हाई स्कूल (बालक व बालिका) में इस समय कितने प्रधान-अध्यापक व अध्यापिका की जगह रिक्त है ? और कितने समय से यह खाली हैं तथा अब तक उनकी पूर्ति क्यों नहीं की गई है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

बालक/बालिका जूनियर हाई स्कूल में ४ तथा बालक/बालिका प्रा० स्कूल में २०४ । जूनियर हाई स्कूल में १-७-७४ से तथा प्राइमरी स्कूलों में १९६४, १-१२-७३ व १-५-७४ से ।

जूनियर हाई स्कूल में पूर्ति इस वर्ष वार्षिक प्रबन्ध के अवसर पर की जायगी । प्राइमरी स्कूलों में भी १-१२-७३ तथा १-५-७४ से रिक्त पदों की पूर्ति (अध्यापक) इस वर्ष वार्षिक प्रबन्ध के अवसर पर की जायगी । १९६४ से रिक्ति की पूर्ति न होने के कारण प्रशिक्षित तथा ५ वर्ष सेवा वाली सहायक अध्यापिकाओं की अनुपलब्धता है ।

चाका व धनुपुर ब्लाक, जिला इलाहाबाद में नलकूपों का निर्माण

*६—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद) तथा श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि विगत दो वर्षों में जनपद इलाहाबाद में चाका ब्लाक व धनुपुर ब्लाक के अन्तर्गत गांवों में कितने नलकूप सरकार द्वारा आवंटित हुये तथा उनमें से कितने लगे, जो नहीं लग पाये उनके न लगने का क्या कारण है ? और इन शेष ग्रामों में यह योजना कब तक पूर्ण हो जायगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

शासन द्वारा राजकीय नलकूपों का आवंटन जिलेवार किया जाता है। विगत दो वर्षों में चाका तथा धनुपुर ब्लाकों में २३ नलकूपों के निर्माण का कार्यक्रम था जिसमें से २१ राजकीय नलकूपों का निर्माण किया जा चुका है। शेष एक स्थान पूर्ण सर्वेक्षण के पश्चात उपयुक्त नहीं पाया गया।

*७—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

मगही नाला, जिला गाजीपुर पर पुल का निर्माण

*८—श्री राज जनम राय (जिला गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में मोहम्मदाबाद करीमुद्दीनपुर ताजपुर रोड में मगही नाला पर एक छोटा सा पुल वर्ष १९७०-७१ से ही निर्माणाधीन है, परन्तु उसके पुराने हो जाने के कारण अतिव्यस्त राजमार्ग पर भी साल के आधे दिन यातायात बन्द हो जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल पुल निर्माण कराने की कृपा करेगी? यदि हां, तो पुल कब तक निर्माण हो जायगा?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

जी हां। प्रश्नगत पुल निर्माणाधीन है किन्तु एक अस्थायी पुल बनाकर उस पर वर्षा के चार महीनों को छोड़कर यातायात चालू रक्खा जाता है। वर्षाकाल में स्थानीय नावों द्वारा यातायात होता है। प्रश्नगत पुल का निर्माण ३० जून, १९७५ तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

रामगंगा परियोजना का आरम्भिक व रिवाइज्ड तखमीना

*९—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि राम गंगा परियोजना के निर्माण का आरम्भिक तखमीना क्या था, बाद में वह कब-कब रिवाइज हुआ और कितनी-कितनी रकम का हो गया? यह परियोजना कब पूर्ण हो जायेगी और किन-किन जिलों की कितनें क्षेत्रफल की सिंचाई करेगी तथा बिजली का उत्पादन कब से प्रारम्भ होगा?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

रामगंगा परियोजना का आरम्भिक तखमीना वर्ष १९६१ में ६७.९८ करोड़ रु० का था जो बाद में अवमूल्यन तथा बांध की ऊंचाई बढ़ाये जाने के कारण वर्ष १९६९ में ९६.८६ करोड़ रु० का हो गया। कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि, जमीन के मुआवजे का प्राविधान वास्तविक बाजार भाव पर किये जाने के कारण मजदूरी की दरों में इजाफे आदि की वजह से वर्ष १९७३ में यह तखमीना बढ़कर १३३ करोड़ रुपये का हो गया।

प्रायोजना के अन्तर्गत पानी इकट्ठा करने से सम्बन्धित कार्य जैसे मुख्य बांध व सैडिल बांध तथा जलाशय के पानी को गंगा नदी तक पहुंचाने वाली नहर का कार्य आदि जून, १९७४ तक पूरा किया जा चुका है। नयी नहरों के निर्माण का कार्य तीन चौथाई से भी अधिक हो चुका है तथा शेष अन्य विविध कार्यों को जून, १९७५ तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

प्रायोजना द्वारा (१४.२२ लाख एकड़ भूमि में) प्रस्तावित वार्षिक सिंचाई का जिलेवार विवरण संलग्न है।

प्रायोजना के पावर हाउस की ६६ मैगावाट की पहली मशीन से विद्युत् का उत्पादन फरवरी, १९७५ तक प्रारम्भ करने का लक्ष्य है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ ११०४ पर) ।

शारदा सहायक परियोजना का आरम्भिक व रिवाइज्ड तखमीना

*१०—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि शारदा सहायक परियोजना कितने वर्षों में कब-कब पूर्ण होगी ? इसका आरम्भिक तखमीना क्या था, क्या इसका तखमीना भी रिवाइज्ड हुआ ? यदि हां, तो कब-कब और कितनी रकम का हो गया ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

शारदा सहायक प्रायोजना को निम्नलिखित तीन चरणों में पूरी करने का लक्ष्य है :

(१) प्रथम चरण	..	..	..	जून, १९७४
(२) द्वितीय चरण	..	..	..	जून, १९७५
(३) तृतीय चरण	..	..	..	जून, १९७७

उक्त प्रायोजना का आरम्भिक तखमीना वर्ष १९६८ में ९९.६१ करोड़ रुपये का था । ६४.८४ करोड़ रुपये प्रथम चरण तथा ३४.७७ करोड़ रुपया द्वितीय चरण) । महर की क्षमता बढ़ाय जाने तथा बाजार भाव में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी के कारण प्रायोजना की वर्तमान लागत अब १९९.८७ करोड़ रुपया अनुमानित है ।

*११—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

(११वें बुधवार के लिये क्रम-संख्या १ पर स्थानान्तरित)

गाजीपुर में जेड० डी० बी० सड़क का निर्माण

*१२—श्री राम जी सिंह (जिला गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के जमानियां तहसील में जेड०डी०बी० रोड पर पिछले पांच वर्षों से काम हो रहा है और मंत्री जी ने अपने दौरे के समय इस काम को १९७२ दिसम्बर तक पूरा कर देने का मौखिक आदेश अधिशासी अभियन्ता, गाजीपुर को दिया था ? यदि हां, तो उक्त सड़क कब तक बन के तैयार हो जायेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मैंने १६ नवम्बर, १९७२ को निरीक्षण के समय इस मार्ग के निर्माण कार्य में प्रगति लाने के आदेश दिये थे फलस्वरूप निर्माण में प्रगति आई और आशा है कि निर्माण कार्य जून, १९७५ तक पूर्ण हो जायेगा ।

गाजीपुर जनपद के टेस्ट वर्क में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा कथित गोलमाल

*१३—श्री राम जी सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि पिछले दो वर्षों में गाजीपुर जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने टेस्ट वर्क में भारी गोल-माल की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ? क्या दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को दंडित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले में माध्यमिक विद्यालयों के कला के अध्यापकों के वेतन का निर्धारण

*१४—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद), श्री बाबू लाल वर्मा, (जिला बहराइच), श्री दशरथ सिंह, श्री राम पति तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के माध्यमिक विद्यालयों के कला अध्यापकों को, पी०टी० एवं संगीत अध्यापकों को वेतन आयोग के अनुसार १ अगस्त, १९७२ से पुनरीक्षित वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब से पुनरीक्षित वेतन देना प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

बालक विद्यालयों के प्रश्नगत अध्यापकों को अगस्त, १, १९७२ से पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन दिया जा रहा है, परन्तु बालिका विद्यालयों की अध्यापिकाओं को नहीं, क्योंकि पुनरीक्षित वेतनमानों में अभी उनका वेतन निर्धारण नहीं किया गया है । उनके सम्बन्ध में आवश्यक पत्रादिक मांगे गये हैं जिसके प्राप्त होते ही उनका भी वेतन निर्धारण कर दिया जायगा ।

बदांसराय–टिकेतनगर सड़क, जिला बाराबंकी के लिए अधिग्रहीत भूमि का मुआविजा

*१५—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी जनपद की निर्माणाधीन बदांसराय–टिकैत नगर सड़क के लिये ग्राम मदारपुर, तहसील फतेहपुर के निवासियों की हस्तगत जमीन का मुआविजा अब तक दिया गया ? यदि हां, तो कब और क्या यह सही है कि इस ग्राम के लोगों की जमीन से सड़क गई ही नहीं ? क्या इस सम्बन्ध में शिकायतें शासन को मिली हैं यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं, क्योंकि सम्बन्धित व्यक्ति मुआवजा लेने के लिये उपस्थित नहीं हुये ।

जी हां, ग्राम मदारपुर के लोगों की जमीन से यह सड़क गयी है । इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई शिकायतों का निवारण सहायक अभियन्ता द्वारा कार्य स्थल पर जाकर कर दिया गया ।

राजकीय एन०ए० इन्टर कालेज बिलसी, बदायूं के अध्यापकों का अवशेष वेतन व पेंशन

*१६—श्री बृजपाल सिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय एन० ए० इन्टर कालेज बिलसी, जनपद बदायूं में कितने अध्यापकों ने वर्ष १९७१–७२, १९७२–७३ तथा १९७३–७४ में सेवा से अवकाश ग्रहण किया ? पूर्ण आयु पर रिटायर होने के कारण क्या उनमें से ऐसे कोई हैं जिन्हें अभी तक लाभिन्त्री योजना के अधीन मिलने वाली सुविधायें नहीं प्राप्त हो पाईं ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक मिल जायेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

एक अध्यापक श्री महेन्द्र दत्त शर्मा शास्त्री ने १४–७–७२ को अवकाश ग्रहण किया जिन्हें पेंशन तथा प्राविधायी निधि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है । इसका कारण प्रबन्धक द्वारा अध्यापक का रुग्णावकाश न स्वीकृत किया जाना है जो विभागीय अधिकारियों के प्रयत्न से अब स्वीकृत कर दिया गया है तथा उनके अवशेष वेतन का भुगतान भी कर दिया गया है । प्रबन्धक से पेंशन तथा प्राविधायी निधि सम्बन्धी पत्रजात भेजने के लिये कहा गया है । जैसे ही पत्रजात प्राप्त होंगे भुगतान की कार्यवाही की जायगी ।

कन्या जूनियर हाई स्कूल, रसूलाबाद, जिला कानपुर की सहायक अध्यापिका स्वर्गीय श्रीमती सावित्री को देय ग्रेच्युटी तथा प्रावीडेन्ट फन्ड

*१७—चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतावेंगे कि कानपुर जिले के कन्या जूनियर हाई स्कूल, रसूलाबाद में श्रीमती सावित्री देवी, सहायक अध्यापिका के पद पर वर्ष १९६९ से कार्य कर रही थीं और अप्रैल, १९७३ में उनका स्वर्गवास हो गया है ? यदि हां, तो उनकी विभागीय सामूहिक बीमा की धन-राशि व ग्रेच्युटी तथा प्रावीडेन्ट फंड की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं तो उसे कब तक उनके परिवार के लोगों को दे दिया जायेगा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां ।

भुगतान अभी नहीं किया जा सका है। ग्रेच्युटी तथा बीमा का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायगा ।

[७अगस्त, १९७४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

[११वें बुधवार के लिये स्थगित]

*२—श्री हरि केवल—

[११वें बुधवार के लिये स्थगित]

अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण हेतु उच्चस्तरीय शैक्षिक सर्वेक्षण समिति का गठन

*३—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर) तथा श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के लिये मार्ग दर्शक सिद्धांत निर्धारण हेतु किसी उच्चस्तरीय समिति का गठन मई, १९७४ अथवा जून, १९७४ में किया गया है ? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा विचारणीय विषय क्या है तथा रिपोर्ट देने की अंतिम तिथि क्या है ?

श्री राम जीलाल सहायक—

जी हां ।

शासन द्वारा शिक्षा (५) अनुभाग की दिनांक १ जून, १९७४ की विज्ञप्ति के अन्तर्गत एक उच्चस्तरीय शैक्षिक सर्वेक्षण समिति का गठन किया गया है ।

समिति के सदस्यों की सूची एवं विचारणीय विषय संलग्न विज्ञप्ति में अंकित है ।

समिति का कार्यकाल ६ मास निर्धारित है किन्तु आवश्यकता पड़ने पर कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ११०५–११०६ पर)

*४—श्री जयराज गौतम—

[११वें बुधवार के लिये स्थगित]

*५—डाक्टर धर्मपाल सिंह—

[११ वें बुधवार के लिए स्थगित]

*६-७—श्री शारदा प्रसाद रावत—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

ग्राम ताहिरपुर, जिला जालौन में स्वर्गीय श्री दयालू पर नहर विभाग के अधिकारियों द्वारा कथित जुर्माना किया जाना

*८—श्री वीर सिंह सेंगर तथा श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कालपी, जिला जालौन के ग्राम ताहिरपुर के खेत में खांदी काटने के अपराध में नहर विभाग के अधिकारियों ने दयालु पुत्र बाबूलाल निगम पर ५३ रु० जुर्माना १९७३-७४ में किया जब कि श्री दयालु पुत्र बाबूलाल की मृत्यु ३० वर्ष पहले ही हो चुकी थी? यदि हां, तो जुर्माना करने वाले अधिकारी का क्या नाम है और इस संबंध में क्या कोई बयान दयालु का भी लिया गया है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

प्रश्न का प्रथम भाग—

जी नहीं ।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

प्रश्न नहीं उठता ।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पुनर्गठन पर विचार

*९—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा तथा श्री कल्याण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पुनर्गठन पर विचार कर रही है? यदि हां तो नया स्वरूप क्या होगा?

श्री रामजी लाल सहायक—

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का प्रश्न सम्प्रति माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रीयकरण समिति को विचारार्थ निर्दिष्ट है । इस समिति का कार्यकाल ३० नवम्बर, १९७४ तक है ।

श्रमिक संघ, सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगें

*१०—श्री भोखा लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १५-१-७४ को महामंत्री उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ ७ विशेश्वर नाथ रोड, लखनऊ ने विभागीय सचिव को एक मांग-पत्र दिया था? यदि हां, तो मांगें क्या थीं उनमें से किन-किन मांगों को तत्काल स्वीकार किया गया और किन मांगों पर भविष्य में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया था? दिये गये आश्वासनों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी हां ।

मांगें संलग्न तालिका में दी गयी हैं । उन पर कृत कार्यवाही संबंधित मांग के आगे उल्लिखित है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११०७-११०८ पर)

*११—श्री भीखा लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों ने दिनांक १ फरवरी, १९७४ को मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को एक मांग पत्र दिया था ? यदि हां, तो मांगे क्या थीं उनमें से कौन-सी मांगें तत्काल स्वीकार की गईं और कौन सी मांगें शासन को उचित कार्यवाही के लिये प्रेषित की गई तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं ।

अधिशासी अभियन्ता नलकूप, जिला बलिया के स्थानान्तरण का निरस्त होना

*१२—श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बलिया के अधिशाषी अभियंता नलकूप का कितनी बार स्थानान्तरण आदेश हुआ और उन्हें अब तक क्यों नहीं स्थानान्तरित स्थान पर भेजा गया और क्या यह सही है कि उनके विरुद्ध असिस्टेंट इंजीनियर नलकूप ने सन् १९७३ में रिपोर्ट कोतवाली बलिया में किया था ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

प्रश्न का पहला भाग:—

जी हां, अप्रैल, १९७४ में इनके स्थानान्तरण के आदेश हुये थे किन्तु बाद में यह स्थानान्तरण जनहित में रोक दिया गया।

प्रश्न का दूसरा भाग:—

जी हां, पुलिस द्वारा जांच की गई और रिपोर्ट में लगाये गये आरोप गलत पाये गये ।

जिला नैनीताल में चाफी पुल का निर्माण

*१३—श्री बाल कृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल), श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल) श्री गोविन्द सिंह महरा (जिला अल्मोड़ा) तथा श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जिला नैनीताल में चाफी पुल कई वर्ष से अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है और उसे पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां । प्रश्नगत पुल के पायों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । लोहे के गर्डर बनाने के लिये राजकीय वर्कशाप, रुड़की तथा फिर एक कम्पनी को आर्डर दिये गये किन्तु वे असफल हुए । अब यह कार्य उ०प्र० राज्य सेतु निगम द्वारा किया जायेगा। उक्त

निगम ने सेतु के फैब्रीकेशन का कार्य मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को अप्रैल, १९७४ में दे दिया है । इस कम्पनी ने कुछ लोहा जमा कर लिया है परन्तु सभी प्रकार का लोहा पूरी तौर से अभी नहीं मिल पाया है जिसके लिये प्रयास किया जा रहा है ।

*१४—श्री प्रभू दयाल—

[११ वें बुधवार के लिये स्थगित]

टौस बांध जिला आजमगढ़ के सुदृढ़ीकरण पर किया गया व्यय

*१५—श्री दया राम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खंड आजमगढ़ के टौस बांध पर सन् १९७३–७४ में बाद सुरक्षा हेतु कितना धन खर्च हुआ तथा उस खर्चे से कौन सा ठोस कार्य हुआ है ? खर्च का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

उक्त बांध के सुदृढ़ीकरण पर वर्ष १९७३–७४ में १०.०२ लाख रुपया व्यय हुआ। विभिन्न मदों में व्यय का व्योरा निम्नांकित है:—

	लाख रुपया
१—बांध के सेक्शन में सुदृढ़ीकरण के कार्य	८.१८
२—ब्लाक कंकड़ पिचिंग	०.३५
३—फिल्टर का निर्माण	०.४०
४—डिवाटरिंग पंप तथा एक्ससरीज का क्रय ..	०.७२
५—बाढ़ समय में आपत्तिकालिक कार्य एवं कार्य प्रभारित अधिष्ठान	०.३०
६—अन्य विविध कार्य	०.०७
योग ..	१०.०२

*१६—श्री दया राम भास्कर—

[११ वें बुधवार के लिये स्थगित]

मुआलापुर प्राइमरी पाठशाला (बलिया) की इमारत का ध्वस्त होना

*१७—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के रसड़ा तहसील के अन्तर्गत मुआलापुर प्राइमरी पाठशाला, रुड़की पद्धति के मुताबिक निर्माण कार्य सन् १९७३ में पूरा हुआ परन्तु निर्माण समाप्त होते ही इसी वर्ष के पूर्व ही स्कूल की इमारत ध्वस्त हो गई ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामजी लाल सहायक—

प्राइमरी पाठशाला मुआलापुर का भवन क्षतिग्रस्त हो गया है तथा पठन-पाठन के उपयुक्त नहीं है । इसकी सूचना सी० वी० आर० आई० के बलिया स्थित वैज्ञानिक इंचार्ज को मई, १९७४ में दे दी गई तथा प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर, सी० वी० आर० आई०, रुड़की को उपर्युक्त भवन के क्षतिग्रस्त होने के कारणों से अवगत कराये जाने तथा कमियों के निराकरण कराने हेतु लिखा जा रहा है ।

इटावा जिले में निर्मित नलकूप और नलकूपों के निर्माण की मांग

*१८—श्री भारतसिंह चौहान (जिला इटावा)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ जनवरी, १९७४ से ३० जून, १९७४ तक इटावा जिले के किन-किन स्थानों पर कितने राजकीय नलकूप लगाये गये और क्या इन स्थानों को स्वीकृति जिला सिंचाई सलाहकार समिति द्वारा ले ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इस समय में १४ राजकीय नलकूप संलग्न तालिका के अनुसार लगाये गये। इन नलकूपों का निर्माण जिला सिंचाई सलाहकार समिति के परामर्श के अनुसार किया गया ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११०९ पर)

*१९—श्री भारत सिंह चौहान—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या इटवा जिले के सर्वाधिक अपेक्षित क्षेत्र चम्बल-कुंआरी नदियों के बीच में ग्रामीण अंचल में व सिंडौस, चौरेला, गाजेपुरा, गढ़ी मंगत और सेंगर नदी के दोनों ओर के किनारों पर जुआ, गूदरी, पूरनपुरा, नगला पाठकमूहीख्योला, कैशमपुर, देवरपुर, अजलापुर, दौलतपुर, महेतपुर, नोली, ऊंचा पड़ेरिया पढ़ा मानिकचन्द, तालेपुर उमर साना, बूढ़ादाना, जोरा, चिचौली, मूरदना सोंधेमऊ व रुहेरी आदि ग्रामों की असिंचित में चालू वित्तीय वर्ष में राजकीय नलकूप लगाने की कोई योजना है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खाँ—

चम्बल-कुंआरी नदियों के बीच के ग्रामीण अंचल में चालू वित्तीय वर्ष में राजकीय नलकूप लगाने की कोई योजना नही है । क्योंकि इस क्षेत्र में यातायात के साधन उपलब्ध नहीं है ।

सेंगर नदी के दोनों ओर स्थित ग्रामों में से ग्राम चिचौली व दौलतपुर में राजकीय नलकूप लगाये जा चुके हैं । प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों में से आठ ग्रामों को नहर क्षेत्र से निकाल दिया गया है। इस क्षेत्र के सर्वे के उपरान्त ही पता लगेगा कि वहां नलकूप बन सकते हैं अथवा नहीं । शेष ग्राम विभिन्न नहरों के कमान्ड में आते है अतः इनमें नलकूप लगाने का प्रश्न नही उठता ।

देवकली पम्प नहर, गाजीपुर के जंगीपुर के रजवाहा का निर्माण

*२०—श्री कालीचरन यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जिले में देवकली पम्प नहर से कुछ ऐसी माइनर का निर्माण सरकार के विचाराधीन है जिससे सैदपुर तहसील के पश्चिमी और उत्तरी भाग की सिंचाई हो सके ? यदि हां, तो यह कब तक बनकर तैयार हो जायेगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खा—

देवकली पम्प नहर की मुख्य शाखा तथा जंगीपुर रजवाहा के निर्माण से गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील के उत्तरी भाग के कुछ पूर्वी हिस्से को सिंचाई सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है। इन नहरों के वर्ष १९७७ तक बनने की आशा है । उक्त तहसील के पश्चिमी हिस्से में भी (ओरियार-वाराणसी रेलवे लाइन के दक्षिणी भाग में नहर बनाने के लिये) सर्वेक्षण किया जा रहा है। यदि इस क्षेत्र में नहर बनाना संभव पाया गया तो वर्ष १९७६ तक इसका निर्माण हो सकेगा ।

*२१—श्री अनवार जमील—

[११वें बुधवार के लिये स्थगित]

सहायक अभियंता, मूसाखण्ड डिवीजन सिंचाई, वाराणसी का निलम्बन

*२२—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) तथा श्री रघुनाथ—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें अनेकों विधायकों का दिनांक २८-६-७४ का कोई पत्र मूसाखंड डिवीजन सिंचाई (नहर) वाराणसी के सहायक अभियन्ता के सन् १९६९ ७० में सस्पेन्ड किये जाने तथा बहाल किये जाने के बारे में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उनको सो काज नोटिस अब दी गई है और किस अभियोग में सस्पेन्ड किया गया तथा बहाल क्यों नहीं किया गया ? अब सो काज नोटिस दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी हां । शो काज नोटिस दी गई थी ।

ठेकेदार को अधिक रुपया भुगतान करने की अनियमितता की जानकारी मिलने पर निलम्बित किया गया था और सी०सी०ए० रूल के अन्तर्गत विभागीय जांच पूर्ण होने पर इन्हें इस शर्त के साथ पदारूढ़ किया गया था कि इस आदेश का कोई प्रभाव, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में किये जाने वाले अंतिम आदेश पर नहीं पड़ेगा ।

जांच के फलस्वरूप सहायक अभियन्ता के विरुद्ध गंभीर अनियमिततायें करने का आरोप साबित हुआ है । अतः सहायक अभियन्ता को जूनियर इंजीनियर के पद पर प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) करने के लिये सी०सी०ए० रूल के नियम ५५-ए के अन्तर्गत शो काज नोटिस दी गई थी ।

*२३-२४—श्री भीखा लाल—

[१२वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ९-१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखवाड़-व्यासी योजना का प्राक्कलन

*२५—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखवार बांध का तखमीना क्या है उसके निर्माण की प्रगति क्या है और कब तक पूर्ण होगा और उससे कितनी मेंगावाट विद्युत् प्रदेश को कब से मिलनी प्रारम्भ होगी और सिंचाई कब से प्रारम्भ होगी ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

(१) लखवाड़-व्यासी योजना के प्राक्कलन के अनुसार इसकी अनुमानित लागत १४०·९७ करोड़ रु० है ।

(२) योजना के कार्यस्थल पर एवं उसके विभिन्न ठिकानों पर पंहुचने के लिये सड़कों का निर्माण किया जा रहा है । कुछ भवनों का निर्माण भी प्रस्तावित था जिनमें से कुछ पर कार्य प्रारम्भ भी कर दिया गया था परन्तु उनमें से जो कुर्सी स्तर तक नहीं पंहुच पाये थे उनपर शासन के आदेशानुसार कार्य स्थगित कर दिया गया है ।

(३) योजना को पूर्णरूप से समाप्त होने में, इसके मुख्य अंगों पर कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से, सात वर्ष लगेंगे ।

(४) इस योजना से ५४० मैगावाट बिजली मिलेगी जो योजना के मुख्य कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से छः वर्ष बाद उपलब्ध होगी ।

(५) इस योजना से सिंचाई की सुविधा भी मुख्य कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से छः वर्ष बाद उपलब्ध होगी ।

मध्य गंगा नहर परियोजना

*२६—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि मध्य गंगा नहर प्रायोजना कब प्रारम्भ होगी और पूर्ण कब तक हो जायेगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मध्य गंगा नहर परियोजना पर केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त होने तथा इस राज्य सरकार द्वारा प्रशासकीय एवं व्यय की वित्तीय स्वीकृति देने के पश्चात् ही कार्य शुरू किया जा सकेगा । परियोजना का निर्माण कार्य उसके प्रारम्भ किये जाने समय से पांच वर्षों में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

*२७—श्री अनवार जमील—

[११वें बुधवार के लिये स्थगित]

बहराइच जिले के एल०आर०पी० डिवीजन को प्राविन्शियल डिवीजन में मिलाये जाने के फलस्वरूप कर्मचारियों का स्थानांतरण न होना

*२८—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जिले में एल०आर० पी० डिवीजन को तोड़कर प्राविन्शियल डिवीजन में मिला दिया गया है ? परिणामस्वरूप मशीनें, रोलर, ट्रक आदि बहराइच से दूसरे जिलों को स्थानान्तरित किये जा रहे हैं परन्तु मशीनों, ट्रक आदि पर काम करने वाले कर्मचारियों को उनके साथ न भेजकर दूसरे कर्मचारी स्थानान्तरित करके स्थानीय अधिकारी मुख्य अभियन्ता के आदेश सं० ४८३५/ईई-२/ईई-६८ दिनांक ६ नवम्बर, १९७० का उल्लंघन कर रहे हैं ? यदि हां तो ऐसा क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता के आदेश दिनांक ६ नवम्बर, १९७० में ड्राइवर व क्लीनर को मशीन के साथ स्थानान्तरित करने के आदेश थे किन्तु प्रशासनिक कठिनाई अनुभव होने पर यह उचित समझा गया कि कनिष्ठ कर्मचारियों को ही स्थानान्तरित किया जाये ।

*२९—श्री गोपी नाथ कामेश्वरपुरी—

[११वें बुधवार के लिये स्थगित]

*३०—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री राम चरन शाह—

[११वें बुधवार के लिये स्थगित]

*३१—कुंवर श्रीपाल सिंह तथा श्री आशा राम यादव—

[११वें बुधवार के लिये स्थगित]

*३२—श्री गोविन्द प्रसाद गौरोला—

[१२वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३३—श्री राम सजीवन—

(११वें बुधवार के लिये स्थगित)

शारदा सहायक की पोषक नहर में पानी छोड़ने के फलस्वरूप कथित साइफन का बह जाना

*३४—श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी) तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक परियोजना में दिनांक २४—६—७४ को बतौर ट्रायल पानी डाला गया, पानी आने पर सीतापुर जनपद के कस्बा महमूदाबाद के समीप ८५—०५ कि०मी० पर सायफन बह गया जिससे पड़ोस की जमीन पर घर जलमग्न हो गये ? यदि हां तो नहर की कितने क्यूबिक की क्षमता है और उसमें ट्रायल के लिये कितने क्यूबिक पानी छोड़ा गया था ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

शारदा सहायक की पोषक नहर में दिनांक १८ जून, १९७४ को लगभग ६ बजे सायंकाल बतौर ट्रायल शारदा नहर हेड से कम डिस्चार्ज से पानी छोड़ा गया था । चूंकि इस नहर के किलोमीटर ८५—०५ पर कोई साइफन नहीं है । अतः उसके बह जाने और इसके फलस्वरूप पड़ोस की भूमि व जलमग्न होने का प्रश्न नहीं उठता ।

इस स्थान पर ब्रिक टाइल्स से पक्की करने पर पोषक नहर की क्षमता ११,५०० क्यूसेक्स होगी तथा पक्की न करने पर इसकी क्षमता १,००० क्यूसेक्स है । दिनांक १८ जून, १९७४ को सायंकाल ६ बजे ट्रायल के आधार पर १०० क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया था जिसे धीरे-धीरे बढ़ाना प्रस्तावित था ।

एतमादपुर—बरहन सड़क, जिला आगरा का निर्माण

*३५—श्री शिव चरन लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जिले की एतमादपुर-बरहन सड़क का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था और इस समय कितना निर्माण कार्य हो चुका है तथा उस सड़क के कब तक पूर्ण बन जाने की सम्भावना है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

एतमादपुर-बरहन सड़क का निर्माण कार्य फरवरी, १९७२ में शुरू किया गया था । इस समय तक निम्नांकित कार्य हो चुका है:—

१—मिट्टी का कार्य	.. .. ..	८—१/२ कि०मी०
२—पुल व पुलियों का कार्य	.. ..	८ कि०मी०
३—निचली सतह व मध्य सतह व ऊपरी सतह की सामग्री का एकीकरण	.. ..	७ कि०मी०
४—निचली सतह मध्य सतह व ऊपरी सतह की कुटाई का कार्य	.. .. ..	४ कि०मी०

यदि पर्याप्त धन उपलब्ध होता रहे तो मार्च, १९७६ तक इसका कार्य पूर्ण होने की संभावना है ।

बदायूं मार्ग पर रामगंगा नदी पुल पर पथकर की वसूली

*३६—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली से ६ किलोमीटर दूर बदायूं मार्ग पर राम गंगा नदी पुल पर गत दिनांक १८ फरवरी, १९६२ से वसूल किये जा रहे टोल टक्स की वसूली स्थगित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वसूली कब से स्थगित कर दी जायगी ? अब तक उपरोक्त पुल पर टोल-टैक्स से कितना रुपया वसूल किया जा चुका है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

३० जून, १९७४ तक पथकर के रूप में रुपये ४६,८७,१९१.२६ पैसे वसूल किये गये हैं ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ तथा देवरिया का स्थानान्तरण

*३७—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ तथा देवरिया का स्थानान्तरण अभी हाल ही में किया गया है और कार्यभार ग्रहण करने के बाद उलट फेर किया गया है ? यदि हां, तो यह किस कारण से हुआ ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां । प्रशासकीय कारणों से परिवर्तन किये गये ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा बाढ़ नियन्त्रण हेतु धनराशि को बन्द किया जाना

*३८—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि वर्ष १९७४–७५ के निमित्त बाढ़ नियंत्रण की मद में पांच करोड़ रुपये की धनराशि केंद्रीय सरकार ने देना बन्द कर दी है और इस प्रकार पूरे प्रदेश के लिये केवल पौने तीन करोड़ रुपया सरकार के पास बाढ़ नियंत्रण के लिये रह गया है जो बहुत नाकाफी है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी हां । केंद्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु भारत सरकार से निवेदन किया गया है ।

*३९—श्री गंगा प्रसाद—

[११वें बुधवार में ३९ पर स्थानान्तरित]

तुलसी कन्या पाठशाला, फैजाबाद का प्रांतीयकरण एवं स्टाफ का वेतन

*४०—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या, जिला फैजाबाद के तुलसी कन्या पाठशाला इंटर कालेज का सरकार ने प्रांतीयकरण किया है ? यदि हां, तो कब और क्या ६–७ वर्षों से कार्यरत स्टाफ की सेवाओं को समाप्त कर वेतन नहीं किया जा रहा है । यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां ।

शिक्षा सत्र १९७२–७३ में ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*४१—श्री धर्मवीर सिंह—

[११वें बुधवार के लिये स्थगित]

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के सांख्याकिक पद पर प्रतिनियुक्ति

*४२—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सिंचाई मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में हाल ही में सांख्याविद् पद पर प्रतिनियुक्ति ज्येष्ठता के आधार पर स्थायी सांख्याविद् सहायक में से न करके अस्थायी सांख्याविद् सहायक में से की गई है । यदि हां तो क्यों ? क्या मंत्री जी नियमानुसार ज्येष्ठता सांख्याविद् सहायक की उक्त पद पर प्रतिनियुक्ति करने की कृपा करेंगे ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी नहीं । कार्यालय प्रमुख अभियंता के सांख्याकिक पद पर दिनांक ४–१०–६६ से अर्थ एवं संख्या विभाग के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं ।

सियाना-खानपुर-जसर मार्ग, जिला बुलन्दशहर को पक्का करने की मांग

*४३—श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर), श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह प्रथम पंच-वर्षीय योजना में जिला बुलन्दशहर की दो प्रमुख कृषि मंडियों सियाना तथा जहांगीराबाद का प्रत्यक्ष रूप से संबंध हो जायेगा और खानपुर नगर क्षेत्र का भी बहुत बड़ा विकास होगा, इसको दृष्टिकोण में रखते हुए सियाना-खानपुर-जसर मार्ग को पक्का कराने के लिये उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करेंगे?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत मार्ग को पक्का कराने के लिये अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सियाना-बुलन्दशहर में प्रारम्भिक पाठशालायें खोलने की मांग

*४४—श्री वीरेन्द्र स्वरूप (जिला मैनपुरी), श्री प्रेम सुन्दर नारायण सिंह (जिला मेरठ), श्री मुमताज मोहम्मद खां तथा श्री धर्म सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सियाना, जिला बुलन्दशहर के कौन-कौन से ग्रामों में जिला परिषद् की प्रारम्भिक पाठशालायें नहीं है और उनकी जन-संख्या कितनी-कितनी है ? क्या वहां जिला परिषद् की ओर से प्रारम्भिक पाठशालाओं को स्थापित करने पर तुरन्त ध्यान दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामजी लाल सहायक—

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सियाना, जिला बुलन्दशहर के जिन ग्रामों में इस समय प्रारम्भिक पाठशालायें नहीं हैं उनकी सूची संलग्न है।

वर्ष १९७४–७५ में पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ५ ग्रामों (खानपुर मजरा, ईशानपुर, खिजरपुर, तहगोरा एवं भुर्रा) में प्रारम्भिक पाठशालायें खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १११० पर)

सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ के सहायक सोध अधिकारी की सेवा की समाप्ति

*४५—श्री जयराम गौतम (जिला सुल्तानपुर) तथा श्री भीखा लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति शासन के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ के कुछ सहायक शोध अधिकारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई थीं? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

गत वर्ष १९७३ के राष्ट्रपति शासन के दौरान किसी सहायक शोध अधिकारी की सेवायें नहीं समाप्त की गयीं। उससे पूर्व के राष्ट्रपति शासन काल में केवल एक सहायक शोध अधिकारी की सेवायें समाप्त की गयी, जिनका मामला उच्च न्यायालय में संबंधित सहायक शोध अधिकारी द्वारा दायर की गई स्पेशल अपील में विचाराधीन है।

*४६—श्री जंग बहादुर वर्मा तथा श्री नन्हें लाल—

[११ वें बुधवार के लिये स्थगित]

देवरिया जनपद के भूतपूर्व एस०डी०ओ० श्री वेदप्रकाश अग्रवाल के विरुद्ध गबन की शिकायत

*४७—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सन् १९६७ में देवरिया जनपद में पड़रौना में श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, एस०डी०ओ० के विरुद्ध प्रश्नकर्ता ने तत्कालीन सिंचाई मंत्री को आरोप-पत्र दिये थे तथा उस पर जांच भी चली थी? क्या उक्त एस०डी०ओ० की पदोन्नति हो गई और वे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गये? क्या उनके विरुद्ध मूसा खण्ड बांध पर लाखों रुपये गबन का भी आरोप है? क्या जांच की कार्यवाही सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी हां। एक शिकायती पत्र दिनांक ८–८–६७ को प्राप्त हुआ था जिसमें लगाए आरोपों के सत्यापन का प्रमाण देने का अनुरोध शिकायतकर्ता से किया गया था।

जी हां।

मूसाखंड में हुई अनियमिततओं के संबंध में जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है। जांच के उपरान्त ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

मसेनी प्राइमरी पाठशाला, जिला फर्रुखाबाद की अध्यापिकाओं के वेतन वितरण में गड़बड़ी

*४८—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के बढ़पुर ब्लाक की, प्राइमरी पाठशाला, मसेनी की अध्यापिकाओं का फरवरी, १९७४ माह के वेतन वितरण में कुछ गड़बड़ी हुई थी जिसे लेकर कुछ शिकायतें हुईं और बी०एस०ए० द्वारा जवाब तलब भी किया गया? यदि हां, तो इस गड़बड़ी के लिये कौन दोषी पाया गया तथा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां। बढ़पुर ब्लाक से संबंधित प्रति उपविद्यालय निरीक्षक को सम्पूर्ण ब्लाक के अध्यापक/अध्यापिकाओं के वेतन भुगतान हेतु २१-२-७४ को एक चेक दिया गया परन्तु त्रुटिवश प्राइमरी पाठशाला मसेनी को २०-३-७४ के पूर्व भुगतान नहीं कराया जा सका। उक्त त्रुटि के लिये उत्तरदायी व्यक्ति की छानबीन की जा रही है तथा जांच समाप्त होने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

देवरिया जनपद में गन्डक नहर में कथित पानी छोड़ने के फलस्वरूप बाढ़ का आना

*४९—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि १९७३ में देवरिया जनपद में छितौनी के पास गंडक नहर में पानी छोड़ कर देवरिया, गोरखपुर में प्रलयंकारी बाढ़ लाने का काम किस अधिकारी ने किया था जिस में लाखों बड़ी-बड़ी मछलियां बह कर आई थीं और उसके जांच और कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, देवरिया एवं अन्य उच्चाधिकारियों ने शासन को रिपोर्ट भेजा है ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

वर्ष १९७३ में देवरिया जनपद में छितौनी आबादी अथवा बांध के पास गंडक नहर में पानी नहीं छोड़ा गया।

जिलाधिकारी देवरिया से कोई रिपोर्ट सिंचाई विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। इसलिये कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*५०—श्री श्रीनारायण—

[११वें बुधवार के लिये स्थगित]

*५१—श्री श्रीनारायण—

[११व बुधवार के लिये स्थगित]

*५२—श्री बाबू लाल वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*५३—श्री शिव कैलाश—

[१३वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा ली गयी परीक्षा में गड़बड़ी

*५४—श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष १९७३ में ली गई परीक्षा में परीक्षार्थियों के अंकों में अनियमित ढंग से हेर फेर करने के मसले प्रकाश में आये थे? यदि हां, तो जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां । मामले की छानबीन के लिये प्राविधिक शिक्षा परिषद् के उप सचिव तथा परीक्षा अधीक्षक की जांच उप-समिति गठित कर दी गई है । उप-समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिम्मेदार कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जायगी।

*५५—श्रीमती शिव कुमारी दुबे—

[११वें बुधवार के लिये स्थगित]

*५६—श्रीमती शिव कुमारी दुबे—

[११वें बुधवार के लिये स्थगित]

*५७—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी—

[११वें बुधवार के लिये स्थगित]

*५८—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[११वें बुधवार के लिये स्थगित]

बघेल ताल जिला बहराइच से निकले हुए नाले का टूट जाना

*५९—श्री बाबू लाल वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७४ के चौथे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री प्रश्नकर्ता के सूचना को सही मानकर कि सम्बन्धित बांध टूटा तथा पानी बह रहा है को पुनः जांच करायेगी तथा वर्षा प्रारम्भ होने के पूर्व ही ताल की मरम्मत करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

शासन ने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (बाढ़) सिंचाई विभाग को जांच करने के आदेश दे दिये हैं जांच की रिपोर्ट अपेक्षित है ।

*६०—श्री कैलाश सिंह—

[११वें बुधवार के लिये स्थगित]

*६१—कुंवर बहादुर मिश्र—

[११वें बुधवार के लिये स्थगित]

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों का वेतनमान

*६२—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि शिक्षा-पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों का दो वेतन-क्रम है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत कार्यरत प्रसार शिक्षकों की पदोन्नति

*६३—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शिक्षा-पुनर्व्यवस्था में कार्यरत प्रसार शिक्षकों को अभी तक पदोन्नति क्यों नहीं दी गई और अब ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है जिसमें शिक्षा पुनर्व्यवस्था को शिक्षा विभाग में विलीन करने की बात है ? यदि हां तो सरकार इसे कब तक कार्यान्वित करने जा रही है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*६४—श्री लटूरी सिंह—

[११वें बुधवार के लिये स्थगित]

शारदा सहायक प्रायोजना की पोषक नहर में पानी छोड़ने के फलस्वरूप कथित क्षति का होना

*६५—श्री ऊदल तथा श्री रघुनाथ—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक योजना नहर को अधूरी हालत में दिनांक ३१ जून, १९७४ को चला दिया गया जिसकी वजह से दिनांक २५ जून, १९७४ को ८२ वें किलोमीटर पर टूट गई जिससे १ करोड़ रुपये की क्षति फसलों, जानवरों तथा गांवों के बह जाने से हुई और १ करोड़ की क्षति कार्यों की हो गई ? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता का इस सम्बन्ध में तारीख २ जुलाई, १९७४ का पत्र मन्त्रीजी को प्राप्त हुआ है तथा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

प्रथम भाग—

शारदा सहायक प्रायोजना की पोषक नहर में पानी देने के समय उसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। १८ जून, १९७४ को ट्रायल के आधार पर उक्त नहर के हेड से १०० क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया। नहर के किलोमीटर ८१.४५ पर स्थित कुतुबपुर साइफन पर यह पानी २७ जून, १९७४ को प्रातः काल ४.४५ बजे पहुंचा जहां पर नहर की बांयी ओर खांदी हो गयी जिससे नहर का पानी नाले में बहने लगा किन्तु सम्पत्ति, फसल तथा जनजीवन को कोई क्षति नहीं हुयी ।

द्वितीय भाग—

जी हां । उसमें उल्लिखित आरोपों की जांच कराई गयी किन्तु उनमें कोई बल नहीं पाया गया ।

जिला आजमगढ़ के ग्राम हरपुर तथा भार नलकूपों पर किया गया व्यय

*६६—श्री अब्दुल बाकी (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के परदहा ब्लाक के ग्राम हरपुर और भार के दो सरकारी ट्यूबवेलों पर कितनी पूंजी खर्च हुई है और क्या उपरोक्त दोनों ट्यूब-वेल सिंचाई का काम दे रहे हैं ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जनपद आजमगढ़ के परदहा ब्लाक के ग्राम हरपुर और भार के राजकीय नलकूप संख्या ७६ और ७६ पर अब तक १,३७,४४४ रुपया व्यय हुआ है।

उपरोक्त दो नलकूपों में से एक नलकूप संख्या ७६ सिंचाई हेतु कार्यरत है। दूसरे नलकूप संख्या ७६ की बोरिंग १७-५-७३ को फेल हो गई है।

शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु पिछड़े वर्ग के लिये सुरक्षित सीट की मांग

*६७—श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद १५ (४) एवं अनुच्छेद २६ (२) के अनुसार पिछले वर्ग के विकास के लिये जो शिक्षा एवं सामाजिक दृष्टि से बहुत पीछे हैं उन्हें शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु उनकी सीटें सुरक्षित करने की विशेष व्यवस्था की है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत? यदि नहीं, तो क्यों? और उसमें कौन-कौन सी जातियों को सम्मिलित किया गया है?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी नहीं। इस वर्ग के लिये सीटें सुरक्षित करने की विशेष व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं पायी गयी।

अतारांकित प्रश्न

पंचम पंचवर्षीय योजनान्तर्गत बहराइच जिले में विद्यालयों की स्थापना

१—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचम पंच-वर्षीय योजनान्तर्गत बहराइच जिले में कितने प्रारम्भिक, जूनियर व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री रामजीलाल सहायक—

(क) प्रारम्भिक विद्यालय	.. ..	१४१
जूनियर हाई-स्कूल	.. ..	२०
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	.. ..	..

(ख) १६७४-७६ तक।

छिबरामऊ नगरपालिका, जिला फर्रुखाबाद में पृथक शिक्षा विभाग खोलने की मांग

२—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों के लिये प्रत्येक नगरपालिका का पृथक शिक्षा विभाग है? यदि हां, तो जनपद फर्रुखाबाद में छिबरामऊ नगरपालिका को अभी तक नगरपालिका के अध्यक्ष के दो वर्षों के निरन्तर प्रयास के बावजूद अभी तक यह सुविधा क्यों नहीं दी गई? क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बलिया–गाजीपुर सड़क पर टोंस नदी पर पुल बनाने की मांग

३—श्री रघुनाथ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया से रसड़ा होते हुये गाजीपुर को जाने वाली सड़क पर टोंस नदी पर पुल बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो पुल कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुथैल-बुढ़ाना सड़क जिला मुजफ्फरनगर पर मिट्टी गिराने का भुगतान

४—श्री मूल चन्द राजपूत (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर में ग्राम कुथैल से बुढ़ाना तक श्रमदान द्वारा कोई सड़क बनाई गई है? यदि हां, तो उसकी मिट्टी गिरवाई का भुगतान किसे किया गया है ?और किस आधार पर तथा इस पर कार्य कब से आरम्भ होने की सम्भावना है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जौनपुर में गोमती की बाढ़ से निर्माणाधीन पुल के सामान को क्षति

५—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १८ जून, १९७४ को जो वर्षा हुई जिसके कारण गोमती नदी में जौनपुर में अचानक पानी बहुत बढ़ गया जिसके कारण वहां बन रहे पुल का बहुत सा सामान बह गया उसमें कौन-कौन सा सामान बहा तथा कितने का अनुमानित नुकसान हुआ ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

एक बीम एवं उस बीम की सेटरिंग अचानक नदी में पानी बढ़ जाने के कारण गिर गई । इससे लगभग १५ हजार रु० का नुकसान हुआ । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सामान की और क्षति हुई और इसमें लगभग ५,७२० रु० की हानि हुई ।

१—सीमेन्ट	३४५ बोरी
२—खाली सीमेन्ट की बोरी	३५० बोरी
३—मोटा बालू	१० घनमीटर
४—लोकल बालू	३० घनमीटर

प्राखण्ड गोंडा व बहराइच सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों की समस्याओं से सम्बन्धित कथित पत्र की प्राप्ति

६—श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राखन्ड गोंडा और प्राखन्ड बहराइच सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूर समस्याओं से सम्बन्धित संसद सदस्य झारखंडे राय द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक २६ अप्रैल, १९७४ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उस पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच पड़ताल से संबंधित कार्यवाही हुयी यदि अभी नहीं तो कब तक होने की सम्भावना है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रामनगर, वाराणसी में गंगा पर पुल का शिलान्यास

७--श्री गंजी प्रसाद (जिला बाराणसी)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के अन्तर्गत रामनगर में गंगा जी पर जिस पुल का अभी हाल में शिलान्यास हुआ उसका काम कब तक शुरू हो जायेगा तथा शिलान्यास में सरकार का कितना रुपया व्यय है और वह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद प्रारम्भ होगा । इसके शिलान्यास में रुपये १ ८१० व्यय हुआ था। अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि कार्य कब पूर्ण हो जायेगा ।

तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर में निर्मित राजकीय नलकूप

८--श्री कालीचरन यादव--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में सिंचाई के लिये कुल कितने राजकीय नलकूप लगे हैं और उसमें से कितने अभी चालू नहीं हैं ? इस प्रकार नलकूपों को चलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में सिंचाई के लिये २१६ राजकीय नलकूप लगे हैं, इनमें से ३२ नलकूप विद्युतीकरण न होने के कारण तथा ३ नलकूप फेल हो जाने के कारण चालू नहीं हैं। जिन नलकूपों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है उनके विद्युतीकरण के लिये विद्युत विभाग को लिखा जा चुका है तथा फेल हुये नलकूपों के पुनः निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है ।

कुन्डी नाला, जिला वाराणसी पर पुल निर्माण की मांग

९--श्री राम चन्द बक्श सिंह तथा श्री ऊदल (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के बड़े-बड़े नालों में पुल बनाने की कोई योजना सरकार चला रही है ? यदि वहां, तो क्या कुन्डी नाला पर जो ब्लाक बड़ गांव जिला वाराणसी में कनिपर गांव के पास है, पुल बनाने की कोई योजना है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

१०--श्री अनवार जमील उर्फ जिमी मियां--

[११ वें बुधवार के लिये स्थगित]

संडीला नगर, जिला हरदोई में राजकीय कन्या पाठशाला का भवन

११--श्री काशी नाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई)--

क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई में संडीला नगर में राजकीय कन्या पाठशाला भवन के निर्माण हेतु सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो भवन कब तक बन जायेगा?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला गोरखपुर में धानी से करमैनी घाट तथा पनघटिया से करमैनी घाट तक बांध बनाने की मांग

१२—श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरेंदा तहसील के अन्तर्गत (गोरखपुर) राप्ती नदी के दोनों किनारे धानी से करमैनी घाट और पनघटिया से करमैनी घाट तक बांध बनवाने की तथा पहनाले के मुहाने पर गेसई के पास रेगुलेटर लगाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

तथाकथित बांध जमींदारों ने बनवाये थे। प्रस्तावित योजनाओं का सर्वेक्षण हो रहा है जिनका कार्यान्वयन राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्वीकृति हो जाने व धन उपलब्ध होने पर ही हो सकेगा ।

जिला एटा की सहावर–कासगंज सोरों–सेवा जगंज सड़कों को पक्का करने की मांग

१३—श्री खूब चन्द तथा श्री गंगा सिंह (जिला एटा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला एटा के पिछड़ेपन को देखते हुये सहावर से कासगंज सहावर से सेवाजपुर सहावर से सोरों सड़कों को जिन पर मिट्टी का कार्य पूरा हो चुका है इस पंचवर्षीय योजना में इन्हें पक्का कराये जाने का प्राविधान है ? यदि हां तो कार्य कब से शुरू होगा और कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत सड़कों में से केवल सहावर कासगंज सड़क के कुछ भाग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मिट्टी का कार्य किया गया था किन्तु अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि इन सड़कों के निर्माण के लिये चालू पंचवर्षीय योजना में प्राविधान हो सकेगा अथवा नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जिला एटा में काली नदी पर पक्के पुल निर्माण की मांग

१४—श्री खूब चन्द तथा गंगा सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि एटा से सहावर जाने वाली सड़क पर पड़ने वाली नदी काली पर इस समय पीपे का पुल बना है यदि हां तो क्या इसको पक्का बनाये जाने की बात पिछली पंचवर्षीय योजना में चल रही थी और क्या सरकार वर्तमान पंचवर्षीय योजना में इसे पक्का बनाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां तो कब तक कार्य शुरू किया जायेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां । किन्तु इस स्थान पर पक्का पुल बनाने के लिये पिछली पंचवर्षीय योजना में कोई प्राविधान नहीं था । चालू पंचवर्षीय योजना में धनाभाव के कारण इस पुल का निर्माण संभव प्रतीत नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फर्रुखाबाद जिले में निर्मित राजकीय नलकूप

१५—श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिला में वर्ष १९७३–७४ में कितने नलकूप लगाये जावेंगे और किन-किन ग्रामों में ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

फर्रुखाबाद जिले में वर्ष १९७३–७४ में २० राजकीय नलकूपों का निर्माण किया जा चुका है । जिन ग्रामों में नलकूप लगाये गये हैं उनका नाम संलग्न तालिका में अंकित है ।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ १११ पर)

ग्राम बलीपुर व खलवारा (फैजाबाद) के राजकीय नलकूपों का न चलना

१६—श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद की तहसील कायमगंज क ग्राम बलीपुर खलवारा में नलकूप कई वर्ष पहिले लगाये गये किन्तु आज तक उन नलकूपों से सिंचाई नहीं हुई तथा नलकूप अधिक समय तक खराब रहते हैं ? और अधिकतर कूप चालक गैर-हाजिर रहते हैं ? यदि हां तो इस दुर्व्यवस्था को दूर करने हेतु क्या उचित उपाय किये गये ह ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जनपद फर्रुखाबाद की तहसील कायमगंज के ग्राम बलीपुर में राजकीय नलकूप संख्या १८ कायमगंज ग्रुप को बिजली मार्च, १९७३ में मिली । परन्तु अप्रैल, १९७३ से मार्च, १९७४ तक ४ बार ट्रांसफारमर तथा अन्य आवश्यक सामग्री की चोरी हो जाने के कारण सिंचाई नहीं हो सकी । अब ट्रांसफारमर दिनांक १८–७–७४ को फिर से लगा दिया गया है तथा कूप सिंचाई के लिये तैयार है ।

तहसील कायमगंज के ग्राम खलवारा में नवीन राजकीय नलकूप संख्या १७ कायमगंज ग्रुप को बिजली का कनेक्शन अस्थायी तौर पर माह मई, १९७४ क अन्त में मिला । बिजली के न होने के कारण कूप पर सिंचाई अभी तक नहीं हो सकी ।

गैर हाजिर रहने वाले नलकूप चालकों को नियमानुसार दंड दिया जाता है ।

१७—श्री बांके लाल—

[११वें बुधवार के लिये स्थगित]

१८-१९—श्री झिलमिट—

[११वें बुधवार के लिये स्थगित]

बृजमनगंज-कोल्हर रोड (गोरखपुर) के निर्माण की मांग

२०—श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में बृजमनगंज कोल्हर रोड को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लेकर पिचरोड बनाया गया किन्तु उस पिचरोड को बृजमनगंज बाजार तक नहीं बनाया गया आदि बृजमनगंज बाजार के उत्तर लगभग १ १/२ किलोमीटर सड़क कच्ची छोड़ दिया गया है ? यदि हां तो क्यों और इसे सरकार कब तक पूरा कराने का विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

गोरखपुर जिले में बृजमनगंज कल्हई मार्ग के केवल ०.८ किलोमीटर मार्ग जो बृजमनगंज बाजार के पास से होकर जाता है का निर्माण भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण न होने से रुका हुआ है । भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण होते ही उक्त शेष निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ।

रिग्स डिवीजन (गाजीपुर) द्वारा सामान की कथित खरीद व इस्तेमाल और मशीन द्वारा अर्जित मुनाफा

२१---श्री ऊदल---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर रिग्स डिवीजन (सिंचाई विभाग) में सन् १६७२-७३ तथा १६७३-७४ में कितने रुपये का एक्सेस सामान टेंडर या वर्क आर्डर से खरीदा गया है और क्या उसका इस्तेमाल भी हुआ ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

रिग्स डिवीजन, गाजीपुर का सृजन दिनांक ८-१-७४ से हुआ। अतः वर्ष १६७२-७३ में इस डिवीजन द्वारा सामान खरीदने तथा उसके इस्तेमाल का प्रश्न नहीं उठता। वर्ष १६७३-७४ में भी इस डिवीजन में टेंडर या वर्क आर्डर से कोई एक्सेस सामान नहीं खरीदा गया । अतः उसके इस्तेमाल का प्रश्न नहीं उठता।

२२---श्री ऊदल---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिग्स डिवीजन गाजीपुर की मशीन घाटे में चल रही है या मुनाफे में? यदि घाटा है, तो कितना और मुनाफा है तो कितना है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

रिग्स डिवीजन गाजीपुर के अन्तर्गत मशीनें वर्ष १६७३-७४ में दिनांक ८-१-७४ से ३१-३-७४ तक चली तथा इस अवधि में ५४,६४६ रु० का मुनाफा रहा ।

इलाहाबाद जनपद के लिए स्वीकृत राजकीय नलकूप

२३---श्री सत्य प्रकाश मालवीय तथा श्री अठई राम---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले में सन्१६७४ व १६७५ में कितने नलकूप लगाने की योजना है और कहां-कहां है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

इलाहाबाद में वित्तीय वर्ष १६७४-७५ में ३०राजकीय नलकूपों के छिद्रण का प्रस्ताव इस समय ह । यह नलकूप जिले में कहां-कहां लगाये जावेंगे इसका निर्णय जिला स्थान चयन समिति द्वारा लिया जायेगा।

श्री सत्यपाल मलिक द्वारा श्री कन्हैयालाल मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

श्री सत्यपाल मलिक ने जो विशेषाधिकार की सूचना दी है वह मैं आपके सामने रख रहा हूं ।

एक सदस्य---

मान्यवर, अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया। मैं एक जानकारी चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष---

मैं बोल रहा हूं तब भी आप खड़े हैं । मलिक जी ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है ।

श्री सत्यपाल मलिक ने सूचना दी है कि "विकास" साप्ताहिक के जलाई, १९७४ के अंक में "उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम---एक झांकी" के लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र ने उनके द्वारा सदन में उठायी गयी बातों की आलोचना करते हुए उनके विरुद्ध आक्षेप किये हैं । श्री मलिक की आपत्ति जिन वाक्यांशों पर है, वे निम्नलिखित हैं:---

(१) "ऐसा आदमी धिक्कार का पात्र है, पर प्रजातंत्र इन्सानियत का शासनतंत्र है। वह ऐसे लोगों को भी चाहे जो करने का अधिकार देता है। विधान सभा में की गयी बकवाद भी दंडनीय नहीं होती" ।

(२) "आरोप लगाने वालों पर मैं यह आरोप लगाता हूं कि न उन्हें बिस्मिल से प्यार है, न आदर है उन्होंने सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए ही यह शोर मचाया है"।

(३) "इस महत्वपूर्ण पुस्तक पर लगाये गये छिछले आरोपों को पढ़कर आज की ही नहीं, भविष्य की भी समझदार पीढ़ियां हंसेंगी और सोचेगी कि स्वतंत्रता के बाद विधान सभाओं की बहस का स्तर कितना नीचे गिर गया था । बहस के गिरे हुए स्तर का माप इससे मिलता है कि इस बहस में चौधरी चरण सिंह जी भी बोले"।

(४)"प्रश्न यह है कि जब श्री सत्यपाल मलिक के पोते-पड़पोते, धेवते-पड़धेवते आने वाले युग में चुनाव जीत कर विधान सभा के सदस्य (एम०एल०ए०) बनेंगे और अचानक किसी दिन जून, १९७४ की विधान सभा की प्रोसीडिंग पढेंगे, तो भौचक भाव से आपस में कहेंगे...." हमारे दादा-नाना ने जब यह अनर्गल प्रलाप किया तो वे किस पिनक में थे ?

कौल तथा शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" पृष्ठ २४५ के अनुसार "सभा या उसकी समितियों के स्वरूप या कार्यवाही का संसद के सदस्य के रूप में किसी सदस्य के चरित्र या आचरण पर या उसके संबंध में कोई भाषण देना या मान-हानिकारक बात छापना या प्रकाशित करना सभा का विशेषाधिकार भंग तथा अवमान है" ।

उक्त कथन हाउस आफ कामन्स की विशेषाधिकार समिति ने एलिथन के मामले में उद्धृत दिनांक १६ फरवरी, १७०१में हाउस आफ कामन्स द्वारा पास किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आधारित है:---

"कि हाउस आफ कामन्स की कार्यवाही पर आक्षेप करने वाली या उसके किसी सदस्य पर सभा की सेवा के लिये किये गये काम पर या उसके संबंध में किये गये काम के लिए आक्षेप करने वाली पुस्तक या मान-हानिकारक लेख छापना या प्रकाशित करना हाउस आफ कामन्स के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का भंग है ।"

उपर्युक्त दृष्टि से श्री मिश्र के लेख में वाक्यांशों में विधान सभा की कार्यवाही को "बकवाद" अथवा "नीचे स्तर" का कहना या किसी सदस्य के भाषण को "अनर्गल प्रलाप" कहना आदि विशेषाधिकार भंग और अवमान है, परन्तु यदि पूरे लेख को पढ़ा जाय तो जैसा कि श्री मिश्र ने अपने लेख के पृष्ठ २ पर कहा है, उनके इस लेख का उद्देश्य उनकी पुस्तक "उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम-एक झांकी" के संबंध में लगाये गये आरोपों का समाधान करना है और उन्होंने सभा और उसके सदस्यों के प्रति अपना आदर भी प्रदर्शित किया है। एक प्रकार से उक्त पुस्तक के संबंध में उठे वाद-विवाद पर आलोचना एवं समाधान करना श्री मिश्र का अभिप्राय प्रतीत होता है, यद्यपि ऐसा करने में कहीं-कहीं उन्होंने कठोर एवं अनुचित शब्दों

[श्री अध्यक्ष]

का प्रयोग किया है। उसमें सदन या उसके किसी सदस्य पर कदाशय का आरोप लगाया गया नहीं प्रतीत होता। कौल शकधर की उक्त पुस्तक के पृष्ठ २४६–२४७ पर यह उल्लेख है कि—

"जिन भाषणों या लेखों में सदस्यों के विरुद्ध अस्पष्ट आरोप लगाये गये हों या संसद में उनके आचरण पर कठोर भाषा में आलोचना की गई हो, विशेषकर किसी सार्वजनिक वाद-विवाद के दौरान लेकिन उनमें सदस्यों पर कदाशय का आरोप न लगाया गया हो, उन्हें सभा अवमान या विशेषाधिकार भंग नहीं समझती।"

ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स की विशेषाधिकार समिति ने हाइलैंड डेवलपमेन्ट लीग के मामले में कहा कि "यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाय या उसकी ओर इशारा किया जाय, या किसी पर अनुचित अभिप्राय से कुछ करने का आरोप लगाया जाय तो स्पष्ट है कि सभा उसे अवमान समझने और उसी रूप में उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकार रखती है। लेकिन जहां उन शब्दों की युक्तियुक्त व्याख्या यह की जा सकती है कि उनका मतलब तो यह कहना था कि गलत अनुमान लगाया या निर्णय किया गया है या किसी ऐसी बात को समझा नहीं गया जिसे समझ लेना चाहिये था वहां सभा के लिये उसे अवमान समझ कर कार्यवाही करना गलत होगा"।

"डेली मेल" के दिनांक ६ मार्च, १६४८ के अंक में प्रकाशित लेख में—

"secret sessions of Parliament useless as secret agents of a potential enemy would be present" "but I understand there are 29 of these secret supporters in the House."

आपत्ति की गई थी। हाउस आफ कामन्स को विशेषाधिकार समिति ने "डेली मेल" के उक्त मामले में यह मत व्यक्त किया—

".....यह बात सभा की गरिमा के अनुकूल नहीं है कि प्रत्येक ऐसे मान-हानिकारक वक्तव्य के बारे में दंड देने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाय, जो विशेषाधिकार भंग की परिभाषा में आता हो। समिति यह तो मानती है कि संसद का कर्त्तव्य है कि जहां उस पर ऐसे आक्रमण किये जांय जिनसे कि संसद में जनता का विश्वास कम हो जाय या लोग उसका समर्थन करना छोड़ दें, वहां पर कार्य करें लेकिन हमारा विचार है कि इस बात का बड़ा महत्व है कि संसद के विशेषाधिकार सम्बन्धी कानून को इस ढंग से लागू नहीं करना चाहिये कि स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट करने या आलोचना करने में बाधा पड़ें या उसके लिये व्यक्ति निरुत्साहित होते हों, वह आलोचना और बिचार चाहे कितने कितने हों अतिशयोक्तिपूर्ण तथा पूर्वधारणाओं पर आधारित क्यों न हों। इसके साथ ही संसद की जांच की प्रक्रिया या प्रयोग इस ढंग से नहीं होना चाहिये कि उससे गैर-जिम्मेदारी से कही गयी बातों को महत्व मिले।"

आंध्र प्रदेश विधान सभा में भी जनरल करियप्पा द्वारा इन्डियन एक्सप्रेस में लिखे गये लेख के निम्नलिखित वाक्यांशों के सम्बन्ध में सदन के अवमान का प्रश्न उठाया गया था :—

"a great deal of time seemed to be taken up in our Parliaments, at the Centre and the State levels, by politician in mud-alinging at each other and in many cases dog eating dog."

इस प्रश्न पर अध्यक्ष द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि यद्यपि उक्त लेख में प्रस्तुत किये गये कुछ शब्द आपत्तिजनक थे फिर भी सदन की प्रतिष्ठा व गरिमा इसी में होगी कि वह उक्त लेख की ओर ध्यान न दें।

कौल तथा शकधर की उपर्युक्त पुस्तक के पृष्ठ २४८ पर भी यह कहा गया है कि प्रत्येक मान-हानिकारक बात के सम्बन्ध में, जो सभा के विशेषाधिकार भंग या अवमान की परिभाषा में आती हो सभा द्वारा उस पर ध्यान देना या कार्यवाही करना सभा की गरिमा के अनुकूल नहीं माना जाता। लोक सभा को विशेषाधिकार समिति ने समाचार-पत्र में प्रकाशित श्री एम० ओ० मथाई के पत्र के निम्नलिखित वाक्यांशों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के अवहेलना के प्रश्न पर विचार किया था--

"But the ever-mounting tendency in our Parliament and our Press to attack public servants without earing to verify facts is having a devastatingly demoralising effect. Under such deplorable conditions very few self respecting persons will care to enter Government service or public life".

समिति ने यह कहा था कि "यह बात सभा की गरिमा और प्रतिष्ठा से मेल नहीं खाती कि प्रत्येक ऐसे वक्तव्य पर ध्यान दिया जाय जो सभा के अवमान की परिभाषा में आता हो। सभा की गरिमा इसी में है कि वह ऐसी अनुचित तथा विवेकहीन बातों पर ध्यान ही न दें"।

इसी प्रकार श्री धीरेन्द्र भौमिक के मामले में उनके पैम्फलेट में लोक सभा की कार्यवाहीं की कटु आलोचना करते हुये निम्नलिखित शब्द कहे गये थे--

"The most august body, Parliament, has been turned into a private club by the Congress Government headed by Jawaharlal Nehru. The Speaker himself most shamelessly chose to be the second fiddle in the hands of the ruling party. Parliament has lost its dignity in the hands of decile and 'Jo-hukum' members. . . . .Look at the arguments put forward by Jawaharlal Nehru and Govind Ballabh Pant i nfavour of postponement of the Assam debate sine-die . . . they carried the day with the help of an obliging Speaker. The whole thing was a fraud on the conscience of the nation."

उस पर लोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने फैसला किया कि श्री भौमिक, जिसने अध्यक्ष तथा सभा पर आक्षेप करके सभा का अवमान किया है, ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसके लेख पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाय और इसलिये सभा की गरिमा इसी में है कि वह इस मामले में आगे कोई ध्यान ही न दे।

उपर्युक्त निर्णयों को देखते हुये मैं समझता हूं कि श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के लेख में इस प्रकार के आक्षेप तथा अनुचित एवं अशोभनीय शब्दों के होते हुये भी, जिनसे विशेषाधिकार भंग एवं अवमान का प्रश्न बन सकता है, वर्तमान समय के लेखकों एवं समाचार-पत्रों के स्वतंत्र अभिव्यक्ति के औचित्य को ध्यान में रखत हुए सदन को ऐसी आलोचना को नजरन्दाज करना चाहिये। साथ ही, जैसा कि ऊपर उल्लिखित निर्णयों में कहा जा चुका है, आलोचना चाहे कितनी ही कठोर क्यों न हो, उससे विशेषाधिकार भंग या सदन के अवमान का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, जब तक कि सदन या उसके सदस्य पर कदाशय का आरोप न हो। श्री मिश्र के पूरे लेख को पढ़ने से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने किसी सदस्य पर कदाशय का आरोप लगाया हो। मैं समझता हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना और सदन के अवमान का प्रश्न बना कर महत्व नहीं देना चाहिये तथा सदन की गरिमा इसी बात में है कि इस मामले में कोई ध्यान न दिया जाय।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, आपने तर्क यह दिया है...

श्री अध्यक्ष—

बात यह है ।

श्री सत्यपाल मलिक—

आप मुझे सुन लें, मुझे बहुत तकलीफ हुई है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं निर्णय दे चुका हूं ।

श्री सत्यपाल मलिक—

आपने निर्णय देने के पहले कहा था कि आप मेरी बात सुनेंगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

आपने वृहत् रूलिंग दे दी है ।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

एक निवेदन सुन लें । आपने निर्णय दे दिया । मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, यहां इस तरह के प्रश्न विशेषाधिकार के उठे तो पूरा मौका कम से कम जो उसको पेश करे, आपने निर्णय दिया, समय दिया, उसको सुन लेने के बाद निर्णय किया करें तो बाद को कहने की नौबत न आये ।

श्री अध्यक्ष—

रोज दो तीन विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न...

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, जिसमें सिद्धांत का सवाल निहत रहेगा उसमें सुनने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आप न बोलें ।

श्री रामसेवक यादव—

आपने अध्यक्ष महोदय, इसको महत्व भी दिया, इस पर विचार भी किया और विचार करके आपने निर्णय दे दिया है। कम से कम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सुनने वाली बात हो जाय तो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि निर्णय आपका ही चलेगा ।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि लोकतंत्र में आप आलोचना करते हैं, कड़ी आलोचना करते हैं, कठोर आलोचना करते हैं, इस अधिकार को सीमित करना न आपके हित में है न जनहित में है।

श्री सत्यपाल मलिक—

आप एक हफ्ते से इस सवाल को टालते रहे । वी०जी० रामचन्द्रन की पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेज में, अख्बारों में असेम्बलियों और लोक सभा पर गलत तरीके से कमेंट्स करने

के जितने मामले प्रिविलेज कमेटी में गये हैं, उनमें ज्यादा माइल्ड चार्जेज हैं । जिस आदमी को आपने मामूली आदमी कह कर टाल दिया वह प्रदेश की हिन्दी समिति का सदस्य है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने टाला नहीं है । मैंने कहा है । आपने समझा नहीं । जो निर्णय मैंने दिया है वह साफ है।

श्री सत्यपाल मलिक—

आपने वह नहीं कोट किया जो इसके पक्ष में जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने दोनों कह दिया । मैंने कहा, सदन को ऐसी बातों को नजरअन्दाज करना चाहिये । मैंने अवमान माना है।

मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत तेज बात कहते हैं । आपके खिलाफ बात होती है तो सहिये उसको । लोकतंत्र में बात को सहने की जरूरत होती है । आप तेज बात कहेंगे । दूसरे तेज बात कहेंगे, तो आप नहीं सुनेंगे ? कहीं अन्त होगा ? दूसरा कहने लगेगा, तीसरा कहने लगेगा ।

श्री सत्यपाल मलिक—

(माइक्रोफोन बन्द था) यह तय कीजिये कि आपके किसी काम की आलोचना की जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष—

इस पर बहस नहीं होगी । जो सदस्य है लोकपति, लोक सम्मति के अधिष्ठान इस सदन के सदस्य हैं आलोचना के पात्र भी होंगे ।

माननीय सदस्य करने को कह रहे हैं । क्या आप चाहते हैं कि वैसा ही बर्ताव सारे देश में होने लगे । जो आप आज कहेंगे या तय करेंगे वैसा ही बर्ताव आपके साथ होगा ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

मान्यवर, पहले आप सुन तो लीजिये, वैसे तो जो आप निर्णय देंगे वह सर्वमान्य होगा ही लेकिन अच्छा तो यह होगा कि आप मुक्त हृदय से लोगों को आजादी दें ताकि वह अपनी बातें कह सकें ।

श्री अध्यक्ष—

आजादी तो है, उन्होंने कहा भी, लिखा भी । अब आगे क्या है ?

श्री बांके लाल—

अगर आप इस तरह से बिना सुने ही आप स्वयं निर्णय दे दिया करेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि आप प्रजातांत्रिक पद्धति को अख्तियार किये हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप नियमावली के नियम 66 देखें । उसमें लिखा हुआ है ।

66—शिकायत का प्रस्तुत किया जाना—यदि इन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष के मत में विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान की सूचना सम्मति योग्य तथा ग्राह्य हो तो वे उस मामले

[श्री अध्यक्ष]

को विशेषाधिकार समिति की जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन के निमित्त निर्दिष्ट कर सकेंगे और उनकी सूचना सदन को देंगे । यदि अध्यक्ष के मत में सूचना आग्रह्य हो तो वे अस्वीकृति की सूचना सदन को देंगे । ''

तो यह तो मैं सूचना सदन को दे रहा हूं । इसमें आगे यह भी है कि :—

"किन्तु यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो अपना निर्णय देने के पूर्व संबंधित सदस्य तथा अन्य सदस्यों को सुन सकेंगे ।"

(व्यवधान)

आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री बांके लाल—

यही कि आप सुनकर निर्णय देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

यह आवश्यक नहीं है ।

श्री सत्यपाल मलिक—

मेरा तो कहना यह है कि आपने उन तमाम किताबों को जानबूझकर नजरअन्दाज किया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप समझना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं ? मैंने कहा है कि ऐसा छापना अवमान है लकिन यह मामला ऐसा है और जो विपक्ष के लिये भी है कि सदन की गरिमा के अनुकूल उसको नजरअन्दाज किया जावें ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

आप पूरा केस तो सुनते नहीं हैं और बिना सुने ही फैसला भी दे देते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, सुनने की जरूरत नहीं है । (व्यवधान) . . वैसे मैं यह माना है कि यह शब्द जो छापे गये हैं यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं हैं, और अवमान है किन्तु सदन की गरिमा के अनुकूल मैं इसे समझता हूं कि इस अवमान के प्रश्न को नजरअन्दाज कर देना चाहिये ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

इसके माने तो यह हुये कि हमारा रोज इस तरह से अवमान होगा और आप उसको नजर-अन्दाज करेंगे तो यह हम लोगों का अवमान इस तरह से होता रहेगा ।

श्री सत्यपाल मलिक—

यह किताबें सब सामने हैं लेकिन आप अपने निर्णय को सही साबित करने के लिये इस तरह की किताबों में जो निर्णय दिये हैं उनको नहीं लेंगे और अपने मतलब की बातें जहां मिलेंगी उनको लेकर अपना निर्णय बिना सुने दे देंगे . . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो चीजें आप कहना चाहते हैं वह मैं नहीं मानता . . . . (व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक--

और यह जो निर्णय इसमें दिये हैं वह हिन्दुस्तान के और राज्यों की विधान सभाओं और लोक सभा के मामलों में है जहां इससे बहुत माइल्ड भाषा का इस्तेमाल किया गया है । इसमें हिन्दुस्तान टाइम्स वाला मामला है और दूसरा.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

वह तो आपको सुनना पड़ेगा । जो राष्ट्रपति है उनको भी सुनना पड़ता है, प्रधान मंत्री को भी सुनना पड़ता है, अध्यक्ष को भी सुनना पड़ता है । लोकतंत्र का मतलब ही यह है... (व्यवधान) । इस तरह से नहीं होगा ।

श्री सत्यपाल मलिक--

इसमें विधान सभा का अपमान हुआ है । श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ऐसे लेखक ने यह अवमान भरे शब्द इस्तेमाल किये और उस पर आप यह निर्णय देवें, यह मुझे बहुत ही बुरा लगा है । अगर इसी गलत तरीके से आप अवमान के प्रश्नों को नजरन्दाज कर देंगे तब तो किसी भी माननीय सदस्य के लिये यहां पर कुछ कहना कठिन हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि लोकतंत्र में सबको सुनना पड़ता है ।

श्री सत्यपाल मलिक--

वैसे तो मुझे बहुत दुख है लेकिन मुझे विवश होकर आपके इस निर्णय के विरुद्ध सदन का त्याग करना पड़ता है ।

(श्री सत्यपाल मलिक सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि लोकतंत्र में सबको सुनना पड़ता है । मुझे खेद है कि जो सबको सुनाना चाहते हैं वे अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते । यह सब कुछ सुनना पड़ेगा। (व्यवधान) आप सब लोग बैठिये । इस तरह से नही होगा । क्या-क्या बातें विधान सभा में लोग सुनाना चाहते हैं । जो निर्णय मैंने दिया है वह सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा के अनुकूल है । अगर यह नहीं होता है तो आप ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे जिससे विधान सभा की गरिमा और प्रतिष्ठा को धक्का लगने की आशंका है । (व्यवधान)...मैं इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि मैं समझता हूं और जिस तरह से जितनी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार मैं सदन की गरिमा और गौरव को बचाना चाहता हूं ।

श्री राम अधार--

आप मेरी सुनें तो...

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी बात को लिख कर भेंज देवें। मैंने आपसे कहा कि चाहे जितना भी कटु लगे आपको उसे सुनना है । मैंने आपको पढ़ कर सुना दिया है कि इसमें अध्यक्ष तक को यह लिख दिया है कि "ओबलाइजिंग स्पीकर" यानी शासक दल का पिट्ठू समझिये या जैसे सरकार कहे वैसे काम करने वाला, तो यह सब अध्यक्ष को भी सुनना पड़ता है। लोकतंत्र में चाहे राष्ट्रपति हो उसको भी सुनना ही पड़ता है और गवर्नर को भी सुनना पड़ता है और गवर्नर के साथ तो आपने अशोभनीय व्यवहार भी यहां किया है । इसलिये एक लम्बे दृष्टिकोण से और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो निर्णय हुये हैं उनको देखते हुये मैंने यही निर्णय दिया है कि अवमान है इसे मैं मानता हूं लेकिन इस पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिये ।

सदन के स्थगन तथा परिवर्तित कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष—

अभी वह आया नहीं । अभी तो माननीय शिक्षा मंत्री प्रस्ताव रखेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष—

अभी तो कामरोको आया नहीं है । आप बैठें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष—

मैं तो कह रहा हूं कि आने दीजिये । कार्य-स्थगन को नं० ६ पर देखिये ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

कल के कार्य-स्थगन प्रस्ताव को जो गोरखपुर, बस्ती, देवरिया के बारे में था उसको आपने स्वीकार किया या अस्वीकार, आप बतलायें तो कि आपने क्या किया ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री प्रस्ताव रखेंगे ।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

मेरी वैधानिक आपत्ति है । शिक्षा मंत्री को यह प्रस्ताव पेश करने का अधिकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो दूसरा सवाल है । (श्री हरिकेवल के खड़े होने पर) (व्यवधान) . . . . माननीय हरिकेवल जी, आप बैठें । यह नहीं कि माननीय हरिकेवल जी जब चाहें, जो चाहे बोलने लगें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[× × × ×]

(माइक आफ कर दिया गया ।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय ओझा जी, अगर आप बैठते नहीं है तो मैं आपको एक दिन के लिये निकालता हूं।

(शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[× × ×]

× × × ×]श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप बन्द नहीं करते हैं तो साढ़े १२ पर आपके खिलाफ दूसरी कार्यवाही करेंगे । इसका एक शब्द भी नहीं लिखा जायगा क्योंकि इन्होंने बिना इजाजत के बोलना शुरू कर दिया है ।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, आज तो जैसा माननीय विरोधी दल के और हमारे दल के सभी लोगों ने इच्छा प्रकट की कि इस बाढ़ के सम्बन्ध में अपने अपने क्षेत्र में जायें यह निश्चय ही कर चुके हैं कि आपको प्रार्थना करें कि आज के कार्य के बाद सदन को स्थगित कर दें १३ तारीख तक के लिये ताकि इस काम में हम सब जुट सकें, बाढ़ की जो आपत्ति आयी है उसका मुकाबला कर सकें और १३ तारीख को फिर मिलें । मेरी आशा है कि जनार्दन जी हमारी और जनता की सहायता का कार्य करेंगे ।

श्री बांके लाल—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

अगर दूसरा कोई कह दे इस सदन के बारे में तो आप छुई मुई हो जायंगे आप स्वयं अपमान करते हैं सदन का और अपना । यह कुछ नहीं लिखा जायगा । यह भी अभूतपूर्व है कि कल कोई दे कार्य-स्थगन की सूचना और आज एजेन्डा पर वह आये। यह आपकी बुद्धि का नमूना है ।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक आज के उपवेशन के उपरान्त स्थगित हो जाय और फिर १३, १४, १६ तथा १७ अगस्त, १९७४ को सदन की बैठकें हों तथा उसमें निम्नलिखित कार्यक्रम लिया जाय:—

गुरुवार, ८ अगस्त, १९७४ को होने वाला असरकारी कार्य दिनांक १७ अगस्त, १९७४ को होगा ।

शुक्रवार, ९ अगस्त, १९७४ को लिया जाने वाला कार्य दिनांक १३ अगस्त, १९७४ को होगा ।

दिनांक १२ अगस्त, १९७४ को लिया जाने वाला कार्य १४ अगस्त, १९७४ को होगा ।

दिनांक १६ अगस्त, १९७४ का निर्धारित कार्यक्रम पूर्ववत् रहेगा ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा, आप कृपापूर्वक बाहर जायं ।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के कुछ कहने पर)

पहले वह चले जायं निवेदन में बाद में सुनूंगा । निश्चय जो मैंने कर लिया कर लिया । यह सदन का निश्चय है । मुझको अधिकार सदन ने दिया है एक दिन के लिये निकालने का। इसको अमल में लाना हमारा काम है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[× × ×]

[× × ×] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

आपको इजाजत नहीं है । पहले आप चले जायं । (श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के बोलते रहने पर) । यह एक शब्द भी लिखा नहीं जायगा । माफ तो मैं कर देता हूं लेकिन आज्ञा पालन भी कराता हूं । यह कुछ नहीं लिखा जायगा । आप कृपा करके बाहर चले जायं । एक दिन के लिये बाहर आपको निकाला है ।

(वित्त मंत्री के समझाने पर श्री जनार्दन प्रसाद ओझा सदन से बाहर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि अब माननीय ओझा जी को बुला लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

पांच मिनट के बाद वह आ सकते हैं ।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी को धन्यवाद देता हूं कि वह इस तरह के काम किया करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन की बैठक आज के उपवेशन के उपरान्त स्थगित हो जाय फिर १३ १४, १६ व १७ अगस्त, १९७४ को सदन की बैठकें हों तथा इनमें निम्नलिखित कार्यक्रम लिया जाय—

गुरुवार, ८ अगस्त, १९७४ को होने वाला असरकारी कार्य दिनांक १७ अगस्त, १९७४ को होगा ।

शुक्रवार, ९ अगस्त, १९७४ को लिया जाने वाला कार्य दिनांक १३ अगस्त, १९७४ को होगा ।

दिनांक १२ अगस्त, १९७४ को लिया जाने वाला कार्य १४ अगस्त, १९७४ को होगा ।

दिनांक १६ अगस्त, १९७४ का निर्धारित कार्यक्रम पूर्ववत् रहेगा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कतिपय समितियों तथा निकायों के निर्वाचन के परिवर्तित कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

विधान सभा की बैठक दिनांक १२ अगस्त, १९७४ को न होने के कारण मैंने समितियों एवं निकायों के निर्वाचन के लिये पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम में, जिसकी सूचना सदन को पहले दी जा चुकी है, निम्नलिखित परिवर्तन कर दिया है—

"अब नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय १३ अगस्त, १९७४ के अपराह्न ३ बजे तक होगी और नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा १४ अगस्त, १९७४ को अपराह्न ३ बजे सचिव, विधान सभा के कमरे में की जायेगी । शेष कार्यक्रम पूर्ववत रहेगा ।

खाद्य विभाग के जिला पूर्ति कार्यालयों से १,५०० कर्मचारियों के बिना पूर्व सूचना के निष्कासन के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब खाद्य विभाग के जिला पूर्ति कार्यालयों के १,५०० कर्मचारियों के बिना पूर्व सूचना के निष्कासन के सम्बन्ध में खाद्य मंत्री का वक्तव्य होगा ।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं खाद्य मंत्री जी से कुछ सवाल करना चाहता हूं । (कुछ रुक कर ।) इसके बाद कर लूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

जी हां ।

चौधरी चरण सिंह—

उन्होंने आश्वासन दिया था वह पूरा नहीं हुआ ।

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष जब गेंहूं का थोक व्यापार सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया गया तब यह भी विचाराधीन था कि गेंहूं के अलावा चावल का भी थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में ले । इसके फलस्वरूप प्रदेश के विभिन्न शहरों में गेंहूं तथा चावल की जो पूर्ति थोक व्यापारियों के माध्यम से होती थी उसका दायित्व शासन पर आ जाता और इसको निभाने के लिये शासन की वितरण व्यवस्था को और सुदृढ़ करना आवश्यक था । अतः १ अप्रैल, १९७३ से खाद्य विभाग के पूर्ति एवं रसद शाखा के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के ३,०४५ पद अस्थायी रूप से २८ फरवरी, १९७४ तक के लिये स्वीकृत किये गये ।

२—तत्पश्चात् विभिन्न कारणों से गेंहूं की मूल योजना में परिवर्तन हुये और चावल का थोक व्यापार सरकार द्वारा अपने हाथ में नही लिया गया । इस वर्ष नियंत्रित रूप से थोक व्यापारियों को गेंहूं के थोक व्यापार की अनुमति दी गई । इन बदली हुई परिस्थितियों में खाद्यान्नों के वितरणसे सम्बन्धित खाद्य विभाग के दायित्व में भी परिवर्तन स्वाभावतः हुआ और जो पद १ अप्रैल, १९७३ को स्वीकृत हुये थे उनमें से सबकी आवश्यकता परिवर्तित परिस्थिति में नहीं रही । फिर भी मौजूदा वितरण व्यवस्था तथा उसमें वांछित सुधार को ध्यान में रखते हुये कुल २,१९२ अतिरिक्त पद आवश्यक समझे गये और उनकी स्वीकृति २८ फरवरी,१९७५ तक के लिये दे दी गई है । इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में केवल ८५३ विभिन्न श्रेणी के पद कम कर दिये गये हैं जो कि ऐसे हैं जिनके कम कर देने से वितरण व्यवस्था पर कोई कुप्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है । इन कम किये गये पदों में से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग २९० पद रिक्त हैं । इसके अतिरिक्त बहुत से पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारी ऐसे हैं जो निकाले नहीं जा रहे हैं केवल प्रत्यावर्तित हो जायेंगे इस प्रकार केवल लगभग ५००—६०० कर्मचारियों की सेवायें फिलहाल समाप्त की गई हैं । यह सभी कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी मौजूदा परिस्थिति में विभाग को कोई आवश्यकता नहीं है ।

जहां तक अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कर्मचारियों का सम्बन्ध है मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि शासन द्वारा जो आदेश दिये गये हैं उनमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इनके लिये आरक्षित पद यदि पूरे न भरें गये हों तो ऐसे कर्मचारियों की सेवायें समाप्त न की जांय ।

[डा०राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

जिन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जा रही हैं उनकी नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी रूप से की गई थीं फिर भी ऐसे कर्मचारियों को जिनकी सेवायें समाप्त की जा रही हैं उनकी ओर मेरी पूरी सहानुभूति है। कोई आश्वासन तो नहीं दिया जा सकता है परन्तु इन कर्मचारियों को भविष्य में सरकार द्वारा यथासंभव अन्य पदों पर नियमानुसार समायोजित करने का प्रयास किया जायगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सरकार ने इसके पूर्व कभी यह घोषणा की थी कि जो सरकारी कर्मचारी ३ वर्ष तक बराबर काम करते रहे हों उनको परमानेंट कर दिया जाय। कहां तो सरकार का यह विचार था और कहां इतने कर्मचारियों को निकाल दिया। इसमें आपने यह लिखा है कि मैं आश्वासन तो नहीं देती लेकिन मैं ऐडजार्ब करने की कोशिश करूंगी कि आज जब जीवन का कोई सहारा नहीं है तो वह कौन सा सहारा है, जिसके अधीन ऐबजार्ब कर देंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, जहां तक सवाल है ३ वर्ष के कर्मचारियों को परमानेंट करने का, ये जो कर्मचारी इस समय हटाये जा रहे हैं वह ३ वर्ष के नहीं है। गत वर्ष जो अतिरिक्त पोस्ट करीब ३,०४३ बनाई गई थीं, इनकी नियुक्ति उनमें हुई थी, उन्हीं में से ये निकाले जा रहे है। तो ये पिछले वर्ष से ही हैं। जो नई नीति गेंहूं की अपनाई गई थी, उसमें ये रक्खे गये थे। हमारे विभाग में जैसे ही परमानेंट पोस्ट्स होती जाती हैं, उसके अगेंस्ट जितने ३ साल से और उसके ऊपर के कर्मचारी हैं उनको स्थायी रूप से परमानेंट करने की व्यवस्था है। ये जो कर्मचारी हैं उस प्रकार के नहीं हैं। पहले के कर्मचारी उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं और हमने यह भी कोशिश की कि बाद में इनको शीघ्रातिशीघ्र जैसे ही हमारे विभाग में या मेजर एण्ड बेट्स और जो डी०एस० ओ० का आफिस है, जहां कहीं भी जगहें होंगी उसमें ये लोग जिनकी संख्या ५०० या कुछ आती है, बहुत आवश्यकता पड़ गई जिसकी वजह से इनको हटाना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही कहीं पर जगह होगी, तो इनको पहले रखेंगे। और फिर अपने स्टेट में हम फूड कारपोरेशन भी बना रहे हैं, उसमें भी हम कुछ लोगों को रख लेंगे। इसलिये हमारी आशा है कि कम से कम लोगों को अन्त में इससे प्रभावित होना पड़ेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा कि इन बेचारे कर्मचारियों को यह उम्मीद थी कि ३साल में परमानेंट हो जायेंगे। परन्तु आपने अपने को अपनी नीति से पीछे हटा दिया और इन बेचारों को बीच में लटका दिया। आज भी माननीय मंत्री जी आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि खाद्य विभाग में ही नहीं बल्कि अन्य विभागों में भी जहां पर जगहें खाली हों इन छटनीशुदा कर्मचारियों को जगहें देने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, शासन की यह साधारण नीति है कि जो भी किसी विभाग के छटनीशुदा कर्मचारी हों, उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जाय।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, ऐसा लगता है कि जो देश में बेकारी, बेरोजगारी बढ़ रही है उसको दूर करने के लिये एक ही साधन है कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाय और यही वजह है कि यह समस्या रोज बढ़ती रहती है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि १-४-७३ से

३,०४३ लोगों को २८-२-७४ तक रखने का निर्णय लिया था और गेहूं के बाद चावल का व्यापार भी लेना था और ये अप्रैल के महीने से रखे गये जबकि चावल का व्यापार लेना था तो उसकी वसूली अक्टूबर, नवम्बर से होती है, तो इससे पहले क्यों रखा गया था? यह किस तारीख को इनको रखने के लिये निर्णय लिया गया था ? इनके हिसाब से तो ५-६ सौ बेकार हुए लेकिन वास्तव में डेढ़ दो हजार आदमी बेकार हैं, तो छटनी से पहले जो भिन्न-भिन्न सरकारी मुहकमें हैं उनमें उनको खपाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया जिससे यह स्थिति पैदा हुई?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी --

श्री रामसेवक यादव--

ये सदा-बहार हैं, ये हंसती हमेशा रहती हैं, इन पर असर कम पड़ता है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

आपकी चिन्ता जो है उससे अधिक सरकार को चिन्ता है अपने कर्मचारियों की और जैसा मैंने कहा, भविष्य में इसका पूरा ख्याल रखा जायगा कि बेकार लोग काम में लगाये जा सकें ।

श्री रामसेवक यादव--

यह किस तारीख को निर्णय लिया गया ? क्योंकि यह चुनाव का मामला है, इन्होंने लोगों को काम करने के लिये नौकरी का लालच दिया और यह तमाशा किया ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य को बड़ी गलतफहमी है । यहां ३-४ हजार लोगों की बेकारी का सवाल नहीं है, करोड़ों लोगों का सवाल आता है और बेरोजगारी हजारों में नहीं लाखों में है । तो यह धारणा गलत है । मैंने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि हमारी नयी खाद्य नीति के कारण वे भर्तियां की गयी थीं और जब आरम्भ में ही, अप्रैल शुरू होता है उस वक्त पूरा इन्तजाम किया गया और यह एक साल भर का फरवरी तक का प्राविधान किया गया था ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मंत्री जी ने कहा कि ज्यादातर हरिजनों को नहीं निकाला जा रहा है, तो मैं दो व्यक्तियों का नाम बताना चाहता हूं । विंढमगंज मिर्जापुर में बैरियर है वहां पर यह राजकुमार कामदार है उसको एक माह की तनख्वाह देकर नोटिस दे दिया गया । दूसरा मिर्जापुर में नरायनपुर बैरियर है, यह उस स्कीम से संबंधित नहीं है, लेकिन हरिजनों को जो फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं इस तरह बड़े पैमाने पर निकाला जा रहा है, यह इस मौके पर क्यों निकाला जा रहा है ।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

बैरियर्स के ऊपर तो बहुत ही टेम्पोरेरी तरीके पर लोग रखे जाते हैं और यह तय होता है, बिलकुल टेम्पोरेरी पोस्ट होती है।

श्री रामसेवक यादव--

किस तारीख को निर्णय लिया, यह बता दीजिये?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी---

जी०ओ० ४ अप्रैल, १९७३ का था, उसके अनुसार ये रखे गये ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)---

मेरा प्रश्न अनुसूचित जनजाति से संबंधित था । एक व्यक्ति नैनीताल में पोस्टेड था, वहां से सीतापुर महोली ब्लाक में आया, राम प्रसन्न नाम था, उस समय उसकी मां को कैंसर हुआ था बहुत गम्भीर समस्या है ।

श्री अध्यक्ष---

यह इससे संबंधित नहीं है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

उसकी मां की तबियत खराब थी, इसलिये उसने त्याग-पत्र दे दिया था ।

श्री अध्यक्ष---

मैं इस प्रश्न की इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मंत्री जी ने अभी कहा है कि ३,०४५ कर्मचारियों में से २,१९२ कर्मचारियों को २८-२-७५ तक की स्वीकृति दे दी गयी है । इसका मतलब यह हुआ कि ६ माह बाद यह भी निकाल दिये जायेंगे । क्या सरकार ऐसी किसी योजना पर विचार कर रही है कि ये लोग निकाले न जायें ? कोई आश्वासन मंत्री जी इस बारे में देंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

६ माह बाद क्या होगा, उसका आश्वासन इस वक्त नहीं दिया जा सकता ।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

छटनी से पूर्व क्या अन्य विभागाध्यक्षों से यह पूछा गया था कि उनके यहां कोई स्थान रिक्त है अथवा नहीं, उनको आवश्यकता है या नहीं, यदि नहीं तो क्यों नहीं । यह सूचना मांगी गयी, मांगी गयी तो कब क्योंकि शासन की यह नीति है कि अन्य विभागों में जो स्थान रिक्त होंगे वहां इनको प्राथमिकता दी जायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

ऐसी कोई सूचना नहीं मांगी गयी, यह तो सरकार की साधारण नीति ही है । जहां जहां आवश्यकता होगी इन कर्मचारियों को रखते जायेंगे । कोई भी विभाग ऐसी सूचना तुरन्त दे पायेगा मैं ऐसा नहीं समझती । भविष्य में इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक जिला देवरिया ---

छोटे-छोटे कर्मचारियों को निकालने के बजाय इन बड़े-बड़े आफिसरों को जिन पर सरकार का इतना रुपया खर्च होता है क्यों नहीं निकाला जा रहा है, जो बड़े-बड़े धड़ियाल हैं इनको निकालना चाहिये । मान्यवर, यह छटनी तो कृषि विभाग में भी होने वाली है ।

श्री अध्यक्ष---

आप सवाल कर रहे हैं और आप ही उत्तर दे रहे हैं ।

बाढ़ की स्थिति पर तुरन्त चर्चा की मांग

श्री अध्यक्ष--

आज नियम ५६ के अन्तर्गत २ सूचनायें प्राप्त हुई हैं ....

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मुझे कृपया सुन लें। कल जब मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था तो मुझे कुछ ऐसी कल्पना हुई कि मेरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हो जायगा क्योंकि कितनी भयानक स्थिति है, यह बयान नहीं की जा सकती। रात को माननीय तिवारी जी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि इसे पहले ही ले लिया जाय। उसके बाद में विश्वविद्यालय ऐक्ट ले लिया जाय तो अच्छा रहेगा। मान्यवर, आज हम चले जायेंगे, यह कह कर इसे टाला नहीं जा सकता, यह प्रश्न बड़े महत्व का है। हम चाहते हैं कि जो परिस्थितियां आज विद्यमान हैं उसे माननीय मुख्य मंत्री जी भी सुन लें। इसमें काले हाथ रंगे हुये हैं मंत्री, चीफ इंजीनियर इन्जीनियर और जिलाधीश तक के। जो बांध हमारे यहां के कटे हैं, मुझे आश्वासन दिय, गया था, सब ठीक होगा। आज बाढ़ से करीब ४ करोड़ रुपये का नुकसान है, एक डेढ़ लाख लोग उससे प्रभावित हैं और कई हजार एकड़ जमीन बर्बाद हो गयी है, ५ जानें चली गयीं और न मालूम कितने जानवर चले गये। फिर भी आपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव को एलाऊ नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि किस वजह से आपने ऐसा किया और कम से कम चर्चा के लिये भी इस विषय को क्यों नहीं रखा। आपकी जो आज्ञा है वह तो मुझे शिरोधार्य है लेकिन आपको इसे चर्चा के लिये रखना चाहिये था ताकि हम मुख्य मंत्री को सुनाते और सम्बन्धित मंत्री जी वहां की स्थिति को देखने के लिये गये थे, उनसे भी मैं पूछता कि आप बतलाइये कि वहां क्या देख कर आये हैं और जो मैं वहां की स्थिति के बारे में कह रहा हुं वह सही है या नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री के सामने भी मैं उस चीज को रखना चाहता था लेकिन मुझे खेद है कि सम्बन्धित मंत्री यहां अभी तक नहीं आ सके हैं।..

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, खाद्य मंत्री जी का प्रश्न था, तो मैंने कहा था कि मुझे उनसे कुछ सवाल करने हैं। खाद्य मंत्री ने उसको सुन भी लिया था लेकिन वे यहां से चली गयीं, तो आप उनको दरवाजे से रुकवाइये। माननीय त्रिपाठी जी व रामसेवक जी की बात भी सुनना आवश्यक है। लेकिन मैं खाद्य मंत्री से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं यदि उनकी तरफ से माननीय बहुगुणा जी जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार हैं तब तो ठीक है।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मुझे भी इस बात का दुख है कि चौधरी साहब के रास्ते में माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी और रामसेवक जी हायल होते हैं, यह बड़ी बेजा बात है।

माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं हायल नहीं होता हूं बल्कि सहायक होता हूं। वहां हजारों घर बर्बाद हो गये, न मालूम कितने जानवर मर गये। वहां न अनाज है, न चारा है, लाखों लोग वहां रो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जो वहां की स्थिति को अपनी आंखों से देखने गये थे, वहां क्या देख कर आये हैं, हमें बतलावें। मैं तो उस काम में सहायक हो रहा हूं लेकिन आपको कोई चिन्ता नहीं है। आप सोचते समझते तो कुछ नहीं हैं और यही समझते हैं कि सब मौज है। मुझे तो यह खेद है कि हमें इस पर चर्चा करने का भी कोई अवसर नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

मिला । मुझे माननीय तिवारी जी ने आश्वासन दिया था कि इस पर कल चर्चा होगी । इसके क्षोभ में मैं ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

*श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, मैं इसको बैबी नहीं मानता हूं बल्कि मैं इसे मानवीय समझता हूं । बाढ़ की विभीषिका को लेकर हर साल करोड़ों और अरबों रुपये खर्च होते हैं । यह बाढ़ की विभीषिका वर्षा के पानी की वजह से नहीं है बल्कि नहर की योजना जो बनायी गयी, उस समय समुचित योजना ठीक से नहीं बन सकी और उसी का यह परिणाम है । सारा सदन कल इतना उत्तेजित था और ठीक ही उत्तेजित था, इधर और उधर के लोगों में कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता था तथा सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष के लोग भी उस समय यह चाहते थे कि कार्य-स्थगन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय । तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लें तो ठीक है । जो लोग भी इस सम्बन्ध में अपनी बात कहना चाहें कह लें । अगर बाढ़ की विभीषिका पर बहस होगी तो सब लोगों को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा और मैं समझता हूं कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन में होंगे तो सबका सहयोग व सहायता होगी और कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बहस होगी । कल इस पूरे सदन के दिमाग पर और हम सब लोगों पर यह असर पड़ा था कि इस पर चर्चा होगी । और मेरे दिमाग पर भी असर पड़ा । माननीय बांकेलाल जी उत्तेजित थे । उनका उत्तेजित रहना सही है । बाढ़ की विभीषिका उनके यहां है । मैंने उनको रोका कि यह तो आयेगा पर ऐसा लगता है कि हम अनुरोध करके रह जायेंगे । शाम तक तो कार्यवाही ही चलेगी उसके बाद सदन उठेगा, तो इसके पहले ही इन सारे पहलुओं पर चर्चा हो ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

अध्यक्ष जी, कल मेरे दो सहयोगी, माननीय सिंचाई मंत्री और माननीय लघु उद्योग मंत्री बस्ती, गोरखपुर, देवरिया में जो बाढ़ की विभीषिका है उसका हवाई जहाज से दौरा करके शाम को लौट आये हैं । हम अपनी तरफ से एक बयान इस सदन के सामने आज शाम को प्रस्तुत कर देंगे, अगर आपकी इजाजत होगी तो इससे सारी स्थिति की विवेचना हो जायेगी । यह बात जरूर है कि फैसले पर मैं नहीं जाना चाहता हूं । उस समय यह बात साफ हो जायेगी कि हमारी कोई भूल है या बहाव के कारण बाढ़ आयी है । मान्यवर, जिस तरह से नदियों का पानी बढ़ा है, वह अप्रत्याशित बहाव के कारण यह विभीषिका आयी है । यह बात हम जानते हैं और सारा प्रदेश जानता है और माननीय सदन स्वयं निश्चित करें हमें कोई आपत्ति नहीं है । सायंकाल हम इस पर पूरा स्टेटमेंट दे देंगे जिसमें सारी स्थिति पर प्रकाश पड़ जायगा ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं । मैदानों में जो बाढ़ आयी है उसका तो मंत्री जी हवाई जहाज से दौरा कर आये हैं । पर मान्यवर, पहाड़ों के तमाम जिले इस दुनिया से कट आफ हो गये हैं । सारी सड़कें खत्म हो गयी हैं । संचार के साधन, टेलीफोन के तार बेकार हो गये हैं । मान्यवर, स्थिति यह है कि वहां गल्ला पड़ा हुआ है । काठगोदाम, कोटद्वार में गल्ला पड़ा हुआ है पर उसको भिजवाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शाम को जो बाढ़ पर बयान आयेगा कृपा करके जो पहाड़ों की स्थिति है जो बाहरी दुनियां से कट आफ हो गये हैं उनके बारे में भी कोई प्रबन्ध करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, पहाड़ों के संबंध में जब वह सदन फिर बैठेगा तो उस दिन तक सारी सूचना संकलित करके समुचित बयान दे दूंगा । जो बाढ़ पूर्वी जिलों में आयी है फिलहाल आज उसी के संबंध में बयान दे सकूंगा ।

श्री राम सेवक यादव---

मान्यवर, यहां बयान दिया जायगा और उस पर विचार हो जायगा यह तो ठीक है । पर निवेदन है कि शाम को जो हमारे सदस्य हैं वह जाने की तैयारी करेंगे तो उस समय तो बहस चलाई नहीं जा सकती । उस समय दिक्कत होगी । तो ३ बजे से पहले ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

स्टेटमेंट बन रहा है । तीन बजे तक आप हाउस की कार्यवाही पूरी कर लें ।

श्री राम सेवक यादव---

मान्यवर, इतनी जल्दी हाउस की कार्यवाही समाप्त नहीं हो पायेगी । मुझे संदेह है कि इस पर विचार नहीं हो पायेगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

हमारे दो ही बिल हैं, आप इनको पास करा दीजिये ।

श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि गोरखपुर में बड़ी खराब स्थिति है, वहां न तो नाव की व्यवस्था है और न....

श्री अध्यक्ष---

वह तो है ही ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मान्यवर, इसमें गोंडा भी जोड़ दीजिये । बस्ती, देवरिया, गोरखपुर में तो बाढ़ आयी ही है पर गोंडा में भी बाढ़ आ गयी है ।

श्री अध्यक्ष---

आज वक्तव्य तो होगा ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

मान्यवर, हाटा, पडरौना दोनों तहसीलों में बाढ़ आयी हुयी है । वह जलमग्न हो गये हैं । लेकिन वहां पर अभी भी वसूली हो रही है । तो मान्यवर इसको स्थगित कराने की व्यवस्था कर दें।

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, आपको याद है कि मार्च में मैंने कुछ सवाल किये थे । एक तो...

श्री अध्यक्ष---

एक मिनट, कार्य-स्थगन प्रस्ताव खत्म कर लें, उसके बाद अब ३ बजे बयान होगा ।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, ३ बजे नहीं, सदन की कार्यवाही होगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, ३०१ में मैंने सी०पी०एम०टी० के बारे में दिया था। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है।

श्री अध्यक्ष—

इसको देख लें तब हम मौका देंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि सी०पी०एम०टी० उत्तराखंड के लिये तथा ग्रामीण अंचल के लिये....

श्री अध्यक्ष—

श्री हरिकेवल तथा चौधरी रामपाल सिंह यादव की सूचना और श्री श्रीनारायण की बाढ़ से उत्पन्न संकट की सूचना पर आज वक्तव्य होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मेरा निवेदन था कि इसका कोई बिल लायें या केंद्रीय सरकार को सुझाव रखे जायं कि संविधान में संशोधन किया जाय। मान्यवर, सैकड़ों विद्यार्थियों का सवाल है। में चाहता था कि मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मैंने उसको कानून विभाग को जजमेंट देने के लिये दे रखा है। अभी कुछ कहना मुश्किल है।

बाजरा कांड के सम्बन्ध में सी०आई०डी० की रिपोर्ट के बारे में जानकारी की मांग

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि गत मार्च में शायद १८ या १९ मार्च के आस पास मैंने कुछ प्रश्न खाद्य मंत्री जी से किये थे कि बाजरा यहां से गुजरात जाने की इजाजत दी गई। गुजरात में एक समिति है जिसको बाजरा ले जाने की इजाजत दी गई। बाद में मालूम हुआ कि बाजरा वहां नहीं पहुंचा और दिल्ली में बेचा गया। उसमें जिन लोगों ने यह फरजी कार्यवाही की थी उन्होंने बड़ी रकम अर्जित की। अफसोस की बात है मालूम हुआ था कि मथुरा जिले के विधायक भी उसमें शामिल थे। उस वक्त यह बतलाया गया कि सरकार की तरफ से यह मामला सी०आई०डी० को सुपुर्द कर दिया गया है। इस मामले में एक सप्ताह में तहकीकात हो जानी चाहिये थी क्योंकि इसमें दूसरा स्टेट भी संबंधित है। लेकिन जून में मैंने यह सवाल पूछा था कि सी०आई०डी० की रिपोर्ट आ गई है कि नहीं तो डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी ने कहा था कि जून के आखिर तक रिपोर्ट आ जायेगी। जून का महीना बीत चुका है और ५ सप्ताह भी बीत चुके हैं। तो मैं आपके जरिये मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोई रिपोर्ट आई है कि नहीं अगर आ गई है तो जैसा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वायदा किया था कि सदन को सूचित करूंगी तो क्यों नहीं सूचित किया ? यदि मैं भूल भी जाऊं तो सरकार की तरफ से जो वायदा किया गया है उस पर अमल किया जाना चाहिये था परन्तु नहीं हुआ । तो यह विचारणीय और अफसोस की बात है । तो मंत्री जी रिपोर्ट आई है कि नहीं।

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मान्यवर, उस वक्त बताया गया था कि रिपोर्ट १५–२० दिन में आ जायेगी और इसलिये यह बात सदन में हमने कही थी । लेकिन अभी तक वह रिपोर्ट मेरे पास प्रस्तुत नहीं हुई है । किन्तु जैसा कि नेता विरोधी दल कह रहे हैं तो मैं उसकी पुनः जानकारी कर लूंगी कि वह रिपोर्ट कम्पलीट हुई कि नहीं । यदि कम्पलीट हो गई है तो, मैंने जैसा उस बार कहा था उसकी सूचना दूंगी।

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं । लेकिन यह कहा जा सकता है कि ट्रेजरी बेंचेज के विचार जानने के लिये उन पर जोर दे रहा हूं और जो जवाब मंत्री जी ने दिया है वह कहां तक मुनासिब ह । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि १५–२० दिन में जब रिपोर्ट आने के लिये कहा था तो क्या उसकी कुछ फाइलें देखा थी और देखकर कुछ हुकुम दिया था ? यदि हुकुम दिया था तो किस तारीख को हुकुम दिया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

तारीख तो बहस जिस दिन हुई थी....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मेरे अल्पसूचक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा था कि १५ दिन के अन्दर सी०आई०डी० को रिपोर्ट आ जायेगी । १५ दिन के बाद मैंने फिर पूछा लेकिन आजतक कोई उत्तर नहीं आया है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैंने जो वायदा सदन के सामने किया था उसके खिलाफ कुछ नहीं किया है। मेरे पास रिपोर्ट आजतक नहीं आई है । जैसा कि नेता विरोधी दल ने कहा कि इस सदन में यह विषय आया था तो उसके बाद ही मुझे एक्जेक्ट डेट मालूम नहीं है, लेकिन शायद तीन चार दिन के अन्दर मैंने मुख्य मंत्री जी से बातचीत की और उन्होंने आदेश कर दिये थे । इस तरह से यह मामला सतर्कता विभाग के सुपुर्द कर दिया गया था और कार्यवाही हो रही है ।

चौधरी चरण सिंह—

१५ दिन का वायदा किया गया तो सदन के उठ जाने के बाद किसी तरह की सख्ती की गई और हुकुम दिया गया कि जल्दी रिपोर्ट आ जानी चाहिये । अगर खाद्य मंत्री नहीं बतला सकती हैं तो पुलिस और सी०आई०डी० विभाग मुख्य मंत्री जी के पास है, वह बतला दें । जब सरकार की ओर से वायदा किया गया तो उसको पूरा कराने के लिये कोई गुस्सा सरकार के पास है या नहीं ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अध्यक्ष जी, कोई दिन निश्चित नही किया गया था। गृह सचिव से जानकारी की गई थी। उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट जल्दी आ जायेगी और उसी के आधार पर मैंने जवाब में १५ २० दिन में आ सकती है, कहा था । अब फिर नेता, विरोधी दल चाहते हैं तो रिपोर्ट जल्द से जल्द सदन के सामने रक्खी जायेगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

इसमें अधिक छानबीन करने की बात नहीं है। फर्म है या नहीं यह देखना है। इतने दिन जांच में लग गये यह सन्देह की बात है। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या खाद्य मंत्री जी इसकी प्रोलिमिनरी रिपोर्ट बनाने का प्रयास करायेंगी।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न उठाया है, उसमें चिन्ता होना स्वाभाविक है। हमारी कठिनाई यह है कि हम रिपोर्ट को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जांच का अर्थ है पूरी जांच।

चौधरी चरण सिंह—

आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं लेकिन मंगा तो सकते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मेरा निवेदन सुन लें। मैं वस्तुस्थिति पर प्रकाश डाल रहा हूं। अब अगर सी० आई० डी० से कह दिया जाय कि ६ दिन में रिपोर्ट दे दो तो ठीक नहीं होगा। इस मामले में उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली तीन-तीन प्रदेशों में जाने की बात है। जो पते दिये गये हैं वह भी सही नहीं हैं। जो आदमी गोलमाल करता है तो अपनी बचत भी करने की पूरी कोशिश करता है। मैं एक आश्वासन दे सकता हूं कि इस मामले में पूरी सख्ती के साथ बिना रहम जांच होगी और दोषी लोगों को दंडित किया जावगा।

चौधरी चरण सिंह—

मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रिपोर्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से मंगवा तो सकते हैं या नहीं? गुजरात कौन सा १०,००० मील दूर है। दिल्ली से वहां दो घंटे में आफिसर एअरोप्लेन से जा सकता है। दिल्ली दूर नहीं, मथुरा दूर नहीं। साढ़े चार महीने रिपोर्ट नहीं आई और फिर भी पैरवी कर रहे हैं। इसलिये, अब, मैं कहता हूं कि क्या वह फाइल माननीय अध्यक्ष को दिखाने की कृपा करेंगे, ताकि कम से कम उनको आश्वासन हो जाय, क्योंकि हम तो फाइल देख नहीं सकते, वैसे इंगलैंड में ऐसा होता है कि चीफ मिनिस्टर अपोजीशन के लीडर को बुलाकर कानफीडेंस में लेता है और इस मसले में कोई कान्फीडेन्शियल सवाल नहीं है। यह कौन सा जवाब हुआ कि साढ़े चार महीने हो गया और मुख्य मंत्री जी यकीन दिलाना चाहते हैं कि सजा जरूर मिलेगी? हम इस यकीन को क्या करें, क्या ओढ़ें? हम तो आपकी काबलियत पर जरूर हमला कर सकते हैं कि साढ़े चार महीने हो गये और रिपोर्ट नहीं आई। तो क्या मुख्य मंत्री जी उस फाइल को अध्यक्ष महोदय को दिखायेंगे?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, फाइल हम कौन सी दिखा दें? जो सेक्रेटेरियट की फाइल है कि जांच सी०आई०डी० करे, इसको जरूर दिखा देंगे। लेकिन अगर माननीय चौधरी साहब का मतलब सी०आई०डी० की फाइल को दिखाने से है, तो मैं उसको बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। मान्यवर, पुलिस की फाइल, सी०आई०डी० की फ़ाइल, मैं भी नहीं देखना चाहता। इसलिये नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ऐसा न हो जाय कि मेरी भौं टेढ़ी होने में सी०आई०डी० कुछ दूसरा मतलब निकालने लगे और मीठे का खट्टा हो जाय। वे जिस तरह से जांच कर रहे हैं, हम उसको अंतिम रूप में देखेंगे। इस संबंध में हमने जो आदेश दिये हैं, अगर चौधरी साहब चाहें, तो चाहे हमारी कसम टूट जाय, लेकिन हम उसे दिखा देंगे, लेकिन हमने उसकी संविधान में कसम ले रखी है और कसम तोड़ने को राय चौधरी साहब देंगे नहीं।

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, बात को टालने में बहुगुणा जी क्सपर्ट हैं। पुलिस की फाइल सी० आई० डी० फाईल उसकी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर दिखायें, मेरा यह सवाल हो ही नहीं सकता मैं तो सेक्रेटेरियेट की फाइल की बात करता हूं कि क्या उसको अध्यक्ष महोदय को दिखाने की कृपा करेंगे मार्च में वायदा किया। मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री ने आर्डर दिये और साढ़े चार महीने में उन पर अमल नही हुआ। तो उस सम्बन्ध में कोई रिमाइन्डर भेजा या नहीं? वायदा किया १५ दिन के अन्दर आजायेगा। जो जबाब न आयी अब दे रहे हैं, अगर साल भर तक रिपोर्ट न आयी तो फिर भी जवाब यही देंगे कि हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो गिल्टी पाया जायेगा उसको सजा जरूर मिलेगी। तो यह तो कोई जवाब हुआ नहीं कि सजा देंगे। साल भर रिपोर्ट न आई तो फिर कह देंगे कि हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि सजा मिलेगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, चौधरी साहब हमको जो उत्तर सिखा रहे हैं, उसे अगर न दें, तो वह गुस्सा हो जांय। इसलिये हम उत्तर नहीं देंगे। मैं तो केवल यही कहता हूं कि अगर समय के अन्दर रिपोर्ट नही देते, तो उनके बिरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, लेकिन जब हम देखते हैं कि लोग लगे हैं, काम कर रहे हैं, गवर्नमेन्ट को इस बात की सूचना है, तब कोई वजह नहीं कि हम संदेह करें कि वे लोग अपना काम नही कर रहे।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, १९७४ को विचारार्थ लेने के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्तियां

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मेरी वैधानिक बात है कार्य–सूची ७ के बारे में।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जिसको अभी रखना है। इसकी धारा ३ की उप धारा में लिखा है कि "सदैव से बढ़ाई गई समझी जांय"।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बालिया)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न इस सम्बन्ध में उठ ही नहीं सकता अभी, क्योंकि वह अभी तक प्रस्तुत ही नही हुआ।

श्री सत्यपाल मलिक—

वह प्रस्तुत हो ही नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष—

खंडों पर जब विचार होने लगे, तो करियेगा।

श्री सत्यपाल मलिक—

मान्यवर, इसके प्रस्तुत करने में ही वैधानिक आपत्ति करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

बिल के पुरः स्थापन पर कोई आपित्ति हो तो करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

पुरः स्थापित किया जा चुका है। इसलिये आपत्ति उठाई जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—

खंडों पर आपत्ति हो रही है ?

श्री सत्यपाल मलिक—

इसके रखने पर आपत्ति है ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

यह तो रखा जा चुका है ।

श्री अध्यक्ष—

असंवैधानिक हो अथवा गैर कानूनी हो तो हटाया भी जा सकता है ।

श्री सत्यपाल मलिक—

इसके पहले का जो ऐक्ट था उसके अन्तर्गत लगभग ३० नियुक्तियां लखनऊ विश्वविद्यालय में की गयी थीं, उस ऐक्ट के खिलाफ मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। अगर यह पास हो जाता है तो यह जो लिखा है "सदैव से लागू समझा जायगा" इसके अन्तर्गत उन मुकदमों पर असर पड़ेगा । यह फिर अदालत में जायगा और सदन का समय बरबाद होगा । जब तक पुराने मुकदमें तय न हो जांय तब तक इसे नहीं रखा जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

यह आप कल्पना कर रहे हैं । न्यायालयों द्वारा जो कठिनाइयां प्रस्तुत होती हैं उनको दूर करने के लिये विधेयक में प्रावधान किया जाता है । यह प्रायः होता रहता है ।

श्री सत्यपाल मलिक—

गलत नियुक्तियां हुई है उनको कवर करने के लिये इसे लाया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा बहुत दफा होता है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

जो मुकदमें चल रहे है उनको पहले तय होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

बिधेयक जो आप लायेंगे उससे उनके निर्णय पर कोई असर हो जाय तो दूसरी बात है वैसे ताकत आपकी है विधेयक में अधिकार को विस्तरण करने का । उससे हो सकता है कि वह किसी के पक्ष में हो अथवा विपक्ष में हो । लेकिन हर सरकार ऐसा करती है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

यह जो विधेयक पेश किया गया है उस सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति यह है, आप देखेंगे कि इसमें लिखा है:—

"उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ का निरसन करने और कतिपय परिष्कारों के साथ उसे पुनः अधिनियमित करने और उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये । "आप कहते है पहला जो मूल अधिनियम है उसको निरस्त करने के लिये । जब तक मूल अधिनियम निरस्त नहीं हो जाता है तब तक उसमें कोई इनेक्टमेंट नहीं हो सकता ।

श्री अध्यक्ष--

पहले अगर उसको निरसन कर देंगे तो फिर किस तरह संशोधन होगा ?

श्री त्रिवेणी सहाय---

मान्यवर, जो मूल अधिनियम था उसको इसी से निरसन कर रहे है, इसी से पुनः अधिनियमन कर रहे है और इसी से संशोधन कर रहे हैं । इसी पर मेरी घोर आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष---

तो क्या ढंग होना चाहिये था ?

श्री त्रिवेणी सहाय---

इसका इनेक्टमेंट होना चाहिये था । पहले अधिनियमन करना चाहिये और तब उसमें संशोधन करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपसे सहमत नहीं हूं ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

मान्यवर, संशोधन विधेयक उस समय आवेगा जब उसका इनेक्टमेंट हो जायेगा । वह तभी आ सकता है । जब तक इनेक्टमेंट न हुआ हो, तब तक संशोधम कैसे ला सकते है...

श्री अध्यक्ष---

1973 का जो अधिनियम है वह तो है ही । पुनः अधिनियमन और संशोधन विधेयक जब न हो तो संशोधन किसमें किया जाय ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

मूल अधिनियम का इनेक्टमेंट करना चाहते हैं तो यह होना चाहिये कि उसमें आवश्यक सुधार करके, इनेक्टमेंट करके संशोधन करें ।

श्री अध्यक्ष---

आपके इस व्यवस्था के प्रश्न से मैं सहमत नहीं हूं ।

(शासन पक्ष की ओर से एक सदस्य के खड़े होने पर) ।

आप क्यों खड़े हो रहे हैं । उनकी बात में कोई दम नहीं है...

श्री त्रिवेणी सहाय---

जब मूल अधिनियम निरस्त होगा तब फिर से नया ऐक्ट लाया जावेगा । वह तो खत्म हो गया । तो फिर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में फिर से अधिनियम लाना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष---

यह आपत्ति मैं ठीक नहीं समझता हूं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

इस प्रकार से संशोधन के रूप में क्या न्यायपालिकाओं की स्वतंत्र सत्ता पर आघात तो नहीं पहुंचता ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई आघात नहीं पंहुचता है । इस पर अगर आप सवाल उठावेंगे तो मैं कहूंगा कि विधान मंडल सक्षम है । यह प्रभु सत्ता सम्पन्न है । जब आप इस विषय को नहीं जानते तो उस पर क्यों बोल रहे हैं ।

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)—

मेरा ऐतराज यह है कि जब त्रिवेणी सहाय जी ने कहा तो उस पर आपने कहा कि ऐसा नहीं है । संशोधन मूल अधिनियम, १९७३ में देना क्या औचित्य नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

हम औचित्य को नहीं देख रहे हैं । हम दख रहे हैं कि विधिक है,नियम और कानून के हिसाब से है, संवैधानिक है या नहीं ।

श्री शिव प्रसाद गुप्ता—

मेरा मतलब यह है कि मैंने १९७३ के ऐक्ट की धारा में कुछ संशोधन दिये थे, वे स्वीकार नहीं हुये और मेरी जानकारी में यह आया कि वह इसलिये स्वीकार नहीं हो सकते कि आपने १९७२ के ऐक्ट में संशोधन दे दिये हैं । मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि जब १९७३ का ऐक्ट निरसन हो गया है, और इसमें लिखा हुआ है, "उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है और धारा 3 से 18 में दिये गये परिष्कारों के साथ पुनः अधिनियमित किया जाता है ।" तो जो संशोधन मूल अधिनियम में दिये गये हैं, वे बिल्कुल उचित हैं । मुनासिब हैं, उनको स्वीकार किया जाना चाहिये . . .

श्री अध्यक्ष—

आपका मतलब यह है कि जो संशोधन इसके माध्यम से नहीं बल्कि सीधे उसमें संशोधन स्वीकार होने चाहिये ।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

जी हां, जब धारायें निरस्त हो गई. . . .

श्री अध्यक्ष—

उस मूल अधिनियम में तो. . . . .

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

आप मुझे कहने दीजिये । पहले मेरी बात आप आधा मिनट सुन लीजिये । जो यह ऐक्ट बनाया गया, यह १९७३ और यह मिलाकर ही पढ़ा जायगा । जब मिलाकर पढ़ा जायगा तो मिलाकर संशोधन क्यों नहीं दे सकते । उसमें कौन सी आपत्ति है ? इसके बाद बनाया जो संशोधन पेश है, उससे कोई ऐक्ट नहीं बनेगा, केवल इसमें संशोधनों की चर्चा है । यह ऐक्ट जब बनेगा, जब १९७३ का ऐक्ट इन संशोधनों के साथ पढ़ा जायगा । इसलिये इस मूल अधिनियम की धारा में संशोधन देना बिल्कुल दुरुस्त और न्यायोचित है ।

श्री अध्यक्ष—

जो संशोधन दिया गया, उसे मार्फत या माध्यम से करना है या सीधे करेंगे, जो आपका कथन है. . . . .

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

मैं आपको उदाहरण देकर अपनी बात बताता हूं . . .

श्री अध्यक्ष—

जैसा नियमावली में है, मैं कहता हूं—यह संशोधन प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बनें। अगर वह मूल अधिनियम में होंगे तो कैसे बनेंगे। यह तो आप हमको आश्वस्त कर दें। इसके माध्यम से जो नहीं होगा तो जब हम वोट लेंगे पारित करते समय तो हम यह कहते हैं—यह कहा जाता है नियमावली के अनुसार...

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय—

ऐसा नहीं है, और आपने मेरी बात पर भी पूरा ध्यान नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। यह मामला वैधानिक है, आप हमको सन्तुष्ट कर दें। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा जब हम इसका वोट लेने के लिये तीसरे वाचन में इसको विधेयक का अंग बना कहते हैं, तो जो आपके संशोधन मूल में होगा, वह इस विधेयक का अंग कैसे बनेगा, जब तक इस विधेयक के माध्यम से वह न हो।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

जो त्रिवेणी सहाय जी ने आपत्ति उठाई थी, वह गौर करने लायक थी। संशोधन कुछ हुआ नहीं, इसमें पूरा ऐक्ट आना चाहिये था, उसमें संशोधन होता।

श्री अध्यक्ष—

इसमें आप सही हो सकते हैं। फिर भी यह ठीक है, गलत नहीं है। (श्री त्रिवेणी सहाय से) आपकी बात का जवाब दे दिया, अब आप बैठिये। उनकी बात समझ नहीं पाया, उन्हें संतुष्ट करना चाहता हूं, उनकी बात में दम है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

दम तो श्रीमन्, मेरी बात में भी है। इसमें लिखा हुआ है—

श्री अध्यक्ष—

जब निरसन उसका हो जायगा तो संशोधन किसमें होगा, इसलिये आपकी आपत्ति को मैंने निर्मूल कर दिया है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

जो ऐक्ट १९७३ का है, जो मूल अधिनियम है, उसको निरस्त कर रहे हैं तो उसमें संशोधन कैसे आ जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

मैं उस पर व्यवस्था दे चुका हूं। यह आप ज्यादती करते हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

एक ही बिल से निरसन, पुनः अधिनियमन और संशोधन यह बिलकुल विधान के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष—

जरा पढ़िये संविधान।

श्री त्रिवेणी सहाय—

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का निरसन करने और कतिपय परिष्कारों के साथ उसे पुनः अधिनियमित करने...

श्री अध्यक्ष—

बिल नहीं, संविधान की किस धारा, नियम की किस धारा के अनुसार जैसा आप कह रहे हैं उसको हम वैसा समझें ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मेरा इसमें यह कहना है ।

श्री अध्यक्ष—

हो गया । खत्म हो गया । माननीय शिव प्रसाद जी का कहना उनकी दृष्टि से ठीक हो सकता है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मैंने जो आपत्ति उठायी है, वह उसी में आ गया है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, धारा नहीं, उनकी विचारधारा है ।

श्री अध्यक्ष—

कभी-कभी माननीय पुरुषोत्तम बहुत पुरुषोत्तमोचित बात कहते हैं, मर्यादोचित ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

इस प्रश्न को लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं । जबरदस्ती आप सहमत करायेंगे ठोकपीट करके ?

श्री त्रिवेणी सहाय—

यह बहुत ही गड़बड़ है और घोर अवैधानिक रूप से लाया जा रहा है । मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

गड़बड़ है तो समाप्त कर दीजिये ।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) विधेयक, १९७४

*माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, १९७४ पर विचार किया जाय । मान्यवर, मुझे निवेदन करना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ जो राज्य का अधिनियम, नम्बर, १० है, ८ नवम्बर, १९७४ से पहले अधिनियमित हो जाना है । ऐसा यदि न कर सके तो

---

†२६ जुलाई, १९७४ की कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्यपगत हो जायगा और कठिनाई पड़ेगी क्योंकि राष्ट्रपति शासन को उस समय एक साल बीत जायगा । इसलिए यह आवश्यक है । इस पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, एक प्राविधान है । राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि प्रत्येक मंडल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय । उसके फलस्वरूप इसमें प्राविधान किया गया है कि फैजाबाद, बरेली, झाँसी मंडलों में एक-एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय। राष्ट्रपति अधिनियम में विश्वविद्यालयों में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति प्रोफेसरों में से और प्रोफेसर न होने पर रीडरों और लेक्चरर्स में से चक्रानुक्रम के अनुसार बाई-रोटेशन करने का प्राविधान था । लेकिन वह परिचलन में नहीं आया । जो प्रक्रिया पहले थी वही चली है ।

(इस समय १ बज कर ३५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय, पीठासीन हुये ।)

तो इसका प्राविधान किया गया है कि इसको निकाला जा रहा है और जो प्रथम परिनियम बनेंगे उनमें जो बातें आयेंगी उसके अनुसार इसकी व्यवस्था होगी तीसरी बात यह है ....

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)--

पहले इसे क्लेरिफाई तो कर दीजिये कि क्यों निकाला जा रहा है ? इसको समझाइये ।

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, सरकार ने यह निर्णय किया है कि "प्रत्येक डिवीजन में कम से कम एक विश्वविद्यालय हो । तदनुसार यह प्रस्ताव है कि रुहेलखंड, फैजाबाद तथा बुन्देलखंड डिवीजनों में से प्रत्येक डिवीजन में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय" । यह तो एक हुआ दूसरा यह है कि "राष्ट्रपति का अधिनियम होने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की अवधि सीमित है, और उसे राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित करना है । अतएव, यह प्रस्थापना है कि उक्त अधिनियम को निरसित तथा आवश्यक परिष्कारों के साथ पुनः अधिनियमित किया जाय ।" तीसरी बात यह है कि "फैजाबाद तथा कानपुर दोनों ही स्थानों पर एक-एक और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के निमित्त व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ को भी संशोधित करने की प्रस्थापना है ।" चौथे यह है कि "इस अवसर का लाभ उक्त अधिनियमों में कतिपय छोटे-मोटे संशोधन करने के लिये भी उठाया जा रहा है" । और इसीलिये तदनुसार उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, १९७४ पुरःस्थापित किया जा रहा है जिस पर आज विचार होना है ।

तो मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो इसमें तीसरा प्राविधान किया गया है वह यह है कि विश्वविद्यालय की कोर्ट में कुलाधिपति द्वारा १० व्यक्तियों के नामांकन का प्राविधान था । इसकी जरूरत न समझ करके इसको निकाला जा रहा है । एक चौथा जो इसमें है वह कानपुर और फैजाबाद में एक-एक कृषि विश्वविद्यालय और स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ।

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री बैठ नहीं रहे हैं, इसलिये आप कृपया बैठ जावें ।

श्री शिव प्रसाद गुप्त---

(शिक्षा मंत्री के बैठ जाने पर) मैं यह क्लेरिफिकेशन चाहता हूं कि आपने फरमाया कि १० नामजदगियों का प्राविधान था और उसे कम कर दिया गया है। तो क्या कोर्ट की कुल संख्या कम नहीं होगी ?

श्री रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, वह तो कम होगी ही।

श्री शिव प्रसाद गुप्त---

कोर्ट में तो पहले ही संख्या १ तिहाई कर दी गयी है

श्री रामजी लाल सहायक---

अगर नामजदगी हम खत्म कर रहे हैं तब भी आपको एतराज है।

श्री शिव प्रसाद गुप्त---

मैं कहां कह रहा हू कि नामजदगी खत्म न हो, मैं तो यह कह रहा हूं कि पहले ही से संख्या तिहाई हो गयी है कोर्ट के कुल सदस्यों की तो क्या इससे और भी संख्या कम नहीं हो जावेगी।

श्री रामजी लाल सहायक---

तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह एक अतिआवश्यक विधेयक है और मेरा निवेदन है कि सदन इस पर जल्द विचार करें।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक रख रहे हैं और कुल ढाई सदस्य सदन में बैठे हैं, मान्यवर, कोरम कहां है ?

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मोतीलाल जी, आप तो पुराने सदस्य हैं। एक बजे से दो बजे तक आमतौर से कोरम की बात नहीं होती है।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, १९७४ को जनमत जानने के लिये एक माह तक परिचालित किया जाय।

मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है उस सम्बन्ध में यह सत्य है कि एक ऐसे विधेयक की अत्यन्त आवश्यकता थी जो वाकई में विश्वविद्यालयों में परिवर्तन ला सके। लेकिन संशोधन विधेयक की जो रूपरेखा है उससे इस विधेयक को लाना या न लाना दोनों बराबर है। इस संशोधन विधेयक में कोई भी ऐसी बात नहीं कही गयी है और कोई भी ऐसे मौलिक संशोधन नहीं किये गयेहैं जिनसे आज जो विश्वविद्यालयों की बिगड़ती हुई स्थिति है, जो विश्वविद्यालयों का बिगड़ा हुआ रूप है, उसके शासकीय प्रशासकीय और शैक्षिक स्तर पर जो स्थिति है जिसके प्रति जनता बड़ी उग्रदृष्टि से देख रही है और इसमें परिवर्तन की चारों तरफ से मांग है। इस स्थिति में परिवर्तन तथा विश्वविद्यालय के ढांचे में परिवर्तन की जरा सी भी बात इसमें नहीं कही गई है। जब कि आवश्यकता इसी बात की है कि आज यूनिवर्सिटियों का क्या रूप हो, विश्वविद्यालयों का क्या उद्देश्य हो। इस पर बड़ी गहराई से सोच विचार करके विधेयक लाने की जरूरत थी। लेकिन शासक दल ने क्या किया ?

मंत्री जी ने क्या किया ? कहीं सदस्यों की संख्या घटा दी, कहीं पीरियड कम कर लिया और कहीं छोटे-मोटे परिवर्तन कर दिये। इस मामूली संशोधन से वैसा भूला नहीं होगा जो मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इस अवसर का लाभ उक्त अधिनियमों में कतिपय छोटे-मोटे संशोधन करने के लिये भी उठाया जा रहा है। जो स्थिति आज विश्वविद्यालयों की बन गई है उससे और विश्वविद्यालयों की लक्ष्य की पूर्ति इन छोटे-मोटे संशोधनों से नहीं की जा रह सकती है। इससे कुछ नहीं हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको लाने का कोई मतलब नहीं है। सरकार ने बड़ी भूल की है जो छोटे-मोटे संशोधन करके राज्यपाल के अधिनियम को सदन का अधिनियम बनाने का प्रयत्न किया है।

मैं अपनी बात उद्देश्य से शुरू करता हूं। इस अधिनियम के लाने के लिये जो उद्देश्य और कारण बताये गये हैं उनमें कहा गया है कि सरकार यह निर्णय लिया कि प्रत्येक डिवीजन में कम से कम एक विश्वविद्यालय हो। मैं नहीं जानता कि प्रदेश के कितने लोग सहमत होंगे। लेकिन अगर गम्भीरता से देखा जाय तो यह एक महत्व रखता है कि जनता को किसी विश्वविद्यालय का लालच होगा कि हमारे डिवीजन में एक विश्वविद्यालय हो। इसका मूल उद्देश्य शिक्षा का प्रसार, विकास और शोध कार्यों का विकास होना चाहिये। एक विश्वविद्यालय के यही तीन मूल उद्देश्य है जिसके लिये विश्वविद्यालय स्थापित किये जाते हैं।

आज मेरा कहना यह है कि सरकार विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है या शिक्षा का विकास करना चाहती है। तो किस मत को प्राथमिकता देना चाहती है। अगर उसका मूल उद्देश्य शिक्षा का विकास तेजी से करना है, कम पैसों से करना है और ग्रामीण अंचल में करना है जिससे लोग अधिक से अधिक मात्रा में शिक्षित हों तो सोचना पड़ेगा कि क्या इसके लिये विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है या महाविद्यालय ज्यादा संख्या में खोल कर इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। आज आर्थिक संकट की घड़ी में तथा आज की आवश्यकताओं को देखते हुये, ग्रामीण अंचलों को शिक्षित बनाने की स्थिति में विश्वविद्यालय उपयोगी होगें या डिग्री कालेजेज अधिक उपयोगी होंगे ? मेरा मत है कि डिग्री कालेजेज अधिक उपयोगी होंगे। इसलिये डिग्री कालेज अधिक से अधिक संख्या में खुलने चाहिये। सरकार अधिक से अधिक संख्या में इनको खोलने के लिये निर्णय ले।

मैं अपनी बात बाद में विस्तार में कहूंगा। इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि आज विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना और उनकी उपयोग्यता को देखते हुये हमने यह सुझाव दिया है क्योंकि विश्वविद्यालय खोलने के लिये बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता पड़ती है हर साल करोड़ों रुपये उस पर खर्च करने पड़ते हैं।

दूसरी चीज विश्वविद्यालयों में शिक्षा सीमित लोगों को दी जाती है। वहां पर छात्रों को भर्ती अधिक संख्या में नहीं की जा सकती। सीमित संख्या में छात्रों की भर्ती की जाती है। वहां पर सीमित संख्या में शिक्षा दी जाती है। विश्वविद्यालय की अपेक्षा डिग्री कालेजों में अधिक लोगों को शिक्षा दी जाती है। मान्यवर, अभी हाल में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अध्यापकों का समान वेतन सरकार ने मान लिया है और उनको समान वेतन सरकार देने जा रही है। मान्यवर, दोनों की सारी चीजें समान हैं, दोनों के उद्देश्य समान हैं परन्तु विश्वविद्यालय में कम छात्रों को शिक्षा दी जाती है।

तीसरी चीज यह है कि विश्वविद्यालय के द्वारा शिक्षा संस्थाओं का विस्तार ग्रामीण अन्चल में नहीं किया जा सकता, क्योंकि विश्वविद्यालय आज तक जो उदाहरण हैं हमेशा खोल गय हैं शहरों में और आगे सरकार का जो इरादा है शहरों में खोलने के लिये है। तो उच्च शिक्षा संस्थाओं को केवल शहरों में केन्द्रित कर दिया गया है। देहात से आकर जो गरीब परिवार का है शहर में रहे और वहां पर शिक्षा प्राप्त करे, इससे ग्रामीण अंचल का जो विद्यार्थी है वह आयेगा, वह एक तो अपने घर के ऊपर आर्थिक बोझ डालेगा। दूसरे

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

अगर हम विश्वविद्यालय देहातों में स्थापित करते हैं तो यह विश्वविद्यालय सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ डालेंगे। आज विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल एम० ए०, बी० ए० की डिग्री बांटना हो गया है। आज शिक्षण संस्थायें पहले से अधिक सरकार के ऊपर बोझ बनकर उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही हैं जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिये सरकार और जनता पैसा खर्च कर रही है।

आज विश्वविद्यालयों में जो छात्र आन्दोलन होते हैं उसका एक कारण है कि हर यूनिवर्सिटी में कुछ पेशेवर छात्र नेता घुसे हुए हैं। हर राजनीतिक दल वहां पर अपने राजनीति का अड्डा बनाये हुये है। हर आदमी वहां पर अपना अड्डा बनाये हुये है। वहां पर नवयुवकों का एक एकत्रित समुदाय मिलता है। आज सरकार को गम्भीरता से सोचना है कि विश्वविद्यालय कितना उपयोगी है और कितना उपयोगी नहीं है? सरकार आज महाविद्यालय पर कितना पैसा खर्च करती है? आज सरकार महाविद्यालय पर कम पैसा खर्च करती है। महाविद्यालयों में शिक्षा अधिक दी जाती है और उन पर खर्च जो किया जाता है वह ४० प्रतिशत किया जाता है। विश्वविद्यालयों पर खर्च जो किया जाता है वह ६० प्रतिशत किया जाता है। महाविद्यालयों की उपयोगिता विश्वविद्यालय की अपेक्षा अधिक है, पढ़ाई वहां पर अधिक होती है।

दूसरी चीज यह कि महाविद्यालय खोलने के लिये बहुत बड़े स्टाफ और बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है और जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह कि उसका प्रशासन छोटे दायरे में होता है, इसलिये सही ढंग से होता है। हर अध्यापक का संबंध छात्र से और प्रिंसिपल से होता है। हर अध्यापक अपने कालेज की डे-टु-डे ऐक्टिविटीज में भाग ले सकता है, आलोचना करता है, सुधार की ओर इंगित करता है। लेकिन विश्वविद्यालयों में इसके जस्ट उल्टा है। वहां प्रबन्ध करने वाला और, शिक्षा देने वाला और शिक्षा प्राप्त करने वाला कोई और तीनों के कार्य में कोई संबंध नहीं। इसलिये मेरा यह मत है कि सरकार को विचार करना पड़ेगा कि वह हर डिवीजन में विश्वविद्यालय खोले या हर जिले में कम से कम दो महाविद्यालय खोले। समाज को अधिक शिक्षा देने के लिये कम से कम पैसे में अधिक से अधिक शान्तिपूर्ण वातावरण में कौन-सी व्यवस्था उपयोगी होगी? मेरा विचार है कि महाविद्यालय की स्थापना सबसे उत्तम व्यवस्था होगी। चाहे टेक्निकल एजूकेशन के लिये या कामर्स के लिये वह खोले जायं वह अगल-अलग बनाइये। अगर टेक्नालाजी का बनाते हैं तो अलग बनाइये। अगर मेडिकल का बनाते हैं तो अलग बनाइये। क्या जरूरत है कि सभी को एक जगह केन्द्रित करके एक ही जगह पैसा खर्च किया जाय और अशान्ति का वातावरण पैदा किया जाय। आज यूनिवर्सिटीज महाविद्यालयों की अपेक्षा बहुत अशान्त हैं। जो एफिलियेटेड यूनिवर्सिटियां है वह अधिक शान्तिपर्ण ढंग से कम समय में या निश्चित समय में अपनी परीक्षाएं करा ले रही है बजाय उनके कि जो रेजीडेंशयल यूनिवर्सिटीज हैं। यह बात मैं तात्कालिक परिस्थिति पर निर्धारित रह कर नहीं कहता, बल्कि आर्थिक दृष्टि से खर्चे और उसके आउट-पुट पर-एक बात है।

दूसरी बात यह है कि आज ग्रामीण अंचलों में उच्च शिक्षा संस्थाओं का विकास पिछले २७ साल से रुका हुआ है। विश्वविद्यालय की तरफ अगर हमने अपने को केन्द्रित किया तो उच्च शिक्षा की संस्थायें नहीं खुलेगी (लाल बत्ती होने पर) आपने मुझे पहले नहीं बताया था कि.....

श्री अधिष्ठाता—

मैं सभी माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज ३ बिल्स पास होने हैं जिसमें यह ना है। इसका डेढ़-दो घंटे का समय है और ३ संशोधन भी अभी प्रस्तुत किये जान हैं। तो मैं आग्रह करूंगा.....

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

अधिष्ठाता जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब यह कोई बजट तो है नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई शासक दल की बात नहीं है। बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी ने एक प्रोग्राम बनाया और सदन ने पास किया।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

जरा सी बात सुन लें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि शासक दल ने कुछ किया या विरोधी दल ने। मैं तो सदन के सदस्य की हैसियत से कह रहा हूं कि इस सदन का काम कानून बनाना, लेजिस्लेट करना है। बजट को सरकार जो उतावली थी कि वह पास होना चाहिये, वह हो गया। कानून आज नहीं बना तो कल बन जायगा, लेकिन जो ऐसा व्यापक बिल है....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गुप्ता जी, आपका भी एक संशोधन है उसी में—जो तीन संशोधन हैं, खंडों पर संशोधन अलग हैं। तो मैं आग्रह कर रहा था कि माननीय सदस्य अपनी वक्तृता को इतने कम समय में प्रस्तुत करें तो ज्यादा मुनासिब होगा और गुप्ता जी और अन्य सदस्यों को भी अवसर मिल सकेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मुझे ध्यान है। मेरा भी संशोधन है, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। अधिक से अधिक मैं ७—८ मिनट और लूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मेरी दृष्टि में जहां-जहां शिक्षा के विकास की आवश्यकता सरकार समझती है वहां पर महाविद्यालय खोले जायं। आर्ट्स, टैक्नोलोजी या मैडिकल कोई भी विषय हो, उसके लिये महाविद्यालय ही खोले जायें। लेकिन यूनिटें अलग-अलग रखी जाय। हर डिवीजन में जिलों में कम से कम दो महाविद्यालय अवश्य खोले जायें। प्रश्न यह आयेगा कि फिर विश्वविद्यालयों का क्या उद्देश्य हो। उनका कार्य पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा देने परीक्षा लेने तथा मूल रूप में शोध के सेन्टर्स के रूप में ही होना चाहिये। विश्वविद्यालय में ही सारा काम एकत्रित कर देने से ही आज सब गड़बड़ी पैदा होती है जो आज देखने में आ रही है। अगर बी० ए० के छात्रों में अशान्ति है तो उसका प्रभाव सारे विभागों पर पड़ता है। शोध कार्य करने वाले विद्वानों तथा विद्यार्थियों पर विशेष कर पड़ता है जिसके कारण आज शोध कार्य हो नहीं पा रहा है।

महाविद्यालयों को महत्व प्रदान करने के लिये यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों की कार्यकारिणी में उन्हें सरकार का प्रतिनिधित्व मिलें। उपकुलपति के स्थान पर महाविद्यालयों के किसी सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल को नियुक्त किया जाना चाहिये। मेरे कहन का मतलब यह न समझा जाय कि जिन डिवीजनों में सरकार ने विश्वविद्यालय खोलन का निर्णय ले लिया है वहां पर विश्वविद्यालय न खोले जायें। मेरा मतलब यह कतई नहीं है, लेकिन आगे जब विश्वविद्यालय खोलने का विचार हो तो उनकी जगह महाविद्यालय खोलने के मेरे सुझाव पर अवश्य विचार किया जाय।

दूसरी कमी जिसके कारण विश्वविद्यालयों का वातावरण दूषित हो रहा है वह है नियुक्तियों का मामला। इससे महाविद्यालय भी प्रभावित है। आज जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

उसको गिराने में यह सबसे बड़ा फैक्टर यह रहा है । कुलपति की नियुक्ति ऐसे व्यक्ति की होनी चाहिये जो प्रशासनिक और शैक्षिक दोनों ही दृष्टियों से योग्य हो तथा शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखता हो । उसका उसे अनुभव हो । जो केवल प्रशासन का ही अनुभव रखते हैं, जैसे मुस्तफी साहब हैं, वे ठीक तरह से कार्य नहीं चला सकते । यदि राजनीति के क्षेत्र का कोई व्यक्ति नियुक्त होगा तो उससे भी विश्वविद्यालय में अशान्ति का वातावरण पैदा होगा क्योंकि उसके लिये यह समझा जायेगा कि वह एक दल विशेष का व्यक्ति है । जब कुलपति के प्रति यह भावना व्याप्त हो जाती है कि वह एक दल विशेष से संबंध रखता है तो विश्वविद्यालय का वातावरण दूषित होने लगता है । छात्रों में भी राजनीति फैलने लगती है और उसके कारण सारा प्रशासन चौपट हो जाता है । नियुक्ति के बारे में मैं यह कह रहा था कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों की नियुक्ति में बड़ी धांधली चलती है । लोग अपने आदमियों को रखने के लिये पदों को काफी दिनों तक खाली रखते हैं ताकि जब उनका कैंडिडेट उच्च शिक्षा प्राप्त करके आ जाय तो उसे रख लें। इससे विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की कोई महत्ता नहीं रह जाती । नियुक्तियों में इस तरह की गड़बड़ी को देर करने का एकमात्र उपाय यह है कि एक विश्वविद्यालय नियुक्ति आयोग हो जैसा कि बिहार में है और उसी के माध्यम से विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में सारी नियुक्तियां हों । लेकिन वह स्वायत्तशासी आयोग होना चाहिये । क्योंकि आज की नियुक्तियां राजनीति से प्रभावित होती हैं । आज की नियुक्तियों में योग्यता का कोई महत्व नहीं होता है । चाहे विश्वविद्यालय के पद हों या महाविद्यालय के पद हों एक-एक विषय के ही चार-चार रीडर्स और दो-दो प्रोफेसर होते हैं । पद और विषय में कोई मेल नहीं होता । इसलिये सारी नियुक्तियां आयोग द्वारा हों । क्योंकि अगर किसी का कोई कैन्डीडेट उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये कहीं बाहर गया हो या पी० एच० डी० कर रहा हो तो तब तक के लिये उस पद को खाली रखा जाता है जब तक कि वह आ न जाय, और फिर उसके आने पर उस पद को भर लिया जाता है आयोग द्वारा भरती होने से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हमारे देश के वैज्ञानिक जो विदेशों में हैं या जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश में ही पड़े हुए हैं वे इससे प्रभावित होकर यहां आयेंगे उनको उचित सेवा का अवसर मिलेगा।

अब मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो फाइनेंस आफिसर या आडिटर हैं उनकी एक रिपोर्ट है जिसमें विश्वविद्यालय के बहुत सारे काले कारनामों का भंडाफोड़ किया गया है लेकिन उस रिपोर्ट को प्रकाशित न होने देने के लिये पूरी कोशिश की जा रही है। सरकार को चाहिये कि वह इस पर ध्यान दे ।

दूसरी बात यह कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में मिलिटरी साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट क्लास चलाने की अनुमति दी गयी है, जब कि डिफेंस मिनिस्टरी ने सन् ५२ में और ६८ में भी कहा था कि मिलिटरी साइंस का संबंध डिफेंस से नहीं है और मिलिटरी साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट क्लास चलाने की कोई उपयोगिता नहीं है । इस डिग्री को सरकार द्वारा भी कोई मान्यता नहीं है जिससे उसके कैंडिडेट मिलिटरी या सेना में भी नहीं लिये जाते । इसलिये किसी यूनिवर्सिटी में मिलिटरी साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज चलाने की अनुमति न दी जाय । इसी तरह से गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो मिलिटरी साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज चलाने की अनुमति दी गयी है उसे वापस लिया जाय क्योंकि राजनैतिक दृष्टि से ही वहां उसके लिय अनुमति दी गयी और राजनैतिक दृष्टि से ही अनुमति ली गयी । इसके लिये यह भी कहा गया कि कोई एड न दी जाय तो भी पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज को चलाया जाय। इसके लिए स्टाफ में तीन व्यक्ति हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज को भी पढ़ाते हैं और लेक्चरर क्लासेज

की भी पढ़ाते हैं । इसका मतलब यह है कि वे थोड़ा स्टाफ रख कर और दूसरी जगह से पे देते हैं । जब इस डिग्री की कोई उपयोगिता नहीं है तो इस पर पैसा क्यों खर्च किया जाय और समय को बरबाद किया जाय । एक बात मैं और कह दूं कि कहीं यह न कहा जाय कि इसके लिये कोई ठोस सुझाव नहीं दिया गया । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मेरे सुझावों पर ध्यान दिया जायेगा ।

*श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं:—

"उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपनी रिपोर्ट तीन माह में दे दे ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्री देवकुमार जी को किस परम्परा के अन्तर्गत आपने बुलाया । इसमें वेद प्रकाश अग्रवाल का नाम सर्व प्रथम है ।

श्री अधिष्ठाता—

यह बात तय हो गयी है कि कौन साहब संशोधन प्रस्तुत करेंगे। अब इसके बाद तीसरा संशोधन श्री शिव प्रसाद जी गुप्त प्रस्तुत करने वाले हैं । आप कृपया बैठ जायं।

श्री देवकुमार यादव—

मान्यवर, यह संशोधन मैंने और माननीय सदस्यों ने बहुत सोच समझ कर रखा है । आज केवल मैंने यह संशोधन पास कराने के उद्देश्य से ही नहीं रखा है बल्कि शिक्षा नीति में सुझाव देने तथा मुल्क में और प्रदेश में जो शिक्षा की स्थिति है, शिक्षा के संबंध में जो कुछ मूलभूत बाते हैं उन पर विचार करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

आजादी के इतने सालों बाद, शिक्षा का जो लक्ष्य था और जो हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसी को लेने की बात थी, जो वेलफेयर स्टेट की अपेक्षा की गयी थी । जो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना थी, जो गांधी जी का स्वप्न था और आजादी के पहले जो परिकल्पना थी कि इस मुल्क के अन्दर शिक्षा का प्रचार होगा वह उद्देश्य आज पूरा नहीं हुआ है । बड़ी ही खेदपूर्ण स्थिति है कि आज हमारी यूनीवर्सिटीज आशा का केन्द्र नहीं है । उनसे अच्छे नौजवान निकलेंगे इसकी आशा नहीं है । बल्कि स्थिति यह है कि जिस वातावरण में, जिन परिस्थितियों में, जिस संघर्ष में और हलचल में हमारा शिक्षा जगत गुजर रहा है वह शोचनीय है, वह किसी से छिपा नहीं है ।

यूनीवर्सिटीज जिनको कि समाज में, देश और प्रदेश में एक महत्वपूर्ण जगह मिलनी चाहिये, आज वह खुद समस्याओं का केन्द्र बनी हुयी है। इन परिस्थितियों में जो यह विधेयक लाया जा रहा है मैं इसलिये इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए निवेदन कर रहा हूं । इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । यह विधेयक जो सरकार लायी है इससे बुनियादी तौर पर कोई सुधार नहीं होने वाला है । हमारी शिक्षा में हमारी परीक्षाओं की जो स्थिति है, मान्यवर, इसी की वजह से सारी यूनीवर्सिटीज आज विद्रोह का केन्द्र बनी हुयी हैं । दूर की बात क्या, लखनऊ विश्वविद्यालय को ही देख लिया जाय । विश्वविद्यालय में परीक्षा की स्थिति को लेकर, परीक्षा में विद्यार्थियों के रुख को लेकर आज वहां स्थिति ठीक नहीं है। आज सारी यूनीवर्सिटीज के अन्दर आपसी मसलों को लेकर, विद्यार्थियों, अध्यापकों और अधिकारियों में विद्वेष फैल चुका है । इसका असर केवल डिग्री कालेजों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री देव कुमार यादव]

के छात्रों पर ही नहीं बल्कि जो इंटर कालेज और जो हाई स्कूल के छात्र हैं उनके ऊपर भी पड़ा है ।

आज शिक्षा के अन्दर परीक्षा को लेकर बड़ा असंतोष है । मैंने इस विधेयक को पढ़ने की कोशिश की है । मैं आशा करता था कि विधेयक, जो महत्वपूर्ण है, शिक्षा के संबंध में सरकार ने कुछ बुनियादी चीजें रखी होंगी और इन बुनियादी चीजों को रखकर सरकार इस प्रदेश की शिक्षा को सुदृढ़ करेगी और जनता के सामने एक नया रास्ता देगी, परन्तु विधेयक को देखने से यह प्रतीत होता है कि सरकार ज्वलंत समस्याओं के संबंध में जागरूक नहीं है या वह इन समस्याओं का कोई स्थायी हल नहीं निकालना चाहती है ।

परीक्षा के बारे में निवेदन करूंगा कि यह बहुत गम्भीर सवाल है । इस विधेयक को इस रूप में पारित करना इस प्रदेश की शिक्षा के हित में और जनता के हित में नहीं होगा। इसीलिय मैंने कहा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय । जो मौजूदा स्थिति है, हमारे प्रदेश और देश के अन्दर उसको देखते हुए यह विचार करना आवश्यक है कि जो परीक्षा की वर्तमान प्रणाली है इसको कायम रखा जाय कोई ऐसा सुधार किया जाय जिससे हमारी शिक्षा के अन्दर, शिक्षा जगत के अन्दर जो समस्यायें हैं उनका निराकरण हो सके । इसमें कोई ऐसी नीति नहीं है। परीक्षा जो यूनिवर्सिटी लेगी उसका क्या रूप होगा, कैसे परीक्षायें पास करेंगे इसका कोई उल्लेख नहीं है।

मान्यवर, हमारे प्रदेश के अन्दर यह बड़ा खेद का विषय है कि आज शिक्षा के अन्दर सामन्तवादी और पूंजीपति अधिपत्य आ गया है । शिक्षा के मैनेजमेंट के अन्दर हम देखते हैं कि प्रबन्ध समितियों में बड़े-बड़े लोग भरे हुये हैं जो समितियों के जरिये धंधा करते हैं । आज बी०एड० तथा एम०एस-सी० के दाखिले में हजारों रुपये घूस लिये जाते हैं और तब दाखिले होते हैं । मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि बी० एड० तथा एम० एस०-सी० के दाखिले में पांच-छः हजार रुपये लिये जाते हैं । ऐसी परिस्थिति में मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी गरीब घराने का लड़का तथा मजदूर का बेटा हायर शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है । फ्री शिक्षा देने का यदि लक्ष्य बनाते तो वह अच्छा होता । लेकिन जो देश और प्रदेश की आर्थिक स्थित है उसमें यह संभव नहीं है। हम कानून के जरिये ऐसा प्रबन्ध कर सकते हैं कि जो प्रबन्ध समितियों के द्वारा डिग्री कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के अन्दर जो करप्ट प्रेक्टिस या अवांछनीय परिस्थिति लोग बनाये हुये हैं उसको इस विधेयक के द्वारा दूर कर सकते थे, लेकिन उसके लिये इस विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है।

मान्यवर, अभी हमारे सम्मानित साथी बहुत से सुझाव दे रहे थे । मैं उनके कुछ सुझावों से सहमत हूं लेकिन उन्होंने जिस तरह कहा कि शिक्षा का केन्द्रीयकरण तथा विश्वविद्यालयों को दूसरे क्षेत्रों में खोलना है । तो यह बात सही है । जिस तरह बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में तमाम मेडिकल कालेजों के जोड़ने की पद्धति है तो उसको खत्म किया जाना चाहिये । तमाम इस प्रदेश के अन्दर ऐसे क्षेत्र हैं जहां कोई संस्थायें नहीं हैं, टेक्नालोजी के क्षेत्र में तथा कृषि के क्षेत्र में कोई कालेज वहां नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर बुन्देलखंड का उल्लेख करना चाहता हूं । वहां झांसी में विश्वविद्यालय दिया गया, लेकिन उसी प्रखंड के अन्दर हम लोगों की मांग थी कि चित्रकूट में कृषि शोध विश्वविद्यालय खोला जाय । परन्तु हमको पता लगा है कि राजापुर में डिग्री कालेज खोलने जा रहे हैं । मान्यवर, वह बहुत किनारे है वहां सब लोग नहीं जा सकते हैं। इसलिये चित्रकूट में कृषि शोध विश्वविद्यालय खोला जाय जहां बुन्देलखंड एरिया के कृषि के छात्रों द्वारा, विज्ञान के द्वारा तरह-तरह की खोलें हों। वहां कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी कुछ सुधार किये जा सकते हैं । लेकिन ऐसा कोई विचार सरकार ने नहीं किया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ी अहम बात है कि हर विद्यार्थी चाहे वह गरीब हो या अमीर घर का हो उसको अपने घर

से खर्च करना पड़ता है। मैं तो करीब से बहुत लोगों को जानता हूं जो कि अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिये अपनी माताओं तथा बहिनों की चूड़ियां रहन करते हैं।

जिस क्षेत्र में काम चाहते हैं और युनीवर्सिटी के अन्दर अनुशासनहीनता का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वहां से निकलने वालों के पास कोई काम नहीं होता है। बहुत से छात्र काम चाहते हैं लेकिन मुझे जहांतक जानकारी है उत्तर प्रदेश सरकार की कोई ऐसी संस्था नहीं है जहां छात्र पढ़ने के साथ साथ कुछ अर्न भी कर सकें। काम के घंटों से कुछ घंटे निकालकर अपने स्पेअर टाइम में कुछ अर्न कर सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नये विश्वविद्यालयों में और जो पहले से हैं उनमें भी ऐसी व्यवस्था अवश्य की जाय कि जिससे जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल सके। टेक्निकल संस्थाओं में भी इसकी व्यवस्था होनी चाहिये, लेकिन इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है।

इसके अलावा मान्यवर, मैं कुछ रिसर्च के बारे में कहना चाहता हूं। रिसर्च के द्वारा दूसरे देशों में लोग चांद और सितारों में पहुंच रहे हैं और हमारे यहां भी भाभा जैसे वैज्ञानिक पैदा हुए हैं। कुछ दिन पूर्व ही यहां के वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत काम किया है लेकिन हमारे विश्वविद्यालयों में रिसर्च की कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये। प्रतिभाशाली छात्रों को जीविका का प्रबन्ध कराकर रिसर्च क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाया जाना चाहिये। इस कारण मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को जल्दी में पारित न करके प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें जो शिक्षा संबंधी सभी बातों पर विचार करके सदन में रिपोर्ट पेश करे तब हम इसको पारित करें जिससे जनता की आशायें और आकांक्षायें पूरी हो सकें।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, १९७४ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर दे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे। इसका कारण यह है कि यह विश्वविद्यालय अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि सरकार की नीति है कि हर डिवीजन में विश्वविद्यालय हो। इससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। जो यह १९७३ का ऐक्ट बना था, मैं आपको स्मरण दिलाऊं, उस पर कभी सदन में विचार नहीं हो पाया है। जब सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने वाक आउट कर दिया और यह बिल बिना चर्चा के ऐक्ट बन गया। फिर लेजिस्लेचर भंग हो गया और प्रेसीडेंट ने इसे ऐक्ट बना दिया। प्रेसीडेंट ने इसमें कुछ काटा छांटी की और यह अव्यवहारिक हो गया। इसीलिये मेरा प्रस्ताव है कि इसे संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष भेज दिया जाय जहां इस पर गंभीरता से विचार हो सके। शिक्षा मंत्री जी से कहा गया तो उन्होंने कहा कि क्या करें इसकी अवधि १५-९-७४ को समाप्त हो रही है। लेकिन क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि इसे वह पहले क्यों नहीं लाये, आज ही क्यों लाना पड़ा ? फिर जब १९७३ का ऐक्ट पास कर दिया तो इसे कहां लागू किया। १९७३ का ऐक्ट बन गया लेकिन आज तक उसके नियम नहीं बने।

श्री अधिष्ठाता--

गुप्ता जी बैठें। कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

मंत्री जी कदाचित् यह जवाब देंगे कि १९७३ के ऐक्ट के नियम इसलिये नहीं बने क्योंकि उसमें संशोधन लाना था। जब ऐक्ट बनाने के बाद संशोधन लाना था तो इतनी जल्दी में

[श्री शिव प्रसाद गुप्त]

ऐक्ट बनाने की क्या आवश्यकता थी? यह सरकार हो अथवा कोई दूसरी सरकार सबसे बड़ी दुहाई दी जाती है कि वह प्रजातंत्र में विश्वास करती है, विकेन्द्रीयकरण में विश्वास करती है । क्या विकेंद्रीयकरण का यही तरीका है कि ऐक्ट बनाने के बाद चुनी चुनाई एक्जिक्यूटिव कौंसिल एवं सीनेट अथवा कोर्ट सब समाप्त । केवल वाइस चांसलर रह गया और बाकी नामजद हो गये सदस्य । मैं उदाहरण दूं कि सदस्य जो नामजद किये जाते हैं उनकी मीटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं होती । कोई विशेष पैसा नहीं मिलता जिससे दिलचस्पी हो । १० मीटिंग हुई होंगी तो शायद दो में वह सम्मिलित हुए होंगे । कानपुर और मेरठ विश्वविद्यालय की मिसाल दे दूं । ७ साल हो गये बने हुए लेकिन आज तक उनमें चुनाव नहीं हुआ।

श्री अधिष्ठाता--

जनार्दन प्रसाद ओझा जी, भाषणकर्ता के सामने आपको नहीं आना चाहिये।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

कानपुर व मेरठ विश्वविद्यालय में एडहाक कमेटीज काम कर रही हैं । क्या यह सन्देह दूसरों के दिमाग में नहीं हो सकता कि मनचाहा व्यक्ति नामजद कर दिया जाय इसलिये ऐसा किया गया । और किसी अमुक व्यक्ति या समूह या ग्रुप के कहने से काम करें । तो कौनसी कठिनाई थी सरकार को, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ७ साल में उसकी कमेटियां नहीं चुन पायीं और आज १९७३ में ऐक्ट लाया गया और उसका नियम नहीं बनाया। क्यों हुआ ? चुनी-चुनाई संस्थाओं को समाप्त करना। फिर ऐसी बात बड़े जोरों से कही जा रही है, प्रधान मंत्री कह चुकी भारत के शिक्षा मंत्री भी कह चुके और हमारे शिक्षा मंत्री जी भी कह चुके कि शिक्षा जगत में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । क्या, श्रीमन्, यह ऐक्ट शिक्षा में आमूल परिवर्तन कर सकता है? यह तो उस ऐक्ट में थोड़ा सा संशोधन ले आये हैं और यह मैं आपके द्वारा, मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि थोड़े ही दिनों में इनके पास फिर सूचना आयेगी कि इसमें संशोधन कर दें । तो फिर इस माननीय सदन का और उस सदन का समय लिया जाय, पैसा खर्च हो, पैसे की वैसे ही कमी है, कहां तक उचित है । आर्डीनेंस निकाल कर कानून बना सकते हैं । क्या कठिनाई है ? अतः इसको प्रवर समिति में जाने दें, जैसा पहले किया था । आर्डीनेंस तो आप रात-रात में बना देते हैं । उससे काम चलायें, लेकिन इस माननीय सदन की गरिमा को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि यह सदन कोई चीज जल्दी में नहीं करता । सोच-विचार कर करता है और जब शिक्षा शास्त्रियों और विद्वानों के मत आ जायं तो इस ऐक्ट को बनाया जाय ।

श्रीमन्, जिस समय आर्डीनेंस द्वारा ऐक्ट बना तो विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी और इंटर-यूनिवर्सिटी बोर्ड में वाद-विवाद हुआ और विद्वानों ने बड़ा रोष प्रकट किया था कि यह ऐक्ट एक मखौल बना है, जिसमें भारी कमियां हैं । इससे शिक्षा जगत का सुधार नहीं होने वाला । उसी तरह से, उसी जल्दी में यह बिल फिर आया । ठीक है, बहुमत से सरकार इसको ऐक्ट तो बना ही लेगी, लेकिन क्या यह उचित है ? उत्तर यही मिलेगा कि यह उचित नहीं है । लेकिन आवश्यकता है, इसलिये करेंगे । मान्यवर, आज विश्वविद्यालयों की क्या दशा है? आज विश्वविद्यालय का कुलपति, किसी विद्यापीठ का कुलपति यही कहता है कि सरकार हमारे काम में रोड़े अटकाती है, जिसका फल यह है कि न विद्यार्थियों पर अनुशासन है और न टीचर्स पर । अनुशासन कैसे हो सकता है, जब तक शिक्षा में आमूल परिवर्तन नहीं होता । मैनेजमेंट को निकाल दें । लेकिन यह जो सभा बनती थी, उसमें चारों तरफ से नुमाइन्दे आते थे और बहुत अच्छे डाइरेक्शन्स देते थे । आपने इसमें रखा है कि सलाहकार समिति बनेगी । उससे क्या लाभ ? कैसे शक्ति केन्द्रित होगी ? कार्य परिषद् में ४ इलेक्टेड और ४ नामिनेटेड मेम्बर्स होंगे ।

मंत्री जी ने कैसा अनुपात लगा लिया। कार्य परिषद् बन गयी। कुछ प्रिंसिपल और टीचर्स रोटेशन से आ जायेंगे। वाइसचांसलर की तरफ देखते हैं वे कि क्या कहें और क्या न कहें। इस तरह से किस तरह से शिक्षा में उन्नति हो सकती है? ऐक्ट बदलने से शिक्षा जगत में सुधार नहीं आ सकता। अब अध्यापकों और कर्मचारियों के लिये नौकरियों को देने के लिये अलग कानून बना रहे हैं। प्रिंसिपल जिसको चाहे रख दे। यही एक आदमी नामिनेट करेंगे। मैनेजमेंट को निकाल दिया। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि कुछ मैनेजमेंट वाले गलत काम करते हैं। मैं उनसे सहमत हूं। करते होंगे। लेकिन अगर करते हैं तो तीन मास की सजा रखी है। और यह भी रखा है कि एक हजार रुपया जुर्माना हो सकता है। आपने उसमें कंट्रोल रखा है। यहां तक एडमीशन में मैनेजमेंट का कोई हिस्सा नहीं है। अभी कहा गया कि लाखों रुपया रिश्वत के लिये गये। विश्वविद्यालयों के दो एक्सपर्ट वहां जाते हैं। उनके सामने बैठकर एडमीशन हुये। अधिष्ठाता महोदय, यदि मैं सही आंकड़े दे पा रहा हूं तो ९५ प्रतिशत कालेजेज करोड़ों रुपये की लागत के, दानदाताओं की कृपा से बने हैं। आप उनको बाहर निकाल दीजिये। तो क्या उनका बहिष्कार किया जाना चाहिये उनको अलग कर देना चाहिये? ऐसा भेदभाव कभी नहीं होता है कि एक आदमी अध्यापक और ग्रेजुएट कांस्टीटुयेन्सी दोनों से चुना जाता है। अपने खर्च से वह रजिस्टर्ड ग्रेजुएट कांस्टीटुयेन्सी से भी नहीं चुना जा सकता है।

अब मैं आगरा यूनिवर्सिटी का एक दृष्टान्त दे रहा हूं कि उस यूनिवर्सिटी के ७८ कालेजेज में से ४० कालेजेज ही रह जायं, लेकिन मैनेजमेंट में ८०० आदमी हो गये। उसमें से दो आदमी मेम्बर्स के रूप में आयेंगे यानी १६०० वर्षों में तब दुबारा मेम्बर हो सकते हैं। तो इस भुलावे से क्या फायदा होगा? ऐसे रोटेशन लाने से क्या फायदा है? तो उनसे कहिये कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट कांस्टीटुयेन्सी का जो मेम्बर हो वह भी इलेक्शन लड़ सकता है। वाइस चांसलर का लड़का, रजिस्ट्रार का लड़का, प्रिंसिपल का लड़का तो इलेक्शन लड़ सकता है लेकिन जो मैनेजमेंट कमेटी में होता हो, वह सेलेक्शन कमेटी में भी न हो उसका लड़का नहीं आ सकता है क्योंकि उसने सिर्फ यह कर दिया कि उसके बाप-दादा ने कालेज बना दिया और वही मेम्बर होता चला आ रहा है।

कहा जाता है कि विद्यार्थियों में अनुशासन नहीं है। अनुशासन कहां से हो? आज हमारी शिक्षा में रोजगार देने की क्षमता नहीं है। श्रीमन्, मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। यह मेरे आंकड़े नहीं हैं सरकारी आंकड़े ही हैं। उनके अनुसार सन् ६३ में जो बेरोजगार स्नातक थे उनकी संख्या ११,११३ थी और सन् ७३ में वह संख्या ७९,८१३ हो गयी। पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारी की संख्या १९६७ में ३,८६५ थी और १९७३ में १४,९७९ हो गई। सन् ७४ के मेरे पास आंकड़े नहीं हैं इसलिये नहीं जानता कि अब क्या संख्या है। ये आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ी है। बेरोजगार विद्यार्थियों के बारे में यह ठीक ही कहा जाता है कि "एम्प्टी माइन्ड इज ए डेविल्स वर्कशाप"। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि विद्यार्थी विध्वंसकारी कार्य करें लेकिन मैं मानता हूं कि ४–६ प्रतिशत विद्यार्थी ही केवल इस राय में दिलचस्पी लेते हैं। इसलिये शिक्षा प्रणाली में आपको तबदीली लानी होगी और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो केवल ऐक्ट बना देने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता––

कितना समय आप और लेंगे?

श्री शिव प्रसाद गुप्त––

१५–२० मिनट।

श्री अधिष्ठाता--

साढ़े तीन बजे तक बिल पास होने हैं। यह सदन का ही प्रस्ताव है और वह स्वीकृत हो चुका है। उसमें मैं कैसे गड़बड़ कर सकता हूं।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मैं भी था ...

श्री अधिष्ठाता--

आप १० मिनट में समाप्त कर लें।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, वी० सी० को कोई अधिकार देने से कोई लाभ नहीं। आपने जैसा किया आगरा यूनिवर्सिटी में सिनेट, एक्जीक्यूटिव कौंसिल समाप्त। अब आप देखिए, वहां वी० सी० एक रिटायर्ड आई० सी० एस० आफिसर हैं। वह विद्वान हैं, यह अलग बात है, लेकिन वह कार्य किस तरह कर रहे हैं, वह आप देखें, जिसकी दो-चार मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने इन्कम टैक्स नहीं दिया था, जो आपको देना था, इसके लिये आपने ३१-३-७३ को दो हजार पांच सौ रुपये का एक चेक संख्या ५४४७०० स्टेट बैंक को विश्वविद्यालय कोष से काट दिया और आपने इन्कम टैक्स दे दिया। मैं नहीं कह सकता कौन सा कानून है, जिसके अन्तर्गत उन्होंने ऐसा किया। न एक्जीक्यूटिव काउन्सिल की आज्ञा और न किसी और की आज्ञा, लेकिन उन्होंने यह मनमाना कर डाला। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी या कुलाधिपति ने इस सम्बन्ध में कोई आज्ञा दे दी हो, जो उनकी फाईल तक सीमित हो तो मैं नहीं कह सकता। यह फाइनेन्शियल इर्रेगुलरिटी नहीं, फाइनेन्शियल इल्लेगिलिटी है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन है। लेकिन इसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई।

एक रजिस्ट्रार अभी यहां श्री एम० जी० गुप्ता आये थे, जिनके ऊपर बड़े सीरियस चार्जेज थे और वह विस्तृत इंक्वायरी के बाद एक्जीक्यूटिव कौंसिल द्वारा अपने पद से हटा दिये गये थे। किन्तु बाद में हाई कोर्ट ने इनके केस में केवल इतना कहा था कि मैं बर-खास्तगी को टेक्निकल ग्राउन्ड पर खारिज करता हूं। लेकिन उसका आबजरवेशन क्या है यह आप देखें:--

"Before I part with the case, I would make it clear that since the charges were very serious against the petitioner and since the Enquiry Committee had recorded detailed findings against him, it would be open to the appropriate authorities to consider the report of the Enquiry Committee and to take action afresh whichever is found suitable in the circumstances of the case against the petitioner."

श्री अधिष्ठाता--

आप इसका हिन्दी रूपान्तर कर दीजिए।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

उन्होंने लिखा है कि इस पिटीशनर-रजिस्ट्रार पर बहुत ही गम्भीर आरोप हैं। जिन के सम्बन्ध में एक्जीक्यूटिव कौंसिल और कार्य परिषद् ने बहुत ज्यादा गहराई से छानबीन, विचार करके निर्णय दिया है। मैं यह स्वीकार करता हूं, लेकिन यह कौंसिल इसका बिना विचार किये, पुनः इस पर विचार करे और जैसा ऐक्शन चाहे वैसा ले। श्रीमन्, ऐडवोकेट

जनरल इस केस को लड़े थे यूनिवर्सिटी की तरफ से। १० तारीख को केस का फैसला हुआ, ११ तारीख को ऐडवोकेट जनरल ने वाईस चांसलर को लिखा:—

1. No re-instatement of Sri Madan Goupal Gupta has been ordered.

2. he judgment really amounts to an order of remand from the stage after the findings of the Enquiry Committee.

I am clearly of the opinion that while the University sohuld go up in appeal against this judgment, it should not ask for any stay. Seriousness of the charges has been appreciated by the Learned Single Judge. . . . . ."

श्रीमन्, इस सलाह के बाद भी २० तारीख को जब एक्जीक्यूटिव कौंसिल की बैठक होनी थी, जिसमें यह तय किया जाना था कि उनको रिइन्स्टेट किया जाय या न किया जाये, उसके पहले ही वाईस चांसलर ने १६ तारीख को आदेश दे दिया कि रजिस्ट्रार को ५६,००० रुपये का पेमेन्ट २४ घंटे के अन्दर कर दिया जाये। २ लाख रुपया परीक्षा पत्रों के लिये पेशगी दे दिया, बिना हिसाब आये हुये। कायदा यह है कि हिसाब आ जाये, स्क्रूटनी बिल की हो जाये, तभी किसी को पेशगी दी जाती है, लेकिन इसमें बिना सब किये दे दिया। १० हजार पर्चे आज भी यूनिवर्सिटी में बेकार पड़े हैं।

श्रीमन्, इसके अलावा यूनिवर्सिटी में ७५ पैसे का लिफाफा आता था, जिसमें अन्दर कपड़ा लगा होता है, उसके टेन्डर थे, सप्लाई होनी थी, किन्तु उनका टेन्डर कैंसिल करके एक रुपया ७५ पैसे में दूसरे आदमी से खरीदना शुरू कर दिया।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)—

अगर संशोधन वाले ही बोलते रहेंगे, तो हम लोगों को कैसे मौका मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें, मैंने उनको समय दिया है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

समय की तो सीमा होती है।

श्री अधिष्ठाता—

सीमा इस पर नहीं होती है। मेरा काम आप स्वयं न करना प्रारम्भ करें।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

एग्जामिनर्स को रेम्युनरेशन दिया जाता है। प्रति कापी १ रुपया २५ पैसे के हिसाब से, २५ परसेंट अलावेंस। कहा गया कि इसको बढ़ा दें, इन्कार कर दिया लेकिन कुछ विशेष अध्यापकों को दो रुपये ५० पैसे के हिसाब से दे दिया। यूनिवर्सिटी के धन का इस तरह से दुरुपयोग हो। ऐक्ट का पालन नहीं होगा। ऐसा कुलपति, ऐसा रजिस्ट्रार आप रखेंगे तो क्या होगा? आपने ऐक्ट में रख दिया कि सर्विसेज का ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर कर नहीं सकते। नियम नहीं बनाते आप। न नियुक्तियों पर कंट्रोल होगा। ७ असिस्टेंट रजिस्ट्रार रख लिये। भागर्व कमीशन ने लिखा कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने फाइंडिंग दी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जरूरत नहीं है। लेकिन ६ का विज्ञापन किया, ७ की नियुक्ति की। एक सेलेक्शन कमेटी बना दी। एक वहीं का कर्मचारी था। एक आदमी जिसको एक दिन का भी अनुभव नहीं था, सात साल का अनुभव होना चाहिये था, उसकी नियुक्ति कर दी। तो कैसे काम चलेगा? मेरी राय है कि मंत्री जी इसको प्रवर समिति में निश्चित भेजें। सिनेट ऐडवाइजरी कमेटी बनेगी, कोई लाभ नहीं होगा। कार्य

[श्री शिव प्रसाद गुप्त]

परिषद् को इतना छोटा बना दिया। आपने फाईनेंस कमेटी बनायी। फाइनेंस कमेटी में न अब तक वाइसचांसलर और न रजिस्ट्रार होता था। अबकी से वाइसचांसलर और रजिस्ट्रार दोनों होंगे। फाइनेंस आफिसर सेक्रेटरी होगा। राइट आफ वोट होगा या नहीं, यह नहीं मालूम। कार्य परिषद् का वहां कोई मेम्बर नहीं होगा। ऐसी जल्दी में, ऐसा ऐक्ट बनाया गया है। जब तक प्रवर समिति में नहीं जायगा, तब तक काम नहीं चलेगा। प्रो-वाइस-चांसलर का प्राविधान इसमें किया गया है। लेकिन उसको पार्टटाइम करेंगे। ३ सौ रुपये भत्ता या एक्सट्रा तनख्वाह दी जाय। प्रो-वाइस चांसलर भी रहेगा, प्रिंसिपल भी रहेगा न प्रिंसिपल का काम करेगा न यूनिवर्सिटी का काम करेगा। अगर उसको रखना ही है तो होल टाइम रखिये। सिनेट में इंजीनियरिंग का भी डीन है, मेडिकल कालेज का भी डीन है। लेकिन ऐग्रीकल्चरल कालेज का डीन नहीं है। क्या कारण है? क्यों ऐसा भेदभाव है? जैसा मैने निवेदन किया मंत्री जी को इस ऐक्ट को पहले पढ़ने का अवसर नहीं मिला होगा जब इस विधेयक को लाना तय हुआ होगा तब पढ़ा होगा। नहीं तो वह इस पर विचार करते, वह खुद इस विचार के हैं।

मेरा सुझाव है कि नौकरियों में परिवर्तन करें। कमेटी में रख देने से कुछ नहीं होगा। मंत्री जी एक एजूकेशन पब्लिक सर्विस कमीशन बना दें। आज कमेटी में क्या रखा है? मैनेजमेंट का एक और दो यूनिवर्सिटी से आयेंगे। जो दो वहां से आयेंगे उनकी मिलीभगत होगी। प्रिंसिपल और कुलपति जिसको चाहे वही अप्वाइंटमेंट होगा, दूसरे का नहीं हो सकता। इसलिये एजूकेशन पब्लिक सर्विस कमीशन बनायें। वह सर्विसेज के नियम बनाएं, वही क्वालिफिकेशन निर्धारित करे, वही सेलेक्शन करे। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कीजिये जिससे विचार विनिमय हो सके। जल्दी में पास न कराइये। विश्वविद्यालय में आमूल परिवर्तन कीजिये जिससे देश का लाभ हो। बेरोजगारों की संख्या बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। विश्व-विद्यालय न खोलें। मैं कहता हूं कि ४२ खोल दीजिये। इससे क्या शिक्षा की प्रगति होगी। विश्वविद्यालय के प्रति ध्यान नहीं होता। आज जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं और जो उनमें शिक्षा का ढंग चल रहा है उनमें आपको कुलपति नहीं मिलते हैं और ढूंढ़ कर आपको राज-नीतिज्ञों में से या आई० ए० एस० में से लाने पड़ते हैं। क्या शिक्षा शास्त्रियों की इस देश में कमी है लेकिन लोग इस ओर आने के लिये तैयार ही नहीं होते और इसको भी आइ० ए० एस० का काडर आप बनाये दे रहे हैं। तो मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसे प्रवर समिति में भेज दें जहां पर इस पर अच्छी तरह से विचार हो सके।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)---

अधिष्ठाता महोदय, यह जो बिल इस सदन में रखा गया है उससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बिलकुल समाप्त हो गयी है। विश्वविद्यालय को चलाने का जो सबसे बड़ा अधि-कारी है वह कुलाधिपति है जिसके हाथ में विश्वविद्यालय की कुल शक्ति निहित कर दी गयी है। जो अधिकार कुलाधिपति को है उनमें एक अधिकार दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करने का भी है।

अधिष्ठाता महोदय, आज पूरे हिन्दुस्तान में शिक्षा प्रणाली को लेकर और विश्वविद्या-लयों के स्वरूप को लेकर सबसे आधुनिक स्वरूप और वक्त के मुताबिक सही बात सामने आयी है और वह यह है कि विश्वविद्यालय खुला होना चाहिये आपके विश्वविद्यालय जो आज चहार-दीवारियों के अन्दर बन्द हैं उनसे समाज का हित नहीं हो रहा है, और राष्ट्र की प्रगति उनसे सम्भव नहीं हो पा रही है। इसके लिये आज एक विकल्प खुले विश्वविद्यालय के रूप में हो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसी चर्चा चल रही है। आज यह विश्वविद्यालय का बिल एक नया स्वरूप सामने रख रहा है और वह निश्चित तौर पर आज से १० साल पुराने विचारवाला है। यह विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को समाप्त करने वाला है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह के अवसर पर वहां के कुलपति डाक्टर के० एन० राज साहब हैं कनवोकेशंस के बारे में कि

"Convocations appear to be more and more like a cruel joke."

अर्थात् निश्चित तौर पर दीक्षान्त समारोह को समाप्त कर देना चाहिये क्योंकि यह समारोह सिवाय बेरोजगारों की संख्या बढ़ाने के और कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

दूसरी बात जो वाइस-चांसलरों को अधिकार जो दिये गये हैं इस बिल की मारफत उनके बारे में मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इतने ज्यादा अधिकार उनको नहीं मिलना चाहिये जब तक शिक्षा का स्वरूप जनतांत्रिक नहीं होता तब तक जनतंत्र का प्रसार बहुत नामुमकिन बात है और उपकुलपति को अधिकार दिये गये हैं इस बिल की मारफत और जो अधिकार उनको परम्परा से मिले हैं, मिलते रहे हैं वे निश्चित तौर पर जनतंत्र पर आधारित नहीं है और इतने ज्यादा अधिकारों के कारण विश्वविद्यालयों का जनतांत्रिक स्वरूप नहीं बन पाता है। आज उसको शिक्षा परिषद् में अध्यक्षता करने, कार्यपरिषद् की बैठकों में अध्यक्षता करने और शासनिक और प्रशासनिक तमाम अधिकार उसमें निहित कर दिये गये हैं और विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थाओं में कोई भी हिस्सेदारी नहीं दी गयी है और जब तक विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थाओं में हिस्सेदारी नहीं दी जाती है और वाइस चांसलर के अधिकारों में कमी करके उसके अधिकारों को विकेन्द्रित नहीं किया जाता, जब तक इन दोनों बातों का इसमें समावेश नहीं किया जायगा तब तक सही मानों में शिक्षा का जनतांत्रीकरण नहीं हो सकता है।

अधिष्ठाता महोदय, हिन्दुस्तान में केरल विधान सभा में इस बार एक ऐसा बिल पेश हुआ जो सचमुच शिक्षा जगत में एक क्रान्तिकारी कदम है और जितने भी राज्य विधान सभायें हैं उनके लिये वह एक नजीर बनकर सामने आये हैं। दिनमान २८ जुलाई, १९७४ के अंक में उस विधेयक के बारे में आया है। उसमें एक नियम यह बनाया गया है कि विद्यार्थियों को कोर्ट में १२ प्रतिशत हिस्सेदारी दी गयी है और शिक्षा परिषदों में छात्रों को १० प्रतिशत सम्मिलित किया गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि "आज कल के शासक अपने प्यारों को विश्वविद्यालय या उस जैसी स्वशासी संस्था की गद्दी पर बैठाते हैं।" आज विश्वविद्यालयों में निश्चित तौर पर अध्यापकों के लिये एक गुटबाजी का अड्डा बन चुका है। अध्यापक आज इस बात के लिये बिलकुल चिन्तित नहीं है कि वहां पर शिक्षा का प्रसार या प्रचार किया जावे वहां उसे आज चिन्ता इस बात की हो गयी है कि उसके हित कैसे अधिक से अधिक सिद्ध हो सकते हैं और इस बात में है कि कैसे शासक दल का उप कुलपति बैठ जाय और उसकी नीति यह रही है कि कैसे उसके स्वार्थ आगे बढ़ें। तो एक दल कुलपति के हाथ में होता है और एक दल उप कुलपति के विरोध में और जो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में राजनीति चल रही है, वह ठीक नहीं है क्योंकि वहां राजनीति नहीं चल रही है। जब तक वहां स्वस्थ राजनीति नहीं चलेगी तबतक अपराध भावना समाप्त नहीं होगी। इसलिये जब तक स्वस्थ राजनीति विश्वविद्यालयों में नहीं चलेगी तब तक पिछले स्तर की गुटबाजी समाप्त नहीं होगी इसलिये मेरा निवेदन है कि उपकुलपति को सरकार अपने पंजे से मुक्त करे।

अभी काशी विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री रघुकुल तिलक ने इस्तीफा दिया है और उन्होंने अपने इस्तीफे के साथ साथ एक दस्तखत की हुई चिट्ठी भी अखबार वालों को दी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि "विश्वविद्यालय और सरकार दोनों का ही जो मौजूदा ढांचा है उसके अन्तर्गत मैं कुछ फलदायक और प्रभावकारी कार्य करने में असमर्थ हूं। उन्होंने मुख्य मंत्री के ऊपर आरोप लगाया है कि मुख्य मंत्री के इस आश्वासन के बावजूद कि कोई

[श्री शतरुत्त प्रकाश]

भेदभाव नहीं बरता जायेगा, जो पहले से ही अन्य विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को और कार्यकर्त्ताओं को वेतन और भत्ते मिल रहे थे उनसे भी विद्यापीठ वंचित रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री बहुगुणा पर अपेक्षित सहयोग न देने का आरोप लगाया और कहा कि मेरी बात न सुन कर उन लोगों की बात सुनते थे जो उनके पास बे सिर पैर के आरोप पत्र भेजते थे। इस तरह से उपकुलपति ने इस्तीफा दिया और बताया कि मुख्य मंत्री ऐसे लोगों से घिरे रहते थे जो शैक्षिक कार्यों की तरफ कम और तिकड़म और गुटबाजी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिये वह कोई फलदायक कार्य नहीं कर पाये।

दूसरा संस्कृत विश्वविद्यालय है। उसके स्वरूप और उसके वर्तमान महत्व को देखते हुये, मैं मांग करना चाहता हूं कि इसको तोड़ देना चाहिये। इस के बदले में संस्कृत शोध संस्था बना दी जानी चाहिये। इसके उपकुलपति श्री बलराम जी थे उनसे जबर्दस्ती इस्तीफा दिलाया गया। इसके बदले में जो वाइस चांसलर बनाये गये वे भूतपूर्व मुख्य मंत्री के रिश्तेदार हैं और वरिष्ठता के क्रम में उनका दूसरा या तीसरा नम्बर आता है। लेकिन वह एक्टिंग वाइस चांसलर का कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह विश्वविद्यालय पिछले स्तर की राजनीति और गुटबाजी का केन्द्र बन गया है। जब तक वाइस चांसलर के अधिकार कम नहीं किये जायेंगे और विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन में भागीदार नहीं बनाया जायेगा तब तक शिक्षा का जनतांत्रिक स्वरूप नहीं आयेगा। तब तक सही माने में शिक्षा का जो उद्देश्य और धर्म है, वह पूरा नहीं हो सकता है।

अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा का जनतांत्रिक स्वरूप कितना बिगड़ा हुआ है, इसकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो डीन्स हैं उनके सम्बन्ध में संशोधन रखा है। १९७३ का जो अध्यादेश आया था उसमें संकायों का चक्र-क्रम बनाया गया था और ऐसा विभागाध्यक्ष होगा जो प्रोफेसरों के बीच में से लिया जायेगा। यह डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पेश नहीं करता है। अगर सही माने में आप इसको लाना चाहते हैं तो एक अध्यापक को भी मौका दें डीन बनाने का। जब एक दो प्रोफेसर नहीं होंगे तो छांट कर उनमें से लिया जायेगा, ऐसा नहीं बल्कि साफ तौर पर प्राविधान होना चाहिये कि छोटे से अध्यापक से लेकर बड़े से बड़े प्रोफेसर के बीच में वरिष्ठता का क्रम बनेगा। इसमें बहुत सी जरूरी चीजों का और जन तांत्रिक आवश्यकताओं का समायोजन नहीं किया गया है और जो प्रवेश समितियां है तथा जो परीक्षा समितियां हैं उनमें किसी भी तरह की नई बात नहीं लाई गई है। अधिष्ठाता महोदय, मुझे समय बहुत कम मिला है, इसलिये मैं अपनी बातों को साफ नहीं कर पाया। संक्षेप में कहना-चाहता हूं कि एक महीने के लिये इसको टाल दिया जाय और इस बीच अध्यापकों के बीच, विद्यार्थियों के बीच तथा अभिभावकों के बीच बैठ कर उनकी राय ले ली जाय, तब उसके बाद यह सदन में पेश किया जाय।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं यह जो प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, १९७४ पर विचार किया जाय इसका पूर्णतः समर्थन करती हूं। मैं कुछ बातें विश्वविद्यालय के विषय में रखना चाहती हूं। इधर बहुत गर्मागर्म बहस हुई और बहुत सी बातें शिक्षा प्रणाली के बारे में कही गईं। हमारी जो उच्च शिक्षा की प्रणाली है इसका बहुत पुराना इतिहास है। कुछ लोगों ने कहा कि मैकाले की, शैतान के दिमाग की उपज है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह शिक्षा प्रणाली जो प्रारम्भ हुई मैकाले से वह सही बात है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि उन्होंने अपने विदेशी राज्य के लिये, उसकी सुविधा के लिये, यह प्रणाली उन्होंने चलाई लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि तब से आज तक इस शिक्षा प्रणाली में, जो आरम्भ हुई थी मैकाले के जमाने में उसमें आमूल परिवर्तन हो चुके ह। समय-समय के ऊपर जो परिवर्तन हुई उससे आज जो शिक्षा दी जा रही है वह बिलकुल डिफरेंट चीज है, जो हमारे सामने आज आती है।

सबसे पहली तो यह चीज है कि हमारा मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन पहले इंग्लिश था, अब मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन हमारी प्रादेशीय भाषायें तथा हिन्दी है। तीसरी बात हमारी जो शिक्षा प्रणाली विश्वविद्यालयों में मिल रही है उसने हमारे देश को कितना ऊंचा उठाया है ? कितना विश्व में सम्मान दिया है। इसके बारे में जरा आप गौर कीजिये हमारे विश्वविद्यालय के पढ़े हुये विद्यार्थी आज दुनिया में उत्तम राजनीतिज्ञ है। उत्तम इंजीनियर्स है, उत्तम डाक्टर्स है और उत्तम वैज्ञानिक है। हमारे साइंटिस्ट भाभा और सेठना ने जो उस समय नजीर आपके सामने पेश किया है वह विश्व के इतिहास में एक अजीब चीज है। उसकी विशेषता यह है कि हमारे वैज्ञानिक जो है, वह केवल वैज्ञानिक ही नहीं है बल्कि शांति के दूत हैं। यह जो इक्सपेरीमेंट्स हैं यह सब विज्ञान का ही चमत्कार है। यह युग के लिये नहीं, यह हिरोशिमा के ऊपर बम फेंकने के लिये नहीं, यह शांति के द्वारा देश का कल्याण करने के लिये देश के गरीबों को ऊपर उठाने के लिये यह चमत्कार किया है। यह हमारे वैज्ञानिकों की महानता है। वह वैज्ञानिक जो कि आपके विश्वविद्यालय में पढ़े हुये हैं। हमारे लखनऊ की बात लीजिये। मेरा इससे २५ वर्ष पूर्व से संपर्क है। ४ वर्ष वहां पढ़ी उसके बा : लखनऊ विश्वविद्यालय से ही सम्बद्ध एक अन्य महाविद्यालय की सेवा में रही हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो विभूतियां उत्पन्न की हैं वह पूरे संसार में विख्यात हैं। बीरबल साहनी का नाम आप भूले नहीं होंगे जो हमारे बोटनी के इन्स्टीट्यूशन के अध्यक्ष थे जिनको फैलो आफ रायल सोसाइटी का सम्मान प्राप्त था और दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से थे। आचार्य नरेन्द्र देव और डा० ऐय्यर भी हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित थे और पांडेय जी जिन्होंने ऐस्थेटिक्स से रिसर्च की है काशमीर की फिलासफी को लेकर, उसमें जो उन्होंने अनुसंधान किया है वह सारे विश्व में आधार है...

श्री शतरुद्र प्रकाश—

यह रिसर्च कहां से की, यह बताइयेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

पांडेय जी के बारे में बता रही हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आपके पास समय नहीं है, आप समाप्त कीजिये।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

लखनऊ विश्वविद्यालय को लीजिये। डी० पी० धर जो इतने ऊंचे राजनीतिज्ञ हैं जिनका बंगलादेश का जो निर्माण हुआ उसमें बड़ा भारी हाथ रहा। आपकी जो नयी प्लानिंग हो रही है उसमें उनकी बड़ी देन है। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि हम हर डिवीजन में एक विश्वविद्यालय कायम करेंगे, मैं समझती थी कि जो हमारे विरोधीगण है वह इसमें बहुत खुश होंगे कि हमारी सरकार ने यह इरादा किया है कि हम उच्च शिक्षा की गंगा और यमुना से अपने प्रदेश को बिलकुल फर्टाइल कर देंगे, हरा-भरा कर देंगे। आज मोची का लड़का भी चाहता है कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करूं, क्यों न उसको मौका दिया जाय। चपरासी का लड़का चाहता है कि मैं साइंटिस्ट बनूं, मैं भाभा और सेठना बनूं तो क्यों न मौका दिया जाय ?

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

एक महिला विश्वविद्यालय..हुजूर दो मिनट । दो तीन सजेशंस हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा बोलिये ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं अनुरोध करूंगी कि एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय हमारे देश में और हमारी महिलाओं का ख्याल करे और हमारी बहिनों को लें उस महिला विश्वविद्यालय में।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मैं सुझाव दूंगा कि आप उसकी उपकुलपति बनायी जायेंगी ।

श्री अधिष्ठाता—

आप स्थान ग्रहण करें । माननीय मालवीय । समय बहुत कम है ।

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया गया है, विरोधी पक्ष की भी मंशा है कि ऐसा विधेयक अवश्य ही सदन के जरिये पारित हो,लेकिन हम चाहते यह हैं कि इसको प्रवर समिति के सन्मुख उपस्थित किया जाय जहां पर उसके सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार-विमर्श हो और उसके पश्चात् जब यह पारित किया जायगा तो जो शिक्षा जगत में दूषित वातावरण हो गया है, यह शायद निश्चित ही समाप्त हो ।

इस विधेयक में भी कुछ ऐसा देखने से पता लगता है कि नौकरशाही के जरिये से जो नये विश्वविद्यालय बनाये जा रहे हैं उनके ऊपर यह प्रादेशिक सरकार नियंत्रण रखना चाहती है । बुन्देलखंड, फैजाबाद, रुहेलखंड के विश्वविद्यालय के लिए यह प्राविधान किया गया है कि वहां पर राज्य सरकार की ओर से दो वर्ष के लिए कोई प्राधिकारी नियुक्त किया जायगा । मेरा मंत्री जी से निवेदन यह है कि आज ही प्रदेश में जो भी बड़े-बड़े विश्वविद्यालय हैं, कम से कम लखनऊ और इलाहाबाद-इन दो में जो अवकाश प्राप्त आई०ए०एस० अधिकारी हैं वह उपकुलपति बना दिये गये हैं । इसके पूर्व भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो अवकाश प्राप्त अधिकारी होते हैं उनको वहां उपकुलपति बनाया जाता है । तो राज्य सरकार किसी को कोई प्राधिकारी या अधिकारी नियुक्त करने के पूर्व कम से कम शिक्षाविद् लोगों को, शिक्षा जगत से जो सम्बन्धित हो, उनको ही रखना चाहिये । अभी हमारे साथी माननीय सदस्य ने काशी विद्यापीठ के कुलपति श्री रघुकुल तिलक जी के त्याग पत्र के बारे में बताया है,मेरठ के कुलपति श्री कपूर ने भी त्यागपत्र दिया है और उन लोगों ने इसी कारण से त्यागपत्र दिया है कि वहां के प्रशासन में उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है । श्री रघुकुल तिलक जी ने अपने त्यागपत्र के कारणों पर प्रकाश डालते हुये यह बातें कहीं हैं । तो आज जब कि आप विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में एक विधेयक ला रहे हैं और इतने महत्व के मामले हैं तो उन पर विचार करने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि उन मामलों पर गम्भीरता के साथ विचार हो और इसे प्रवर समिति में भेजा जाय । इस सम्बन्ध में शिक्षा जगत के लोगों के विचार भी हमें जानने चाहिए अगर इसे आप १५–२० दिन के लिये प्रवर समिति में भेज देंगे तो उससे कोई बड़ा अहित होने वाला नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक बात और कही गयी है गोरखपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रो-वाइस चान्सलर की नियुक्ति के बारे में । जो विश्वविद्यालय शिक्षा देने का काम भी करते हैं उनमें भी प्रो-वाइस चान्सलर की नियुक्ति की बात कही जा रही है। वे ऐसे व्यक्ति रखे जायेंगे जो उप कुलपति द्वारा नियुक्त हों और जो उसी विभाग के अध्यक्ष हों, मैं समझता हूं कि ऐसे पदों की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ऐसा विषय है जिस पर विचार होना चाहिये । मंत्रि परिषद् द्वारा विश्वविद्यालयों को जो एक सचिवालय की तरह ट्रीट किया जा रहा है उससे प्रदेश में एक दूषित वातावरण पैदा हो गया है। श्री रघुकुल तिलक जी ने कहा है कि राज्य सरकार तथा मुख्य मंत्री का रुख उदासीनता का तथा असहयोगात्मक रहा है । राज्य सरकार, मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रीगण विद्यापीठ के आन्तरिक मामलों तथा नित्य प्रति के प्रशासन में हस्तक्षेप किया करते हैं । अध्यापकों तथा कर्मचारियों को अन्य विश्वविद्यालयों के समान वेतन तथा भत्ता नहीं मिलता । उप कुलपति ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद तथा अक्षमता चरम सीमा पर व्याप्त है । मान्यवर, उनके इस वक्तव्य को देखते हुये तथा अन्य बातों को देखते हुये यह आवश्यक हो गया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय । मैं जोरदार शब्दों में इसे प्रवर समिति में भेजने की वकालत करता हूं ।

*श्री राम जी लाल सहायक--

मान्यवर, मैं बड़ा ही अनुग्रहीत हूं उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस विधेयक की चर्चा में भाग लिया । माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने सबसे पहले एक बात यह कही कि विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में खोलना चाहिये । मान्यवर, जब मेरठ, में विश्वविद्यालय खोला गया था तो वहां ४ गांव थे, बाद में उसने एक शहर का रूप धारण कर लिया । एक नगर बस गया । जहां भी ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जाती है । वह नगर स्वयं बन जाते हैं ।

माननीय शिव प्रसाद गुप्त जी ने कुछ आगरा विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की और वहां के हिसाब किताब में गड़बड़ी के बारे में बताया तथा वाइस चान्सलर के कुछ ऐसे कृत्यों की चर्चा बतायी । यदि उन्हें नाराजगी न हो और विश्वविद्यालय की स्वायतत्ता के बारे में फिर कुछ जिक्र न करें तो वे स्वयं जानते हैं इस बात को कि सरकार ऐसी बातों को रोकने के लिये सक्षम है और उसकी व्यवस्था वह करेगी । लेकिन चूंकि आगरा यूनिवर्सिटी से उनका बहुत पुराना सम्बन्ध है और एक माने में अगर यह कहा जाय कि यह उनके नगर का विश्वविद्यालय नहीं बल्कि उनका अपना सा विश्वविद्यालय है क्योंकि बहुत से अन्दरूनी रहस्यों को वे भी जानते हैं फिर इसके आगे उनके लिये और कुछ कहने को रह नहीं जायेगा । फिर भी उन्होंने कुछ उपयोगी सुझाव दिये हैं । मान्यवर, और मैं आशा करता हूं कि यदाकदा वे फिर भी कोई उपयोगी सुझाव देंगे तो मैं उन्हें सहर्ष स्वीकार करूंगा और चेष्टा करूंगा कि उन पर विचार करके उनको अमल में लाया जाय ।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि आटोनामी में अगर असर न हो और बुरा न मानें तो उसका इलाज कर सकते हैं । तो आटोनामी के रहते हुये क्या यह नहीं हो सकता ? आपने इसमें ऐसा कोई प्राविधान नहीं रखा है कि अगर वाइस चांसलर मोरेल टर्पिच्यूड की वजह से या कोई वह ऐसा गलत काम करे जो उसके पद के लिये शोभनीय न हो या यूनिवर्सिटी की गरिमा को गिराता हो तो उसको हटाया जा सके । इसमें केवल यह है कि अगर वह इस्तीफा दे और अपने हाथ से लिख कर दे तो वह स्वीकार हो जायेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, केवल मैं उन्हें याद दिलाऊं एक घटना जिससे उन्हें याद आ जाये कि एक बार इसके पूर्व जो कुलपति थे उनके साथ क्या हुआ, तो वे समझ जायेंगे और जो आप इशारा कर रहे है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसकी व्यवस्था की जायेगी, यों नहीं छोड़ दिया जायगा। श्री शतरुद्ध प्रकाश जी ने विद्यार्थियों के प्रतिनिधित्व की बात कहीं । मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे इसी अधिनियम के पृष्ठ २६ पर देख लें, वहां विद्यार्थियों के प्रतिनिधित्व की बात है । और प्रत्येक संकाय के ऐसे छात्र जो पढ़ने वाले बहुत उच्च कोटि के हैं उन्हें प्रतिनिधित्व दिये जाने की बात इसमें शामिल है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

जो हिस्सेदारी की बात आपने रखी है, इसमें दो तीन बातें हैं । जो कैरियसिस्ट हैं, जो अपनी कैरियर बनाने वाले हैं, उनको आपने ऐडमिनिस्ट्रेशन में रखा है । दूसरी बात यह कि यह जो आपका तरीका है यह जनतांत्रिक नहीं है । क्योंकि वे चुनाव की मार्फत नहीं आयेंगे वे विद्यार्थियों के बीच से नहीं आयेंगे बल्कि वायस चान्सलर या डीन जिसको चाहेगें अपनी मर्जी से चुन लेंगे जो कि डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं होगा । इसलिये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से उनको आना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता---

यह सब नियमों में आ सकता है ।

श्री राम जी लाल सहायक---

नियम परिनियमों में वह सब आ जायेगा । मान्यवर, उन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय के बारें में एक सुझाव दिया । हमारा स्वयं का यह विचार है कि हम संस्कृत विश्वविद्यालय को केवल शैक्षणिक विश्वविद्यालय न रखें बल्कि उसे शोध केन्द्र के रूप में चलावें । हमारा ऐसा विचार है और हम ऐसा करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

एक बात मैं कहना चाहता हूं । बिना बोले मैं रह नहीं सकता ।

श्री अधिष्ठाता---

लेकिन मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं देता ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

आप इजाजत नहीं देंगे, फिर भी मैं बोलने के लिये विवश हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

मेरी बिना इजाजत के जो कुछ आप बोलेंगे वह लिखा नहीं जायेगा । (व्यवधान)...

श्री रामजी लाल सहायक---

एक बात उन्होंने विभागाध्यक्षों के बारे में कही । वे शायद यह देखेंगे कि जहां प्रोफेसर नहीं है वहां रीडर और जहां रीडर न हों वहां लेक्चरार के लिये इसमें प्राविधान है । सम्भवतः श्री शतरुद्ध प्रकाश जी ने उसको देखा नही है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

बहुत अप्रत्यक्ष है, मैंने उसको देखा है ।

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, बख्शी जी ने आज शिक्षा में परिवर्तन की बात की और उन्होंने मंजूर किया है कि कितना-कितना परिवर्तन शिक्षा में हुआ । मैं इसके लिये उन्हें बधाई देता हूं । लेकिन उन्होंने एक महिला विश्वविद्यालय बनाने की बात कही । मान्यवर, हमारा यह उद्देश्य है कि हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते है जो वर्ग विहीन और लिंग विहीन हो । तो इस स्थिति में महिला विश्वविद्यालय की मांग उचित नहीं मालूम पड़ती ।

(इस समय ३ बजकर १७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

माननीय मालवीय जी ने कुछ बातें किसी इस्तीफे को लेकर कही । वह इस्तीफा राजनीति से ओतप्रोत हो सकता है । जो उन्होंने जिक्र किया वह उनका स्थानीय मसला हो सकता है । लेकिन वेतन और भत्ते आदि के बारे में जो उन्होंने कहा, तो मान्यवर, जानकारी के लिये मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने कुछ दिनों पहले वेतन क्रम और भत्ते आदि के बारें में निर्णय लिया था । उसी घोषणा के आधार पर हमारे यहां भी निर्णय लिया गया । बल्कि हमने यह भी निर्णय लिया है कि जब-जब भी केन्द्रीय सरकार में इस तरह का कोई निर्णय होगा, या घोषणा होगी तो हम भी अपने संसाधनों को देखते हुये वेतन और भत्ते देने की कोशिश करेंगे ।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मालवीय जी को जो उन्होंने यह सब बातें कहीं । इसके अलावा उन्होंने नये विश्वविद्यालय के बारें में भी जिक्र किया है । अन्य साथियों ने ऐसा नहीं कहा । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि राष्ट्रपति के अधिनियम का अधिनियमन करना है, नये विश्वविद्यालय खोलने का प्राविधान किया गया है । कृषि विश्वविद्यालय खोलने का प्राविधान किया गया है ।

मैं सब इन साथियों को आग्रह करूंगा कि इस पर विचार करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, १९७४ को जनमत जानने के लिये एक माह तक परिचालित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय, जो अपनी रिपोर्ट तीन माह में दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)¡

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, १९७४ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसको विधेयक, की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर दें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, १९७४ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २ से ५

राष्ट्रपति के अधिनियम संख्या १०, १९७३ का निरसन और परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम

२—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) एतदद्वारा निरसित किया जाता है और धारा ३ से १८ में दिये गये परिष्कारों के साथ पुनः अधिनियमित किया जाता है ।

शीर्षक और उद्देशिका का संशोधन

३—मूल अधिनियम के शीर्षक में, शब्द "भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित" निकाल दिये जायें, और वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर शब्द "निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है" रख दिये जायें ।

धारा १ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (४) में, खंड (ख) निकाल दिया जाय ।

धार २ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा २ में—

(१) खंड (४) में, शब्द "इस अधिनियम" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम तथा विश्वविद्यालय के परिनियमों" रख दिये जायें ।

(२) खंड (१८) में, शब्द "विश्वविद्यालय या किसी घटक, संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय द्वारा शिक्षण अथवा अनुसंधान कार्य में मार्ग-दर्शन या संचालन के लिये" के स्थान पर शब्द "विश्वविद्यालय या किसी घटक, संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में शिक्षण के लिये अथवा अनुसंधान कार्य में मार्ग दर्शन या संचालन के लिये" रख दिये जायें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, ४ और ५ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ६

धारा ४ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (१) के पश्चात निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात:—

"(१-क) ऐसी तारीख या तारीखों से जिसे या जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे ;

(क) झांसी में बुन्देलखंड विश्वविद्यालय ;

(ख) फैजाबाद में फैजाबाद विश्वविद्यालय; और

(ग) बरेली में रुहेलखंड विश्वविद्यालय ;

अनुसूची में क्रमशः विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिये स्थापित किये जायेंगे ।

(१-ख) उपधारा (१-क) के अधीन स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालय के संबंध में—

(क) राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के (कुलाधिपति से भिन्न) अंतरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगी और ऐसे विश्वविद्यालयों के लिये ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, अंतरिम प्राधिकारियों का गठन करेगी ;

(ख) खंड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी तथा गठित प्राधिकारियों के सदस्य, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति या गठन की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे ;

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकारियों के गठन के लिये इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि खंड (ख) के अधीन अंतरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग-अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।"

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में मूल अधिनियम की धारा ४ की प्रस्तावित उपधारा (१–ख) की मद (ख) की दूसरी पंक्ति में "दो वर्ष" तथा "की अवधि तक" के बीच निम्नलिखित जोड़ दिया जाय। "अथवा विश्वविद्यालय के गठन हो जाने की तिथि जो, पहले हो।"

श्री रामजी लाल सहायक—

मैं स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ में मूल अधिनयम की धारा ४ की प्रस्तावित उपधारा (१-ख) की मद (ख) की दूसरी पंक्ति में "दो वर्ष" तथा 'की अवधि तक" के बीच निम्नलिखित जोड़ दिया जाय। "अथवा विश्वविद्यालय के गठन हो जाने की तिथि जो, पहले हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७

धारा १३ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (४) में, शब्द तथा अंक "धारा १० के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा १० तथा ६८ के अधीन" रख दिये जाये।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में निम्नलिखित बढ़ा दिया जावे।

"तथा मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (८) में (१) दूसरी पंक्ति में शब्द 'अध्यापक की' के बाद शब्द 'कुलाधिपति की स्वीकारी के बाद' बढ़ा दिया जावे।

(२) तीसरी पंक्ति, शब्द 'छः मास' के स्थान पर 'तीन मास' कर दिया जावे।"

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर मुझे खेद है कि इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७ में निम्नलिखित बढ़ा दिया जावे "तथा मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (८) में (१) दूसरी पंक्ति में शब्द 'अध्यापक की' के बाद शब्द 'कुलाधिपति की स्वीकारी' बढ़ा दिया जावे।

(२) तीसरी पंक्ति शब्द 'छः मास' के स्थान पर 'तीन मास' कर दिया जावे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

धारा १७ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा १७ में, उपधारा (२) में, शब्द १७ में, उपधारा (२) में, शब्द "कुल सचिव, उप-कुल सचिव तथा सहायक कुल सचिव के पदों पर" के स्थान पर शब्द "कुल सचिव, उप-कुल सचिव तथा सहायक कुल सचिव के प्रशासनिक पदों पर" रख दिये जायें।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में निम्नलिखित और बढ़ा दिया जावे तथा मूल अधिनियम की धारा १७ में (१) उपधारा (१) की पंक्ति २ में "सहायक कुल सचिवों" के बाद शब्द "अधीक्षक (सुपरिन्टेन्डेंट)" बढ़ा दिया जावे।

(२) उपधारा (२) की पंक्ति २ में "सहायक कुल सचिव" के बाद शब्द "अधीक्षक (सुपरिन्टेन्डेन्ट)" बढ़ा दिया जावे।

(३) तीसरी पंक्ति में शब्द "किये जा चुके हों" के बाद शब्द "यदि उनके खिलाफ, कोई जांच किसी आरोप-पत्र पर आधारित उक्त तिथि से पहले चल रही हो" बढ़ा दिये जावें।

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि उस तारीख के पहले यदि आरोप-पत्र पर जांच हो रही हों तो उन पर नहीं किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

जांच चल रही है तो ठीक है नहीं तो उल्टा हो जायेगा।

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, मैं स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ८ में निम्नलिखित और बढ़ा दिया जावे तथा मूल अधिनियम की धारा १७ मे (१) उपधारा (१) की पंक्ति २ में "सहायक कुल सचिवों" के बाद शब्द "अधीक्षक (सुपरिन्टेन्डेन्ट)" बढ़ा दिया जावे।

(२) उपधारा (२) की पंक्ति २ में "सहायक कुल सचिव" के बाद शब्द "अधीक्षक (सुपरिन्टेन्डेन्ट)" बढ़ा दिया जावे।

(३) तीसरी पंक्ति में शब्द "किये जा चुके हों" के बाद शब्द "यदि उनके खिलाफ कोई जांच किसी आरोप-पत्र पर आधारित उक्त तिथि से पहले चल रही हो" बढ़ा दिये जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९

धारा २० का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(२) उपधारा (१) के खंड (ग), (घ) और (ङ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि एक वर्ष और उसके खंड (च) और (छ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी"।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, खंड ९ में निम्नलिखित और बढ़ा दिया जावे तथा मूल अधिनियम की धारा २० में (१) उपधारा १-घ की अन्तिम पंक्ति से पहली पंक्ति में शब्द "चार"के स्थान पर "६" कर दिया जावे तथा उपधारा १ (च) की पहली पंक्ति में शब्द "चार" के स्थान पर शब्द "छः" रख दिया जावे।

(२) उपधारा (५) को निकाल कर निम्नलिखित वाक्य रक्खे जायं।

"कोई भी व्यक्ति कार्य परिषद् का सदस्य नहीं चुना जा सकता या बना रह सकता है यदि वह या उसका सम्बन्धी किसी ऐसी व्यापारिक संस्थान अथवा फर्म का मालिक भागीदार अथवा संचालक हो जो विश्वविद्यालय से व्यापारिक लाभ उठाता है। स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जावे:—

"नातेदार का तात्पर्य वह होगा जो यूनिवर्सिटी हैन्डबुक म दिया है।"

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, कोई उपयोगी संशोधन नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ९ में निम्नलिखित और बढ़ा दिया जावे तथा मूल अधिनियम की धारा २० में (१) उपधारा १-घ की अन्तिम पंक्ति से पहली पंक्ति में शब्द 'चार' के स्थान पर '६' कर दिया जावे तथा उपधारा १ (च) की पहली पंक्ति में शब्द 'चार' के स्थान पर शब्द 'छ' रख दिया जावे।

(२) उपधारा (५) को निकालकर निम्नलिखित वाक्य रख जाये।

"कोई भी व्यक्ति कार्य परिषद का सदस्य नहीं चुना जा सकता या बना रह सकता है यदि वह या उसका सम्बन्धी किसी ऐसी व्यापारिक संस्थान अथवा फर्म का मालिक भागीदार अथवा संचालक हो जो विश्वविद्यालय से व्यापारिक लाभ उठाता है और स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जावे:—

'नातेदार का तात्पर्य वह होगा जो युनोवर्सिटी हैंडबुक में दिया है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १०

१०—मूल अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (१) में, वर्ग ६, खंड (xiii) निकाल दिये जायें। धारा २२ का संशोधन

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, खंड १० में निम्नलिखित बढ़ा दिया जावे "तथा मूल अधिनियम की धारा २२ में (१) क्लाज १० में पहली पंक्ति में शब्द 'के' और 'प्रतिनिधि' के बीच में 'दो' के स्थान पर अंक '१०' रख दिया जावे। तथा वर्ग ४ क्लाज (११) में पहली पंक्ति में '१५' के स्थान पर '२०' कर दिया जावे।

[श्री शिव प्रसाद गुप्त]

(२) क्लाज (११) की तीसरी पंक्ति में 'सेवा में न हो' के बाद सभी शब्द हटा दिये जावे।"

श्री राम जी लाल सहायक—

इस संशोधन को मानने से कन्फ्यूजन बढ़ जावेगा, इसलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १० में निम्नलिखित बढ़ा दिया जावे "तथा मूल अधिनियम की धारा २२ में (१) क्लाज १० में पहली पंक्ति में शब्द 'के' और 'प्रतिनिधि' के बीच में 'दो' के स्थान पर अंक '१०' रख दिया जावे। तथा वर्ग ४ क्लाज (११) में पहली पंक्ति में '१५' के स्थान पर '२०' कर दिया जावे।

(२) क्लाज (११) की तीसरी पंक्ति में 'सेवा में न हों' के बाद सभी शब्द हटा दिये जावें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ११

धारा २७ का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा २७ में—

(क) उपधारा (४) में, प्रथक परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

"परन्तु किसी मेडिकल, इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक या ललित कला महाविद्यालय की दशा में, ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य, यथा स्थिति मेडिकल इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक या ललित कला संकाय का पदेन संकायाक्षध्य होगा।"

(ख) उपधारा (६) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(६) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायगी :

परन्तु प्रत्येक व्यक्ति जो इस उपधारा के प्रारम्भ होने की तारीख के ठीक पूर्व विभागाध्यक्ष का पद धारण कर रहा हो, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उन्हीं शर्तों तथा निबन्धनों पर पद धारण किये रहेगा जिन पर उक्त तारीख के ठीक पूर्व धारण किये हो।"

श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के उपखंड ७ (ख) को हटा दिया जाय।

श्री रामजी लाल सहायक--

हमें स्वीकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ११ के उप खंड (ख) को हटा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १२

धारा ३१ क। संशोधन

१२--मूल अधिनियम की धारा ३१ में--

(१) उपधारा (४) के खंड (घ) में, विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय अर्थात्:--

"परन्तु किसी ऐसे महाविद्यालय की दशा में जिसमें उपखंड (२) के अधीन चयन समिति का सदस्य होने के लिये कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक उपलब्ध न हो, चयन समिति इस खंड में निर्दिष्ट शेष सदस्यों से गठित होगी ;

(२) उपधारा (५) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:--

"(घ) यथास्थिति, कुलाधिपति या कुलपति, चयन समिति में अपन नाम निर्देशितियों क रूप में कार्य करने के लिये विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपधारा (४) के अधीन अपेक्षित है विनिर्दिष्ट आदेश में संसूचित कर सकेगा । ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिया गया हो, चयन समिति के अधिवेशन के लिये उपलब्ध न हो तो उस व्यक्ति से जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में उसके ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिये अनुरोध किया जायगा । "

(३) उपधारा ७) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाय, अर्थात्:--

"(७-क) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिये एक या एकाधिक किन्तु तीन से अनधिक नामों की सिफारिश करे । "

(४) उपधारा (११) में--

(क) शब्द "भारत के संविधान के अनच्छेद ३० के खंड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालय को छोड़कर, के स्थान पर शब्द "ऐसे संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय

[श्री अध्यक्ष]

की दशा में (जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न हों)" रख दिये जायें ;

(ख) उपखंड (IV) में शब्द "अधिनियम और परिनियमों" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, मैं, आपकी आज्ञा से, प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १२ को निकाल कर उसे इस प्रकार लिख दिया जाय:--

मूल अधिनियम की धारा ३१ को निकाल कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"विश्वविद्यालय तथा उससे सहयुक्त तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्यक्ष हेतु कार्य करने के लिये सभी वर्गों के शिक्षकों (निदेशकों, आचार्य, उपाचार्य, प्रोफेसर, रीडर, प्रवक्ता) की नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा गठित "विश्वविद्यालय नियुक्ति आयोग" द्वारा की जायेगी जिसका गठन यह विधेयक पारित होने के ६ माह के भीतर ही कर दिया जायेगा। यह आयोग स्वायत्त शाही होगा ।"

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, इसमें मेरी कठिनाई है कि जो विधेयक का स्वरूप है, इसको मानने से वह बिल्कुल बदल जायेगा । इसलिये इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १२ को निकाल कर उसे इस प्रकार लिख दिया जाय:

मूल अधिनियम की धारा ३१ को निकाल कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"विश्वविद्यालय तथी उससे सहयुक्त तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययन हेतु कार्य करने के लिये सभी वर्गों के शिक्षकों (निदेशको, आचार्य, उपाचार्य, प्राफेसर, रीडर, प्रवक्ता) की नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा गठित "विश्वविद्यालय नियुक्ति आयोग" द्वारा की जायेगी जिसका गठन यह विधेयक पारित होने के ६ माह के भीतर ही कर दिया जायेगा। यह आयोग स्वायत्त-शासी होगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

१२-मूल अधिनियम की धारा ३१ को निकाल दिया जाये और उसके स्थान पर निम्नलिखित नया खंड ३१ रखा जावे--

"३१-सभी प्राचार्य, अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश एजूकेशन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की जावे सरकार ऐसे कमीशन की घोषणा तुरन्त गजट द्वारा करेगी और उपरोक्त सभी वर्ग के सेवा नियम वही उपरोक्त कमीशन बनावेगी यह कमीशन

उसी नियम के अन्तर्गत कार्य करेगा जिस तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्य करता है"

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा उनकी कठिनाई है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि इस पर विचार कर रहा हूं।श्रीमन कठिनाई अच्छे काम में ही होती है। अतः मेरा निवेदन है कि मेरे प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे।

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, विश्वविद्यालय स्तर पर लोक सेवा आयोग जैसी चयन समिति बनाना उचित नहीं होगा। माध्यमिक विद्यालयों के लिये अलग बात है। लेकिन विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी संस्थायें होती है। वहां ऐसा करने से काम नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

१२—मूल अधिनियम की धारा ३१ को निकाल दिया जावे और उसके स्थान पर निम्नलिखित नया खंड ३१ रखा जावे।

"३१—सभी प्राचार्य, अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश एजुकेशन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की जाते सरकार ऐसे कमीशन की घोषणा तुरन्त गजट द्वारा करेगी और उपरोक्त सभी वर्ग के सवा नियम वही उपरोक्त कमीशन बनावेगी यह कमीशन उसी नियम के अन्तर्गत कार्य करेगा जिस तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्य करता है"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृति हुआ।)

*श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह बहुत 'न न' कह चुके हैं। किसी में 'हां' कर लें। बहुत मासूम सा संशोधन है, मेरा। उससे न तो रूप बदलेगा और न स्वरूप कलंकित होगा। संशोधन पर लोग पहले ही कह चुके हैं।

मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है:—

खंड १२ के उपखंड (१) द्वारा मूल अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (४) के खंड (घ) परन्तुक की दूसरी पंक्ति में शब्द "प्राचार्य", और', और शब्द, 'उपलब्ध,' के बीच का शब्द "या अन्य अध्यापक" हटा दिये जायं।

श्री रामजी लाल सहायक—

जब इस प्रस्ताव के जरिये अध्यापक ही हटाये जा रहे हैं तो मैं इसे कैसे मान सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (१) द्वारा मूल अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (४) के खंड (घ) परन्तुक की दूसरी पंक्ति में शब्द "प्राचार्य" और शब्द "उपलब्ध" के बीच का शब्द या अन्य अध्यापक" हटा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन रखता हूं ।

खंड १२ की मद(३) को हटा कर इस प्रकार लिया जाय:

उपधारा (७) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय ।

"(७–क) यह चयन समिति प्रत्येक पद के लिये तीन नामों की सिफारिश करेगी।"

एक का प्राविधान है । तीन का प्रस्ताव इसलिये मैं कर रहा हूं ताकि कोई पक्षपात न किया जा सके ।

श्री रामजी लाल सहायक—

तीन नाम देने में बड़ी गड़बड़ी होगी । इसलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १२ की मद(३) को हटाकर इस प्रकार लिखा जाय:

उपधारा (७) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय—

"(७–क) यह चयन समिति प्रत्येक पद के लिये तीन नामों की सिफारिश करेगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री राम सेवक यादव—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड १२ की मद(३) में शब्द"और सौव से बढ़ायी गयी समझी जाय"हटा दिये जायं ।

यह बहुत ही मासूम संशोधन है । इसको पीछे से लागू न किया जाय क्योंकि एक आदत सी बनती जा रही है कि जब कोई अनियमितता हो जाती है तो उस अनियमितता को दूर करने के लिये सरकार कानून में तब्दीली लाती है और पीछे की तारीख से उसे लागू करती है । जिस तारीख से यह पास हो उसी तारीख से यह लागू किया जाय ।

श्री रामजी लाल सहायक—

मैं इसे नहीं मान सकता ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड १२ की मद (३) में शब्द"और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाय" हटा दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री राम सेवक यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (३) में मूल अधिनियम की धारा ३१ की प्रस्तावित उपधारा(७–क) में पहली पंक्ति के शब्द"एक" और शब्द"या" के बीच निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय"—

"यदि एक अधिक नाम उपलब्ध न हों ।"

यह बहुत ही निर्दोष संशोधन है । मुझे आशा है कि मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे ।

श्री रामजी लाल सहायक—

मैं इसे स्वीकार नहीं करता ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (३) में मूल अधिनियम की धारा ३१ की प्रस्तावित उपधारा (७–क) में पहली पंक्ति के शब्द "एक" और शब्द "या" के बीच निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय :—

"यदि एक से अधिक नाम उपलब्ध न हों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १३ से १५

धारा 34 का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा ३४ में, उपधारा (१) में, शब्द, "और उनके द्वारा धारण किये जाने वाले पारिश्रमिक पद वही होंगे तो जो विहित किये जायें" के स्थान पर शब्द "वही होगी जो विहित की जाय" रख दिये जायें।

धारा 49 का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की धारा ४९ में, खंड (ण) में, शब्द, "जिनके अन्तर्गत और उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण भी है," के स्थान पर शब्द "जिनके अन्तर्गत उनके द्वारा अपनी विद्या संबंधी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का रखा जाना और उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण नियम भी हैं" रख दिये जायें।

धारा 50 का संशोधन

१५—मूल अधिनियम की धारा ५० में—

(i) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(१–क) राज्य सरकार ऐसे परिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के भीतर किसी समय प्रथम परिनियम को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संशोधित कर सकेगी, चाहे वे परिवर्तन, प्रतिस्थापन या लोप के रूप में हो, और कोई ऐसा संशोधन ऐसे भूतलक्षी दिनांक से हो सकेगा जो इस प्रकार प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले का न हो ।"

(ii) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(२) कार्य परिषद् प्रथम परिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् किसी समय, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (१) अथवा उपधारा (१-क) में निर्दिष्ट परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगी ।"

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के अन्त में १३(ख) निम्नलिखित रूप में बढ़ा दिया जाय तथा इसको १३(क) कर दिया जाय ।

"१३(ख) मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (२) के 'स्पष्टीकरण' से शब्द 'नेशनल कैंडिट कोर' निकाल दिये जायें।"

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, नेशनल कैडिट कोर हमारी एक ऐसी संस्था है जिसमें हमारे नौजवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है और वे फौज के लिये तैयार किये जाते है। इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, यह ऐसा संशोधन है जिसका कि माननीय मंत्री जी को कोई रिफरेंस मालूम नहीं है कि इसका प्रयोग कैसे किया गया है। यह बड़े शर्म की बात है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १३ के अन्त में १३(ख) निम्नलिखित रूप में बढा दिया जाय तथा इसको १३(क) कर दिया जाय—

"१३ (ख) मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (२) के "स्पष्टीकरण" से शब्द "नेशनल कैडिट कोर" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १३, खंड १४ और खंड १५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १६ से २८

नयी धारा ७२-क का बढ़ाया-जाना

16—मूल अधिनियम की धारा 72 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"७२ क—इस अधिनियम में किसी बात के लिए होते हुए भी—

काशी विद्यापीठ के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो काशी विद्यापीठ के विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने के ठीक पूर्व की तारीख को (कुलाधिपति से भिन्न) उसके किसी अधिकारी के रूप में पद धारण कर रहा हो, अवधि के सिवाय उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों पर, तब तक जब तक कि खंड (ख) के अधीन नई नियुक्तियां न कर दी जायें, इस रूप में उसी प्रकार पद धारण करता रहेगा जिन पर कि वह उक्त तारीख को धारण कर रहा था;

(ख) इस धारा के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, राज्य सरकार (कुलाधिपति से भिन्न) उक्त विश्वविद्यालय के अन्तरिम अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी और उक्त विश्वविद्यालय के अन्तरिम प्राधिकारियों का गठन ऐसी रीति से करेगी, जिसे वह उचित समझे, ऐसा होने पर खंड (क) में निर्दिष्ट तत्समय अधिकारी पद पर न रह जायेंगे और तत्समय प्राधिकारियों का तत्काल विघटन हो जायेगा:

(ग) खंड (ख) के अधीन नियुक्त अधिकारी तथा गठित प्राधिकारियों के सदस्य, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति या गठन की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे;

(घ) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकारियों के गठन के लिये इस

प्रकार कार्यवाही करेगी कि खंड (ग) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग-अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।"

धारा ७४ का संशोधन

१७—मूल अधिनियम की धारा ७४ की उपधारा (३) में,

(१) खंड (क) निकाल दिया जाय,

(२) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जायें, और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायें, अर्थात्—

"(छ) वाराणसी जिले में स्थित काशी नरेश गवर्नमेंट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर या गवर्नमेंट डिग्री कालेज, जखनी अथवा देहरादून जिले में स्थित गवर्नमेंट डिग्री कालेज, ऋषिकेश के प्रत्येक ऐसे छात्र को, जो—

(१) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९७३ के प्रारम्भ के ठीक पूर्व, आगरा विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिये अध्ययन कर रहा था; या

(२) उक्त विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिये विद्यावर्ष १९७३-७४ के दौरान उक्त महाविद्यालयों में से किसी महाविद्यालय के छात्र के रूप में प्रदिष्ट था; या

(३) वर्ष १९७४ में, या भूतपूर्व छात्र के रूप में वर्ष १९७५ में, उक्त विश्वविद्यालय की किसी उपाधि परीक्षा में बैठने के लिये पात्र हो ;

आगरा विश्वविद्यालय के पाठ्य-विवरण के अनुसार अपना पाठ्य-क्रम पूरा करने की अनुज्ञा दी जायगी और आगरा विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों के शिक्षण तथा उनकी परीक्षा के लिये आवश्यक प्रबन्ध किया जायगा और ऐसे परीक्षा-फल पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी।

(ज) जब तक कि धारा ४ की उपधारा (१) या उपधारा (१-क) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों में संकायों का गठन न हो जाय, धारा ३१ की उपधारा (४) के खंड (ग) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्

(१) प्रबन्धतंत्र का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्ध-तंत्र का एक सदस्य, जो अध्यक्ष होगा;

(२) प्रबन्धतंत्र द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धतंत्र का एक सदस्य, और

(३) तीन विशेषज्ञ जो कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे"

अनुसूची का संशोधन

१८—मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम-संख्या ३, ४, ५, ६, ७ और ८ की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायें, अर्थात्—

"३—आगरा विश्वविद्यालय—

(१) रुहेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक।	आगरा, अलीगढ़, बरेली, बिजनौर, बदायूं, एटा, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर तथा शाहजहांपुर जिले।
(२) रुहेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर।	आगरा, अलीगढ़, एटा मैनपुरी तथा मथुरा जिले।

४--गोरखपुर विश्वविद्यालय--	
(१) फैजाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक ।	आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बस्ती, देवरिया, फैजाबाद, गाजीपुर गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर तथा वाराणसी जिले ।
(२) फैजाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर ।	आजमगढ़, बलिया, बस्ती, देवरिया गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर तथा वाराणसी जिले ।
५--कानपुर विश्वविद्यालय--	
(१) बुन्देलखंड और फैजाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक ।	इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय इलाहाबाद, बांदा, बाराबंकी, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कानपुर, लखीमपुर-खीरी, ललितपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव जिले ।
(२) बुन्देलखंड और फैजाबाद विश्वविद्यालयों की स्थापना हो जाने पर ।	इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों की सीमा के भीतर आने वाल क्षेत्र के सिवाय इलाहाबाद, इटावा, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर, लखीमपुर-खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव जिले ।
६--मेरठ विश्वविद्यालय	बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर जिले ।
७--कुमायूं विश्वविद्यालय	अल्मोड़ा, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ जिले ।
८--गढ़वाल विश्वविद्यालय	चमोली, देहरादून, गढ़वाल, टिहरी-गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिले ।
९--बुन्देलखंड विश्वविद्यालय	बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी तथा ललितपुर जिले ।
१०--फैजाबाद विश्वविद्यालय	बहराइच, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर जिले ।
११--रुहेलखंड विश्वविद्यालय	बदायूं, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर तथा शाहजहांपुर जिले ।"

अध्याय ३

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ का संशोधन

उ०प्र० अधिनियम संख्या ४५, १९५८ के दीर्घशीर्षक तथा उद्देशिका का संशोधन

१९—उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, दीर्घ शीर्षक में शब्द "एक कृषि विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "कृषि विश्वविद्यालयों को" और उद्देशिका में, शब्द "एक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किया जाय" के स्थान पर शब्द, "कृषि विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किये जायें" रख दिये जायें ।

धारा १ का संशोधन

२०—मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (१) में शब्द "उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम" रख दिये जायें ।

धारा २ का संशोधन

२१—मूल अधिनियम की धारा २ में, खंड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(ठ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य, यथास्थिति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अथवा नरेंद्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अथवा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय से है ।"

नई धारा २-क का बढ़ाया जाना

२२—मूल अधिनियम की धारा २ के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"२-क (१) इस धारा के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व पंतनगर में विद्यमान गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अतिरिक्त, ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे (जिसे आगे नियत दिनांक कहा गया है) ।

फैजाबाद तथा कानपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना

(१) फैजाबाद में एक विश्वविद्यालय की जो नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहलायेगा, और

(२) कानपुर में एक विश्वविद्यालय की जो चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहलायेगा,

स्थापना की जायेगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालयों के संबंध में—

(क) राज्य सरकार (कुलाधिपति से भिन्न) विश्वविद्यालयों के अन्तरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगी और ऐसे विश्वविद्यालयों के लिये ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, अन्तरिम प्राधिकारियों का गठन करेगी;

(ख) खंड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी तथा गठित प्राधिकारियों के सदस्य यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति या गठन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे,

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकारियों के गठन के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि खंड (ख) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग-अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।"

धारा ३ का संशोधन

२३—मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(१) कुलाधिपति, कुलपति और बोर्ड तथा विद्वत् परिषद के सदस्यों से जो प्रत्येक विश्वविद्यालय में तत्समय पद धारण कर रहे हों, उस विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित संकाय गठित होगा।"

नई धारा ६-क का बढ़ाया जाना

२४—मूल अधिनियम की धारा ६ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"६-क प्रसार, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्य के संबंध में धारा ६ के अधीन विश्वविद्यालय के अधिकारों का प्रयोग अनुसूची में प्रत्येक के सामने तत्समय विनिर्दिष्ट क्षेत्र के संबंध में किया जा सकेगा।

कतिपय प्रयोजनों के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता

धारा ३५ का निकाला जाना

२५—मूल अधिनियम की धारा ३५ निकाल दी जाय।

अनुसूची का बढ़ाया जाना

२६—मूल अधिनियम की धारा ३६ के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

क्रम-संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय प्रसार प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्य के प्रयोजनार्थ अधिकारिता का प्रयोग करेगा
१	गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय—	
	(क) नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय और चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक।	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
	(ख) नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय और चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर।	कुमायूं, गढ़वाल, रुहेलखंड और मेरठ डिवीजन।
२	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय	फैजाबाद, गोरखपुर और वाराणसी डिवीजन
३	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय	लखनऊ, झांसी, आगरा और इलाहाबाद डिवीजन।

२७—मूल अधिनियम जहां-जहां शब्द "कुलपति (Chancellor)" उपकुलपति (Vice-Chancellor)" और "रजिस्ट्रार (Registrar)" प्रयुक्त हों, वहां-वहां क्रमशः शब्द "कुलाधिपति (Chancellor)" "कुलपति (Vice-Chancellor)" तथा "कुल सचिव (Registrar)" रख दिये जायं। सामान्य संशोधन

अध्याय—४

अस्थायी उपबन्ध

२८—(१) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को, विशिष्टतः बुन्देलखंड, फैजाबाद, रुहेलखंड विश्वविद्यालयों अथवा नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना और उनके कृत्य के संबंध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि अध्याय २ तथा ३ में निर्दिष्ट अधिग्रहितियों के उपबन्ध ऐसी कालावधि के दौरान जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे प्रभावी होंगे : कठिनाइयों को दूर करना

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (१) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ में शब्द "मूल अधिनियम की धारा ७२" के बाद शब्द "की उपधारा (२) के प्रतिबन्ध की पहली पंक्ति में 'एक वर्ष' के स्थान पर अंक व शब्द '६ मास' रख दिये जायं तथा उसके " जोड़ दिये जायं।

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, मैं इसे नहीं मानता।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १६ में शब्द "मूल अधिनियम की धारा ७२" के बाद शब्द "की उपधारा (२) प्रतिबन्ध की पहली पंक्ति में 'एक वर्ष' के स्थान पर अंक व शब्द '६ मास' रख दिये जायं तथा उसके" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १६,१७,१८,१९,२०,२१,२२,२३,२४,२५,२६,२७ और २८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ का निरसन करने और कतिपय परिष्कारों के साथ उसे पुनः अधिनियमित करने और उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

अध्याय--१

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम जी लाल सहायक--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, १९७४ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, १९७४ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाएं (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४†

(मुख्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष--

वह तो पास हो गया । हम आगे चले गये ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

माननीय मंत्री जी ने एक गम्भीर बात कह दी थी कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के स्वरूप को हटा कर रिसर्च संस्थान के रूप में कर दिया जाय। तो इससे बड़ी व्यापक प्रतिक्रियायें होंगी ।

---

†१८ जुलाई, १९७४ को कार्यवाही में छपा है ।

*माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री राम जी लाल सहायक)---

मान्यवर, माननीय सदस्य को गलत-फहमी है। वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय को हटाने की बात नहीं है उसकी एक रिसर्च यूनिट हटाने की बात है।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४ पर विचार किया जाय। मान्यवर, हमारे माध्यमिक विद्यालयों और डिग्री कालेजों में जो संचालन होता है वह बहुत से ट्रस्टों के द्वारा किया जाता है। जब हमने विधेयक के द्वारा अध्यापकों को वेतन देना स्वीकार किया और राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के समान उन्हें वेतन देने का निश्चय किया तो फिर यह मांग की गई कि उन विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। उसके सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया गया। इन कामों के बाद जो उनके प्रबन्धक थे उनके कान खड़े हुये और उन्होंने विचार करना शुरू किया कि अब ये विद्यालय हमारे हाथ से निकलेंगे, तो बहुत-सी ऐसी शिकायतें आईं हमारे पास कि जो उनको सम्पत्ति है, विद्यालयों की जो सम्पत्ति है, सार्वजनिक सम्पत्ति है--उनमें खेत भी शामिल है, सामान भी शामिल है, इमारत भी शामिल है और धन भी शामिल है, तो उसके अपव्यय करने की प्रवृत्ति बढ़ी और किया जाने लगा। उदाहरणार्थ मान्यवर, एक संस्था है, जिसने ट्रस्ट बनाया और वह संस्था उसके माध्यम से चलाई, लेकिन बाद में मंदिर भी, दूकानें भी वह बनवाने लगे, अस्पताल भी खोलने लगे, जिससे संस्था का मूल कार्य पिछड़ गया। इससे जाहिर हुआ कि संस्था कायम करने के लिये आय का साधन तो बढ़ाया लेकिन इससे जो आय हुई, उसको उस खाते में नहीं जमा किया, उसे स्कूल में नहीं लगाया, बल्कि उससे व्यक्तिगत काम लेने लगे। हमें यहां तक शिकायत मिली कि प्रतिभूति रूप में जो भूमि लिखाई थी, उसके सम्बन्ध में भी ऐसा विचार करके कि भूमि बहुत कीमत की हो गई है, अतः जितना रुपया जमा करना है, वह जमा कर दें और भूमि को बेच लें। कुछ खर्च ऐसे भी करने शुरू किये, जो संस्था में नहीं होने चाहिये। इन सब बातों से आवश्यक समझा गया कि ऐसा विधेयक सदन के सामने लाया जाय, ताकि वह इस किस्म का अपव्यय न कर सकें और सार्वजनिक सम्पत्ति जो शिक्षा संस्थाओं की है, उसको वे हथिया न सकें। यह बहुत उपयोगी विधेयक है और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस पर शीघ्र ही विचार करेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४ को जनमत जानने हेतु एक माह तक जनता में परिचालित किया जाय। मान्यवर, शहर के हर मोहल्ले में सुना जाता है रात्रि के समय कि यह पहरा देने वाले हमेशा चिल्लते हैं "जागते रहो" और कभी-कभी जब चोरी हो जाती है, तो पता चलता है कि पहरा देने वाले का ही उसमें हाथ था। ठीक उसी तरह से इस सरकार का पहरेदार की तरह हाल है। जमीनों को या सम्पत्तियों को सार्वजनिक हित में यह सरकार के हाथों में तो ले लेना चाहते हैं या कोई सार्वजनिक सम्पत्ति का दुरुपयोग न करें, यह चेतना इनको होती है, जब इनके पास शिकायत आती है। क्योंकि मंत्री जी ने यहां जब सरकार को चेतना आई तो प्राइवेट प्रबन्धकों के कान खड़े हो गये और उस पर शिकायतें आने लगीं। तब मंत्री जी चेते कि इस तरह का कोई विधेयक लाया जाय लेकिन उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि प्राइवेट स्कूलों के प्रबन्धक जो हैं, उनके कान-नाक न कटने पायें और साथ ही शिकायत की बौछार भी रुक जाये। इसका भी उन्होंने ध्यान रखा। इसलिये इस विधेयक को यहां प्रस्तुत किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

अभी कल भी श्री मंगलदेव विशारद की भूमि सम्बन्धी रिपोर्ट पर चर्चा हो रही थी, तो सभी सदस्यों ने सरकार पर यह आरोप लगाया था कि किस तरह से जोत सीमा विधेयक अनेक बार लाया गया और बड़ी जोतों को संरक्षण देने के लिये उसमें लूपहोल्स रखे गये, तारीखें बदली गयीं। यह विधेयक जिस उद्देश्य से लाया गया है– यह शिकायतों के खिलाफ लाया गया है, वह सही थीं, उनके अनुकूल विधेयक लाया जाना बहुत आवश्यक था और उचित भी था। यह जो लाया गया है उचित है। लेकिन इसमें इतनी खामियां हैं, रखी गई हैं कि विधेयक को पारित करा लेंगे, किन्तु सम्पत्ति एक इंच यह नहीं पायेंगे। इसमें यह है प्राइवेट प्रबन्धक इसके पास होने के बाद भी सम्पत्ति को संस्था से निकाल कर अपने हाथ में रख सकता है। उदाहरण के लिये इसमें सम्पत्ति की जो सूची प्रस्तुत करने का समय दिया गया है, वह ३ महीने का दिया गया है। अर्थात् एक संस्था को जैसे अपनी सम्पत्ति के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। उसके लिये तीन महीने का समय दिया गया है।

दूसरी चीज यह है कि यह विधेयक किस तारीख से लागू होगा, इसकी कोई चर्चा नहीं है। इसमें भी लगता है कि सरकार सदन से पारित कराने के बाद और राज्यपाल से हस्ताक्षर कराने में २–४ महीने का मौका दे दिया जायगा और फिर जिस दिन से पास हो जायगा, तब से तीन महीने के लिये समय दे दिया जायगा। तब पता चलेगा कि बहुत सम्पत्ति निकल गई। तो इनकी नीति है कि जनता से कह दो कि जागते रहो और संस्था से कह दो कि तुम चोरी करते रहो। मान्यवर, फिर यह ३ महीने का समय किस तिथि से लागू होगा, इसका निश्चित न होना, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यह सरकार प्राइवेट संस्थाओं के प्रबन्धकों को यह मौका देना चाहती है कि तुम सम्पत्ति को अपने फायदे में निकाल लो, हमने जनता को दिखाने के लिये केवल बिल ला दिया है। इसमें जितनी बड़ी सम्पत्ति की रक्षा की बात कही गई है और जितने छोटे अधिकारियों के हाथ में रक्षा का अधिकार दिया गया है। उसमें इन अधिकारियों की कार्यकुशलता और चारित्रिक ह्रास को देखते हुये यह बहुत मुश्किल प्रतीत होता है कि वास्तव में कोई न्याय हो पायेगा। आपने जिला विद्यालय निरीक्षक को भी रख दिया है। वह अपने जिले की इतनी बड़ी सम्पदा के बारे में निर्णय करेगा। सूची किसकी प्राप्त हुई, किसकी नहीं, किसकी सही है, किसकी नहीं है, यह देखना जिला विद्यालय निरीक्षक तक को अधिकार दे दिया गया है, तो इसमें निश्चित ही अन्याय होगा और घूसखोरी तथ भ्रष्टाचार फैलेगा।

इसके अतिरिक्त इसमें कहा गया है कि अपने यहां के एक अनुपात से अधिक नहीं कर सकता तो यह अनुपात क्या होगा, इसका निर्णय कौन करेगा ? यह बिल्कुल डिस्क्रीशनरी पावर दे दी गई है। इसमें निश्चित करना चाहिये था कि कितने अनुपात तक के खर्च की छूट होगी और कितने खर्च के ऊपर अनुपात से अधिक खर्च माना जायगा। इसके बारे में स्पष्ट निर्णय नहीं है, जिसमें अधिकारियों को मौका दिया गया है कि वे सौदेबाजी कर सकें प्राइवेट प्रबन्धकों से। इसके अतिरिक्त खर्च के निर्णय के बारे में या किसी बात के बारे में प्राइवेट प्रबन्धक जो देते हैं, उसका निर्णय किया जायगा। किन्तु यदि निर्देशक के यहां वह देता है और ८ सप्ताह के अन्दर वह निर्णय उस पर नही देता, तो यह मान लिया जायगा कि उसने उसके पक्ष में अपना निर्णय दे दिया है। ८ सप्ताह में अपील सरकार में होगी और वह कितने दिनों में निर्णय देगी, इसके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा गया है। नतीजा यह होगा कि इससे यहां फाइलें महीनों रुकेंगी और संस्था का कोई विस्तार करना चाहेगा तो वह रुका रहेगा और यहां से निर्णय नही मिलेगा, आज्ञा नहीं मिलेगी। एक पक्ष की बात सारी रहेगी। राज्य सरकार पर समय की सीमा बांधनी चाहिये थी। उसका निर्णय एक डेढ़ महीने में अवश्य मिल जाना चाहिये। इसी तरह से एक बड़ी अजीब चीज है जिसका आरोप सरकार पर लगाया जाता है कि हमेशा लालफीताशाही को प्रश्रय देती है, इस विधेयक

में भी इस बात को कहा गया है : अगर सद्भावना की दृष्टि से कोई अधिकारी कोई निर्णय लेता है, और वह निर्णय किसी तरह से प्रतिकूल असर डालता है तो उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती । लेकिन यदि प्रबन्ध समिति के सदस्य जो गुड फ़ेथ संस्था को चलाते हैं, अगर सद्भावना से कोई काम करते हैं, उनसे गलती हो जाती है तो निश्चित है कि उनको उस गलती का दंड दिया जायगा । हर प्रबन्धक को अगर गलती साबित हो तो दंड मिलना चाहिये अगर उसने जानबूझ कर सद्भावना के नाम पर गलती की है । इन शब्दों के साथ मेरा स्पष्ट मत है कि यह जो विधेयक लाया गया है वह केवल जनता को झूठा आश्वासन देने के लिये लाया गया है । मूल रूप से प्राइवेट प्रबन्धकों पर अंकुश लगाने के लिये नहीं लाया गया है । तीन महीने का समय कैसे लागू होगा । इसका उल्लेख न करना कि यह कब से लागू होगा सबसे बड़ा संरक्षण है उन प्रबन्धकों का जो प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं की सम्पत्ति को हड़पने का प्रयत्न करते हैं । इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं और आग्रह करता हूं कि इसको स्वीकार किया जाय ।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)---

अध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन में दे दे ।

उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (अस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४ जो लाया गया है उसके उद्देश्य और कारण के बारे में जो बताया गया है वह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम जो शिक्षण संस्थाओं पर होगा उसके बारे में गहराई से विचार नहीं किया गया । इस विधेयक के अन्दर ८ धारायें हैं । उसमें अनेक उपधारायें भी हैं । इन धाराओं के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं को जो धन का अपव्यय करती है, भूमिका का अपव्यय करती है, वहां के सामान को चोरी से बेचकर गलत फायदा उठाती है उसे इस कानून के लाने से रोका जा सकेगा ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मानों यह सरकार अपने सारे कर्तव्यों के प्रति बहुत ईमानदार और सच्ची है । बाकी जनता और जनता के द्वारा चालित संस्थायें भ्रष्टाचारी है और बेईमान है । वही सारी गड़बड़ियां करती है । इसलिये विधेयकों के द्वारा जनता को ठीक किया जाय, उन प्राइवेट संस्थाओं को ठीक किया जाय तब शायद भ्रष्टाचार दूर हो सकेगा । इसीलिये जो यह कहा गया कि प्राइवेट संस्थाओं के अन्दर उनकी जो कमेटियां हैं वह धन का दुरुपयोग करते हैं, अनेक प्रकार से उस संस्था की सम्पत्ति को बेंचकर गलत लाभ उठाते हैं । उसे रोकने के लिये यह विधेयक लाया गया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक की मंशा और है । इसके लाने से शिक्षण संस्थायें जो प्राइवेट रूप से काम करती हैं उनको सब प्रकार से सरकार के अधीन रखने का प्रयास किया है । मैं नहीं समझता कि ऐसी शिक्षा संस्थाओं को जो कि व्यक्तिगत रूप से चलती हैं जिसे जनता के अन्दर से कुछ व्यक्ति खड़े होकर अपना खून पसीना लगाकर, समय लगाकर उस संस्था को खड़ी करते हैं और जाने कहां-कहां से पैसे इकट्ठा करते हैं, कहां-कहां से सामान लाते हैं और अथक प्रयास के बाद वे इस स्थिति में पहुंचती हैं कि सरकार से मान्यता पा सकें और इसके बाद उनके द्वारा समाज और देश के विकास और उत्थान का काम होता है लेकिन आपने इस विधेयक द्वारा उन व्यक्तियों के प्रति जिन्होंने ऐसी संस्थाओं को चलाने में अपना खून पसीना एक किया है उनकी ईमानदारी के प्रति अविश्वास प्रकट किया है । मैं कहता हूं कि ऐसे लोग जो गड़बड़ियां करते हैं उन्हें कानून के द्वारा आप रोक भी नहीं सकते क्योंकि कानूनों के द्वारा बुराइयों को रोका नहीं जा सकता । आप विधेयक चाहे कोई पास कर लें या कोई कानून ले आवें लेकिन उसको रोक नहीं सकते लेकिन इस विधेयक के द्वारा आपने शिक्षा संस्थाओं के अधिकारों को अपने एक निदेशक के हाथों में सौंप दिया है जो सरकार का

[श्री बाबू लाल वर्मा]

आदमी होगा । कोई भी विवाद यदि शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में खड़ा होगा तो उसमें उस निदेशक के आदेश से काम करना होगा यानी शिक्षण संस्थाओं के अधिकार आपने सरकार के हाथ में दे दिये हैं ।

शिक्षा राष्ट्रीयकरण के बहाने आपने शिक्षा संस्थाओं के सारे के सारे अधिकार छीन लिये हैं और चाहा है कि वे सरकार के साथमें चलें जावें। इसमें फिर भी गड़बड़ियां हो सकती हैं जैसे भूमि व्यवस्था के लिये आपने कानून बनाया लेकिन कानून के बाद प्रदेश की सारी जमीन चली गयी और आपको एक बिस्वा जमीन भी नहीं मिल सकी । उसी प्रकार इस कानून के बनने के बाद वे जो बेचने वाले हैं वे शिक्षण संस्था की सारी सम्पत्ति को बेंच डालेंगे और इस प्रकार आपने उनको खुला मौका दिया है कि वह शिक्षण संस्थाओं की सम्पत्ति को बेंच देवें और उससे नाजायज फायदा उठा लेवें । विवादों को जो खड़े होंगे उनके लिये भी जो निर्णय निदेशक देंगे या वहां का शिक्षा अधिकारी करेगा वही शिक्षण संस्था के सदस्यों को मान्य होगा। इस विधेयक के अन्दर ऐसा प्राविधान है लेकिन इससे आपकी जो इच्छा है पूरी नहीं होगी । इसके अन्दर इतनी ज्यादा कमियां है जिससे यह आवश्यक है कि उन पर गम्भीरता से विचार विमर्श किया जाय और जो योग्य विद्वान व्यक्ति शिक्षा संस्थाओं के बारे में जानकारी रखते हैं उनके बीच में इस विधेयक पर विचार विमर्श हो । इसलिये इसका प्रवर समिति में भेजा जाना बहुत जरूरी है जहां पर भलीभांति विचार हो सके और उसके बाद यह विधेयक पुनः वापस आकर तब सदन के सामने आवें तो अधिक अच्छा होगा । इन शब्दों के साथ मैं माननीय ओम प्रकाश जी ने जो विचार व्यक्त किये है उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। इस संशोधन को स्वीकार करने के लिये सिफारिश करता हूं और निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्यों से कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जावे जहां पर इस पर विचार हो कर १५ दिन के अन्दर रिपोर्ट इस पर आ जावे । इन शब्दों के साथ मैं इस अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं और इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे ऐसे मूल्यवान विषय पर बोलने का अवसर दिया। यह बिधेयक देखने में बड़ा सुन्दर और आकर्षक है लेकिन यह बड़ा गोलमाल विधेयक है । विषकुंभं पयोमुखम् की तरह है । इसीलिये यह जितनी बढ़िया चीज लग रही है उतनी ही खतरनाक है। मैं अपनी अनुभूति के आधार पर ऐसी बात कह रहा हूं । दस वर्षों का मैं अध्यापक जीवन बिताया है और शिक्षण संस्थायें किसी स्थिति में हैं उसमें मैं भलीभांति परिचित हूं । यह व्यवसाय का रूप धारण कर चुकी है । जहरीला भोजन और जहर ली दवा उतना नुकसान करती है जितना नुकसान जहरीली शिक्षा करती है क्योंकि जहरीली शिक्षा मस्तिष्क और मन की खुराक है और जहरीला भोजन और दवा शरीर की खुराक है। यह एक प्रकार का बिजनैस है और प्राइमरी पाठशालाओं से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक यह चीज चल रही है ।

श्री अध्यक्ष—

यह जो है इसी तक आप सीमित रहिये ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, मैं उसी मूल चीज पर आ रहा हूं । जो शिक्षण संस्थायें हैं उनकी आड़ में धन का दुरुपयोग किया जाता है उनके निवारण की आपकी मंशा है या कोई दूसरी मंशा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह एक ऐसा जाल है और बड़ा व्यापक जाल है और इस संबंध में एक घटना बताता हूं । हमारे यहां एक मूंदड़ा पूंजीपति हुये हैं । उनकी जांच श्री टी० टी० कृष्णमचारी ने की तो उनका जाल खुला । वह सैकड़ों शिक्षा संस्थाओं में फंसे हुये थे और भयंकर

घोटाला करते थे। लेकिन इस अपव्यय को रोकने का जो माध्यम आपने चुना है वह नहीं है क्योंकि यहां ऐसे व्यक्ति भी हुये हैं जैसे स्वामी श्रद्धानन्द जी, स्वामी दयानन्द जी आदि जिन्होंने....

श्री अध्यक्ष—

आपने शायद इसको पढ़ा नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मैं आपको वही चीज बता रहा हूं । शिक्षण संस्थाओं के धन का अपव्यय करने वालों ने अपना जीवन लगाया है और घोटाला हो रहा है उसका मूल कारण आपका विभाग है । जितने जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उनका इसमें योगदान है । मैं अपने जनपद की बात बता कर दूं कि एक एशोसियेटेड इंसपेक्टर हैं, उन्होंने सारे विद्यालयों में झगड़ा लगा दिया है और जो अपव्यय हो रहा है, वह उनकी जानकारी में हो रहा है, उनकी दुरभिसंधि से हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप सहज बुद्धि का प्रयोग करके बहुत कुछ कह गये ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

एक तरफ तो शासन यह करना चाहता है कि इस तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत करता है और दूसरी ओर उसके विभाग के अधिकारी स्वयं उस में सम्मिलित होते हैं । लेकिन अपना मुख उज्जवल करने के लिये शासन ऐसी बात रखना चाहता है । उसकी भावना को मैं किसी शायर के शब्दों में कह दूं ।

"इन वादाकशों की सोहबत में इस बात पै हैरत होती है ।
तौबा भी नहीं तोड़ी जाती, पीने की भी नियत होती है ।।"

इन शब्दों के साथ मैं, इस उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४ के बारे में निवेदन करता हूं कि इसे सदन का एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि उस पर विचार हो सके । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री शिव कुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी शिकायतें है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, बराबर सुनने को भी मिली है और देखने को भी मिली है । विद्यालय खोलने के लिये अभी एक जमाना था लोग भिखारी हो जाते थे, लेकिन आज युग ऐसा बदल गया है कि विद्यालय खोलने वाले आदमी विद्यालय खोलकर अपनी एक आमदनी का जरिया बना लिये हैं । तो इस तरीके से उसका नाजायज फायदा ज्यादा लिया जा रहा है । विद्यालय की मान्यता लेने के लिये दिखाये जाते है कि इतनी दान में जमीन मिली, इतना दान में रुपया मिला और इतना दान में सामान मिला । मान्यवर, उनमें या तो वास्तविकता नहीं रहती है या उसमें वास्तविकता रहती है तो उसका प्रबन्धक उसका फायदा उठाते हैं । पचासों एकड़ जमीन विद्यालय के पास रहती हैं लेकिन जब देखा जाय कि उन जमीनों से अनाज कितना आता है तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है । विद्यालय के पास बहुत से भवन रहते है लेकिन उसका किराया जहां पर दिखाने की बात आती है तो किराया कहीं पर भी नहीं दिखाया जाता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिव कुमार पाण्डेय]

हमारे पूर्व वक्ता भाइयों ने या तो मनन नहीं किया है या समझे नहीं। मेरे ही जिले में एक विद्यालय है जिसके पास ७–८ बंगले हैं और शहरों में भी कई बंगले हैं, लेकिन उसका आय-व्यय विद्यालय के आय-व्यय में नहीं लिखा गया है। मान्यवर, विद्यालय से संबंधित जितनी जमीनें हों, उनको उसमें शामिल करना चाहिये, जितने भवन हों, उनको उसमें शामिल करना चाहिये। मान्यवर, इस विधेयक को तो एक मत से सर्व सम्मति से सम्मानित सदस्यों को स्वीकार कर लेना चाहिये।

*श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है और जिस भावना से यह विधेयक यहां लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मान्यवर, यह प्रश्न प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण के लिये है। यह प्रश्न अर्से से उठ चुका है माध्यमिक शिक्षण संघ के माध्यम से, जनता की ओर से। यह प्रश्न इसलिये उठा है कि जितनी प्राइवेट शिक्षण संस्थायें हैं वे धन का दुरुपयोग करती हैं। जो सरकार से ग्रान्ट मिलती है उससे विद्यार्थियों का शोषण होता है। इसीलिए अध्यापकों और विद्यार्थियों ने इस मांग को उठाया है कि राष्ट्रीयकरण देर-सबेर होना है। इस भावना से प्रेरित होकर यह सरकार इस विधेयक को लाई है। मैं तो मानयीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि कहीं ऐसा न हो कि जैसे सीलिंग का विधेयक लाया गया था और सीलिंग का कानून लाया गया तो मालूम हुआ कि जमीनें ही सीलिंग में नहीं हैं। तो इस राष्ट्रीयकरण की बातचीत पहले से चल रही है। क्या आप समझते हैं कि इन विद्यालयों के धन का अपव्यय अब तक नहीं हुआ है? इसलिये ऐसा न हो कि राष्ट्रीयकरण करने के समय संपत्तियां आपके हाथों से निकल जायं। इसलिये मेरी मांग है कि इस विधेयक का इफेक्ट रिट्रवस्पेक्टिट होना चाहिये और उसी तारीख से होना चाहिये जिस तारीख से माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्राइवेट संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव पास करके भेजा है और उससे प्रदेश में चर्चा चली है कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। मैं चाहूंगा कि यह जल्द से जल्द लागू हो। इसमें दो संशोधन रखे गये हैं, एक जनता में घुमाने का और एक प्रवर समिति का एक ही दल से। एक माननीय ओमप्रकाश सिंह का है, उससे मालूम होता है कि वह इस विधेयक की आत्मा से सहमत हैं, लेकिन वर्मा जी के संशोधन से मालूम होता है कि वह प्रबन्धकों की भाषा बोल रहे हैं कि सरकार राष्ट्रीयकरण के नाम पर प्राइवेट संस्थाओं पर अंकुश लगाना चाहती है। तो दो विचारधारा आयी है। इस पर समय नष्ट करके जल्दी से जल्दी इसको लागू किया जाय और रिस्ट्रास्पेक्टिव इफेक्ट इसको किया जाय तो बहुत अच्छा है।

इन शब्दों के साथ मैं बिल की मंशाओं का स्वागत करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है अगर उसकी मंशा वही है तो निश्चित रूप से हमारे जैसे लोग जो शिक्षण संस्थाओं से संबंधित है वह इसका स्वागत करेंगे। शंका की बात तब उत्पन्न होती है कि जब से इस सरकार ने चीनी मिल के राष्ट्रीयकरण का नारा किया और खुद चीनी मिलों को खोखला कर दिया। सीलिंग ऐक्ट जब से लागू हुआ, जितनी सीलिंग की जमीन थी वह खत्म हुई। इसी प्रकार से जो विधेयक प्रस्तुत है अगर इसको तुरन्त लागू नहीं किया गया रिस्ट्रास्पेटिव इफेक्ट से जब से कि माध्यमिक शिक्षक संघ ने राष्ट्रीयकरण की मांग का नारा दिया तो यह बड़े संदेह की बात होगी कि वह वास्तव में इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रयत्नशील हैं। राष्ट्रीयकरण की बात से प्रबन्धक परेशान है यह बड़ी खुशी की बात है। वह भी राष्ट्रीयकरण से सहमत है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूल में दो प्रकार की संपत्ति होती है। एक तो वह जो कमेटी आफ मैनेजमेंट के नियंत्रण में जिसका आडिट कराते हैं वह रेकार्ड आप मेनटेन करते हैं। दूसरी संपत्ति मूल होती है जो सोसाइटी के नाम से होती है। जो भी विधेयक आप पारित करायें, आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि दोनों पर ही लागू होना चाहिये। कमेटी आफ मैनजमेंट और सोसाइटी के पास जो संपत्ति है दोनों पर होना चाहिये क्योंकि जिस पैसे से शोषण अध्यापकों को दबाने के लिये और तमाम कार्यों के लिए मैनेजर करता है सैर-सपाटे के लिए, व्यक्तिगत आमोद-प्रमोद के लिये करता है वह सोसाइटी के एकाउन्ट में पड़ा रहता है। तो सोसाइटी को भी विद्यालय का अंग माना जाना चाहिये। ३ महीने का जो समय दिया गया है, तो जितनी संपत्ति होती है संस्था के पास उसका रेकार्ड, रजिस्टर उस विद्यालय में मौजूद है। सोसाइटी या कमेटी आफ मैनेजमेंट के रेकार्ड को ढूंढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सब स्टाक रजिस्टर, संपत्ति रजिस्टर में मौजूद रहता है। तो जिस समय विद्यालय की अचल या चल संपत्ति या एकाउन्टस या कमेटी आफ मैनेजमेंट या सोसाइटी के खाते को आप सीज करें तो इस ऐक्ट की मंशा और जो उनकी इच्छा है वह पूरी होगी। इन शब्दों के साथ मैं उस हद तक विधेयक की मंशा का स्वागत करता हूं कि इसको तुरन्त लागू किया जाय और उनको मौका न दिया जाय कि वह विद्यालय की संपत्ति का दुरुपयोग कर सकें और दुरुपयोग को रोका जाय और शिक्षा संस्थाओं को इन लोगों के चंगुल से मुक्त करके अपने हाथ में सरकार ले लें।

श्री अध्यक्ष—

अब समय नहीं है। अब माननीय ओम प्रकाश सिंह.....नहीं है।

माननीय बाबू लाल वर्मा। (श्री बाबू लाल वर्मा अनुपस्थित थे।)

(तीन, चार सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर।)

अब समय कहां है। वैसे मुझे समय देने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर यह तीसरा विधेयक न पास हो तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसे साढ़े ४ नहीं तो पौने पांच तक पास करना है और उसके बाद फिर आगे काम है।

*श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, मुझे बड़ी खुशी है कि इस विधेयक का सभी ने स्वागत किया। सबसे पहले माननीय ओम प्रकाश जी बोले और उन्होंने इस विधेयक को उपयोगी बताया और उन्होंने शंका व्यक्त की कि इसे जल्दी लागू किया जाय अन्यथा तीन महीने का समय आपने दिया तो उसमें गड़बड़ी कर लेंगे। इससे जाहिर है कि वह विधेयक पक्ष में हैं। लेकिन फिर उन्होंने जो रुख बदला क्योंकि उनका संशोधन रहा है कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय इसलिये उस पर विचार उन्होंने व्यक्त किये। मैं समझता हूं कि प्रवर समिति को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि यह जल्दी से जल्दी पास किया जाय और लागू किया जाय। अगर प्रवर समिति को जाता है तो और समय मिल जायगा गड़बड़ी करने का। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं तो इस पर जल्दी ही संडवाइज विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४ को जनमत जानने हेतु एक माह तक जनता में परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन में दे दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ से ८ तक

परिभाषाएं

२—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) "निदेशक" का तात्पर्य, यथास्थिति, शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) या शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) से है, और इसके अन्तर्गत निदेशक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अपर शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक उप शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक या संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका भी हैं ;

(ख) "संस्था" या "शैक्षिक संस्था" का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था, या किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय, से संबद्ध अथवा उसके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी उपाधि महाविद्यालय या स्नातकोत्तर महाविद्यालय से है,किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी संस्था नहीं है जिसका पोषण केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाता हो ;

(ग) किसी संस्था के संबंध में, "प्रबन्धतंत्र" का तात्पर्य ऐसी प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय या व्यक्ति से है, जिसे उस संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने का भार दिया गया हो ;

(घ) किसी संस्था के संबंध में, "सम्पत्ति" के अन्तर्गत संस्था की अथवा पूर्णतः या अनन्य रूप से संस्था के लाभार्थ विन्यासित सभी स्थावर संपत्तियां भी हैं, जिसके अन्तर्गत ऐसी भूमि, भवन और ऐसी संपत्ति से जो प्रबन्धतंत्र के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हों, उद्भूत होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित में भी हैं ।

सम्पत्ति की तालिका प्रस्तुत करना

३—प्रत्येक संस्था का प्रबन्धतंत्र निदेशक को प्रथमतः इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर, और तदुपरान्त प्रतिवर्ष ३० सितम्बर तक संस्था की अथवा उसके प्रयोजनार्थ विन्यासित समस्त संपत्तियों की तालिका जिसके साथ ऐसी विशिष्टियां होगी जिन्हें निदेशक आवश्यक समझे, उसके द्वारा विहित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा ।

अपव्यय का निवारण

४—(१) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, प्रबन्धतंत्र कोई ऐसा व्यय नहीं करेगा जो शैक्षिक संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप न हो अथवा इतना अधिक हो कि उसकी आय से अननुपातिक हो अथवा किसी अन्य कारण से ऐसा हो जिसे कोई भी प्रज्ञावान प्रबन्धतंत्र संस्था के हित में व्यय करना उचित न समझे, और जो इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत न हो।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निदेशक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रबन्धतंत्र को कोई विनिर्दिष्ट व्यय या किसी विनिर्दिष्ट मद पर व्यय अथवा किसी विनिर्दिष्ट मद पर विनिर्दिष्ट सीमा के बाहर अथवा सिवाय विनिर्दिष्ट शर्तों तथा निर्बन्धनों के अनुसार, व्यय करने से, प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

(३) (क) जहां प्रबन्धतंत्र की यह राय हो कि कतिपय व्यय आवश्यक या समीचीन है किन्तु व्यय का प्रकार या उसकी धनराशि उसकी आय से अनुपातिक है तो प्रबन्धतंत्र निदेशक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना वह व्यय नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण—किसी मद के संबंध में किसी ऐसे व्यय के लिये जो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१, उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, १९७१, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ अथवा इन अधिनियमितियों के अधीन बनाये गये किसी नियम, विनियम या उपाधि या किसी परिनियम या अध्यादेश द्वारा उसके अधीन, अथवा राज्य सरकार के या निदेशक के किसी आदेश के अधीन, अथवा न्यायालय की किसी डिक्री के अधीन, प्राधिकृत हो, यदि वह नियमों, आदेशों या सिद्धांतों के अनुसार अथवा उपयुक्त अधिनियमिति, नियम, विनियम, उपविधि, परिनियम, अध्यादेश, आदेश या डिक्री द्वारा या उसके अधीन विहित परिसीमाओं के भीतर हों, तो इस उपधारा के अधीन निदेशक की स्वीकृति अपेक्षित न होगी ।

(ख) प्रबन्धतंत्र कोई ऐसा व्यय नहीं करेगा जो उपधारा (२) के अधीन प्रतिषिद्ध हो ।

(४) (क) निदेशक उपधारा (२) के अधीन आदेश के विरुद्ध उसे अभ्यावेदन दिये जाने पर अथवा उपधारा (३) के अधीन स्वीकृति के लिये उसे आवेदन दिये जाने पर, और ऐसे विषयों तथा सूचना पर जिसे वह आवश्यक समझे, विचार करने पर शीघ्र अपना आदेश देगा ।

(ख) यदि निदेशक, अभ्यावेदन या आवेदन, और उसके द्वारा इस निमित्त अपेक्षित अन्य दस्तावेजों या सूचना की प्राप्ति के दिनांक आठ सप्ताह के भीतर आदेश नहीं देता तो यह समझा जायगा कि उसने प्रबन्धतंत्र द्वारा किये जाने वाले प्रस्थापित व्यय के बारे में अपनी स्वीकृति दे दी है ।

(ग) निदेशक अभ्यावेदन या आवेदन को पूर्णतः या अंशतः मंजूर या नामंजूर कर सकेगा ।

(५) यदि प्रबन्धतंत्र उपधारा (४) के अधीन निदेशक के आदेश से क्षुब्ध हो तो वह आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा, और राज्य सरकार का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

संपत्ति के अन्तरण के लिए पूर्वानुमोदन का आवश्यक होना ।

५—(१) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, ऐसी संपत्ति का जो शैक्षिक संस्था की हो या उसके प्रयोजनार्थ विन्यासित हो, अन्तरण तब तक विधिमान्य न होगा, जब तक कि निदेशक की लिखित पूर्व स्वीकृति इस आधार पर प्राप्त न कर ली जाय कि उक्त अन्तरण संस्था के हित में आवश्यक या लाभप्रद या समीचीन है ।

(२) प्रबन्धतंत्र, यदि वह निदेशक के उपधारा (१) के अधीन स्वीकृति नामंजूर करने के आदेश से व्यथित हो, तो उस आदेश के विरुद्ध अपील, उसके संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश को, जिसकी अधिकारिता के भीतर उक्त संस्था या संबद्ध संपत्ति हो, कर सकेगा और अपील पर जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम होगा ।

निदेशक की शक्तियां

६—धारा ४ की उपधारा (४)या धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन, जांच के प्रयोजनार्थ निदेशक की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात:—

(क) स्वयं या ऐसी सहायता से जिसे वह उचित समझे, किसी शैक्षिक संस्था के भू-गृहादि में प्रवेश करना ;

(ख) स्वयं या ऐसी सहायता से जिसे वह उचित समझे, शैक्षिक संस्था की समस्त संपत्ति का, तथा उससे संबंधित सभी अभिलेखों तथा दस्तावेजों का निरीक्षण करना;

(ग) ऐसे समय और स्थान पर तथा ऐसे प्रपत्र में जैसा वह निदेश दे, संस्था की निधियों, संपत्ति या आय से संबंधित कोई भी रिपोर्ट, विवरण, लेखा या अन्य सूचना मांगना;

(घ) संस्था की संपत्ति के संरक्षण के लिये उपाय करना अथवा प्रबन्धतंत्र को या किसी अन्य व्यक्ति को जो संस्था के प्रशासन का प्रभारी हो या उससे संबंध रखता हो, उपाय करने के लिये निदेश देना; और

(ङ) प्रबन्धतंत्र को या किसी अन्य व्यक्ति को, जो संस्था के प्रशासन का प्रभारी हो या उससे संबंध रखता हो, संस्था की खोयी हुई किसी संपत्ति की वापसी के उपाय करने के लिये निदेश देना ।

शास्ति

७—यदि किसी शैक्षिक संस्था के प्रबन्धतंत्र का कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति जो किसी ऐसी संस्था के प्रशासन का प्रभारी हो या उससे संबंध रखता हो—

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों का या तदधीन जारी किये गये आदेशों तथा निदेशों का अनुपालन करने से इंकार करेगा, उसकी उपेक्षा करेगा या उसमें असफल रहेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन की गयी किन्हीं कार्यवाहियों में बाधा डालेगा, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित किन्हीं रिपोर्टों, विवरणों, लेखाओं या अन्य सूचना प्रस्तुत करने से इनकार करेगा, उसकी उपेक्षा करेगा या उसमें असफल रहेगा, तो ऐसा सदस्य या अन्य व्यक्ति कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण

८—(१)इस अधिनियम या तदधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में सद्भाव-पूर्वक किये गये या किये गये तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार का कोई अधिकारी या सेवक किन्हीं सिविल या दाण्डिक कार्यवाहियों में दायी नहीं होगा।

(२) इस अधिनियम अथवा तदधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सदभावपूर्ण की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के कारण किसी ऐसे नुकसान के लिये जो हुआ हो या जिसके होने की संभावना हो, अथवा किसी ऐसी क्षति के लिये जो हुई हो अथवा जिसके होने के संभावना हो, राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३,खंड ४, खंड ५, खंड ६, खंड ७ और खंड ८ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश शैक्षिक सस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४

शैक्षिक संस्थाओं की आस्तियों के अपव्यय को निवारित करने के अध्युपायों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा ।

२—इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तिओं के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४ पारित किया जाय

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षिकसंस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४†

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ पर विचार किया जाय। श्रीमन् मैंने अपने बजट भाषण में जो प्रस्ताव रखे थे उसी की पूर्ति के लिये यह एक छोटा सा विधेयक लाया गया है। इसमें जो अधिकतम फीस की दर थी उसको बढ़ाया गया है। मान्यवर, यह दरें सन् १९३२ की चली आ रही हैं और तब से इनका रिवीजन नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि यह छोटा सा विधेयक है । अगर कुछ थोड़ी सी भागीदारी अधिक हमें मिल जाय तो संसाधन भी हमारे बढ़ जायेंगे। इसीलिये मैंने यह विनम्र प्रस्ताव किया है, मैं आग्रह करूंगा कि यह सदन इस विधेयक पर विचार करे और इसे पारित करे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

यह दरें क्या मंहगाई के हिसाब से बढ़ा रहे हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे कितनी आय होगी ?

---

†२५ जून, १९७४ की कार्यवाही में छपा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

इससे अधिक आमदनी नहीं होगी कुछ लाखों में होगी ।

*श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)---

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ को जनता की राय जानने के लिये एक माह तक जनता में परिचालित किया जाय ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि यह बड़ा छोटा सा विधेयक है । थोड़ी सी दरें बढ़ाई जा रही हैं । मान्यवर, इसमें पहले जो ३ रुपया था, उसको अब बढ़ा कर १०० रुपया किया जा रहा है । इसी से स्पष्ट है कि मंत्री जी की मासूमियत कितनी छोटी है । ३३ गुना बढ़ा रहे हैं और कहते हैं कुछ बढ़ा रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी के पास ३३ गुना बढ़ाने का क्या आधार है ? क्या महंगाई भी उसी अनुपात में बढ़ी है ? व्यापारियों का मुनाफा भी सन ३२ के मुकाबले ३३ गुना बढ़ा है ? अगर नहीं, तो यह ४२ वर्षों के अन्दर ३३ गुना बढ़ाने का क्या आधार है ? जिन लोगों से आप यह लेने जा रहे हैं, क्या आपने यह सर्वे कराया कि उनकी आमदनी भी ३३ गुना बढ़ी है या नहीं ? जिस व्यापारी या जिस प्रतिष्ठान से आप ३३ गुना ज्यादा लेंगे अगर उसकी आमदनी भी ३३ गुना नहीं बढ़ी है तो यह रकम बढ़ाने का आधार मेरी समझ में नहीं आता और जब यह पूछा गया, हमारे माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने पूछा कि इससे कितना लाभ होगा—शायद मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के ७ दिन के दौरे का खर्च भी इसमें नहीं आये । शायद इलाहाबाद के तीन मंत्री महोदय जब निर्वाचन क्षेत्रों के अन्दर चुनाव की सभाओं में भाषण करने जायेंगे तो सरकारी काम दिखा कर जो वे अपना भत्ता लेंगे उतना पैसा भी उससे न आयेगा । फिर ३३ गुना बढ़ाने से क्या लाभ है ? धारा ६० के अन्दर ३० रुपया किया गया है जबकि अभी तक एक रुपया था यानी तीस गुना बढ़ाया गया है । इस तरह धारा ६० से लेकर ६४ तक तीस गुना और धारा ६६ की उपधारा (२) के अन्दर बीस गुना बढ़ाया गया है । धारा ९ के अन्तर्गत फर्मों के रजिस्टर में से प्रतियां लेने के लिये १६ गुना फीस बढ़ा दी गई है। किस आधार पर यह बढ़ाया गया है, यह नहीं बतलाया गया है । कहीं पर १६ गुना, कहीं पर २० गुना, कहीं पर ३० गुना और कहीं पर ३३ गुना बढ़ाया गया है । इसका क्या आधार है यह नहीं बतलाया गया है ।

सबसे बड़ी चीज यह है कि पार्टनरशिप के अन्दर अगर एक आदमी की १० लाख की प्रापर्टी है तो उसको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराने पर १०० रुपये फीस देनी पड़ेगी और अगर किसी की प्रापर्टी १० हजार की है तो उसको भी पार्टनरशिप की डीड कराने पर १०० रुपये ही फीस देनी पड़ेगी । मेरी समझ में नहीं आता कि यह कहां का न्याय है । टके सेर भाजी, टके सेर खाजा वाली कहावत ही यहां चरितार्थ होती है । पता नहीं सोचने और समझने का आधार क्या है कि १० लाख रुपये वाले से भी १०० रुपये ही फीस ली जायेगी और हजार पांच सौ रुपये वाले व्यक्ति से भी १०० रुपये ही फीस ली जायेगी । यह उत्तर प्रदेश का समाजवाद है और कांग्रेस का समाजवाद है जिससे भगवान ही रक्षा करे और वित्त मंत्री जी ही रक्षा करें ।

एक चीज इसके अन्दर और दी है कि वह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करे । यह बात समझ में नहीं आती कि यह पारित तो अभी हो जाय और सरकार जब चाहे तब गजट करके इसे वसूल करना शुरू कर दे । आज स्टाम्प ड्यूटी के अन्दर भी यही बात है । उसके अन्दर इतनी चोरी होती है कि कहीं स्टाम्प मिलता भी नहीं है। १०० रुपये का स्टाम्प १२५ रुपये में खरीदना पड़ता है और इसमें आपके भ्रष्ट अधिकारी भी सम्मिलित हैं । साथ ही माननीय मंत्री जी ने कहा कि इससे बहुत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

थोड़ी आमदनी होगी, तो अन्त में मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस दिन यह पारित किया जाय उसी दिन से यह लागू किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को एक माह के लिये जनता में परिचालित किया जाय और जनता की जो राय मालूम हो उसके बाद ही इसे सदन के सामने रखा जाय।

*श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

"भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जो अपनी रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत कर दे।

मान्यवर, यह कांग्रेस सरकार जो समाजवाद में विश्वास करती है, मैं समझता हूं कि यह जो भागीदारी अधिनियम के द्वारा वह फीस लगा रही है उसमें उसने उसी समाजवाद का अनुकरण किया है और इसीलिये उन्होंने सब के लिये समान रूप से वही फीस रख दी है। जो हजार रुपये की प्रापर्टी का हिस्सेदार होगा और अपने हिस्से को अलग कराना चाहेगा उसको भी १०० रुपये देना पड़ेगा और जो एक लाख रुपये की प्रापर्टी का हिस्सेदार होगा उसे भी १०० रुपये फीस देनी पड़ेगी। सब को समान रूप से एक ही डंडे से हांकने का प्रयास किया गया है। दूसरी बात मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश के अन्दर जनता के सामने अनेक कठिनाइयां और समस्यायें हैं। आज जनता को न्याय पाना मुश्किल हो गया है। न्याय आज इतना मंहगा हो गया है कि शायद न्याय पाने के पहले ही जनता अपना धैर्य और दम तोड़ देती है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज तहसीलों के अन्दर रजिस्ट्रार आफिस में जो गड़बड़ियां होती हैं जो घूसखोरी और भ्रष्टाचार होता है उसके बारे में मंत्री महोदय ने कोई व्यवस्था नहीं दी है और इस विधेयक के माध्यम से ३३ गुना फीस बढ़ा दी है। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार महोदय की फीस भी इससे बढ़ जायगी। आज रजिस्ट्रर-महोदय किसी भी रजिस्ट्री को, किसी भी बैनामे को करने के लिये १०० रुपये अलग से मांगते हैं। अलग से फीस लेते हैं। जो आपने इसको बढ़ा करके ३३ गुना कर दिया है। तो इससे उनकी भी फीस बढ़ जायगी और वह अगर किसी रजिस्ट्री के पहले १०० रुपये लेते थे तो उसके स्थान पर अब वह २०० रुपये लेंगे तब जाकर रजिस्ट्री होगी। तो मान्यवर, जो यह रजिस्ट्रार महोदय की फीस बढ़ जायेगी इसको रोकने के लिये आपने कोई व्यवस्था नहीं की है। आपके रजिस्ट्रार और अधिकारी जो आज फीस वसूल रहे हैं उससे जनता को राहत देने के लिये आपने कोई विचार नहीं किया है।

आपने आज यह विचार नहीं किया है कि जनता के जन-जीवन में कितनी समस्यायें हैं, उसकी आमदनी कितने प्रतिशत बढ़ी है, इसका आपने कोई हिसाब नहीं लगाया है। जिस हिसाब से जनता की आमदनी बढ़ी है उस हिसाब से आपको फीस बढाने का हक था और आपको बढ़ाना चाहिये था पर आपने जनता की आमदनी का हिसाब नहीं लगाया है और फीस को एकदम से ३२–३३ गुना बढ़ा दिया है।

मैं, जो अभी वेद प्रकाश जी ने जिक्र किया उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं, और यह संशोधन करता हूं, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य हमारी इस राय से सहमत होंगे कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार करने के लिये इसे एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मेरा जो निवेदन है कि सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आज इस विधेयक को सदन के अन्दर लाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

मान्यवर, अभी कुछ दिन पहले आपके सम्मुख हम लोगों ने एक प्रश्न उठाया था । सरकार इस बजट के अन्दर पूरी बजट की धनराशि मंजूर करा चकी है और बजट मंजूर कराने से पहले भी सरकार ने शासकीय तौर पर १५ प्रतिशत की कटौती अपने खर्च में करने की बात का ऐलान किया है । आज इसके बावजूद भी कि सरकार के पास जो धनराशि सदन ने खर्च करने के लिये दी है, उस धनराशि में १५ प्रतिशत कटौती करने के बाद में आपसे पूछना चाहता हूं कि आज यहां पर इस विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता थी ? आपने एक धनराशि जो पूरे साल के लिये आय-व्ययक में आवश्यकता थी, उसको आपने सदन से मंजूर करा लिया है । पूरी धनराशि की आय खर्च करने नहीं जा रहे हैं इसके बावजूद भी प्रदेश की जनता पर इस विधेयक के जरिये से एक नया टैक्स आप लगा रहे हैं । मान्यवर, इसका क्या औचित्य है ।

मान्यवर, अभी वित्त मंत्री जी से माधव प्रासाद त्रिपाठी जी ने पूछा था कि आखिर आपको इस विधेयक के जरिये कितनी धनराशि मिलेगी, आपका क्या अंदाजा है कि आप इस विधेयक के जरिये कितनी धनराशि वसूल कर सकेंगे । पर आश्चर्य है कि इसका भी अनुमान वित्त मंत्री महोदय ने सदन के अन्दर नहीं दिया । ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि यह सदन इस विधेयक के खिलाफ होगा क्योंकि मंत्री महोदय आश्वासन दे चुके है कि जो खर्च मंजूर किया गया है उसमें भी वह १५ प्रतिशत की कटौती करेंगे ।

*श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह भारतीय भागीदारी का जो संशोधन है उसमें जो रेट्स बढाये जा रहे है उसके बारे में मुझे यह कहना है कि ३ रु० के १०० रुपये और १ रुपये का ३० रुपये जो बढाये गये है उनका कोई आधार होना चाहिये था । यह वर्ष १९७४ का और जब से मैं विधान सभा में आया हूं माननीय वित्त मंत्री जी एक-एक मद पर बराबर टैक्स बढ़ाते जा रहे है । बिक्री कर के बारे में ऐसे-ऐसे मदों पर जो गरीब जनता के काम आते है उन पर अंधाधुंध टैक्स लगाये गये है । स्टैम्प ड्यूटी को बढाया गया है, इक्साइज ड्यूटी को भी बढ़ाया है अब जो व्यापार करते है पार्टनर शिप द्वारा उन पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है । परन्तु उसमें यह प्राविधान नहीं किया है कि जो लाखों रुपये की साझेदारी करते है उन पर १०० रुपये के बजाय २०० रुपये टैक्स लगाया जाय । जो छोटे-छोटे लोग साझेदारी कर लेते हैं उन पर १०० रुपये की फीस रखी है और जो लाखों रुपये की साझेदारी करते है उन पर भी १०० रुपये रखी है । जो भी काम कराने के लिये जायेंगे उनको अब एक रुपये की जगह पर ३० रुपये देने पड़ेंगे । छोटे से छोटा काम जैसे कि रजिस्टर का यदि निरीक्षण करना होगा तो उसके लिये पहले आठ आने थे किन्तु अब १० रुपये कर दिया है । तो मान्यवर, यह प्रवृत्ति शासन की बनती जा रही है कि जनता का जो भी सरकारी काम हो उसके रेट्स बढ़ायें जायं जैसे कि रजिस्टर के मुआइना मात्र का १० रुपया अदा करना पड़ेगा ।

इस प्रकार सरकार ने टैक्स बढाये है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । वास्तव में टैक्स जो बढ़ाये है उसमें होना यह चाहिये था कि टैक्स की कैटागरी बना लेते कि अधिक को साझेदारी पर अधिक टैक्स पड़ेगा और कम की साझेदारी पर कम टैक्स पड़ेगा, परन्तु यह नहीं किया । एक स्लैब टैक्स का बनादें और फिर टैक्स लगाते । इसलिये इसे एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने के साथ सरकार की मनोवृत्ति जो है उस पर अंकुश लग जायेगा वरना आगे आने वाले दिनों में पता नहीं किस चीज पर टैक्स लगा देंगे और जो जनता का रक्त बाकी है उसको चूसेंगे । इसलिये आपस में जो काम करने की मानोभावना पार्टनरशिप के द्वारा है वह टैक्स लगाने से रुकेगी इसलिये इसे प्रवर समिति को सौप दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मान्यवर, हमारे सम्मानित विद्वान् सदस्यों ने जो सुझाव दिये कि इसे जनता में परिचालित किया जाय तो सम्भवतः जनता में परिचालन के विचारों में ऐसे विधेयकों की आवश्यकता होती है जिसमें आपस में बहुत विवाद हों । जैसा कि मैंने निवेदन किया कि भागीदारी की फीस जो लागू की गई है वह १९३२ में लागू की गई है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मुझे मंत्री जी यह बता दें कि किस आधार पर ३ रुपये का १०० रुपये किया है और दूसरी बात यह कि इससे आपको कितनी आमदनी प्रतिवर्ष होने जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मान्यवर, यदि माधव बाबू आमदनी जानना चाहते हैं तो उसको बता दूंगा ।

मैं यह मान्यवर, निवेदन कर रहा था कि सोसाइटीज आफ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के मुताबिक ५० रुपये फीस है और उसी के समकक्ष दूसरी रजिस्ट्री ३ रुपये की फीस है । अब स्थिति यह है कि जितनी आमदनी होती है वह खर्च से कम हो गई है । १९७०-७१ में कुल आमदनी भागीदारी रजिस्ट्री से २७,१४७ रुपये थी ।

श्रीमन्, १९७२-७३ में २८,३५० रुपये आमदनी हुई और खर्च ३३ ००० रुपये हुआ । इसमें खर्च अधिक है और आमदनी कम है । तनख्वाह भी पूरी नहीं होती है इसलिये यह प्रस्ताव रक्खा गया है । अब जो वृद्धि होगी वह ३,१७,०५० रुपया होगी । जो कम है वह भी तीन गुना हो गया है । पहले अगर २००० रजिस्ट्रेशन होते थे तो अब ६ या सवा ६ हजार रजिस्ट्रेशन हो रहे है । काम और खर्च बढ़ गया है, इसलिये आमदनी बढानी पड़ी । इसमें कोई विशेष टैक्सेशन नहीं है । खर्च के बराबर आमदनी करने की बात है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ को जनता की राय जानने के लिये एक माह तक जनता में परिचालित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जो अपनी रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत कर दें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २, अनुसूची, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिये ।

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:---

संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ

१---(१) यह अधिनियम भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा ।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करें ।

अधिनियम संख्या ९, १९३२ की अनुसूची १ का प्रतिस्थापन

२—भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ की अनुसूची १ के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाय, अर्थात्:—

अनुसूची—१

अधिकतम फीस

[धारा ७१ की उपधारा (१) देखिये]

दस्तावेज या कार्य जिसके विषय में फीस देय है	अधिकतम फीस
१—धारा ५८ के अधीन कथन ..	एक सौ रुपये
२—धारा ६० के अधीन कथन ..	तीस रुपये
३—धारा ६१ के अधीन प्रज्ञापना ..	तीस रुपये
४—धारा ६२ के अधीन प्रज्ञापना ..	तीस रुपये
५—धारा ६३ के अधीन सूचना ..	तीस रुपये
६—धारा ६४ के अधीन आवेदन ..	तीस रुपये
७—धारा ६६ की उपधारा (१) के अधीन फर्मों के रजिस्टर का निरीक्षण ..	रजिस्टर की एक जिल्द के निरीक्षण के लिये दस रुपये ।
८—धारा ६६ की उपधारा (२) के अधीन फर्म सम्बन्धी दस्तावेजों का निरीक्षण ..	एक फर्म से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये दस रुपये ।
९—फर्मों के रजिस्टर में से प्रतियां ..	प्रति सौ शब्द या उसके भाग के लिये चार रुपये ।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित अनुसूची १ में "एक सौ रुपया" के स्थान पर "३० रुपया" तथा आगे जहां-जहां "तीस रुपया" लिखा है वहां-वहां "दस रुपया" रख दिया जाय ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित अनुसूची १ में "एक सौ रुपया" के स्थान पर "३० रुपया" तथा आगे जहां-जहां "तीस रुपया" लिखा है वहां-वहां "दस रुपया" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री ओम प्रकाश सिंह—

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ के खंड २ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की प्रस्तावित अनुसूची १ के मद १ में "एक सौ रुपये" के स्थान पर "पच्चीस

रुपया" मद २ के "तीस रुपये" के स्थान पर "तीन रुपया" मद ३ के "तीस रुपये" के स्थान पर "तीन रुपये" मद ४ के "तीस रुपये" के स्थान पर "तीन रुपये" मद ५ के "तीस रुपये" के स्थान पर "तीन रुपये" तथा मद ६ के "तीस रुपये" के स्थान पर "तीन रुपये" कर दिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ के खंड २ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की प्रस्तावित अनुसूची १ के मद १ में "एक सौ रुपये" के स्थान पर "पचीस रुपया" मद २ के "तीस रुपये" के स्थान पर "तीन रुपया" मद ३ के "तीस रुपये" के स्थान पर "तीन रुपये" मद ४ के "तीस रुपये" के स्थान पर "तीन रुपये" मद ५ के " तीस रुपये " के स्थान पर "तीन रुपये" तथा मद ६ के "तीस रुपये" के स्थान पर "तीन रुपये" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

*श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित अनुसूची१ में जहां-जहां "दस रुपया" है, वहां उसके स्थान पर "२ रुपया" रख दिया जाय तथा 'चार रुपये' के स्थान पर 'एक रुपया' रख दिया जाय ।

मान्यवर मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि एक जिल्द के निरीक्षण के लिये १० रुपया, ठीक नहीं । २ रुपये देकर वह जाकर वैसे ही देख आवेगा। १० रुपये क्यों देगा । १ रुपये से बड़ा से बड़ा काम पेशकार करा लेते हैं । वह ४ रुपये और १० रुपये क्यों देगा । तो यदि मेरे संशोधन को मान लिया गया तो बड़ा लाभ होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

हमें, मान्यवर, अस्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित अनुसूची १ में जहां-जहां "दस रुपया" है, वहां उसके स्थान पर "२ रुपया " रख दिया जाय तथा "चार रुपये" के स्थान पर "एक रुपया" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २, अनुसूची खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ पारित किया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम ५१ के अन्तर्गत ११ सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । इसमें भी अधिकांश बाढ़ पर हैं । तो जो बाढ़ पर हैं, उनको छोड़ देते हैं । आज बयान होगा । एक सूचना है ग्राम चौरहा, थाना राजापुर, जिला बांदा की, कि हरिजनों के परिवारों के ऊपर सवर्णों द्वारा अत्याचार एवं अमानुषिक व्यवहार हो रहा है । इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार करते हैं । एक है, हरिकेवल प्रसाद और रामपाल सिंह यादव की सूचना, टाउन एरिया लार, जिला देवरिया में हैजे का प्रकोप। यह कार्यवाही का विषय है अतः इसको कार्यवाही के लिये भेज रहे हैं। माननीय बाबूलाल वर्मा ने आज एक सूचना दी है, उत्तर प्रदेश कोषागारों (तहसील) के संग्रह विभाग के तहसीलदारों की सेवायें लम्बी अवधि के पश्चात् भी अस्थायी रखने से उत्पन्न संकट के संबंध में । इस पर बयान हो गया है ।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

इसको मान्यवर, कई रोज से दे रहे हैं···

श्री अध्यक्ष—

यह तो हो गया है ।

श्री बाबू लाल वर्मा—

प्रदेश में कोषागार···

श्री अध्यक्ष—

आज बयान था ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मेरा भी था, मान्यवर···

श्री अध्यक्ष—

अभी बयान आयेगा ।

एक है शतरुद्ध प्रकाश की सूचना, राज्य विद्युत् परिषद् की तथाकथित दयनीय दशा से संबंधित । यह अनियमितता के संबंध में है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मेरा भी है । उत्तर काशी में बहुत बड़ा आन्दोलन चल रहा है । उसको वक्तव्य के लिये दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

अब, हम एक ही तो ले सकते हैं ।

नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य तथा नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

चूंकि आज बाढ़ पर चर्चा है और लोगों को जाना भी है, ट्रेन पकड़ना है, अतः मैंने नेता विरोधी दल से आग्रह किया है कि दो प्रश्नों पर जो आज वक्तव्य है (कार्य-सूची १४ और १५) उसको स्थगित करके, १३ तारीख को ले लिया जाय और इस समय बाढ़ पर चर्चा हो जाय ।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

माननीय, इस संबंध में सभी माननीय सदस्यों को व्यक्तिगत अधिकार है और इसलिये मैं चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य मौजूद हैं, अगर वे तैयार हों, तो मुझे कोई एतराज नहीं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय, लोगों को आज जाना है, ट्रेन पकड़नी है, बाढ़ पर चर्चा भी है, इसलिये इसको १३ तारीख को, दोनों को, ले लिया जाय । बाढ़ पर इस समय चर्चा हो जाय । मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ तथा ४९ के अन्तर्गत दोनों वक्तव्य आज स्थगित किये जाते हैं ।

गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, गोंडा तथा बहराइच जिलों में बाढ़ की स्थिति पर वक्तव्य

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)--

इस वर्ष गोरखपुर, देवरिया, बस्ती आजमगढ़ गोंडा तथा बहराइच जिलों में बाढ़ की स्थिति संक्षेप में इस प्रकार है--

जिला गोरखपुर--में जुलाई में ५७७·४ मि०मी० वर्षा हुई जबकि सामान्य वर्षा ३९८·६ मि०मी० है । इसके बाद भी वर्षा होती रही है । जिले की नदियों का जल-स्तर दिनांक २७-७-७४ से ही बढ़ने लगा । दिनांक ६-८-७४ की रिपोर्ट के अनुसार बर्डघाट पर राप्ती का जलस्तर संकट बाढ़स्तर ७४.९८ मीटर के मुकाबले ७६.४८ मीटर था राप्ती का स्तर लगातार बढ़ता रहा, जबकि घाघरा संकट स्तर पर स्थिर बनी रही । जिले की सभी नदियां राप्ती, आमी, कुवानों, रोहिन तथा घाघरा बढ़ती रही हैं । बाढ़ से प्रभावित जन संख्या आदि का विवरण निम्नलिखित है:--

प्रभावित ग्राम	प्रभावित जनसंख्या	कुल प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़)	कुल प्रभावित कृषि क्षेत्रफल (एकड़)	क्षति ग्रस्त मकानों की		जीवन हानि	
				संख्या	क्षति का मूल्यांकन रु०	मनुष्य	पशु
१२४८	४,८३,१३२	२,२४,७५५	१,६१,५९९	३९५	१,३०,१००	१	×

[सिंचाई मंत्री श्री महमूद अली खां]

२—गोरखपुर जिले में ७ बंधे टूट गये हैं । यह सभी बंधे जमींदारों के बनवाये हुए थे । इनमें से केवल एक बांध (जरदा डूमरी) सिंचाई विभाग के नियंत्रण में था। इन बांधों के टूटने से १६४ ग्राम प्रभावित हुये।

३—बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मैंने स्वयं दिनांक ६ अगस्त, १९७४ को निरीक्षण किया है ।

गोरखपुर शहर की सुरक्षा के लिये बने होबर्ट तथा मलौनी बांध में से कुछ स्थानों पर पानी रिसने लगा था । बांधों को सुरक्षित रखने के सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं । खतरे की सूचना मिलते ही जिला अधिकारी को ५७,००० रुपये आवंटित कर दिया गया और सिंचाई विभाग द्वारा बांधों को सुरक्षार्थ सभी संभव कार्यवाही की जा रही है। रिसाव बन्द कर दिये गये हैं ब रिंग बांध बनाये गये हैं । इस कार्य में पुलिस तथा पी०ए०सी० की सहायता लेने के भी आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

४—सुरक्षा तथा सहायता कार्य तेजी से किया जा रहा है । सुरक्षा कार्य में ३७८ नावें लगी हुई हैं । २७५६ व्यक्तियों तथा १५५६ पशुओं को पानी के घिरे स्थानों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया । बाढ़ से संबंधित सहायता कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये अब तक कुल ५,९०,००० रुपया अहेतुक सहायता तथा गृह निर्माण अनुदान की मद में तथा १,४६,००० रुपया प्रकीर्ण व्यय के लिये आवंटित किया गया है ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मंत्री जी जो बयान दे रहे हैं उसकी प्रतिलिपि हमें नहीं मिली है ।

श्री अध्यक्ष—

आई नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

हमें अगर प्रतिलिपि मिल जाती तो बड़ी आसानी से हम चर्चा कर सकते थे ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

प्रतिलिपि न मिलने से हम कैसे इस पर विचार कर सकेंगे ?

श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

प्रतिलिपि अगर मिल जाती तो अपने क्षेत्र में जा कर उसे हम देखते कि जो रिपोर्ट दी जा रही है वह विभाग वालों ने ठीक दी है या गलत दी है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

तो मुझे तो इसे पढ़ना ही है क्योंकि जब तक आपको मालूमात नहीं होंगे तब तक सच्चाई और बेसच्चाई कैसे जान सकेंगे ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मालूम पड़ता है कि आप मरसिया पढ़ रहे हैं ।

मोहम्मद महमूद अली खां—

मरसिया तो है ही ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, इसकी सरल हिन्दी बना दीजिये।

श्री मोहम्मद अहमूद अली खां—

पढ़ रहा हूं।

आजमगढ़—

१—आजमगढ़ जिले की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। इस जिले में जुलाई महीने में वास्तविक औसत वर्षा २५८.५७ मि०मी० हुई जबकि सामान्य वर्षा २९८.२० मि०मी० है। इस जिले में घाघरा के तटवर्तीय भाग में निम्नस्तर की बाढ़ का प्रभाव रहा। जिले से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार घाघरा का जलस्तर बोहरीघाट पर २२७ फीट था जबकि मध्यम बाढ़ स्तर २२८ फीट है।

२—जिले की घोसी तथा सगड़ी तहसीलों में घाघरा नदी के किनारे पर बसे कुछ ग्रामों की जमीन कट रही है विशेषतया ग्राम परसिया अधिक प्रभावित था। इसकी सुरक्षा हेतु बाढ़ से पूर्व बल्ली व पत्थर की ठोकरे बना दी गई हैं जिससे कटान रुक गया है।

३—जिले में बाढ़ सहायता कार्य के लिये १०,१७,८९५ रु० अहेतुक सहायता तथा गृह निर्माण अनुदान वितरित करने के लिये तथा ३१,००० रु० प्रकीर्ण व्यय की मद में आवंटित किया गया।

जिला बहराइच—

जिला बहराइच की स्थिति बेहतर है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में नैपाल क्षेत्र में तथा इस जिले में अतिवृष्टि होने के कारण राप्ती नदी में मध्यम दरजे की बाढ़ आई तथा पानी २७ जुलाई, १९७४ से १ अगस्त, १९७४ तक संकट स्तर पर बहता रहा। साथ ही साथ भकला नदी में भी बाढ़ आ गई जिसके कारण २१४ गांव व ३९,७०० हैक्टेयर क्षेत्रफल की फसल प्रभावित हुई। फसल का नुकसान २,२५,०००रु० आंका गया है। ११० व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। किसी जीवन हानि की सूचना नहीं है।

२—जिले को १५,००० रु० निःशुल्क सहायता के लिये, तथा ५०० रु० विशेष सहायता हेतु दिया गया है।

जिला गोंडा—

जिला गोंडा के तहसील बलरामपुर में बहने वाली राप्ती तथा इसकी सहायक नदियों में जुलाई के अंतिम सप्ताह में नैपाल क्षेत्र तथा इस जनपद में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आ गई। २७ जुलाई, १९७४ से १ अगस्त, १९७४ तक इन नदियों में जल स्तर लगभग संकट स्तर पर रहा तथा मध्यम स्तर की बाढ़ चलती रही जिससे बलरामपुर तहसील के २१२ ग्राम व उतरौला तहसील के ४३ ग्राम प्रभावित हुये।

२—इस जनपद को३३,५०० रु० निःशुल्क सहायता के लिये तथा ५,५०० रु० विशेष सहायता हेतु दिये गये हैं। प्रभावित क्षेत्रों में सहायता कार्य जारी है।

एक सदस्य—

इसको पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

वह तो पढ़ना ही पड़ेगा।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लें। माननीय वर्मा जी बैठे हैं सहयोग देने के लिये अपने सहयोगी से पढ़वा दें, ज्यादा अच्छा होगा, मंत्री को सहयोगी मंत्री, सहभोगी, मंत्री···

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

यह मैं आप से अर्ज करूंगा, आप भी मेरी सहायता करते ही हैं।

देवरिया—

देवरिया जिले में जुलाई के महीने में सामान्य वर्षा ३०८.०० मि०मी० के मुकाबले ५४१.९० मि०मी० वास्तविक वर्षा हुई। अतिवृष्टि के कारण जलप्लावन की स्थिति पैदा हो गई और छोटे नदी नालों में बाढ़ आ गई। जिले से प्राप्त ४ अगस्त, १९७४ की रिपोर्ट के अनुसार राप्ती, घाघरा व छोटी गंडक बढ़ रही थीं। गंडक का जल-स्तर खड्डा पर खतरे के निशान ९६.०० मीटर को छू रहा था। बाढ़ व जल प्लावन से हुई क्षति के आंकड़े निम्नवत हैं:—

प्रभावित गांव	प्रभावित कृषि क्षेत्रफल (एकड़)	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	जीवन हानि	
			मनुष्य	पशु
८३०	१,२०,०००	७९	..	..

टिगरा-मराची तथा टिगरा रतनपुर बांधों के टूटने की खबर मिली है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में सुरक्षा तथा सहायता कार्य किया जा रहा है। ७६ नावों को प्रयोग किया जा रहा है। स्थिति नियंत्रण में है। सहायता कार्यों के लिये २,९६,५०० अहेतुक सहायता तथा गृह निर्माण अनुदान की मद में तथा ९१,०००रु० प्रकीर्ण व्यय के लिये तथा २,०२,७०० रु० टेस्ट वर्क चलाने के लिये आवंटित किया गया।

बस्ती—

बस्ती जिले में जुलाई के महीने में वास्तविक वर्षा ५८३.८० मि०मी० हुई जबकि सामान्य वर्षा ३८०.१० मि०मी० है। अतिवृष्टि के कारण ज़िले की सभी नदियों का जल स्तर २७-७-७४ से बढ़ने लगा। ६-८-७४ की रिपोर्ट के अनुसार बूढ़ी राप्ती का जल स्तर ककराही पर संकट स्तर (८५.६५ मीटर) के मुकाबले ८६.९३ मीटर था। बांसी पर राप्ती नदी का जल स्तर संकट स्तर (८५.०० मीटर) के मुकाबले ८४.८३ मीटर था।

२—इस बाढ़ से तहसील नौगढ़ तथा बांसी प्रभावित हुई। तीन अगस्त तक इन नदियों में पानी का बढ़ाव रुक गया, घाघरा घट रही थी। नवीनतम सूचना के अनुसार राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कुंडा डोमरियागंज तथा नौगढ़ तहसील में घट रही है, खलीलाबाद तथा बांसी तहसीलों में राप्ती धीरे-धीरे बढ़ रही है, तथा बस्ती और खलीलाबाद तहसीलों में घाघरा, मनवर और कुआनों बढ़ रही है। जिले में बाढ़ के कारण हुई क्षति का ब्योरा इस प्रकार है:—

प्रभावित गांवों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या	प्रभावित कुल क्षेत्रफल	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	जीवन हानि	
				मनुष्य	पशु
२१३६	८,३६,४९२	४,४२,८४४	४८	१	×

३—बाढ़ आने से चार बांध टूट गये हैं। यह सभी भूतपूर्व जमींदारों द्वारा बनाये गये थे। इनमें से एक बांध बांसी पनघटिया को शासकीय नियंत्रण में लिया गया था। कुछ दूरी में यह बांध पीछे हटकर बनाया जाना था। भरसक प्रयत्न करने के बाद इसकी जमीन १३-७-७४ को मिल पायी। उसके बाद के कार्य में डुमरिया बुजुर्ग के कृषकों द्वारा बाधा डाली गयी। इसलिये कार्य आरम्भ नहीं हो सका। इसी स्थान से पानी निकल गया। ३४५ गांव पानी से घिरे हैं।

४—बाढ़ से सम्बन्धित कार्यों के लिये बस्ती जिले को ४९,२१२ रु० टेस्ट वर्क की मद में २,१५,००० रु० अहेतुक सहायता की मद में तथा ६०,००० रु० प्रकीर्ण व्यय की मद में आवंटित किया गया है। सहायता तथा सुरक्षा कार्य तत्परता से किया जा रहा है। इस कार्य में ३५५ नावों का प्रयोग किया जा रहा है, तथा ४७ बाढ़ चौकियां कार्यरत हैं। ३३९५ व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर हटाया गया।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, इस विषय पर चर्चा और अच्छी हो पाती अगर हमने भलीभांति सुना होता कि हमारे मंत्री महोदय ने क्या कहा या उसकी प्रतिलिपि हमें मिली होती।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

लिखा हुआ तो आपके पास भी मौजूद है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं कहना चाहता था कि बाढ़ की स्थिति इतनी भयंकर है जो कही नहीं जा सकती। भिन्न-भिन्न जिलों से जो हमारे माननीय सदस्य आये हैं वे अपने विचारों को रखेंगे, मैं तो जिस जगह से स्वयं हो कर आया हूं वहीं की बात रखूंगा। और वह कदाचित इस बात पर प्रकाश डालेगा कि वैसी ही घटना और स्थिति सारे जिलों में है। बस्ती जिले में बूढ़ी राप्ती, राप्ती और घाघरा का प्रकोप है,गोरखपुर पर घाघरा, राप्ती और देवरिया पर घाघरा, राप्ती और गंडक का प्रकोप है। इसी प्रकार आजमगढ़ में घाघरा और एक दूसरी नदी है जिसका प्रकोप है। बस्ती जिले में मान्यवर, मैंने स्वयं देखा है। आज सबेरे जब माननीय मुख्य मंत्री जी से कार्य स्थगन प्रस्ताव के बारे में बात हो रही थी तो उन्होंने एक बात कही कि कुछ दैवी चीजें होती हैं जो अपने काबू में नहीं होती हैं, अप्रत्याशित होती हैं। यह मैं मानता हूं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड बात होती है और कुछ एक्स्पेक्टेड होती है। अनएक्सपेक्टेड भी होती हैं और ऐसी कुछ चीजें होती है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है जैसे वर्षा है या कोई नेचुरल कैलेमिटी है, उस पर हमारा काबू नहीं है लेकिन जिन पर हमारा काबू है उसको नहीं किया गया है, यही तो हमारा कहना है। उसका एक उदाहरण है। राप्ती और बूढ़ी राप्ती से बचाव के लिये दो बांध हैं एक बांसी-पनघटिया और दूसरा चेतिया-नगवा बांध। मैं जानता था क्योंकि मैं जहां से आता हूं वहां दो नदियों के बीच का वह इलाका है। मैं इसीलिये मई के महीने में ही माननीय मंत्री महोदय से मिला था और उनको दर-ख्वास्त दी, फिर जून के महीने में दरख्वास्त दी, अब मुझे तारीख तो याद नहीं है लेकिन उन्होंने चीफ इंजीनियर, सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुलवाया लेकिन कुछ नहीं हुआ।

आज जो घटना घटित हुई उसके लिये मैंने जून के महीने में ही कहा था कि रिटायर बांध ही वहां बनवा दीजिये नहीं तो वहां वह स्थिति हो जायगी जिस पर कभी काबू नहीं किया जा सकता है। फिर १८ जुलाई को पुकार की कि अब भी बांध बंधवा दीजिये नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

तो समय आया जाता है, पानी बरसेगा, बाढ़ आयेगी और कोई फिर कुछ नहीं कर सकेगा। फिर मेरे कहने पर मंत्री महोदय ने मुख्य इंजीनियर, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर को बुलवाया, वह आये और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर भी वहां आये। आज की स्थिति वही हो गई। इन्होंने कुछ नहीं किया। यह विभाग मूर्ख बनाता रहा। जिस पर बीतती है वह समझता है। जहां खेत था वहां २१ फीट गहरा गढ़ा हो गया है। वहां एक और नदी है। इंजीनियरों से कहा गया और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। पहली बात तो यह है कि जमीन के लिये कोशिश नहीं की गई और जब जमीन मिल गई तो बांध नहीं बन सका। १५० गांव बाढ़ में घिरे हुये हैं। २५ मील लम्बा और २० मील चौड़ा इलाका इससे कम नहीं होगा बल्कि ३० मील लम्बा और २० मील चौड़ा इलाका बिलकुल मैरून हो गया है।

मैं चौथे रोज गया था। वहां पर एक आदमी डूब गया था। उसकी लाश दो फर्लांग की दूरी पर जाकर मिली। मैं कहता हूं कि यह अथौरिटीज जमीन में धंस जायेंगी। क्या स्थिति हो गई और बांध नहीं बना। एक औरत के ऐसे स्थान पर लड़का हो गया। उसको वहां नार काटने वाला कोई नहीं मिला। उसको चारपाई पर डाल कर ले जाया गया। नार उसी औरत ने स्वयं काटा। यह स्थिति है। इन्होंने लाखों घर बेघर कर दिये और करोड़ों का नुक्सान कर दिया और बहुत सी जानें गई और पशु मारे गये और खाने का कोई ठिकाना नहीं है। बस्ती बहुत बैकवर्ड जिला है। यहां जो स्थिति पैदा हो गई है उसकी जिम्मेदारी वहां के अधिकारियों की है। वहां तात्कालिक सहायता तक नहीं पहुंचाई गई। यही स्थिति नरवां बांध की भी है। मेरे सामने मंत्री जी ने अधिकारियों से कहा कि चाहे लाखों रुपया खर्च हो जाय लेकिन बांध बनना चाहिये। लेकिन कुछ नहीं किया गया। क्या ऐसा खिलवाड़ लोगों की जान माल के साथ करना चाहिये। जो स्थिति आज वहां पैदा हो गई है उसको गवर्नमेंट ४-६ साल तक नहीं सुधार सकती है। यह मैन मेड ट्रैजेडी है। यह अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी नहीं है। अगर बांध बन गया होता जिसके लिये मैंने मंत्री तथा समस्त अधिकारियों से कहा थो तो यह स्थिति पैदा नहीं हुई होती। अभी मंत्री जो वहां गये थे। उन्होंने देखा कि जहां खेत था वहां २१ फीट गहरा हो गया है और सारे में पानी भरा हुआ है।

मैं कहता था कि ठोकरें ठीक कराई जायं। मेरे सामने इंजीनियरों को बुलाकर कह दिया गया। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं ऊंचे से ऊंचे अधिकारियों से मिला। लेकिन कुछ नहीं हो सका। मंत्री जी से मुझे धोखा मिला, चीफ इंजीनियर से मुझे धोखा मिला, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से धोखा मिला यहां तक कि सभी अधिकारियों से मुझे धोखा मिला और कुछ काम नहीं हो सका। आज यह स्थिति पैदा हो गई है।

गवर्नमेंट की ओर से फ्लड की मीटिंग हुई। मुझे आभास हो गया था कि कलेक्टर कुछ कर नहीं पा रहा है। इसलिये मैंने कहा कि इस कलंक से छुट्टी पाइये। चलिये और जल्दी इंतजाम कीजिये। बाढ़ आने वाली है इसलिये पहले बांध बनवा दीजिये। चैक पोस्ट्स पर सामान भिजवा दीजिये। अभी कहा गया कि इतने हजार रुपये बस्ती को भिजवा दिये गये। लेकिन मैं स्वयं वहां गया और मैंने बी०डी०ओ०से पूछा तो उसने बताया कि १५० गांव बाढ़ में घिरे हुये हैं और मुझे कुल एक हजार रुपया दिया गया है कि मैं यहीं से गेहूं और मिट्टी का तेल खरीदकर बंटवाऊं। मैं जानना चाहता हूं कि वहां क्या बाजार लगा हुआ है जो गेहूं तथा मिट्टी का तेल वगैरा खरीद कर लोगों में बंटवाया जा सके। वहां गेहूं और मिट्टी का तेल नहीं पहुंच पा रहा है। अब और सामान कहां से खरीदने जायेगा। लेकिन आप कहते हैं कि ५० हजार रुपये भिजवाये हैं। यह अधिकारी लोग अपनी खाल बचाने के लिये गलत रिपोर्ट दे देते हैं।

एक बात और कह दूं कि यहां पर कहा गया कि वहां ३२६ नावें काम में लगी हुई हैं। लेकिन उसी बी०डी०ओ० ने मुझे बताया कि उसके पास केवल तीन नावें हैं १५० गांवों के लिये। गोरखपुर वगैरा के दूसरे ब्लाकों से कोई मतलब नहीं है। और हमने कहा कि बाकी नाव? तो कहा कि हमारे पास बाकी नाव नहीं है। तहसीलदार से कहा तो तहसीलदार ने कहा कि क्या हम खुद नाव बन जाऊं।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

एक नाव तो आपके पास गई थी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इंजीनियर की बात मैं जरूर कहूंगा कि वह जरूर दौड़ा, जब उसने कहीं बाहर से बोरा मंगवाया ५–७००, वहां पर एक भी नाव नहीं खड़ी हुई कि बोरा लाया जाय। आप कहते हैं कि ३६० नावें थीं। इंजीनियर गये, कलेक्टर की बीबी भी गई, लेकिन उन लोगों को नाव नहीं मिली। एक नाव उनको मिली ६ मील पर। ठीक है। आप कागज का घोड़ा बना लीजिये, कागज पर बांध बनवा लीजिये। मान्यवर, इस सरकार ने भंडाफोड़ कर दिया। तीन महीने के पहले से मैं यह चेतावनी दे रहा हूं अगर सरकार इन्तजाम करती तो आज यह घटना न घटती। आज यह स्थिति हर जगह हो गई है। ३६० का दोहरा चार्ज आ गया। ३६० कहीं कागज पर लिखे होंगे, उसका किराया भी दिया जाता होगा। मान्यवर, बांसी से इटवा जाने वाली सड़क, पक्की सड़क कट गई, समाप्त हो गई। इसका कारण मान्यवर यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इनके विभाग ने कोई काम नहीं किया।

नदी की स्थिति आप देखें तो आप वाकई जानेंगे कि वह कंट्रोल से बाहर है। वहां पर मान्यवर राहत का काम कुछ भी नहीं किया गया। भगवान के नाम पर राहत का काम अब भी कीजिये। मैं पूंछता हूं कि गल्ला कहां पर भेजा? तेल नहीं है, राशन नहीं है, कहते हैं कि रुपया ले जाओ, पैसा हमारे पास से ले जाओ, तेल हम आपको दे नहीं सकते। आप तुरन्त तत्काल प्रबन्ध करिये। आप राशन भेजिये। माननीया खाद्य मंत्री से भी प्रार्थना की गई कि मान्यवर वहां राशन की दूकान खोलें। दियासलाई भेजिये, तेल भेजिये, नमक भेजिये? मैं आपसे कहता हूं कि यह किसके साथ धोखा करते हैं। यह जनता के साथ धोखा करते हैं कभी शर्माते क्यों नहीं हैं ऐसा कहने से। इनके लड़कों की फीस माफ कीजिये। जानवरों को चारा भेजवाइए। एक बात और कह दूं लांग टर्म के बारे में। आपने फ्लड कंट्रोल बोर्ड बनाया है। बस्ती जिला सारा एक जाल है। हमारे डा० बलजीत सिंह ने कहा है कि यह बस्ती जिला दरिद्र जिलों का दरिद्र जिला है। सिंचाई मंत्री जी ने उस पर भी गला घोंट दिया इस जिले का। तो मैं कहता हूं कि जो इसकी फ्लड कंट्रोल की रिपोर्ट थी कि ४–५ करोड़ रुपया हो तो कोई सलूशन निकल सकता है।

लेकिन आज तक की प्लान्स में जबकि मालूम है कि ४०० करोड़ रुपया प्रति वर्ष नुकसान होता है, आज तक उन्होंने २१ करोड़ रुपया खर्च किया है। इस पर हजार बार लानत है कि इस खाद्य स्थिति को संभालने और उत्पादन के सम्बन्ध में कंट्रोल बोर्ड से जो काम करना चाहिए था, जो सहायता लेनी चाहिए थी वह नहीं ली गयी। सर्वे कराकर जो लांग टर्म प्लांस हैं बांध बनवाने चाहिए। आपके इंजीनियर्स क्या करते हैं, बांध के सम्बन्ध में बरसात के पहले क्या करते हैं। एग्जिक्यूटिव इंजीनियर से कहा गया ईंट गिरवाने के लिए, वह काम नहीं किया। आज्ञा नहीं दी गयी, दूसरे कामों के लिए, एक खेल कर दिया। तो लांग टर्म प्लान में फ्लड कंट्रोल बोर्ड कहे तो वह करिये, लेकिन बाढ़ आने के पहले सतर्कता बरतिये। मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की मीटिंग में कहा कि अब जो तिछड़ी बाढ़ आई है उसके रेकार्ड रख दी, तो कहा कि रेकार्ड नहीं है कि कितनी नावें मंगायीं। फिर कहा कि

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

पुराना रिकार्ड नहीं है तो इस वर्ष से रखो। अब देखें कि बाढ़ आ रही है, फ्लड पोस्ट पर सामान मंगा लीजिए यह बार बार कहा गया, लेकिन एक भी सामान नहीं मंगाया गया। तीन महीने पहिले, जैसे कि कोई आंतरिक संकेत हो, मैं हाइयेस्ट अथारिटीज से मिला, लेकिन सबने धोखा दिया। मैं समझता हूं एक पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया और मेरे साथ धोखा करने का यही कारण हो सकता है कि मैं विरोध पक्ष का हूं। सारे आफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस दिये गये कि इनका क्षेत्र दोनों जबड़ों में फंसा है उसका सत्यानाश कर डालो और उसका सत्यानाश कर दिया। ऐसा कर दिया कि १० साल में भी नहीं पनप सकता।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

एक बात अब करना चाहता हूं कि अभी त्रिपाठी जी ने इस सिलसिले में जो फरमाया तो त्रिपाठी जी को मालूम है वह जब मुझसे मिले १८-६-७४ को तो फौरन उसके बाद कार्यवाही की गयी.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

एक-एक करके बोलें।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

चूंकि वह तशरीफ लिए जा रहे हैं, इसलिए अर्ज करना चाहता था बांध के बारे में उसी वक्त कार्यवाही शुरू की गयी। किसानों ने जमीन देने से इन्कार किया, उसके बाद नतीजा यह हुआ कि वह जमीन अक्वायर करनी पड़ी....

एक सदस्य--

देवरिया में जाकर देखा जाय....सब झूठ बात है जो सरकार ने कही। इंजीनियरों ने सब लूट कर खा लिया....

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

जो अनुभव उन्होंने रखे वही लगभग अनुभव मेरा भी है। बाढ़ आने के लगभग १०-१२ दिन पहले गोरखपुर में भी चीफ इंजीनियर बाढ़ विभाग गये थे। उनसे मिलकर मैंने भी जिस बांध की चर्चा आपने, मन्त्री जी अभी की है अपने वक्तव्य में, कहा कि उस जगह पर बांध टूटेगा क्योंकि उसकी मरम्मत पिछले दो वर्षों से नहीं की गयी है और गोरखपुर नगर को भी खतरा उत्पन्न हो जायगा, यह बात लिखकर दी है।

बावजूद इस सूचना के इनका विभाग चुपचाप उस समय तक बैठा रहा जब तक बांध में दरार नहीं पड़ गयी। पिछले १०-१२ वर्षों के इतिहास में कभी भी इतने बड़े पैमाने पर बांधों की टूट नहीं हुई थी। मन्त्री जी का कहना है कि ये सब बांध जमींदारों ने बनवाये थे। होनर्ट बांध, मलौनी बांध, ये दोनों बांध पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों द्वारा मरम्मत किये जाते थे और सरकार का प्रति वर्ष लाखों रुपया खर्च किया जाता था। इन बांधों को सार्वजनिक निर्माण विभाग से लेकर आपने सिंचाई विभाग को सौंप दिया और सिंचाई विभाग के इंजीनियरों का यह कहना है कि मरम्मत के लिए पिछले वर्षों में एक पैसा भी नहीं दिया गया। इसका जवाब तो आप देंगे कि पैसा क्यों नहीं दिया गया। क्या यह बाढ़ अप्रत्याशित है? बहराइच जिले में जिस दिन बाढ़ आ गई उसी दिन आपको यह यह समझना चाहिए था कि बस्ती और गोरखपुर में बाढ़ आने वाली है। गोरखपुर में जब पानी का स्तर बढ़ा उस दिन आपको यह सूचना हो जानी चाहिए थी कि अब देवरिया के सारे गांव डूबने वाले हैं। यदि आपके इंजीनियर इसको नहीं जानते हैं तो उनसे कहिए कि इस्तीफा दें। मैं इंजीनियर नहीं हूं, गांव के बड़े बूढ़े साधारण किसान इन चीजों को अच्छी तरह से जानते हैं जिनको आपका विभाग नहीं जानता है। यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है।

आपका यह सिंचाई विभाग जिसके आप मन्त्री हैं, इसके दुष्कर्मों के कारण आज गोरखपुर और बस्ती इस भयंकर स्थिति में पहुंच गये हैं। यह नहीं कि बाढ़ आती नहीं है गोरखपुर जिले में। आज उस पक्ष के लोग उतने ही नाराज हैं जितने हम हैं क्योंकि स्थिति को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। गोरखपुर देवरिया कुआनो, आमी, राप्ती, घाघरा, गर्रा, नारायणी, गंडक, चारों तरफ से इन निदियों से घिरा हुआ है। नारायणी और गंडक, इनका पानी तो आप नहरों में भेज दीजिए उत्तर की तरफ से और दक्षिण की तरफ से भेज दीजिए इन नदियों का पानी और जिन बांधों से बचत करनी है उनमें दरार डाल दीजिए तो न तो गोरखपुर नगर बचेगा न फसल बचेगी, न इन्सान बचेगा, न जानवर बचेंगे और न ही बच रहे हैं। आपने जो रिपोर्ट दी है यह तो अखबारों में भी छप चुकी है। यह तो हम यहीं तैयार करवा देते और आप उर्दू में लिख लेते तो बढ़िया पढ़ लेते। हमारे कौशिक जी की सहायता ले लेते तो बढ़िया हिन्दी भाषा में बना देते। लेकिन यह तो एक बनावटी रिपोर्ट आपके अफसरों ने यहीं बैठकर दे दी और आपने उसे पढ़ कर सुना दिया। एक बार हमारे देश के प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फौजों को आदेश दे दिया कि चीन की बाढ़ आ रही है मुकाबला करो और खदेड़ दो। उसी तरह से मन्त्री जी ने भाषण दे दिया कि मैं कल गोरखपुर गया था। और कलक्टर को आदेश दे दिया है। आपने भाषण दे दिया और कलेक्टर को कह दिया कि बाढ़ रोक दें। अब कलेक्टर क्या कहेगा कि ऐ खुदा मियां, बाढ़ रोक दो? क्या ऐसे बाढ़ रुकने वाली है? बाढ़ को रोकने के लिए आपको जनवरी से काम करना चाहिए था। वह तो आप ने किया नहीं और न करना चाहते हैं आप क्योंकि आपके दिमाग में तो यह आता है कि जब बाढ़ आ जायेगी तो नाव में बैठ कर जो चना देंगे उसको फांकते हुए और जल-बिहार करते हुए निकल जायेंगे। लोगों की दिक्कत और परेशानी से आपके मन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आपकी गर्दन शर्म से झुकती नहीं है। आपने कहा कि इन जमींदारी बांधों के लिये सरकार जिम्मेदार नहीं है। मैं कहता हूं आपको कोई जानकारी नही है, आप कहते हैं वह जमींदारों ने बनाया होगा। जमींदारी तो आपने तोड़ दी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उस बांध की रक्षा की जिम्मेदारी किस की है। जब एक तरफ से बांध गोरखपुर को खाने के लिये तैयार हो गया तो दूसरी तरफ से आपने बांध को तोड़ दिया। गोरखपुर से बड़हलगंज जाने वाली सड़क पर कमर भर पानी है। वहां जनता के लिये आवागमन का कोई साधन नहीं है, घूम कर दूसरी तरफ से आना जाना पड़ता है। क्षेत्र की जनता का सम्बन्ध पूरे प्रदेश से टूट गया है। कोई सहायता भी नही पहुंचायी जा सकती है। नावों की स्थिति यह है कि एक तो जितनी चाहिये उतनी है नहीं, दूसरी जो है भी उनमें अधिकांश काम लायक नहीं है। जिलाधिकारी ने ही मुझे बताया कि जो नाव है वे काम की नहीं है। इन बांधों के लिये जो रुपया आपने मरम्मत आदि के लिये दिया, सारा रुपया आपके इंजीनियर्स खा गये। आपने कभी इस बात का पता नही लगाया कि जो रुपया आपने दिया वह कहां गया? मैं इंजीनियर्स को, जिन्होंने पैसा खाया है, जानता हूं, मगर नाम लेने में कोई लाभ नहीं है, उन लोगों का नाम लेने में भी हमें शर्म आती है। आपको उसकी जानकारी है। मगर आपकी हिम्मत नहीं है कि कोई कार्यवाही उनके खिलाफ आप कर सकें। पिछले १० वर्षों में जो जो इंजीनियर्स वहां पर काम करने के लिये गये हैं, यदि उनके हिसाब किताब और हैसियत की जानकारी आप करायें तो आपको पता चल जायेगा कि कितना पैसा उन लोगों ने खाया है। खुदा मियां ने यह स्थिति पैदा नहीं की है, यह स्थिति आपने और आपके इंजीनियरों ने पैदा की है।

माननवर, उग्रसेन जी जो पहले विधान सभा के सदस्य थे, वे बाढ़ नेता कहे जाते थे, उन्होंने बाढ़ के सम्बन्ध में कई बड़े-बड़े अच्छे सुझाव यहां सदन में दिये मगर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया

[श्री मधुकर दिघे]

गया । उन्होंने सुझाव दिया था कि राप्ती की जल कुंडी योजना को लागू किया जाय । आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया । आपने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि जो नदियां हैं उनके पेटे की खोदाई करके उनको और अधिक गहरा किया जाय । आपने गोमती नदी के दोनों तरफ बांध बना दिया, मगर बांधों के साथ साथ पानी की ऊंचाई भी बढ़ रही है, उसके पेटे को गहरा नहीं किया । पेटा ऊंचा हो रहा है तो अगर नदी से मिट्टी निकलेगी नहीं तो फिर बाढ़ क्या करेगी, और पानी ऊपर से आकर गांवों को डुबा देगा । जितना पैसा आपने गांवों को ऊंचा करने के लिये लिया क्या वह सच्चाई से लग पाया, क्या वह खर्चा ठीक तरह से हो पाया ? मेरा तो आपके ऊपर और सरकार के ऊपर इल्जाम है कि जो रुपया सरकार ने इस काम के लिये लिया वह सारा पैसा जनता का बर्बाद हुआ । आपके इंजीनियर्स सारा पैसे को खा गये और सारे धन को लूट लिया । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि खुदा के लिये आप इस्तीफा दे दें और अपने सब आफिसरों से भी इस्तीफा दिलवा दें ताकि हम कम से कम इतना तो समझ सकें कि अब खुदा का ही भरोसा है, भगवान का ही भरोसा है, वहीं हमें बचायेगा तो हम बचेंगे नहीं तो नही बचेंगे । आपने अपने ऊपर जो बोझ लाद लिया है अगर उसको आप नही ढो सकते तो समाप्त कीजिये, इस्तीफा दीजिये, हम अपनी बचत कर लेंगे, गांव के लोग अपनी बचत कर लेंगे । आप राशन आदि का क्या बटवारा कर रहे है,आप क्या राहत दे रहे है । आपने ५० हजार रुपया दिया तो आप क्या समझते हैं कि इससे बाढ़ की परेशानी को आप रोक सकेंगे । नदी में अब जब पानी बढ़ जायेगा तो आप मिट्टी को कैसे रोक सकेंगे, बालू को कैसे रोक सकेंगे, और रेत की दीवार जो आप खड़ी कर रहे हैं क्या वह रुक सकेगी ? सारा पैसा पानी में चला जायेगा ।

आप पूछ लीजिये,कांग्रेस पार्टी के भी सभी सदस्य मेरी बात की ताईद करेंगे कि यह सारा पैसा बर्बाद हो जायेगा और हो गया । आप लोगों को राहत देने के लिये एक भी पैसा नहीं दे पायेंगे । केवल एक ढिबरी मिट्टी का तेल और एक पौवा चना दे देंगे तो क्या इससे उनकी सहायता हो जायेगी । वहां की जो भयंकर स्थिति है उसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं । आप वहां के रहने वाले नहीं है इसलिये उसकी कल्पना नहीं कर सकते । हम लोग जो उस जिले के रहने वाले हैं वहां की भयंकर स्थिति की कल्पना करके कांप उठते हैं । आपको उनकी स्थिति की जानकारी नहीं है, इसलिये आप नहीं जान सकते कि वहां कितने लोग मर गये होंगे, कितने घर बर्बाद हो गये होंगे । यह जो रिपोर्ट आपने दी है वह तो फर्जी है । बाद में पता चलेगा कि कितनी जमीन कटी, कितनी फसल बर्बाद हुई और कितने लोग मर गये । गोरखपुर नगर को भी आप नहीं बचा सके । गोरखपुर नगर के अन्दर भी कई मुहल्ले ऐसे हैं जहां इतना पानी भरा हुआ है कि वहां नाव पर लोग आते जाते हैं । लेकिन सरकार की तरफ से वहां भी नावों के लिये पूरा प्रबन्ध नही है गोरखपुर नगर में पानी की निकासी के लिये कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये भगवान हीं उसे बचा सकेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस्तीफा दे दें ।

(व्यवधान)

*श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)---

मान्यवर, घाघरा, राप्ती की बाढ़ की वजह से गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया आदि जिले तबाह हो गये । इसका जिक्र तो सभी ने किया कि घाघरा और गंडक तथा राप्ती की भीषण बाढ़ से इन जिलों को तबाह करते हुये पानी आजमगढ़ में जाकर रुक गया और पश्चिम की तरफ पानीं उलट गया लेकिन आजमगढ़ से पूरब की तरफ उत्तर प्रदेश का अन्तिम जिला बलिया जो घाघरा व गंगा की बाढ़ की वजह से तबाह हो गया उसका जिक्र करना माननीय सदस्य भूल गये । उसका जिक्र किसी व्यक्ति या अधिकारी ने नहीं किया कि जब वहां से पानी चला तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इन तमाम जिलों को तबाह करते हुये बिहार में छपरा जिले में जाकर आखिर में समुद्र में यह पानी चला जाता है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि मंत्री जी और सिंचाई विभाग के अधिकारी बलिया जिले को भूल गये कि पानी आजमगढ़ में जाकर पश्चिमी जिलो को लौट गया या बलिया जिले में तबाही मचाई इस बारे में मैं आप से जानकारी चाहता हूं। आपने बलिया को क्यों छोड़ दिया।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं अभी बलिया से लौटकर आया हूं। घाघरा से कठमरा और चांद पुर दोनों कट रहे हैं। इसका आपने जिक्र नहीं किया है। जहां कटाव हो रहा है वहां सिंचाई विभाग के अधिकारी नहीं गये। मुझे इस बात की जानकारी है कि कठमरा और चांदपुर को कटने से बचाने के लिये काफी ईंट पत्थर, ढोके रखे गये हैं पर बलिया जिले के अधिकारियों ने कोई काम नहीं करवाया है। यह दोनों गांव कटाव के लिये पहले से मशहूर हैं। कटने से बचाने के लिये सामान इकट्ठा रखा गया है लेकिन काम नही किया गया है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि बलिया जिले के बारे में इतनी उदासीनता क्यों की जा रही है। गलत-गलत लोगों और अधिकारियों को बलिया में रखा है, और विधायकों के कहने पर भी आज वहां कोई काम नही हो रहा है। इसका माननीय मंत्री जी उत्तर दें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से शोर)

*श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से गोरखपुर में जो बाढ़ को भयंकर स्थिति है, जो वहां पर तबाही हो रही है उसकी ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री गोपीनाथ कामेश्वर पुरी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मुझे समय नहीं मिला। मैं भी खड़ा था।

(खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष--

आपको इजाजत नहीं है। (श्री शारदा प्रसाद रावत से) आप बैठ क्यों गये।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, मैं सहजनवां की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इस क्षेत्र के ३३३ गांवों में से २५० गाव आज राप्ती, आमी नदी के चपेट में हैं। मंत्री जी तो गोरखपुर गये थे उन्होंने देखा होगा। वहां अभूतपूर्व स्थिति है, चारों तरफ पानी भरा है। मैंने इस बात की शिकायत की थी कि बीखटा बांध जो है, जो जमींदारी का बांध नहीं है, बल्कि इरीगेशन विभाग का है। वह कमजोर हो गया है। टूट सकता है। ४ तारीख को मैंने जाकर देखा। रात में स्वत: मैं वहां गया और मैंने देखा कि पानी झिर झिर करके रिस रहा था। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान को भी इसकी सूचना दी। उन्होंने कहा कि कोई इंजीनियर नही है। सभी इंजीनियर शहर को बचाने में लगे हैं। मान्यवर यह पुराना बांध है, इस बांध के लिये कुछ नही किया गया है। इस बांध को चीफ इंजीनियर, जो बाढ़ के हैं उन्होंने जाकर देखा। उन्होंने आदेश दिया कि ठोकर कम्प्लीट कर दी जाय। लेकिन ठोकर कम्प्लीट नही हुई।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन कर रहा हूं। आप पता लगायें मेरी जानकारी में है कि वहां पर १० किलो नमक और १ टिन मिट्टी का तेल लेकर कानूनगो और पटवारी साहब जा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदा प्रसाद रावत]

रहे हैं। चारों ओर पानी भरा है। तमाम गांव डूबे पड़े हैं। बखड, मटियारा, मटियारी, सिरई, बड़या आदि गांवों मेंपानी भरा हुआ है। इन गांवों का क्या हाल होगा। मैं पूछता हूं कि १० किलो नमक और १ टिन तेल लेकर जाने से बांटने से कोई भला नहीं हो रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जिलाधीश से जब कहा जाता है तो वह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। नमक और एक ढिबरी तेल देने से क्या होगा। घर गिर गया है। अनाज और भूसा चारा सारा बर्बाद हो गया है। अनाज खाने को नहीं है। अब आप ही बतलाइये कि वहां के लोग क्या खायें और क्या अपने जानवरों को खिलायें। उनको न तो अनाज ही मिल रहा है और न कोई और सहायता मिल रही है। लानत है इस सरकार पर जो कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। बंगला देश को खिलाने में करोड़ों रुपये था परन्तु देश में तमाम मर रहे हैं उनको खिलाने के लिये नहीं है। खाद्य मंत्री जी ने कह दिया कि न गेहूं दे रही हैं और न बाजरा दे रही हैं क्योंकि हमारे पास गल्ला नहीं है। मैं शासन से चाहता हूं कि जो लोग भूख से मर रहे हैं उनको खाने के लिये गल्ला दें। आपके आदेश के मुताबिक आज से विधान सभा बन्द हो रही है और मैं अपने क्षेत्र में जा रहा हूं। यदि हमारे क्षेत्र का एक भी आदमी मर गया तो मैं क्रांति मचा दूंगा और वह ऐसी होगी जो कि इतिहास में लिखी जायगी। इसलिये आप कोशिश करें कि कोई भी आदमी मरने न पावे और आप गल्ला चाहे तकाबी पर दें या उनकी खेती को बन्धक के रूप में रखकर गल्ला दें। आपको यह प्रबन्ध करना होगा। यदि नहीं करते हैं तो यदि कोई व्यक्ति भूख से मरा तो उसका पाप आपके ऊपर होगा और उस स्थिति में मैं विद्रोह करुंगा। पुलिस की संगीन भी मेरे उस विद्रोह को नहीं रोक सकेगी। इसलिये मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि उन लोगों को गल्ला देकर भूख से मरने से रक्षा करें। इसके लिये आप जिला मैजिस्ट्रेट को सख्त आदेश दें कि जो बाढ़ से घिरे हुये हैं उनकी रक्षा करें। हमने उनको आश्वासन दे रखा है कि भुखमरी की स्थिति नहीं आयेगी और भूख से कोई नहीं मरने पावेगा। यदि भुखमरी की स्थिति आई तो मैं विद्रोह करूंगा और फिर मुझे न सदस्यता की फिकर रहेगी और न शासन की। इसलिये कृपया आप इस पर ध्यान दें। यहां पर इस समय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं परन्तु उनके कारिन्दे लोग बैठे हुये हैं। अतः उनकी रक्षा के लिये अविलम्ब आदेश देने चाहिये।

*श्री हरि केवल (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो रिपोर्ट सदन में पढ़ी यह बाढ़ के सिलसिले में है। उस रिपोर्ट से यह सिद्ध है कि मंत्री जी ने वस्तुस्थिति जो वहां पर है उसको सदन से छिपाया है और इसलिये सदन को गुमराह करने का काम मंत्री जी ने किया है। मैं अपने देवरिया जिले के बारे में रिपोर्ट मे लिखा गया है कि टिगरा मराची तथा टिगरा रतनपुर के बांध टूटे हैं। लेकिन मुझे जानकारी है कि मुडेरा, छितपुरवा तथा डुमरिया बांध भी टूट गये हैं। रुद्रपुर में २५० गांव पानी से डूब चुके हैं। वहीं पर बगल में एक बिशुनपुरा गांव है जिसका ऊदल पुर गांव से संबंध विच्छेद हो गया है। बिशुनपुरा गांव के ५६ घर की आबादी नदी की धारा में आ गई है। वहां के लोगों को नाव नहीं मिली जिससे कि वे खपरैलों पर पड़े हुये हैं। यदि नाव मिल जाती तो वे लोग आजमगढ़ की ओर चले जाते लेकिन मंत्री जी ने एक दर्दनाक घटना को जन्म दिया है। दूसरी बात मंत्री जी ने कहा है कि ८६० गांवों में पानी भर गया है। तो मैं मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि देवरिया जिले के २५०० गांव पानी से डूबे हुये हैं। २५०० गांवों में पानी है। मंत्रीजी को रिपोर्ट ठीक से नहीं मिली है। मुझे पता लगा है कि नवावर, मलपुरवा, बिस्तौली, बमासी, मलटुलिया, बरहज और भागपुर आदि गांवों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। पानी का बेग तेजी से जा रहा है और यह रिपोर्ट झूठी है। सलेमपुर के परगनाधीश से मैंने पूछा कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोग डूब रहे हैं तो आप कहां जा रहे हैं। वह बाढ़ का लखनऊ में बैठकर सर्वे कर रहे हैं। ७९ गांव डूबे हुये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह बाढ़ बहुगुणा जी की सरकार की देन है। गन्डक नहर देवरिया जिले के लिये अभिशाप बन गई है। पिपरासी बांध में दरार पड़ रही थी उसी समय मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया था लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया। तीन वर्ष पूर्व तत्कालीन जिलाधिकारी की कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि गन्डक नहर का पानी छोड़ने से देवरिया जिले के लाखों लोग बेघरबार कर दिये गये। यह नहीं छोड़ना चाहिये था। इस वर्ष फिर अधिकारियों ने गन्डक नहर का पानी १८/१९ जून को छोड़ दिया। मंत्रीजी ने इसको कबूल किया लेकिन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार देवरिया जिले की बाढ़ से रक्षा नहीं कर सकती है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि देवरिया को सेना के हवाले कर दिया जाय। तभी वहां की रक्षा की जा सकती है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां मोटरबोट हैं लेकिन बिगड़ी पड़ी हैं। यह ठीक होना मुश्किल है। नावें भी ठीक नहीं हैं। जब लोग डूब रहे थे तो इलाहाबाद, बाराबंकी से मंगाई गईं। इसके बावजूद कि अधिकारी जानते थे कि देवरिया में नावें नहीं हैं, उन्होंने नावें पहले नहीं मंगाई। चार बार बाढ़ सहायता सम्बन्धी मीटिंग हुई और कहा गया कि व्यवस्था करें। जिससे लोग सुरक्षित स्थानों में चले जायं। लेकिन इस पर भी अधिकारियों ने नावों की कोई व्यवस्था नहीं की। मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी स्पेशल नावों की व्यवस्था करायें, बड़ी-बड़ी नावें भेजवायें, ताकि लोग डूबने न पावें। मत दें दियासलाई, मिट्टी का तेल और नमक। इनके सहारे हमारे लोगों को मत डुबावें। अगर देते हैं, तो वहां अधिक से अधिक नावों की व्यवस्था करें, ताकि लोग अपने जान-माल और मवेशियों की रक्षा कर सकें। दूसरी बात यह है, श्रीमन्, सारे सरकारी देयों की वसूली हमारे यहां जिले में बन्द की जाय।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला आजमगढ़)—

माननीय, इधर के सदस्य भी बाढ़ से प्रभावित हैं, केवल उधर के ही नहीं। इधर भी मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

सबको साथ कैसे मौका देंगे, जब कि साथ इतने लोग बोलना चाहेंगे।

*श्री दीप नारायण पाण्डेय (जिला गोंडा)—

माननीय, जो रिपोर्ट मंत्रीजी ने पेश की है, उसमें केवल राप्ती नदी की बाढ़ के बारे में दिखाया है, घाघरा नदी के बाढ़ के बारे में नहीं जिक्र किया गया। माननीय, गोंडा जिले में तरबगंज तहसील और गोंडा तहसील में भी भयंकर बाढ़ आयी है। जिलाधिकारी, गोंडा को लिखकर भी दिया है, वह बात सदन में नहीं रखी गयी। अतः यह रिपोर्ट अपूर्ण है इस समय गोंडा जिले में मक्का की फसल तबाह हो गयी है और चारों ओर भुखमरी फैलने वाली है। कटरा ब्लाक और दुबहा बाजार का ८/१० मील का इलाका पानी से भरा है। मैंने नियम ५१ में भी दिया था, इसके बारे में। मैं चाहूंगा कि गोंडा जिले की सही रिपोर्ट मंगायी जाय और सदन के समक्ष रखी जाय। यह तो केवल राप्ती नदी के बारे में रिपोर्ट दे दी गयी है जो गलत है। गोंडा जिले में, माननीय, चारों तरफ बाढ़ है। वहां पर जायं, तो वास्तविक स्थिति देखने को मिलेगी। मंत्री जी इस बात का पता लगा है।

हम अपने क्षेत्र में जाते हैं और वहां की स्थिति का अध्ययन कर रहें हैं। मैं, आपके माध्यम से, मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि घाघरा नदी की बाढ़ से तरबगंज तहसील पूरी तरह से प्रभावित है। गोंडा तहसील में करनैलगंज के इलाके में बाढ़ आई है। दुबहा बाजार टेढ़ी नदी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[दीप नारायण पाण्डेय]

से प्रभावित है और झवना तालाब और टेढ़ी नदी के बीच का ८/१० मील का इलाका जलमग्न है। वहां कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। सैकड़ों घर गिर गये हैं। उसकी भी रिपोर्ट मंगाई जाय। कुआनों नदी में बाढ़ आई है। मैं बजरामपुर से आ रहा था तो देखा कि सैकड़ों आदमी सड़क पर डेरा डाले पड़े हैं। उसकी भी रिपोर्ट इसमें नहीं है। आप इंजीनियरों को ताकीद कर दें कि इस तरह से जो रिपोर्ट भेजते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा और अपील करूंगा कि सरकार इस ओर तत्काल ध्यान दे और गरीबों की रोटी व रोजी की व्यवस्था करे।

*श्री बांके लाल--

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की रिपोर्ट बहुत अधूरी है। इतनी दूर से पढ़ रहे हैं तो बाढ़ को उन्होंने कैसे हवाई जहाज से देखा होगा। अभी-अभी हमारे यहां के लोग आये हैं उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि शुरू में जो बाढ़ आई थी वह इंजीनियर्स की वजह से आई थी। नारायणी के बंधे को बचाने के लिये नारायणी का पानी गंडक में छोड़ दिया गया और देवरिया जिला जलमग्न हो गया। विशेष रूप से हाटा तहसील, भाटपार, रुद्रपुर के इलाके में पूर्ण रूपेण बाढ़ आ गयी। फ़िर कुछ वर्षा हुई परिणामस्वरूप देवरिया जिले की सभी नदियों में बाढ़ आ गयी और पूरा जिला बाढ़ से प्रभावित हो गया। गांवों की जो संख्या मंत्री जी ने दी है वह कम है और रकबा भी बहुत कम है। जब मैं परसों आया था तो वहां ६० हजार एकड़ फसल जलमग्न थी। सभी नदियां कटने, मझने, छोटी गंडक, बड़ी गंडक में बाढ़ आ गयी है और छोटी गंडक में तो पानी खतरे के बिन्दु से पार हो गया है।

मेरी जानकारी में आया है कि राज मंगल पांडेय जी के निवास-स्थान पर पानी चला गया है। हाटा ब्लाक पानी से जलमग्न है। मोती ब्लाक, रामकोला ब्लाक पानी से डूबे हुए हैं मौन, दुराजी, मझन नाले के किनारे-किनारे सब गांव पानी में डूबे हुये हैं। मौन नाले के किनारे राज मन्दिर है। मझन नाले के किनारे मेंड़ा, सिनवारा, विनवार, पिपरा मटेरा गांव हैं जो पानी में डूबे हुये हैं, इसी तरह से मौन नाले के किनारे जो हाटा निर्वाचन क्षेत्र में है वहां पर सामंगी पट्टी पानी, डुमरी, सिहना, खजवां, लालोपार, छितौनी, बहेरो, सिमरी, परसोनी खुर्द-मुरेड़ा, बड़वाहरपुरा, अजनगा, गुनहा, मथोली गांव पानी से डूबे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके अधिकारियों को जितनी सहायता करनी चाहिये उतनी सहायता वह नहीं कर रहे हैं। अभी परसों की यह रिपोर्ट है कि लंगड़ो गांव में कुर्क अमीन तकावी की वसूली के लिये गया और १० आदमियों को हवालात में भेज दिया गया। मैंने तहसीलदार से कहा, डिप्डी साहब से कहा। पता नहीं कैसे यह रिपोर्ट दे दी जब कि हजारों गांव जलमग्न हैं पडरौना तथा हाटा तहसील के लेकिन आपकी रिपोर्ट में केवल ८०० गांवों दिखाये गये हैं।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

यह बात ठीक है कि वहां पर जमीन में बड़ा पानी भरा हुआ है। अभी रिपोर्ट तफतीस में बाद में आयेगी कि कितना नुकसान हुआ है, कितनी जमीन पानी में डूब हुई है।

श्री बांके लाल--

बाढ़ आने के पहले मैंने बाढ़ कमेटी में सुझाव दिया था, जहां इंजीनियर गये थे कि पानी की निकासी का कोई तरीका अख्तियार किया जाय। नहरें बनाकर पानी के आवागमन के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है और उसके निकासी की कोई तरकीब नहीं निकाली गई है जिसकी वजह से आटर लार्गिंग बाढ़ वर्षा और नहरों के पानी से पूरा जिला तबाह कर दिया गया है। सहायता कार्य बहुत छोटे स्तर पर किया जा रहा है। बिसवां, संकराव, खतीमपुर आदि स्थानों पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नावों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहां न राशन की व्यवस्था है, किसी चीज की समुचित व्यवस्था नहीं है। लोग किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करेंगे यह कुछ नहीं कहा जा सकता है। मेरा कहना यह है कि जितनी भी अन्न की सहायता, दियासलाई, मिट्टी का तेल सारी चीजों की व्यवस्था समुचित होनी चाहिये। बाढ़-ग्रस्त इलाकों के लोगों के लड़कों की फीस माफ होनी चाहिये और १/२ एकड़ के गरीब लोगों को सहायता देनी चाहिये। वहां पर जो संपन्न लोग भी थे वे भी तबाह हो गये हैं।

मैंने अभी-अभी देखा है कि नहर विभाग का कोई भी कर्मचारी बाढ़ को देखने तक के लिये इन स्थानों पर नहीं गया है। अभी तक वहां पर केवल परगना हाकिम तथा एस० डी० एम०, हाटा ही केवल मेरे साथ गये थे। हम लोगों ने वहां पर १५/२० गांवों को देखा और जो भी सहायता हो सकती थी की गई। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से और सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी सहायता हो सके, इस वक्त उनको दी जानी चाहिये और वसूली को बन्द करना चाहिये। लगड़ी गांव में कुर्क अमीन पैसा वसूलने के लिये गया था। चतुर्वेदी साहब यहां पर बैठे हुये हैं इसलिये वहां पर जो भी आर्थिक सहायता सरकार कर सकती हो करे। आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि लोग सड़क के किनारे पर अपना जीवन-निर्वाह कर रहे हैं इसलिये उनके लिये हर चीज की व्यवस्था की जानी चाहिये। यही मेरी प्रार्थना है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को देवरिया जिले की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि हर जिले के लोग बोलें।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

मान्यवर, ट्रेजरी बेंच की ओर से देवरिया जिले के बारे में किसी ने नहीं कहा है। देवरिया जिले की स्थिति काफी भयंकर हो उठी है। ऐसी परेशानी बर्बादी और तबाही कभी भी देखने को नहीं मिली है। देवरिया जिले के बारे में गत २० जुलाई से मैं माननीय मुख्य मंत्री तथा सिंचाई मंत्री जी को वहां की स्थिति से अवगत कराता रहा हूं कि वहां की नहरों ने सारे जिले को जलमग्न कर दिया है और चारों ओर तबाही और बर्बादी हो गई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि इस नहर के पानी ने गत वर्ष भी भाटपार इलाके को तबाह कर दिया था और नहर विभाग के कर्मचारी सोते रहे। इस वर्ष इन लोगों ने वही लापरवाही दिखलायी जिसे कोई नहीं छिपा सकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि जो उन्होंने मेरे निवेदन पर एक विशेष दल किसी निदेशक, सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता तथा अन्य कर्मचारियों का मेरे साथ अभी हाल ही में ४/५ तारीख को देवरिया भेजा था। मैंने इन लोगों को रुद्रपुर, गौरी बाजार और वह क्षेत्र जहां से माननीय कृष्णा राय जी आते हैं, दिखाया कि किस तरह से नाले और नहरों का पानी चारों ओर फैला हुआ है। मझाने और नकटा फसलों का पता नहीं है। रुद्रपुर में जो राप्ती और गोरा नदी पड़ती है उससे सारे गांव डूबे हुये हैं। २०६ गांव जलमग्न हैं जो सरकारी आंकड़े के अनुसार मैं बता रहा हूं। श्रीमन्, चारों ओर पानी का वेग है, बन्धे इधर से उधर टूट रहे हैं। मेड़ी का बन्धा जो सरकारी बन्धा है टूट चुका है। इस तरह चारों ओर पानी का वेग और प्रवाह है। इसके होते नहर का पानी आ रहा है, जिससे हाहाकार मचा हुआ है, बथुवा, कुरना, मझना और नकटा नाला सभी अपने

[श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त]

अपने स्थानों पर बिकराल रूप धारण किये हुये हैं, छोटी गंडक और दराचो का भी यही हाल है। इसी तरह से घाघरा और राप्ती भी हैं, जो एक अजीब सी स्थिति दो वर्षों में पैदा किये हुये हैं।

नहर विभाग जहां हमारे जिले में बरदान बना था, वह अब अभिशाप बन गया है। सिंचाई विभाग वालों से मैंने निवेदन किया कि भाइयों तथ्यों पर आप पर्दा न डालो, सच्चाई पर आ जाओ, इसे छिपाओ नहीं, क्योंकि योजना के सभी प्रारम्भिक कार्यों में त्रुटियां हो सकती हैं। उसको स्वीकार करो ताकि, उसका निवारण हो सके। मुख्य मंत्री जी इस समय इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं, उन्होंने एक दल भी इस हेतु मुकर्रर किया था, जिसने हमारे साथ बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण भी किया था। फिर भी विभाग वाले यह कहने की चेष्टा कर रहे हैं कि यह नहर के द्वारा पानी आया है। जबकि हमारा और हमारे साथियों और क्षेत्र के लोगों का निश्चित रूप से कहना यह है कि यह गंडक नहर का पानी है, जो मौन नाले के माध्यम से नकटा, कुरना और मझना में आया है। मुख्य मंत्री जी अवश्य दिलचस्पी ले रहे हैं, उनको दर्द भी है। उन्होंने इसी भावना से प्रेरित होकर इस्तफा साहब तथा सिंचाई मंत्री गण को उन इलाकों की तरफ स्थिति का जायजा लेने भेजा भी था। परन्तु यह जो आंकड़े दिये गये हैं, और जो धनराशि स्वीकार की गई है, वह अपर्याप्त है। मैं आपके मायध्म से मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री जी से विनीत प्रार्थना करूंगा कि और धनराशि और सुविधा, और फीस माफी की सुविधायें हमारे इलाके में प्रदान की जायं। देवरिया जिला जो नहर की बाढ़ का शिकार है, वहां नहर के पानी और बाढ़ के पानी दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

क्या आजमगढ़ के लोग नहीं बोलने पायेंगे, आपने उनको कोई समय नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष--

हमें देखना पड़ता है कि कौन खड़ा होता है और वह किस जिले का है।

एक सदस्य--

मान्यवर, मुरादाबाद में भी बाढ़ आई हुई है, शायद मंत्री जी को उसका पता नहीं है, मुझे भी समय दे दीजिये।

श्री लक्ष्मी नारायण पान्डे (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, जो अधिकारी भ्रष्ट और निकम्मे हैं, उनकी रिपोर्ट के अनुसार मंत्री जी ने यह रिपोर्ट यहां पढ़ दिया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि गोरखपुर जिले में ७ बंधे टूट गये और १६४ गांव प्रभावित हुये। किन्तु आपका ध्यान केवल एक ब्लाक धानी की ओर ले जाना चाहता हूं। ब्लाक के सारे गांव पानी से घिरे हुये हैं और उस ब्लाक में ८२ गांव और टोले हैं। हर गांव के चारों ओर पानी भरा है। उस ब्लाक में ३० मील के लम्बे और १६ मील के चौड़े एरिया में समुद्र को तरह पानी भरा हुआ है। इस सच्चाई के विपरीत यह रिपोर्ट कितनी झूठी है, निकम्मी है, यह आप देखें।

इसके बाद आप कुछ दूसरे ब्लाकों में जायं। बृजमनगंज और फरेंदा ब्लाकों के भी तमाम सैकड़ों गांव पानी से घिरे हुये हैं। वहां नावों का कोई इंतजाम नहीं है रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 3 सौ के करीब नावों का इंतजाम है। मैं मत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो मैंने अभी बताया बीस मील लम्बा सोलह मील चौड़ा क्षेत्रफल जहां बाढ़ का जोर जिसके अन्दर ६७ गांव हैं, उन गांवों के लोगों को निकालने के लिये केवल तीन नावें हैं। यह तीन नावें ऐसी हैं जिन पर सरकारी अधिकारी और कुछ नेतागण जाकर घूमते हैं, गांव के आदमियों को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है।

दूसरी बात मवेशियों को बचाने के लिये लोग अपने मवेशी बाढ़ के इलाके से ले आये और जंगलों में लाकर रखना चाहते हैं, जंगल विभाग के लोग उन मवेशियों को कांजी हाउस में ले जाने लगे। जो रिपोर्ट मैं आपको कर रहा हूं यह ३ और ४ अगस्त की रिपोर्ट है। जिला अधिकारी को यह मालूम है। वहां के जंगल अधिकारी को मालूम है। तहसीलदार और परगनाधीश सबको मालूम है। गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में एक तिहाई हिस्सा हर साल बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित होता है। वहां के जानवरों को उन जंगलों में रहने का मौका नहीं दिया जाता है। वहां पर इस तरह का व्यवहार यह निकम्मे अधिकारी कर रहे हैं। आप इससे नतीजा निकाल सकते हैं कि उनकी रिपोर्ट में कितना सत्य और कितना असत्य है।

दूसरी बात, जो इसमें कहा गया है कि जमीदारों के बनवाये हुये बांध हैं, मेरी जानकारी के अनुसार गोरखपुर जिले में केवल एक बंधा जिसको बंदइयां बांध कहते हैं एक स्टेट थी अंग्रेज की उसने बनवाया था। बाकी सारे बंधे टेस्ट वर्क्स के जरिये, बाढ़ के जरिये, या पी०डब्लू०डी० के जरिये बनवाये गये हैं। उनमें सरकार का लाखों रुपया खर्च हुआ है। फरेंदा तहसील के बारे में मैंने सवाल किया था उसका जवाब आया। उसमें लिखा है कि ये बंधे जमीदारों के बनवाये हुये हैं। यह बिलकुल गलत है। वह बंधे सरकारी विभाग द्वारा बनवाये गये हैं। इस साल बाढ़ आने के पहले इन बांधों की मरम्मत होती रही है, हर साल लोगों ने कोशिश की कि इन बांधों की मरम्मत कर दी जाय, मिट्टी डाल दी जाय, मंत्री जी को लिखकर दिया गया लेकिन कलेक्टर साहब ने, इंजीनियर साहब ने कहा कि हमारे पास कोई फंड नहीं है। जिसका नतीजा यह हुआ कि बांधों के न बंधने की वजह से इस साल पानी उन इलाकों में भी चला गया जहां पर पानी कभी नहीं गया था। इस तरह से वह गांव अब उजड़ रहे हैं तमाम घर गिर रहे हैं। हमारी जानकारी में, हम जिन गांवों में गये हैं, हमने जिन गावों की लिस्ट बनायी है उसके मुताबिक साढ़े तीन सौ घर बिलकुल गिर कर ध्वस्त हो गये हैं। और आप पूरे जिले में बताते हैं कि ३९५ घर खाली गिरे हैं। इस तरह से जो रिपोर्ट दी जाती है उसी आधार पर सरकार अनुदान देगी सरकार सहायता देगी। इस तरह से जनता की कोई सेवा नहीं हो सकती है। फरेंदा तहसील में यह जो विनाशकारी बाढ़ आयी है वह रोकी जा सकती थी। रोकने में जो गैर जिम्मेदारी अधिकारियों ने की है उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूं। लोगों ने मिल कर श्रमदान करके भी बांध बनवाया और बाढ़ से लोगों को बचाया। एक जगह पर जहां पर कोई काम नहीं हो रहा था, वहां पर साढ़े तीन रुपये मजदूरी दी जा रही थी। सरकारी अधिकारी और इंजीनियर एक नेता के मकान पर बैठे हुये थे। एक जगह पर सैकड़ों लोग बंधा बांध कर बाढ़ को रोक रहे थे। वहां पर जब इसकी बात कही गयी तो आपके विभाग के इंजीनियरों ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। इस तरह की निकम्मी हरकत को रोका जाय।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो माननीय मन्त्री जी की ओर से बाढ़ के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है मेरी समझ में वह बहुत अधूरी है। पिछले वर्षों की श्रीमन् हमने बाढ़ की रिपोर्ट देखी हैं। वह विस्तृत रिपोर्ट आती थीं लेकिन इस बार बहुत ही अधूरी रिपोर्ट आयी है। यह सवाल कोई पार्टी का सवाल नहीं है, किसी दल विशेष का सवाल नहीं है, यह बाढ़ और कटाव का सवाल राष्ट्रीय सवाल है। बाढ़ के सवाल को युद्ध स्तर पर पूरा करना चाहिए तभी मैं समझता हूं कि यह समस्या हल हो सकती है अन्यथा नहीं हो सकती। आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि यह कहा गया है कि आजमगढ़ की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। मैं नहीं समझ पाता कि मन्त्री जी की रिपोर्ट किस आधार पर है। मैं तो आजमगढ़ का रहने वाला हूं और खास तौर पर उस क्षेत्र से आता हूं जो घाघरा क

[श्री राम सुन्दर पाण्डेय]

किनारे ७० मील लम्बा और १० मील चौड़ा क्षेत्र है, जहां १ लाख से अधिक लोगों की आबादी है और सैकड़ों गांव हैं। उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है सिवाय छप्पर के और कुछ नहीं है। श्रीमन्, हमें तकलीफ है कि इस वर्ष नदियों से कटाव को रोकने के लिए और वहां के लोगों को बचाने के लिए बजट में एक पैसा भी नहीं रखा गया है।

दिल्ली की सरकार या इस प्रदेश की सरकार का सबसे पहला कर्तव्य यह होना चाहिए कि आज इस प्रदेश में जो गंगा, यमुना, घाघरा और राप्ती आदि नदियां हैं जिनसे कटाव प्रतिवर्ष हुआ करते हैं और जिनके बहाव के कारण हजारों, लाखों घर नदी के पेट में चले जाते हैं, हजारों परिवारों की जमीन नदी के पेट में चली जाती है, आप सोच सकते हैं, श्रीमन्, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है और जहां ऐसे हजारों लोग खानाबदोशों की भांति जिन्दगी व्यतीत करते हैं, ऐसे लोगों को रोटी देने के लिए, ऐसे लोगों को फिर से बसाने के लिए, इस बजट में एक पैसा भी नहीं है, इसका मुझे बहुत क्लेश है और इस रिपोर्ट को मैं बहुत अधूरी रिपोर्ट मानता हूं। सरकार का कर्तव्य था कि इस प्रकार के बांधों को बहने से रोकती और बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए सबसे अधिक रकम देती जिससे लोगों की बाढ़ से रक्षा की जा सकती। अध्यक्ष जी, हर साल के बजट में इस बात के लिए प्राविधान रखा जाता रहा है लेकिन इस साल के बजट में नहीं है हर साल जब बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है तो मालगुजारी की वसूली स्थगित कर दी जाती है और वही अफसर जो मालगुजारी की वसूली स्थगित करने की रिपोर्ट देते हैं वही लोग मालगुजारी वसूली के स्थगन से ४ या ६ महीने बाद मालगुजारी की वसूली शुरू कर देते हैं। जिन खेतों की जमीन कट कर चली जाती है उन खेतों की मालगुजारी भी सरकार बेरहमी के साथ वसूल करती है। सरकार का कर्तव्य यह होना चाहिए था कि जिस खेत को किसान जोतता-बोता नहीं है उस खेत की मालगुजारी वह किसान कैसे देगा उससे सरकार वसूल न करती लेकिन सरकार का माल विभाग बेरहमी के साथ उस किसान से भी उस खेत की मालगुजारी वसूल करता है। सन् ५२ से लेकर ६७ तक इस प्रदेश में यह नियम रहा है कि जो जमीन नदियों के कटाव से कट जाती है और जब तक वह फिर से जोतने-बोने लायक नहीं होती तब तक उसकी मालगुजारी माफ रहती थी लेकिन सन् ६९ में जब चौधरी चरणसिंह मुख्य मन्त्री बने तो उन्होंने इस नियम को तोड़ दिया और आज लाखों हजारों किसान अपना घर-बार बेंच कर अपने बरतन बेचकर जो खेत कटे हुए हैं उनकी मालगुजारी अदा करते हैं। और यही नहीं अध्यक्ष जी, उनको उस पर विकास कर भी देना पड़ता है। इसलिए आवश्यकता इस चीज की है कि नदियों के कटाव से जो गांव प्रभावित होते हैं उनके बारे में शुरू से सोचा जावे और उसके कटाव को रोकने की व्यवस्था की जावे और ऐसे लोगों को बसाने के लिए जो इन कटावों के कारण बेरोजगार हो जाते हैं, जिनकी जमीनें नदियों के पेट में चली जाती हैं बसाने के लिए और उनको जमीन देने के लिए व्यवस्था की जाय, उनको रोजी देने के लिए जमीन दी जाय तभी जाकर नदियों के कटाव से और बाढ़ की विपत्ति का संतोषजनक हल निकल सकता है और नदियों के किनारे जो बांध बने हुए हैं उनकी रक्षा जब जुलाई का महीना आ जाता है, बरसात आ जाती है तब उसकी देखभाल इंजीनियर करने लगते हैं जबकि होना यह चाहिए कि अप्रैल एवं मई के महीने से उन बांधों को देखा जावे और उसकी मरम्मत होती रहे तभी सरकार उनके कटाव और बहाव को बरसात के पहले रोक सकेंगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि कटावों की रुकावट के लिये, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के बच्चों की फीस माफी के लिए मालगुजारी की छूट के लिए पूरी सहायता होनी चाहिये और उसके लिए एक अच्छी रकम स्वीकार की जानी चाहिये।

(श्री अध्यक्ष के श्री बाबूलाल वर्मा का नाम पुकारने पर)

श्री राम अधार—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आप आते हैं और चले जाते हैं

(व्यवधान)

आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा। मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। आप धमकाते हैं। आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं। आप बैठ जाइये।

श्री राम अधार— [* * *]

श्री अध्यक्ष—

आप निकल जाइये। (व्यवधान) अगर आप नहीं निकलेंगे तो और सजा दी जायेगी। आप दबाव डालना चाहते हैं। आप इस तरह से धमकाते हैं। आप अशिष्ट हैं।

(व्यवधान)

श्री राम अधार— [* * *]

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से नहीं बोलने देंगे। आप शिष्ट व्यवहार करना नहीं जानते हैं। आप बैठ जाइये। यह कोई शिष्टता है ?

(व्यवधान)

श्री कृष्ण राव (जिला देवरिया)—

आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। (व्यवधान)

*श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सिंचाई मन्त्री जी ने जो वक्तव्य पढ़ा है और जिस रफ्तार से पढ़ा है, अगर नदियां भी उसी तरह से बहती होतीं तो जनता अपनी सुरक्षा की भी व्यवस्था कर पाती। जो वक्तव्य पढ़ा है उससे स्पष्ट है कि मन्त्री जी ने यह वक्तव्य विरोधी दलों और सत्तारूढ़ दलों के माननीय सदस्यों के कहने पर अपने किसी सेक्रेटरी से बनवाया है क्योंकि उसमें जो आंकड़े दिये गये हैं वे गलत हैं। मैं मन्त्री जी पर आरोप लगाता हूं कि बाढ़ जैसे गम्भीर विषय पर गलत रिपोर्ट पेश करके सदन में गलत बयानी की है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था।

बाढ़ जो पूरे प्रदेश में है और जनता के जन-जीवन से सम्बन्धित है मन्त्री जी ने गलत रिपोर्ट पढ़कर के जनता के जन-जीवन से खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ में केवल ५०० घर गिरे हैं और एक लाख एकड़ जमीन प्रभावित हुयी है। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि मैं अभी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा करके आया हूं। घाघरा घाट से लेकर बढ़ैया तक जो बांध हुकुमसिंह जी के जमाने में बंधा था, वह घाघरा नदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया था। इसी को ५/६ साल पहले ऊंचा किया गया था। इससे गांव नीचे पड़ गये हैं। आज सारे गांव डूब गये हैं। इस समय गुरैया, नासिरगंज और हाता वगैरा ऐसे गांव हैं जिनके ४०० घर नदी में समा गये हैं और इनकी डेढ़ हजार एकड़ भूमि नदी से कट कर नदी में समा गई है और वहां के लोगों को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है।

[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबू लाल वर्मा]

अभी मे देखकर आया हूं । कहा गया है कि बहराइच जिले की हालत बेहतर है । लेकिन मैं देखकर आया हूं और यदि मन्त्री जी चलें तो मैं उनको दिखा सकता हूं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में लोग मचानों पर बैठे हैं और चार दिन से बैठे हैं । इसलिए नहीं उतरते हैं कि नीचे उतरने पर आगे जाने का रास्ता नहीं है । वहां नावों की भी कोई व्यवस्था नहीं है । मैं उनको दिखा सकता हूं । घाघरा नदी का जल स्तर रुका हुआ है थमा हुआ है, बढ़ा नहीं है । कल की रिपोर्ट है कि ३४७ फिट से ऊपर जो खतरे की बिन्दु है उससे नदी बढ़ रही है । जैसा मंत्री जी ने कहा कि नदी का स्तर स्थिर है । मैं मान्यवर, बताना चाहता हूं कि मैंने बार बार मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया कि बछैल ताल से पानी निकालने के लिये ४ किलोमीटर पर एक नाला निकाला गया और वह नाला टूट गया है । जब मैंने कहा कि वह नाला टूट गया है और उससे ३ हजार एकड़ जमीन, करीब १५ गांव बह जाते हैं, तो मंत्रीजी ने कहा कि वह नाला नहीं है, वह नाली है । जिस नाली की बात आप करते हैं उसमें सरजू नदी से पानी बछैल में जाकर गिरता है । ऐसी ३ हजार एकड़ जमीन इस समय डूबी हुई है । अगर मेरे साथ चलना चाहें मैं आपको दिखा सकता हूं । आपके अधिकारियों ने आपको गलत रिपोर्ट दी । १०० फुट ऊंचा और ३० फुट चौड़ा वह नाला है । मैं तीन बार व्यक्तिगत रुप से मंत्री जी से मिला, लेकिन बरसात के पहले वह नाला बांधा नहीं गया । ३ हजार एकड़ जमीन समाप्त हो गई यह मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया । अभी मंत्री जी ने कहा कि ५०० रु० बहराइच जिले के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये स्वीकार किया है ।

मान्यवर, वही कहावत है कि एक ऊंट बहुत भूखा था और उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा था तो उसको जीरा खाने को मिला, तो उस जीरे को जब उसको खिलाया गया तो वह उसके मुंह तक भी नहीं पहुंचा बल्कि उसकी नाक में जाकर पहुंच गया । तो उसी प्रकार से माननीय मंत्री जी की सहायता है बहराइच जिले के बाढ़ पीड़ितों के लिये तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये ठीक से व्यवस्था करें ।

श्री राम समुझ तिवारी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट मंत्री जी ने पढ़कर सुनाया, उसको मैं सुन नहीं सका । आपकी यह रिपोर्ट बंट चुकी है, परन्तु मा० मंत्री जी को तो मिल गई हम लोग भी इस सदन के सदस्य हैं,हम लोगों को भी वह रिपोर्ट मिलनी चाहिये । मान्यवर, मेरा घर उस जगह पर है जिसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है, पाखाना पानी के अन्दर करना पड़ रहा है । उसके चारों तरफ नदियों का जाल बिछा हुआ है । वहां पर राप्ती, जमवार, बूढ़ी राप्ती, विलारी, बानगंगा, घेरे हुये हैं, घाघरा जो आपका सरहद बनाती है । मान्यवर, इतनी नदियां बस्ती जिले में हैं । बस्ती जिले में गरीबी ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा, जनसंख्या ज्यादा, आबादी ज्यादा और बीमारी ज्यादा, तो सारी की सारी ज्यादा है, तो बाढ़ कैसे कम रहेगी ? नाम उसका है बस्ती, परन्तु है उजाड़ । तो भाषण क्या दूं ? भाषण देने से तो बाढ़ जाने वाली है नहीं, लेकिन एक बीमारी है भाषण देने की, वह छूटती नहीं है, तो अपनी बात, अपना हक कहना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि यह बाढ़ इन्द्रदेव ने हिमालय पर वर्षा किया उससे पानी आया, लेकिन माननीय सदस्यों ने कहा कि महमूद अली साहब बाढ़ लाये बहुगुणा जी बाढ़ लाये, राजमंगल पांडेय बाढ़ लाये । शायद उनके दरवाजे पर भी बाढ़ है । क्या शंकर हैं जिनकी जटा से गंगा निकली है ? मंत्री जी के अफसर इतने गैर-जिम्मेदार हैं कि वह इनको झूठा बना देंगे । इनकी यह जो रिपोर्ट है कि सब जमींदारों ने बन्धे बनाये, मेरे यहां बरदही का बन्धा, गोवर्धनपुर का बन्धा ये दो अंग्रेजों ने बनाये । पनघटिया, सिसौली, कुंडी घोंघा इत्यादि इस सरकार ने बनवाये हैं । मैंने पार्टी मीटिंग में लिख कर दिया था, मेरा उलाहना है, मंत्रीजी से कि मैंने यह लिखा था कि कुंडी बांध में फाटक नहीं जमे हैं । लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला । ३०० गांव में बाढ़ आती है और खेत, घर सब डूब गये, फाटक इंजीनियरों ने नहीं बनाया । मैंने कलेक्टर की मीटिंग में

इंजीनियर से कहा कि बाढ़ फिर आयेगी, तुम बरखास्त हो जाओगे, लेकिन मैं समझता हूं आज शासन में जितनी जो बेईमानी करता है उतनी तरक्की पाता है, बरखास्त होने का कोई सवाल नहीं है। तो जिस इंजीनियर ने रेगुलेटर नहीं लगाया, फाटक नहीं लगाया उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। माधव बाबू ने कहा ऐसी बात नहीं है कि आप आम कहें तो हम इमली कहेंगे और हम आम कहेंगे तो आप इमली कहेंगे। लेकिन दिन को दिन कहा जाय, रात को रात जाय। माधव बाबू ने कहा वह सत्य है। आपको सोचना है कि फौरन से फौरन क्या इन्तजाम करेंगे। बच्चों को फीस का जो पैसा है तत्काल वायरलेस से माफ कर दीजिये। आप कहेंगे कि हुक्म जायेगा। वह शिक्षा सचिव के यहां जायगा और सचिव उसको लेकर रख लेगा। मंत्री कहता है कि मैंने यह लिख दिया, उपसचिव कहता है मंत्री के लिखे को मैं नहीं मानता...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मेरे पास सूचना बांसी से आयी है, कि मैं मंत्री जी की तलाश में आया हूं, हाउस में वह हैं। नौगढ़ रोड बांसी को जाती है पक्की, उसपर नाव चल रही है। अगर फिर मिलिटरी आदि का इन्तजाम नहीं हुआ तो न जाने कितने घर गिर जायेंगे--यह कल से आज तक स्थिति हुई है। उन्होंने कहा कि चाहे मुख्य मन्त्री से या सिंचाई मन्त्री से कहिये, वहां से सूचना मंगाइये कहते हैं कि आइये मत, तुरन्त कहिये यह अपने चीफ सेक्रेटरी से। तो यह नोटिस में ला देता हूं। कि अगर ऐक्शन नहीं लिया गया तो यह भयानक से भयानक घटना होगी और आपके ऊपर जिम्मेदारी आयेगी।

श्री रामसमुझ तिवारी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जिस तरह का वर्णन माधव बाबू ने किया, उस सड़क पर एक फजीहतवा नाला है, उस पर पुल बनना था। पूरी गरमी भर फजीहत नहीं हुई, उस पर पुल नहीं बना और बरसात में इनके इंजीनियर पुल बनाते हैं। क्या टेक्निकलिटी है इनमें? कौन अकल है? हड़ताल करने की अकल है, घूस लेने की, पैसा लेने की अकल है। यही टेक्निकल है। इस मुल्क में कुछ लोग जरूर पैदा हुए जिन्होंने एटामिक इनर्जी पैदा किया, अच्छे काम किये, लेकिन ज्यादातर नालायकी के काम किये जो कि देश के मुंह में कालिख पोतते हैं। वह काम नहीं करते हैं....जीवन में पहला मौका दिया है आपने। बस्ती का रहने वाला हूं। नाम बस्ती और है उजड़ी हुई जगह। यहां रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं सिंचाई मन्त्री हैं यह रोक नहीं पायेंगे बाढ़ को। आपको गरीब-मजदूर को राहत देनी है, जो मजदूर खेतिहर है, जिसके पास खेती नहीं है। उसको पैसा और काम देना है, सामान और गल्ला देना है। आप कहते हैं कि पहुंच गया सब, लेकिन पहुंचेगा कुछ नहीं। माननीया मन्त्री जी बैठी हुई हैं। लखनऊ में साबुन नहीं मिलता है, बस्ती में क्या पहुंचेगा। यह शासन कड़ा नहीं होगा तो देश जहन्नुम में चला जायगा। तो कड़ा होना चाहिये। लेकिन ये सरकारी अफसर, ये कलेक्टर तो मिनिस्टर को कुछ समझते ही नहीं हैं। कहते हैं ऐसे हुकुम रोज होते हैं। यह भावना उसके अन्दर आयी कैसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपना भाषण बन्द करता हूं और आपने जो मुझे अवसर दिया उसके लिये शुक्रिया अदा करता हूं। आगे के लिये आग लगे तब कुंआ खुदवायें, पहले से इन्तजाम करें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, यह आपकी महती कृपा है कि आपने आखिर में मुझे समय दे ही दिया। कल कार्य-स्थगन का प्रस्ताव जब मैंने प्रस्तुत किया था मैं गोरखपुर से आया था और अपनी आंखों से वहां की विभीषिका को देखा था। हमें एक ऐसी जगह देखने को मिली थी जहां लोगों को आवाज सुनायी द रही थी और पानी की लहरें दिखायी दे रही थीं। मेरे उस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझ।]

प्रस्ताव की क्या प्रतिक्रिया हुई सरकार पर यह जाहिर है । यहां पर बैठने के बाद हम लोगों को यह रिपोर्ट भी पढ़ने के लिये नहीं मिली । यह रिपोर्ट इतनी मिसलीडिंग है कि जो लोग पूर्वांचल से नहीं आते उनके मन में उस बाढ़ की सही तस्वीर आ ही नहीं सकती है । इसलिये इस मिसलीडिंग रिपोर्ट को जो माननीय मन्त्री जी ने पढ़ा है, मैं फाड़ कर के फेंक देता हूं । (माननीय सदस्य ने रिपोर्ट को फाड़ कर फेंक दिया ।) यह वास्तविकता से दूर है, सच्चाई पर पर्दा डालने वाली है जिससे सरकार भी कुछ काम न कर सके।

इस बाढ़ को लाने का श्रेय सिंचाई विभाग को है । उसके लिये इंजीनियर और माननीय सिंचाई मन्त्री, दोनों ही जिम्मेदार हैं । मुझे याद है गोरखपुर में सिंचाई कमेटी की मीटिंग हुई थी । ५, ६ या ७ जुलाई का समय था । वहां के कलेक्टर साहब ने कहा कि जो फलां-फलां बांध हैं, जिनका कि माननीय रावत जी और कांग्रेस के माननीय ध्रुवनारायण सिंह जी ने भी किया था, इनकी मरम्मत करनी चाहिये । इंजीनियर्स ने कहा कि चूंकि जमींदारों के ये बांध हैं इसलिये हम इन पर कुछ नहीं कर सकते। कलेक्टर ने कहा कि कुछ तो करो । उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है । आज स्थिति यह है कि सारे के सारे बांध टूट गये हैं । झपट बांध में पानी का सीपेज हो रहा है, वह टूटने के करीब है । रिंग और मलौनी बांध के सम्बन्ध में जब मैंने अल्पसूचित प्रश्न दिया तो उत्तर मिला कि उनको कोई खतरा नहीं है । अगर बद-किस्मती से वह बांध टूटा तो न केवल गोरखपुर शहर बल्कि एन० ई० रेलवे की वर्कशाप, सब कुछ बन्द हो जायगा और सारे उत्तरी भारत में बिहार से लेकर लखनऊ तक रेल का पहिया जाम हो जायगा । गोरखपुर के सिंचाई विभाग के ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे कर्म-चारी भ्रष्ट हैं और जैसे इन्होंने इस सैलाब में जिले को डुबा दिया मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने भ्रष्टाचार के सैलाब में माननीय सिंचाई मन्त्री और उनके साथियों को डुबा देंगे ।

आज गोरखपुर में दस लाख आदमी घर द्वार छोड़ कर सड़क पर आ गये हैं । हजारों की संख्या में छोटे छोटे मासूम बच्चे, अर्द्ध नंगी औरतें इस तलाश में हैं कि कुछ मिले तो हम पेट में में डालें । यह इस साल की बात नहीं है । आप जानते हैं कि छितौनी बांध में 22 लाख रुपया लगा था और १४ करोड़ रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च हो चुके हैं । ये लोग पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और जब बाढ़ आती है तो फर्जी वाउचर बना देते हैं । यह काम फर्जी वाउचर बनाने का दासियों साल से वहां के इंजीनियर और सिंचाई विभाग के अधिकारी करते चले आ रहे हैं । आप सतर्कता आयोग को बिठाइये । मैं उसमें सबूत के साथ बयान दूंगा और अगर मेरी सूचना गलत हो तो मुझे जो भी सजा दी जायगी मैं भोगने के लिये तैयार हूं । मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । जब पंचवर्षीय योना शुरू हुई थी तो राप्ती और घाघरा पर नियन्त्रण करने के लिये 200 करोड़ रुपये की एक योजना बनी थी । सन 62 की बाढ़ को देखने के बाद यह योजना बनायी गयी थी, उसे लागू किया जाय । जल कुन्डी योजना को भी शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाय । जलाशय बनाय जायं । बाढ़ खत्म होने पर टेस्ट वर्क्स खोले जायं ।

श्री गोपीनाथ [illegible]वर पुरी---

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया....

डाक्टर प्रकाशनारायण गुप्त (जिला आगरा)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अगर इतनी यह गम्भीर समस्या है तो संबंधित जिलों के माननीय सदस्यों को यहां रहना चाहिये, मगर इस समय सदन में कोरम तक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

कोरम के लिये घंटी बजायी जाय ।

श्री त्रिवेणी राय---

श्रीमन्, लोगों को अपनी बात कह लेने दें, समय हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष--

इनसे कहिये, कोरम का प्रश्न क्यों उठा दिया। अब वह पूरा हो जाने दें।

डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्त--

मैं कोरम का प्रश्न वापस ले सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब वापसी का प्रश्न नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री गोपीनाथ कामेश्वर पुरी---

मान्यवर, यह बाढ़ जो आयी है इससे मैं बहुत दुखी होकर अपनी बात कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, बस्ती जिला वह जिला है जिसके लिये कविवर निराला जी ने कहा है कि "बस्ती को बस्ती कहे तो काको कह उजाड़"। उस जिले से 14 विधायक चुन कर आते हैं। वहां की समस्याओं को सदैव नजरन्दाज कर दिया जाता है। हम लोगों की जवान में ताला लगा हुआ है। जो चुप रहेगी जुबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्मां से। मान्यवर, बस्ती जिला नदियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। उस क्षेत्र में बूढ़ी राप्ती, बान गंगा, बिलारी, कुआणो, आमी, घाघरा आदि बहुत सी नदियां हैं। वहां पर इतनी अधिक नदियां हैं कि अगर सबका वर्णन करने लगूं तो 10 मिनट का समय उनके नाम पढ़ने में ही लग जायगा। मान्यवर, हर बाढ़ को रोकने के लिये दो प्रकार की योजनायें होनी चाहिये। एक तो स्थायी योजना और एक तात्कालिक योजना। आज यहां जिस योजना पर बात हो रही है वह तात्कालिक योजना से ही सम्बन्धित है और यह रिपोर्ट जो माननीय मंत्री जी ने इस सदन के सामने रखी है वह मुझे तो मिली नहीं थी, दूसरे से उधार लेकर देखी है, अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ पाया कि इसका क्या आधार रखा गया है सहायता देने का। यह मैं नहीं कहता कि पड़ोसी जिलों को अधिक और मेरे जिले को कम क्यों दिया गया है लेकिन उनको किस आधार पर दिया गया, यह समझ में नहीं आया।

बस्ती जिले में 8 लाख एकड़ जमीन प्रभावित है जब कि केवल 48 घरों के ही गिरने की सूचना दी गयी है। मैं समझता हूं कि यह रिपोर्ट जो सरकारी अधिकारियों ने मंत्री जी को दी है वह सरासर गलत है। कल ही मेरे क्षेत्र से एक आदमी आया था। उसने बतलाया कि गांव तो पानी से घिरा हुआ है, वहां 6 तारीख तक तहसील का कोई अधिकारी पहुंचा ही नहीं था। फिर किस अधिकारी ने इस प्रकार के आंकड़े भेज दिये जो सरासर गलत हैं। मैं तो दावे से कहता हूं कि बूढ़ी राप्ती व दूसरी नदियों ने बहुत से गांवों को काट दिया है जो नदी के पेटे में चले गये हैं। मालूम नहीं कि रोज कितने गांव नदी के पेटे में चले जा रहे हैं, फिर यह जो कह दिया गया है कि 48 गांव ही कटे हैं यह सरासर गलत है। जब सिंचाई विभाग के अनुदान पर यहां बहस चल रही थी तो उसी समय मैंने यह कहा था बड़ी राप्ती पर जहां बाढ़ का खतरा है आप ठोकरें लगवा दीजिये, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो भी योजना बनायी जाय वह टेक्निकल लोगों से इंजीनियरों से बनवायी जाय लेकिन यह लोग जो सवा लाख और डेढ़ लाख जनता के प्रतिनिधि बन कर यहां आये हैं, उनसे भी राय पूछी जाय, हम लोगों से जानकारी की जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर यह लोग यहां किस लिये आये हैं। मेरा अनुरोध है कि जब भी कोई योजना बनायी जाय तो हम लोगों से भी पूछा जाय ताकि हम अपने जिले के बारे में अपनी राय दे सकें। इसमें मंत्री महोदय का उतना दोष नहीं है जितना कि सरकारी अधिकारियों का है जो कि गलत तरीके से योजना बना कर दे देते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री गोपीनाथ कामेश्वर पुरी]

आपके माध्यम से मैं एक बात और माननीय मंत्री जी से कह दूं कि बूढ़ी राप्ती और बड़ी राप्ती तथा जलकुम्भी योजना नेपाल की बनने वाली है। बड़ी राप्ती तो पहाड़ी नदी है लेकिन बूढ़ी राप्ती ऐसी नदी है जो पहाड़ से न निकल कर खेतों के बीच से निकलती है लेकिन जो उसकी सहायक नदियां हैं, चरगवहा, सुकवा, आदि उसमें आकर मिलती हैं। मान्यवर, इस बूढ़ी राप्ती नदी से जो बाढ़ आती है उससे उत्तरी बस्ती की सुरक्षा की जाय। जो लाखों एकड़ फसल नष्ट हो जाती है और जो यह बाढ़ आती है, उससे इस क्षेत्र को बचाने की तात्कालिक आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपको धयन्वाद देता हूं कि आपने बोलने का समय दिया।

*श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं। मैं आजमगढ़ जिले के निजामाबाद के कजरार गांव जिसके बारे में इतनी रिपोर्टें की जा रही हैं टोंस नदी से इस गांव को नुकसान होता है। कजरार गांव के अलावा और कई गांव ऐसे हैं जहां से तमाम लोगों ने इस किस्म की रिपोर्टें की हैं। लेकिन वह रिपोर्टें भी पी0 डब्लू0 डी0 के सेक्शन में, कभी डी0 पी0 ओ0 के सेक्शन में और कभी मोहतरिम महमूद अली खां के सेक्शन में खो जाती हैं और ऐसे खो जाती है कि उनकी तलाश करना मुश्किल होता है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि बाढ़ कैसे आती है? जाहिर है जब पानी बरसता है तो बरसात से सैलाब आता है और जब सैलाब आता है तो दौड़-धूप की जाती है और हमारे वजीर साहबान हेलीकाप्टर और हवाई जाहाज से सैलाब की तहकीकात करते हैं। जाहिर है कि साहिल से तूफां का नजारा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हकीकत कुछ दूसरी होती है। गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया में बाढ़ आयी है। आप हेलीकाप्टर से देख कर अंदाजा नहीं कर सकते। आपके पास शिकायत आ रहीं है कि वहां पर तेल नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है।

मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 5 दिन के लिये असेम्बली बंद हो रही है। आपका फर्ज है इलेक्शन के जमाने में एक एक जिले में 4–4 वजीर बैठे रहते थे। गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, 8 में से कहीं एक जगह पर सेंटर बना लें। 5 दिन के लिये हम लोग वहां चलें तो मालूम हो जायगा कि प्रेक्टिकली वहां पर क्या हालात है। लोगों को खाने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वरना हकीकत में होगा क्या कि तमाम चीजें कागज पर ही रह जायंगी। मिनिस्टर साहब कागज की ही नाव चलाया करेंगे। इसी प्रकार से तमाम फर्जी कार्यवाही कागजों पर होती रहेंगी। असल हालात का पता तो तभी चलेगा जब वजीर साहबान चलें और वहां पर हेडक्वार्टर बनायें। पैदल जहां जा सकते हों पैदल चल कर देखें और जहां जिस तरह से जा सकते हों देखें कि क्या दिक्कतें हैं और जाने से ही वहां के सही हालात का पता चल सकेगा। मैं आपके साथ चलने के लिये तैयार हूं। यही मेरी गुजारिश है।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग २–२, ४–४ मिनट ले लें। ज्यादा वक्त नहीं दे सकता हूं। ढाई घंटे में २ घंटे हो चुके हैं। अब आधा घंटा रह गया है।

*श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, जो रिपोर्ट माननीय मंत्री जी ने पेश की है, वह बिल्कुल ठीक नहीं है। श्रीमन्, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया और बस्ती तथा बलिया इन पांच जिलों में बाढ़ आयी हुयी है और यह सारे के सारे जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मान्यवर, हमेशा बाढ़ आती है। बंधे टूटते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन जिलों का तमाम इलाका हर साल पानी में डूब जाता है। हर साल १०–१५ गांवों का अंत हो जाता है। देखते-देखते जो गांव सुबह मौजूद होता है शाम को दिखायी नहीं देता है, गांवों का नामोनिशान मिट जाता है। मान्यवर, वहां तमाम जीव, पशु तथा इंसान मरते हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से कहूंगा कि इसके लिये कोई १०–२० साल से हाहाकार मचा हुआ है तो कोई ठोस योजना अपने इंजीनियरों के द्वारा बनवायें जिससे कटाव रोके जा सकें।

बाढ़ के सिलसिले में आजमगढ़ जनपद के काफी गांव प्रभावित हैं। टोंस नदी का घुमाव हो रहा है। यह नदी बड़ी खतरनाक है। आजमगढ़ में यदि लाल किला बांध टूट गया तो जो १९५४ में बाढ़ आई थी और उससे सब ध्वस्त हो गया था। तो यदि वह स्थिति आ गई तो टोंस का जो इलाका है आजमगढ़ से चहरोला तक ५६ मील का एरिया जिसमें ५०० गांव आते हैं वे सब प्रभावित होंगे। इसलिये सिंचाई मंत्री जी को मैं साफ-साफ बता दूं कि वे अपने इंजीनियरों को तथा फ्लड कंट्रोल बोर्ड को आदेश दें कि हमारे लिये कोई ठोस योजना बनावें ताकि जो हाहाकार आजमगढ़, देवरिया, बस्ती तथा गोरखपुर में होता है उसको हल किया जा सके। दूसरी बात प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर एक तो बाढ़ से तबाह हैं और दूसरे सूखे से तबाह हो रहे हैं। इस प्रकार यह प्रकृति का सब प्रकोप है और इसका हल निकालना चाहिये।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मैं देवरिया जनपद के उत्तरी छोर पडरौना तहसील का रहने वाला हूं। जहां गंडक नदी का प्रलयकारी प्रकोप चल रहा है। बड़ी-बड़ी नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र, कोसी और नारायणी हैं जिनमें नारायणी सब से भयावह नदी है। मैं ३ तारीख को इस स्थिति को देखने गया था तो वहां कुछ गांवों जैसे चिरोती, धरौरा और पिपरासी जो कि बाढ़ की भयावह स्थिति से घिर गये हैं। इस विनाश लीला की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की है। मैं माननीय मंत्री जी से कह देना चाहता हूं कि एक चीज की इसमें जानकारी नहीं हुई है। यह इतनी फर्जी रिपोर्ट है ऐसी जाली रिपोर्ट है कि एक समझदार आदमी को इसे पेश नहीं करना चाहिये था। यह गम्भीर बात है कि सिंचाई विभाग के जो अधीक्षण अभियंता हैं उनसे दो महीने पहले मैंने प्रार्थना की थी कि बारिस में ये नदियां व नहरें जनता के लिये एक दिन कहर होंगी और उनमें आप पानी बे हिसाब छोड़ियेगा। तो सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता ने कहा था कि पिछली गल्ती नहीं दोहराई जायेगी आप निश्चिन्त रहें। यह काम सहायक अभियंता को न सौंप कर सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर ने अपने उपर लिया है।

तो मान्यवर, जो नहरें जगह-जगह पर चली गई हैं उनके द्वारा यह विनाश लीला हो रही है। वहां राहत कार्य कुछ भी नहीं हुआ है। बल्कि मान्यवर, वहां सिंचाई के राजस्व की वसूली की जा रही है। कृषि विभाग ने अमीनों को आदेश दिये हैं कि ५ हजार से नीचे जो वसूली अमीन करेगा उसको बरखास्त कर दिया जायगा। राजस्व मंत्री जी ने आदेश दिये कि पडरौना तहसील में वसूली स्थगित कर दी जाय परन्तु जिलाधिकारी, एस०डी०एम० तथा कानूनगो आदि कहते हैं कि वसूली की जाय। यह राजस्व सचिव की कृपा से डेढ़ महीने बाद वसूली स्थगन के आदेश कार्यान्वित हुये हैं। इस प्रकार हमारे जनपद में अत्याचार हो रहें हैं और आज भी सिंचाई विभाग का कोई इंजीनियर उनके लिये वरदान नहीं है। जनता के लिये यह बाढ़ अभिशाप है और अधिकारियों के लिये वरदान है। यह पिकनिक मना रहे हैं, मुर्गे खा रहे हैं। उनके लिये रंगीन मौसम है। मंत्री जी गये होंगे लेकिन यह रिपोर्ट डाक बंगले पर बैठकर आफिसर्स ने बना दी होगी। कृपाशंकर जी के चुनाव क्षेत्र में एक गांव कोटना है वह पानी से घिरा हुआ है, लेकिन उसका जिक्र तक नहीं है। गंडक से घिरे गांवों का जिक्र भी नहीं है। आप बाढ़ से नहीं बचा सकते हैं लेकिन राहत दे सकते हैं इसलिये चना की व्यवस्था कीजिये। नमक, मिट्टी का तेल और कन्ट्रोल के कपड़े की व्यवस्था कीजिय।

*श्री राम लखन (जिला बस्ती)---

मैं बस्ती जिले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र घाघरा, राप्ती आदि नदियों से घिरा हुआ है। इसके अलावा वहां एला, चन्दो वगैरह बड़े-बड़े ताल हैं। नदी की बाढ़ से तालाब भर जाते हैं और तबाही आ जाती है। आप वहां के गांवों के लिये सस्ते गल्ले की दुकानें खुलवायें। सांडपुर के पास दो मील बांध बन गया था। एक फर्लांग रह गया था। अगर बन जाता तो बहुत से गांव बाढ़ से बच जाते। वहां के लोगों ने जो अनाज था बो दिया और गल्ला बेचकर खाद डाली लेकिन वह सब बह गया। यदि सरकार उनको राहत नहीं देगी तो खतरा है। यह इलाका घाघरा के किनारे है। वहां थोड़ी सी वर्षा हो तो कटान शुरू हो जाता है इसलिये ठोकर लगने की आवश्यकता है। वहां लोगों को हर समय बाढ़ आ जाने का खतरा रहता है। वहां पर बांध और ठोकर बनवाने की व्यवस्था की जाय। इसी तरह से अंजीगांव और रामजानकी रोड पर भी बंधा बनने की जरूरत है। उससे काफी गांव बच सकते हैं। डुबोआं बाजार के पास बंधा नष्ट हो गया है। अगर मिट्टी पड़ जाती तो १०, १२ गांव बच सकते थे। इसी तरह से सरोइया घाट पर भी मिट्टी पड़ने से ८/१० गांव बच सकते हैं। मंत्री जी को इनके बारे में पता नहीं है। कोई जरिया नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के क्षेत्रों में विद्यार्थियों की फीस माफ की जाय, बरसात खत्म हो जाय तो बंधे ठीक कराये जांय। इससे बंधे भी ठीक हो जायेंगे और गरीबों को काम भी मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया गया।

*श्री कृष्णा राय---

मान्यवर, देवरिया तहसील के ४५० गांव, जिनमें राज मंगल पांडेय जी का भी गांव है, पानी से राज मंगल जी ने डुबो दिया। मुझको अगर कोई कानूनी दांव मिलेगा, तो मैं परिवहन मंत्री जी को अदालत में कटघरे में खड़ा करूंगा। वहां बारिस से नहीं, नहर के पानी से, बारिस के पहले ही तमाम गांव बरबाद हो गये थे। आज तो बारिस के पानी का बहाना लिया जा रहा है। राज मंगल पांडे जी को वहां जाकर इसकी जानकारी करनी चाहिये।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, २ महीने पहले मैंने दफा ५१ में अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न उठाया था। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने कहा था कि फलां-फलां इंजीनियर को बुलाता हूं। बाढ़ की समस्या उनके सामने रख दी। ५० हजार की लागत से बांध बंधवाकर १७ गांव बचाये जा रहे थे। मंत्री जी ने मीटिंग की। इंजीनियर आये। मैंने सारी बातें बताई उसके बाद और बीसों तकाजे किये, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इंजीनियरों ने कहा कि हम मजबूर हैं। मंत्री जी से कहें कि पैसा भेजें तो काम करेंगे। बाढ़ की विभीषिका भगवान की तरफ से है, मैं मानता हूं। लेकिन बाढ़ के आ जाने के बाद यह सरकार करोड़ों रुपये फेंकती है। नगदी रुपये और गल्ले की जो क्षति होती है, वह सरकार करती है। अगर यह रुपया २/४ महीने पहले लगता तो यह बाढ़ की विभीषिका न होती और यह नुकसान न होता। महावर नदी मामूली नदी है मगर बरसात में भयंकर है। मुश्ताक अहमद एक ओवरसियर है। उसने महावर के बांध को कटवा दिया जिसको हजारों किसानों ने बांधा था। १२ बजे रात को उसने बांध कटवा दिया। नतीजा यह हुआ कि पानी सुनवा नाले में चला गया और १८ गांव देखते-देखते डूब गये और सारी फसल का नुकसान हुआ। मंत्रीजी ने ३९५ गांवों की जो लिस्ट दी है, वह फर्जी है। मंत्रीजी ने फर्जी रिपोर्ट दी है। मैं तो कहूंगा कि इस तरह की रिपोर्ट बनाना सब से बड़ा देशद्रोह है। राष्ट्र को क्षति पहुंचाना है।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरे देशों से हम गल्ले के लिये भीख मांगते हैं। जो कुछ होना था हो गया। इस वक्त राहत कार्य के लिये सामान पहुंचाना है। न यहां इस वक्त खाद्य मंत्री जी मौजूद हैं, न राजस्व मंत्री जी। सिंचाई मंत्री जी का तो काम खत्म हो गया। बंधे तो समय से बनवाने का काम रह गया है। मुख्य मंत्री जी को इस समय होना चाहिये था ताकि लोगों को दाना और पानी पहुंचाया जा सकता। हमारे यह ऐसे गांव हैं जो चारों ओर पानी से घिरे हैं, जहां नावों से जाना पड़ता है। लोग पेड़ों पर चढ़कर पाखाना जाते हैं। राजस्व मंत्री जी तो नहीं हैं, राजस्व सचिव बैठे हैं, चखना गांव धंस गया। १०/१२ हजार का खर्च था। बंधे पर मिट्टी पड़ी होती तो सारी फसल बच जाती परन्तु कुछ नहीं हुआ। तीन फुट मिट्टी अगर डलवा देते तो वह गांव बच जाता। वहां १० हजार मन गल्ले का नुकसान हुआ है और इस तरह से यह १० हजार रुपये से बचाया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया।

*श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

देवरिया जिले के बारे में बहुत हल्ला किया गया लेकिन किसी का उस तरफ ध्यान नहीं गया। नारायणी नदी के पूर्व और उत्तर की तरफ जहां से नारायणी आती है उस इलाके का उत्तर प्रदेश से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है। लोग प्राण बचा कर भाग रहे हैं। ९ आदमी मर गये और कोई सरकारी कर्मचारी वहां नहीं पहुंचा। सबसे बड़ा दुख यह है कि सरकार को खबर भी नहीं, वहां की विपत्ति के बारे में कुछ नहीं सरकार ने बतलाया। छोटी गंडक तथा घाघरा का नाम सब ने लिया। बड़ी गंडक का नाम किसी ने नहीं लिया। देवरिया जिले को बड़ी गंडक से विपत्ति आई है, उसका नाम किसी ने नहीं लिया। मंत्री जी की रिपोर्ट बिल्कुल झूठी है, इसलिये उनको इस्तीफा दे देना चाहिये। हालत यह है कि पानी से घिरी झोपड़ी में आदमी भी बैठा है, सांप भी बराबर में बैठा है। न सांप आदमी को काटता है और न आदमी सांप को मारता है। सरकार कुछ भी नहीं करती, न कुछ समझती है। लोगों के पास न खाना है, न पहनने को कपड़ा है। न नाव वहां पर है न कोई व्यवस्था है। कोई वहां पर नहीं जा सकता है। एक दम लोग तबाह हो गये हैं। इतनी विपत्ति कहीं नहीं है, उसका निवारण होना चाहिये।

*श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उस स्थान से आया हूं जहां राप्ती शुरू होती है और मैलानी बांध जहां समाप्त होता है। १६वें मील पर वहां गर्रा नदी का जन्म होता है। उस देवरिया जिले का गांव बिसनपुरा जो है वहां अपने क्षेत्र में जब असेम्बली ५ दिन के लिये बन्द हुई थी तो मैं गया था और वहां २०० गज जाने पर मेरी नाव डूब गयी। बचने का कारण एक ही था कि वहां पानी अथाह नहीं था। कहने का मतलब यह है कि उस क्षेत्र में न कोई नाव है, न खाने पीने की व्यवस्था है। इस सब का कारण यही है कि आज जो रक्षक है वही भक्षक हो गया है। सिंचाई मंत्री को गोरखपुर मंडल की पूरी पिक्चर मिल चुकी है। हवाई जहाज से उन्होंने सर्वे किया। उनको पहले से ही ज्ञात होना चाहिये था कि कटाव होने वाला है और एक खूंखार भेड़िये का जन्म होने वाला है। मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न रखा था कि फलां जगह कटाव होने वाला है और बंधा टूटने वाला है, वह टूट ही गया। सरार मंझगांवां के पास स्वयं वहां की जनता ने काट डाला। इसके साथ ही साथ मेरा यह भी सुझाव है कि वहां के लोगों के लिये आप सुविधायें देंगे, बच्चों की फीस माफ करेंगे, मुफ्त गांवों को अनाज देंगे, उनको ऊंचा उठाने का कार्यक्रम बनायेंगे। वहां पर जो अधिशासी अभियन्ता श्री वशिष्ठ तिवारी हैं उन्होंने १ लाख रुपया लिया है और भूतपूर्व एम० एल० ए० के भाई ने ५ हजार रुपया देकर मंत्री जी से सिफारिश की है। इस ओर विरोधी दल के विधायकों ने बार बार कहा लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री रघुनाथ (जिला बलिया)---

मान्यवर, जब बाढ़ें आती हैं तो हमारा सारा इलाका जलमग्न हो जाता है। बलिया में रसड़ा और टोंस नदी के किनारे रिंग बांध बनाने की जो योजना थी उसपर अभी कोई कदम नहीं उठाया गया है। प्रति वर्ष हजारों मकान पानी में डूब जाते हैं, फसलें बरबाद हो जाती हैं। जो मुख्य बांध वहां पर बना हुआ है उसके टूटने का खतरा पैदा हो गया है। टोंस नदी की धारा बलिया के चारों ओर फैल गई है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि बलिया की तरफ ध्यान दें और उसकी हिफाजत करें।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

श्रीमन्, मुझे सिर्फ दो-तीन चीजें ही अर्ज करनी हैं। एक बात तो यह अर्ज करनी है कि जिस तरीके से हर साल बाढ़ आती है उसी तरीके की यह नहीं है। लेकिन हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी बाढ़ सन् १९२५ में आयी थी और उसके बाद उससे कम बाढ़ सन् १९६२ में आयी। सन् २५ की बाढ़ का रिकार्ड सबसे ज्यादा था और सन् ६२ में जो बाढ़ आयी थी वह इस वर्ष की बाढ़ से कम थी। इस वर्ष की बाढ़ का रिकार्ड सन् ६२ की बाढ़ के रिकार्ड से थोड़ा बढ़ गया है लेकिन सन् २५ की बाढ़ से रिकार्ड कम है।

मैं कल गोरखपुर गया था और मैंने वहां पर बंधों पर भी जाकर देखा। इसके अलावा ४ हजार फुट की ऊंचाई पर हमारा हवाई जहज उड़ रहा था तो उस वक्त मैंने यह अन्दाज किया कि जहां तक मेरी नजर जा सकती थी पानी ही पानी वहां नजर आता था। जो दरख्त ऊंचे थे उनके ऊपरी हिस्से ही दिखायी दे रहे थे और कुछ दरख्त तो डूबे हुये थे। इसलिये मैं यह तसलीम करता हूं कि जो बाढ़ के सम्बन्ध में यह रिपोर्ट दी गई है वह अधूरी है क्योंकि इस वक्त न तो कोई कर्मचारी ही वहां जा सकता है और न ही कोई सही अन्दाज लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान किन-किन लोगों का हुआ है। नुकसान का अन्दाज पानी उतर जाने के बाद ही होगा। अभी यह भी नहीं कहा जा सकता है कि पानी और बढ़ेगा या घटेगा लेकिन आज सुबह की रिपोर्ट के अनुसार पानी बढ़ना बन्द हो गया है। कल तक तो पानी बराबर बढ़ ही रहा था और यह रिपोर्ट थी कि एक इंच पानी बराबर बढ़ रहा है। जहां से पानी आता है वहां बराबर बारिश हो रही है। कल दिन भर भी गोरखपुर में तेजी से बारिश हो रही थी और उसी बारिश में हम फिरते रहे।

जहां तक गोरखपुर के बंधों का सवाल है और यह कहा गया कि उसमें सीपज है। उसमें भी काबू पा लिया गया है और वहां के दोनों बंधे महफूज हैं। इसलिये मैं कह सकता हूं कि उसमें कोई खतरा नहीं है। बाकी चीजें जो हमारे मननीय त्रिपाठी जी ने जिस बन्धे के बारे में कहा उसकी पोजीशन बिलकुल यह है---

एक सदस्य---

बोखता बन्धे के बारे में भी स्थिति बता दीजिये ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

बोखता बन्धा भी ठीक है। अभी उसमें सीपेज था, वह अब बन्द हो गया है। मैं समझता हूं कि अब उससे कोई खतरा नहीं है। तो मैं जो त्रिपाठी जी के सम्बन्ध में बन्धे का जिक्र कर रहा था, वह मुझको मिले थे १८-६-७४ को। उस बारे में मैंने फौरन ही लिख कर भेजा। वह एक बन्धा था उसके ठीक पास एक दूसरा छोटा बन्धा था, उसकी हिफाजत के लिये उसे बनाने का सवाल था। मैंने फौरन लिखकर भेजा कि उसे बाकयादा ठीक कर दिया जाय किन्तु किसानों ने उसके लिये जमीन देने से इन्कार कर दिया, बिलकुल मना कर दिया और यहां तक हुआ कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वे मुकाबले में आये और कहा कि नहीं इसे बनने देंगे तब वहां पुलिस भी आई और उसके बाद भी वे नहीं मानें और आशंका इस बात की हुई कि कहीं झगड़ा हो जायगा। फिर यह तय हुआ कि अब जमीन एक्वायर की जायगी। उसके बाद वह १३-७-७४ को मिली। तो यह कहना कि विभाग की तरफ से या मेरी तरफ से इसमें कोई कमी रही है, ठीकनहीं है। एक बात खासकर कही गई है इन बन्धों के बार में जो बस्ती और गोरखपुर में हैं। वे दरअस्ल जमींदारों के बन्धे हैं। उसमें शायद अबतक क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत ही कुछ हुआ हो, नहीं तो कुछ नहीं सरकार की तरफ से हुआ है, हमारी सरकर ने कभी भी उनका रखरखाव नहीं किया है।

श्री मधुकर दिघे--

जो आपने अभी इतने बन्धे हमारे यहां के बताये हैं, वे किसी जमींदार ने नहीं बनवाये हैं।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

उन बन्धों के बारे में मैं समझता हूं कुछ न कुछ करना चाहिये, अगर हमें वहां का इंतजाम करना है और लोगों की हिफाजत करनी है।

अब बाकी चीजें जहां तक हैं रिलीफ के सिलसिले में, उस सम्बन्ध में मैं अर्ज कर दूं। जहां तक गौरखपुर का ताल्लुक है, ५-८-७४ को वहां एक सौ टन अनाज भेजा गया--

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

यह कैसे हो सकता है, उस दिन तो वहां मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैंने मांगा है, किन्तु अभी तक एक दाना भी नहीं भेजा गया है।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मैं यहां से भेजने का बता रहा हूं। पहुंचने का नहीं। और तारीख ७-८-७४ को पांच सौ टन भेजा गया है। जिला देवरिया में ५-८-७३ को १०० टन भेज दिया। बस्ती में ७-८-७४ को १०० टन भेजा गया है। मैंने भी अफसरों से इस बारे में मालूम किया, मालूम हुआ कि उनके पास पहले भी कुछ इंतजाम था। उन्होंने कहा था हम किसी को गल्ला वगैरह की कमी नहीं होने देंगे। एक बात मैंने वहां यह पाई कि कोई-कोई गांव जो पानी से घिरे हुए हैं, उनके सम्बन्ध में डी० एम० ने बताया कि वहां के लोग गांव छोड़कर बाहर जाना नहीं चाहते थे, कुछ लोग बन्धों पर आ गये हैं, ठहरे हुए हैं। उनकी पूरी व्यवस्था हो रही है। यह पानी उतर जाने के बाद मनुष्यों और जानवरों में बीमारी होती है, बीमारी जोरों से फैलती है, उसके लिए भी सरकार की तरफ से पूरा इंतजाम कर दिया गया है। उसके बाद टीके वगैरह लगाने की व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूं यह तो एक मुसीबत है। यह जो आई है, यह किसी इंसान की लाई हुई नहीं है। हमें पूरी तरह से इसका मुकाबला करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और १३ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ७ बजकर ३५ मिनट पर मंगलवार, १३ अगस्त, १९७४ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
७ अगस्त, १९७४।

नत्थी 'क'

(देखिए नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७१ पर)

रामगंगा परियोजना यूनिट–२ (बी) के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में प्रस्तावित वार्षिक सिंचाई का विवरण

जिले का नाम	सिंचित क्षेत्र (हजार एकड़)
१––सहारनपुर	६.०
२––मुजफ्फर नगर	१३.६
३––मेरठ	६.४
४––बुलन्दशहर	५७.०
५––अलीगढ़	७५.२
६––मथुरा	१६०.८
७––आगरा	८४.५
८––एटा	७३.२
९––मैनपुरी	१०७.३
१०––फर्रुखाबाद	५०.२
११––इटावा	१५४.६
१२––कानपुर	२४९.४
१३––फतेहपुर	२८७.२
१४––इलाहाबाद	९६.६
योग	१४२२.०

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७३ पर)

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा (५) अनुभाग

संख्या २४१५/१५ (५)–२६/१६७४

लखनऊ, दिनांक, १ जून, १६७४

विज्ञप्ति

अखिल भारतीय तृतीय शैक्षिक सर्वेक्षण का कार्य व्यापक रूप से चलाने हेतु राज्यपाल महोदय एक उच्च स्तरीय शैक्षिक सर्वेक्षण समिति का गठन करते हैं, जिसके निम्नांकित सदस्य होंगे:--

१--शिक्षा सचिव,	अध्यक्ष ।
२--शिक्षा निदेशक (उच्च), उत्तर प्रदेश,	सदस्य ।
३--शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश,	सदस्य ।
४--शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश ।	सदस्य ।
५--शिक्षा निदेशक (प्राविधिक), उत्तर प्रदेश ।	सदस्य ।
६--सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश ।	सदस्य ।
७--श्री राम मनोहर लाल अस्थाना, अनु सचिव शिक्षा विभाग ।	सदस्य ।
८--मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ ।	सदस्य ।
६--मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ।	सदस्य ।
१०--बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ	सदस्य ।
११--श्री विपिन चन्द्र अस्थाना, ग्रामीण जीवन विश्लेषक, विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग ।	सदस्य ।
१२--राज्य सर्वेक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।	सदस्य-सचिव ।

(२) इस समिति का कार्यकाल सर्व प्रथम छः मास का होगा और आवश्यकता पड़ने पर कार्यकाल में वृद्धि कर दी जायगी ।

(३) समिति की बैठक इलाहाबाद अथवा जहां इसके अध्यक्ष निर्धारित करें वहां होगी ।

(४) समिति के सरकारी कर्मचारियों को यात्रिक तथा दैनिक भत्ता उसी बजट शीर्षक से दिया जायगा जिससे उनका वेतन दिया जाता है ।

(५) समिति का कार्य तृतीय शैक्षिक सर्वेक्षण का कार्य व्यापक रूप से होने हेतु मार्ग प्रदर्शन करना है । यह समिति सर्वेक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं का निरूपण कर उन मदों पर निर्देश देगी ।

शशि भूषण शरण,

शिक्षा सचिव ।

संख्या २४१५ (१)/१५ (५)–२९-७४ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:––

१––शिक्षा सचिव ।

२––शिक्षा निदेशक (उच्च) (माध्यमिक), (बेसिक), उत्तर प्रदेश ।

३––प्राविधिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश , कानपुर ।

४––समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।

५––समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश ;

६––सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

७––समस्त जिला बेसिक, शिक्षा अधिकारी ।

८––राज्य सर्वेक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

९––समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

१०––महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

११––अनुसचिव (२) शिक्षा विभाग/नियोजन अनुभाग––४ ।

१२––अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को (अंग्रेजी व उर्दू रूपांतर सहित) इस कथन के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को सरकारी गजट के अगले अंक में प्रकाशित कर दें। उपरोक्त विज्ञप्ति की एक एक प्रति ऊपर क्रमांक १ से ११ पर वर्णित सभी अधिकारियों को व ५० प्रतियां (हिन्दी व अंग्रेजी दोनों की) शासन को तुरन्त भेजें ।

आज्ञा से,

सुषमा मांगलिक,

उप सचिव ।

विधान परिषद सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७५ पर)

श्रमिक संघ के मांग पत्र दिनांक १४-१-७४ की मांगें जो १५-१-७४ को सचिव, सावजनिक निर्माण विभाग को दिया गया

१--संघ की मांग के अनुसार फिलहाल ५० रु० प्रत्येक बगैर रेगुलर वर्कचार्ज मजदूरों को अन्तरिम सहायता दी जाय। बाद को मुख्य अभियन्ता द्वारा समस्त गैर रेगुलर मजदूरों के वेतन-क्रम निर्धारित हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट लागू हो जाने, अन्तरिम सहायता वेतन-क्रमों में विलीन कर दी जाय। इस प्रकार की अन्तरिम सहायता सिंचाई विभाग के वर्क चार्ज मजदूरों को पहले ही दी जा चुकी है।	मुख्य अभियन्ताओं की कमेटी द्वारा विचार करने के उपरांत बगैर रेगुलर वर्कचार्ज मजदूरों का न्यूनतम वेतन १०५ से बढ़ाकर दिनांक १-१-७४ से १५० कर दिया गया।
२--शासकीय फैसले के अनुसार तीन साल तक की सेवा अवधि पूरी करने वाले समस्त वर्कचार्ज मस्टर रोल मजदूरों की सेवायें रेगुलर करने के आदेश तुरंत मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग और प्रबन्ध निदेशक, राज्य सेतु-निगम को दिये जायें।	तीन साल से ऊपर सेवा वाले १८,००० कर्मचारियों को रेगुलर किया जा चुका है। १-३-७२ व १-३-७३ को तीन वर्ष पूरा करने वाले लगभग १४,०८० कर्मचारियों को रेगुलर करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
३--शासकीय फैसले के अनुसार ही तीन साल तक की सेवा अवधि वाले अस्थायी रेगुलर मजदूरों को नौकरी स्थायी करनेके आदेश तुरन्त मुख्य अभियन्ता और प्रबन्ध निदेशक, राज्य सेतु निगम को दिये जायें।	वर्कचार्ज से रेगुलर अधिष्ठान में लाये गये कर्मचारियों को नियमानुसार स्थायी करने की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।
४--१-३-६८ और १-३-७१ से रेगुलर सेवा में लिए गए मजदूरों का कमाया ऐरियर (जो कि १० लाख से अधिक है) का भुगतान १ महीना के अन्दर करने के आदेश दिये जायें।	बकाये का भुगतान ७० प्रतिशत से अधिक हो गया था। केवल प्री-आडिट के कारण शेष भुगतान में बिलम्ब था। १ जून, ७४ में प्री-आडिट के प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है। अब शीघ्र भुगतान हो जायेगा।
५--सार्वजनिक निर्माण विभाग और राज्य सेतु निगम के रेगुलर मजदूरों पर अली जहीर वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन-क्रम और मंहगाई भत्ता देने सम्बन्धी आदेश को तुरन्त लागू किया जाय और नये वेतन-क्रम के ऐरियर का भुगतान २८ फरवरी तक करने के आदेश दिये जायें।	यह लागू कर दिया गया है। सेतु निगम की सेवा नियमावली निर्माणाधीन है।

६—श्रम विभाग के स्पष्टीकरण के अनुसार ही सार्वजनिक निर्माण विभाग और राज्य सेतु निगम के समस्त मजदूरों को औद्योगिक मजदूर घोषित कर नयी सेवा शर्तें बनाने हेतु विभागीय समिति गठित की जाये ।	यह मामला शासन के विचाराधीन है तथा श्रम और न्याय विभाग के परामर्श से निर्णय लिया जायेगा ।
७—अन्य मांगों पर हुयी कार्यवाही से संघ को अवगत कराया जाये ।	संघ को १७-१-७४ के पत्र द्वारा आवश्यक सूचना दे दी गयी थी ।
८—१६-१२-७३ क मांग पत्र में उल्लिखित अन्य मांगों पर कार्यवाही करनें हेतु अवधि निर्धारित कीं जाय ।	कोई अवधि निर्धारित करना सम्भव नहीं है । संघ की मांगों पर सहानुभूतिपूवक सदैव विचार किया जाता है ।

विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७७ पर)

तालिका—प्रश्न संख्या 18

१ जनवरी, १९७४ से ३० जून, १९७४ तक इटावा जनपद में निर्मित नलकूप

क्रमांक	नलकूप सं०	नाम ग्राम	नाम तहसील
1—25	औरैया ग्रुप . .	. . असेवा	औरैया
2—26	औरैया ग्रुप . .	. . असेक्टा	औरैया
3—33	औरैया ग्रुप . .	. . धामपुर	औरैया
4—38	औरैया ग्रुप . .	. . बरबतपुर	औरैया
5—13	भरथना ग्रुप	. . सारंगपुर	भरथना
6—14	भरथना ग्रुप	. . सबलपुर	भरथना
7—15	भरथना ग्रुप	. . सबलपुर	भरथना
8—16	भरथना ग्रुप	. . लाखनपुर	भरथना
9—17	भरथना ग्रुप	. . नन्दगवां	भरथना
10—18	भरथना ग्रुप	. . अहमदपुर	भरथना
11—19	भरथना ग्रुप	. . बसैयापुर	भरथना
12—20	भरथना ग्रुप	. . बहादुरपुर	भरथना
13—21	भरथना ग्रुप	. . नन्दगवां	भरथना
14—66	इटावा . .	. . धनुआ	इटावा

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

परिशिष्ट "ङ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८३ पर)

ग्राम जहां प्रा० वा० नहीं है	जनसंख्या	ग्राम जहां प्रा०वा० नहीं है	जन संख्या
१—नित्य नन्द पुर नगली ..	७३२	२७—ढ़क्वा	९६४
२—मंगलपुर ..	७१८	२८—ईमामाबाद ..	६०२
३—करियारी ..	११४९	२९—टाटपुरा ..	१५९
४—इमलिया ..	४३६	३०—सीकरी ..	७८५
५—श्योराजपुर ..	७१३	३१—पीरपुर ..	१७७
६—मथुरा बंगल ..	४८८	३२—शकरपुर ..	४८५
७—खानपुर मजरा ..	७७३	३३—नगला मदारीपुर ..	८३६
८—भमरौली ..	५५३	३४—कोड़ा शमशादपुर ..	८३२
९—ईशनपुर ..	९४२	३५—प्याना कलां ..	१७०८
१०—मानपुर ..	४७७	३६—कल्याणपुर ..	३८३
११—खिजरपुर ..	५१४	३७—रायपुर उर्फ पितमपुर ..	२९३
१२—पेमपुर ..	२३८	३८—रौसला ..	३४७
१३—सिहाली झांया ..	६४२	३९—मदनगढ़ ..	२५६
१४—ढ़लना	६४२	४०—मिर्जापुर नगली ..	३५४
१५—रहमतपुर औगला ..	७४३	४१—शरीकपुर बनबोई ..	८९
१६—काचरौटा ..	१३७५	४२—यूनिशपुर ..	५९२
१७—सिमरपुर ..	३५३	४३—जुगसाना खुर्द ..	३७०
१८—नगौर	४५९	४४—मानकरारा ..	४८१
१९—शुखपुरा ..	८३१	४५—अंजनी ..	७३६
२०—हसनपुर उज्जरा ..	९९	४६—फतेहपुर ..	४५६
२१—मुल्लानी ..	११८	४७—डबकारा ..	६६२
२२—बासुंरी ..	७४७	४८—फतेह पुर गुजर ..	२५४
२३—भोगपुर ..	७५८	४९—मांडू हसनपुर ..	३०६
२४—जडौली ..	७१९	५०—भरां	८०९
२५—बिहारी खेड़ा ..	३७०	५१—आलमपुर नगला ..	४३६
२६—तहगारा ..	३८१		

नत्थी "च"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६१ पर)

वर्ष १६७३–७४ के अन्तर्गत छिद्रित कूपों का विवरण

क्रम-संख्या	कूप संख्या एवं समुच	ग्राम का नाम	विकास खंड का नाम
१—५५	छिबरामऊ ग्रुप	.. कल्यानपुर	छिबरामऊ
२—५८	,,	.. बहबलपुर	,,
३—६२	,,	.. खानपुर	,,
४—६३	,,	.. भुवई	तालग्राम
५—६४	,,	.. कसारी	,,
६—६६	,,	.. भवानी सराय गोविन्दपुर	,,
७—६८	,,	.. नेकनामपुर	,,
८—६६	,,	.. बभुलाई	,,
६—६४	कन्नौज ग्रुप	.. वहरिन	कन्नौज
१०—६५	,,	.. भोवा	जलालाबाद
११—६६	,,	.. नेरा	कन्नौज
१२—६७	,,	.. सुल्तानपुर	,,
१३—६८	,,	.. गंगागंज	,,
१४—५६	छिबरामऊ	.. बहबलपुर	छिबरामऊ
१५—१५१	फ०	.. रामपुर माझजाव	कमालगंज
१६—१५२	,,	.. सिथौली	,,
१७—१५३	,,	.. इरकमपुर	मोहम्मदाबाद
१८—१५४	,,	.. सिरोली तीरा	,,
१६—१५५	,,	सितौली	कमालगंज
२०—६५	छिबरामऊ	.. फिरोजपुर	तालग्राम

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० १३० वि० सभा—(१६२६)—१६७५—८४५ ।